दशम माला, खंड

17 जुलाई, 1991
1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिंदी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

दशम माला, खंड 1 पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 7 बुधवार, 17 जुलाई 1991/26 आषाढ़, 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर।		
*तारांकित प्रश्न संख्या।	61,62,63 और 80	1-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		19-118
*तारांकित प्रश्न संख्या :	64 से 79	19-43
अतारांकित प्रश्न संख्या :	223,224,226 से 230, 232 से 248, 250 से 274 और 376 से 301	
सभा पटल पर रखे गये पत्र		130-136
नियम 377 के अधीन मामले		136-140
(एक) मद्रास और अर्कोनम के बीच विशेष रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता		
	श्री आर. जीवरत्नम	136-137
(दो) आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में खेतिहर मजदूरों और बुनकरों की दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता		
	डा. विश्वनाथम केनिथो	137

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(तीन) उज्जैन में अप्रैल, 1992 में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले से संबंधित विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु एक केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री सत्यनारायण जटिया — 137-138

(चार) गुजरात में पेड़ों की अवैध कटाई रोकने की आवश्यकता

श्री चन्द्रभाई देशमुख — 138

(पांच) आतंकवादियों की बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहन सिंह — 138

(छ:) कालीकट और मुम्बई तथा कालीकट और त्रिवेन्द्रम के बीच अतिरिक्त उड़ानें आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री ई. अहमद — 138-139

(सात) विजयवाड़ा के लिए बोइंग विमान सेवा चलाने और वायुदूत सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे — 139

(आठ) मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति की गंभीरता का आकलन करने के लिए वहां एक केन्द्रीय दल भेजने की आवश्यकता

कु. विमला वर्मा — 139-140

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव — 140-172 और 185-218

श्री विजय कुमार यादव — 140-145

श्री पी. एम. सईद — 145-146

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे — 148-153

श्री मानवेन्द्र शाह — 153-156

श्रीमती सरोज दुबे 156-161

श्री आर. प्रभु 161-167

श्रीमती सुशीला गोपालन 167-172

श्री एम. आर. जनार्दनन 185-189

श्री सैयद शाहबुद्दीन 189-196

श्री एच. डी. देवगोडा 196-205

श्री बल्लभ पाणिग्रही 206-213

श्री दत्तात्रेय बंडारू 213-217

श्री पी. सी. चाक्को 217-218

मंत्री द्वारा वक्तव्य 172-178

(एक) 15.7.1991 को ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में हुई बैंक डकैती

श्री एम. एम. जैकब 172-179

(दो) 14.7.1991 को पटपड़गंज, दिल्ली के समीप रेल पटरी पर हुआ बम विस्फोट

श्री एम. एम जैकब 179-183

कार्य मंत्रणा समिति 205-206

पहला प्रतिवेदन—(प्रस्तुत)

लोक सभा

बुधवार 17 जुलाई, 1991/26 आषाढ़, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पेप्सी फूड्स परियोजना का कार्य-निष्पादन

[अनुवाद]

+

*61. श्री बी. श्री निवास प्रसाद :

श्री पवन कुमार बंसल

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पेप्सी प्रोजेक्ट फेल्स आन मोस्ट फंड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेप्सी फूड्स परियोजना निर्यात, रोजगार के अवसर पैदा करने आदि के बारे में केन्द्रीय सरकार से किए गए अपने वायदों को पूरा करने में पूरी तरह असफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) अपने वायदे पूरे करने में विफल रहने के कारण पेप्सी फूड्स परियोजना के विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(ङ) इस कम्पनी ने पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा भेजी है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मैसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने पंजाब में जिला संगरूर के चन्नो स्थान पर आलू/खाद्यान्न प्रसंस्करण और मृदु पेय सांद्रण संयंत्रों तथा जहूरा, होशियारपुर में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की है। इस परियोजना के अधीन उपर्युक्त तीन संयंत्रों को क्रमश: फरवरी, 1990, अप्रैल, 1990 और जून, 1990 में चालू किया गया था।

कम्पनी ने टमाटर के पौधे उगाने के लिए पोलीथीन आवरणों के नीचे आरक्षित नर्सरी के विकास और "डीप चिसलिंग टेकनीक" अपनाकर अच्छी किस्म के अधिक पैदावार देने वाले वर्ण-संकर टमाटरों को उगाने में किसानों को प्रोत्साहित करने के भी कदम उठाये हैं। कम्पनी ने यह भी सूचित किया है कि उसने जहूरा में कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के भी कदम उठाये हैं।

कम्पनी ने अपने सम्बद्ध और सहायक कारोबार में 850 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार और 25,500 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार दिया है।

कम्पनी ने सूचित किया है कि उसने 1.4.90 से 31.3.91 के दौरान विभिन्न उत्पादों का 9.62 करोड़ रुपये का निर्यात किया है। उस वर्ष में जिन पदार्थों का निर्यात किया गया है वे उपर्युक्त तीन यूनिटों के उत्पादों में से नहीं पाये गये। इस सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा उचित कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। मृदु पेय सांद्रण के उत्पादन के सम्बन्ध में आशय-पत्र की शर्तों के प्रथम दृष्टया उल्लंघन के लिए भी सरकार ने कार्रवाई शुरु कर दी है। इस परियोजना के लिए 11.29 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा भेजी गई है।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पेप्सी परियोजना की विभिन्न समाचार पत्र आलोचना कर रहे हैं। जैसाकि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है, कि इस परियोजना के प्रस्ताव को सरकार ने इस आशा के साथ अनुमति दी थी कि पंजाब के किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व लाभ पहुंचेगा। इस समय पेप्सी कम्पनी के कार्यनिष्पादन की बात करना जल्दबाजी होगा। किन्तु पत्रों के संकेतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह कम्पनी अपने वायदों और दायित्वों को पूरी तरह निभाएं। इसलिए मैं मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि कम्पनी ने प्रस्ताव की प्रमुख बातों को अमल में लाने के लिए कदम उठाए हैं। जैसे कि कृषि अनुसंधान केन्द्र और आलू/खाद्यान्न प्रसंस्करण की स्थापना। 5:1 के अनुपात में विदेशी मुद्रा का आगमन और बहिर्गमन और पंजाब के किसानों के लिए 25,000 नौकरियों के अवसर पैदा करना।

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज को जो आशय पत्र जारी किया गया था, वह बाद में पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया था। सरकार को समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि आशय पत्र के आधार पर सरकार से जो शर्तें पूरी करने का वायदा किया गया था उन्हें पूरा नहीं किया गया। आशय पत्र की कुछ शर्तों को लागू करने में चूक हुई थी। इसलिए, हमने अधिकारियों का एक दल बनाया था, जिसने यह जांच की कि आशय पत्र में रखी गई शर्तों को पूरा किया गया है या नहीं। जब कभी हमें पता चला कि उन्होंने शर्तें अभी तक पूरी नहीं की है, तब हमने कार्यवाही की जिससे कि वह आशय पत्र की शर्तों को पूरा करेंगे।

श्री बी. श्री निवास प्रसाद : महोदय, एक पेप्सी का तो अनुभव हमें है ही, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे अन्य प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे प्रस्तावों के बारे में नीति सम्बन्धी निर्देश तैयार करेगी।

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, जबकि माननीय मन्त्री ने सदन को आश्वासन दिया है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है जिससे कम्पनी कोई गलती न करे, जबकि सभा पटल पर रखा हुआ विवरण और कल के "द इंडियन एक्सप्रेस" में छपे समाचार लोगों, विशेषकर पंजाब के लोगों के चिंता का विषय बने हुए हैं। महोदय, हमने इस आशा के साथ इस परियोजना का समर्थन किया था कि यह राज्य में बागवानी के विकास में सहायता करेगी। किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह सही है कि वहां तीन इकाइयां स्थापित की गई हैं, किन्तु अगर मेरी सूचना सही है तो, जिला होशियारपुर, जहूरा में भी यूनिट है वह काम नहीं कर रही और महोदय, यदि आप उत्तर का अन्तिम अनुच्छेद पढ़ें, तो यह वास्तव में विवादजनक है। इसमें कहा गया है कि 9.2 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था और उनमें से कोई भी उत्पाद पंजाब में स्थापित उन तीन यूनिटों का नहीं था। महोदय, उनको ट्रेड लाइसेंस देना ही उद्देश्य नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आएं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, पंजाब का कोई सदस्य यहां नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कई और हैं जो पूछना चाहेंगे। कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री पवन कुमार बंसल : ठीक है, मैं प्रश्न पूछता हूं। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि कम्पनी सरकार की सत्ता को भी मानने से इंकार कर रही है और यह सरकार के प्रश्नों का जवाब नहीं दे रही और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कि कम्पनी वस्तुएं निर्यात करने के लाइसेंस का उपयोग उन वस्तुओं के लिए नहीं करेगी जिनका उत्पादन नहीं करती, किन्तु खाद्यान्न संस्करण के लक्ष्य को पूरा करेगी और अपने उत्पादों का ही निर्यात करेगी।

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, सरकार जानती है कि उन्होंने वायदों को पूरा नहीं किया है। समाचार पत्र में सरकार द्वारा कानूनी कार्यवाही करने की अक्षमता के बारे में जो भी छपा है, यह उनका अपना दृष्टिकोण है, किन्तु, सरकार के हाथ लम्बे हैं और वह कम्पनी से अपनी शर्त पूरा करवा सकती है।

महोदय, सरकार ने पहले ही आशय-पत्र की शर्तों के प्रथम दृष्टया उल्लंघन के लिए कार्यवाही शुरु कर दी है और मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना है। माननीय सदस्य ने उन दायित्वों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे हैं जो उन्होंने पूरे नहीं किए (व्यवधान) मैं तथ्य बता रहा हूं कि उन्होंने पूरे नहीं किए। मेरे पूर्ववर्ती मन्त्री ने परियोजना की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए अधिकारियों का एक दल भेजा था। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, उनके निष्कर्षों पर सचिव समिति का समूह विचार करेगा। निष्कर्षों में यह कहा गया है कि (1) स्वयं उत्पादित वस्तुओं अर्थात् फल एवं सब्जी प्रसंस्करित खाद्य, हरे इलायची और शीतल पेय सान्द्र थे कि तीन यूनिटों

में पेप्सी परियोजना के तहत उत्पादित किए जाते है और जिनके लिए आशय पत्र/एफ सी. की अनुमति दी गई थी, उनमें से किसी भी उत्पाद का निर्यात नहीं किया गया। (2) शीतल पेय सान्द्र की बिक्री कम है (3) अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

[हिन्दी]

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : आप हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय। मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस भाषा का प्रयोग न करें जो सभा की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष जी, आशय पत्र की कुछ शर्तों के आधार पर प्रथम दृष्टया जो अपराध बना है, उसके तहत क्या सरकार इस पेप्सी कम्पनी का निर्यात लाइसेंस या आशय पत्र जो दिया गया है उसको रद्द करने का विचार रखती है। साथ ही विदेशी मुद्रा का संकट होते हुए भी विदेशी कम्पनी को निर्यात हेतु जो निर्माण के लिए अधिकार दिए गए हैं। और जिस कारण इस कम्पनी ने ग्यारह करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा विदेशों को भेजी है तो क्या आप इस पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखते हैं। कृपया स्पष्टीकरण करें।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गामांगो : महोदय, जहां तक अधिक बीजक बनाने के आरोप का सम्बन्ध है वह मामला वित्त मन्त्रालय के प्रवर्तन-निदेशालय के पास भेज दिया गया है। मैंने पहले भी कहा है कि कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। इस आधार पर, आगे जो भी कार्यवाही करने की आवश्यकता है, वह किया जाएगा। (व्यवधान) मैंने पहले भी कहा है कि हमने इस मामले को वित्त मन्त्रालय के पास भेजा था और हम उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह सर्वविदित है कि पेप्सी एक शक्तिशाली संस्था है। ऐसा कहा जाता है कि चिली की अलेंडे सरकार का तख्ता पलटने में इसका हाथ था। जहां तक मुझे याद है कि पिछली सरकार और उससे भी पिछली सरकार ने यहां पेप्सी आरम्भ करने के लिए अनुमति दी थी जो वक्तव्य उन्होंने दिया था उसके अनुसार वे पहले दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए किया गया था। उस समय यह भी कहा गया था कि सामरिक क्षेत्रों जैसे रेलवे और हवाई सेवाओं इत्यादि, को पेप्सी उत्पाद खरीदने की ओर इस प्रकार की संस्था पर धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब पता चला है कि पेप्सी आपकी सभी हिदायतों का उल्लंघन कर रही है और आप यह कह रहे हैं कि आपने यह पता लगाने के लिए कि क्या वे आपके आदेशों का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं, एक समिति का गठन किया गया है और यह कि उसका पता लगने पर, आप कदम उठाएंगे, कम्पनी के विरुद्ध आप किस प्रकार के कदम उठाने का विचार कर रहे हैं? हमारे सामने ऐसा आर्थिक संकट आया है जब सोने को बेचना पड़ रहा है और हम इस संकट से उबारने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं तो क्या पेप्सी फूड्स जैसी संस्था के विरुद्ध ऐसा कड़ा कदम उठाना सम्भव है?

श्री गिरिधर गोमांगो : सरकार पेप्सी फूड उत्पादन द्वारा उस अनुबन्धन को पूरा कराने में इच्छुक है जिस का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। उन्हें वह अनुबन्धन पूरा करना है जिसका उल्लेख आशय पत्र में (व्यवधान) निर्यात अनुबन्धन सम्बन्धी मामला वाणिज्य मंत्रालय के पास भेज दिया गया है (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रत्येक उत्तर के लिये मन्त्री महोदय आंकड़े पढ़ रहे हैं। वे प्रश्नों के उत्तर दें, उन्हें कागजों को पढ़ना नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं तथ्य बता रहा हूं। आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक ने कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, प्रश्न है कि क्या आप वर्तमान परिस्थितियों में कम्पनी से उनके अनुबन्धन का पालन करवा पाएंगे अथवा नहीं।

श्री गिरिधर गोमांगो : जी हां।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, पेप्सी का मामला एक ऐसा मामला है जिसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तीसरी दुनियां की सरकारों को नियन्त्रित करती हैं। यही वह कम्पनी थी जो लेटिन अमेरिका मे निर्वाचित सरकार और चिली में अलैंडे सरकार का तख्ता उलटने के लिए जिम्मेवार थी।(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : प्रश्न भिन्न है। वे कुछ और पूछ रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह स्पष्ट है कि पेप्सी उन्हें भी प्रभावित कर पाने में सफल हो गए हैं। विश्व भर में पेप्सी का इसी प्रकार का प्रभाव है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या कांग्रेस के लोगों की पेप्सी कोला के साथ सांठ-गाँठ है जो इसकी वकालत कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा है मुझे उस पर आपत्ति है। नहीं। यह इस प्रकार नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय जवाब देने की क्षमता रखते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरे विचार में, इस कम्पनी का भारत में प्रवेश हाल ही के वर्षों में बड़े आर्थिक घोटालों में से एक है। मैं मन्त्री महोदय से कुछ बहुत सीधे प्रश्न पूछना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि उनके अफसरों ने इसका जवाब पहले से ही तैयार नहीं कर लिए हैं और वे पहले ही उत्तर नहीं दे सकते।

मेरा पहला प्रश्न है।

क्या सरकार के पास ऐसा कोई रिकार्ड है अथवा कोई अन्य स्रोत है जिससे पता चले कि बड़े स्तर पर जो यन्त्र इस कम्पनी ने आयात किए थे उनका मूल्य बीजक में अधिक दिखाया गया था और इस कम्पनी के स्थापित होने से पहले करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा हज्म कर ली गई। (व्यवधान)

जब मैं उद्योग मन्त्री था, मैंने भारत से कोका कोला को निकाल दिया था। अब, आप पेप्सी कोला को ले आये और कोका कोला को लाने का प्रयत्न किया। हमने कोका कोला को भारत में लाने से रोका। यदि आप सरकार में होते, तो आप कोका कोला को भी ले आए होते। आपने यहां पर कोका कोला लाने के लिये सब कुछ किया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप इस प्रकार हस्तक्षेप न करें। मन्त्री जी को जवाब देने दें। वे एक स्पष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं। जब आप प्रश्न पूछ रहे होंगे तो मैं आपके साथ भी ऐसा नहीं होने दूंगा।

श्री जार्ज फर्नांडीज : प्रश्न का दूसरा भाग है :

क्या इस तथ्य की जानकारी सरकार को पहले से ही थी कि यह कम्पनी इन उत्पादों में से किसी का भी निर्यात करने की स्थिति में नहीं होगी ?

वे कहते हैं, हम इसकी जांच कर रहे हैं कि कम्पनी निर्यात करेगी या नहीं। किन्तु कम्पनी के लिए यह स्पष्ट था कि इसके उत्पादों का निर्यात नहीं किया जायेगा। वे चावल, काजू, काफी चाय का निर्यात करेंगे और यह दिखाएंगे कि वे निर्यात के वादों को पूरा कर रहे हैं।

मेरे प्रश्न का (ग) भाग यह है कि :

क्या सरकार के पास कोई प्रमाण है कि जिन 100 संसद सदस्यों ने इस कम्पनी को देश में लाने के लिए हस्ताक्षर इकट्ठे किये थे उन्हें देश के विभिन्न भागों में विशेषाधिकारों से पुरस्कृत किया गया था।

श्री पवन कुमार बंसल : पंजाब के होने के कारण हम में से कुछ परियोजना का समर्थन कर रहे थे। यह पंजाब के किसानों के लाभ के लिये था। (व्यवधान) श्री फर्नांडीज को तथ्यों को सामने लाना चाहिए। वास्तव में, वे सरकार के एक सदस्य थे जिसने पेप्सी फूड्स को अन्तिम रूप से स्वीकृति दी थी।

अध्यक्ष महोदय। मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। श्री बंसल, मंत्री जी को उत्तर देना है। यह ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या आप इस सदन में पेप्सी के मन्त्री हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं कि इस प्रकार सदन की गरिमा को कम न होने दिया जाये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइए।

[अनुवाद]

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री जार्ज फर्नान्डीज कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह सदस्यों के हित में है और सबके हित में है कि विशिष्ट प्रश्न पूछे जाएं और विशिष्ट उत्तर दिए जाएं। आपके हित में क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि जब प्रश्न पूछा जा रहा हो और जब उत्तर दिया जा रहा हो तो कृपया बाधा न डालें? मुझे आशा है कि आप सहयोग करेंगे।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा कराइये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बीजक अधिक बढ़ा कर बनाये गये। यह मामला पहले ही प्रवर्तन-निदेशालय, वित्त मन्त्रालय को सौंप दिया गया है जो इस मामले को देख रहे हैं। सम्बन्धित मन्त्रालय के विचारों के आधार पर ही हम कार्यवाही करेंगे।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पेप्सी ने आशय-पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार अपने अनुबन्ध को पूरा किया है।

अध्यक्ष महोदय : अगर वायदों को पूरा नहीं किया गया है तो क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री गिरिधर गोमांगो : आशय-पत्र के अनुसार कम्पनी अपने उत्पाद का 40% निर्यात करेगी और यह कम्पनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं में होगा। और 10 प्रतिशत दूसरी वस्तुओं का होगा। किन्तु कम्पनी ने निर्यात का अपना वादा पूरा नहीं किया है। हमने कम्पनी द्वारा निर्यात के वायदों को पूरा करवाने के लिये कार्यवाही शुरू की है। यह मामला वाणिज्य मन्त्रालय, मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात को भेज दिया गया है।

दूसरे, उन्होंने शीतल पेय सान्द्र के .5% उत्पादन की सीमा से अधिक उत्पादन किया है किन्तु कम्पनी कहती है कि उन्होंने नहीं किया है। सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर हम कार्यवाही करेंगे :

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरे प्रश्न के तीसरे भाग पर आपका क्या उत्तर है.

श्री गिरिधर गोमांगो : उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया है। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या कार्यवाही की गई है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इसका उत्तर दे दिया है, माननीय सदस्य को इसका उत्तर मालूम होना चाहिए।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैंने पहले ही अपनी बात स्पष्ट कर दी है। माननीय सदस्य फिर से पूछ रहे हैं क्या कार्यवाही की गई है। सभी प्रश्न जो माननीय सदस्य अब रख रहे हैं उनकी जांच जब वे सत्ता में थे तभी की जा सकती थी और जो कुछ कार्यवाही वे करना चाहते थे कर सकते थे।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्रीमन्: सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस प्रश्न की ओर पुनः ले जाना चाहूंगा। इस प्रश्न में सीधा सीधा सवाल पेप्सी कम्पनी के वायदे पूरे न करने के संबंध में किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप सिर्फ प्रश्न पूछिए। आधा घण्टा हो चुका है। इसलिए आप सीधे प्रश्न पर आइए।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, यदि न्याय किया जाए तो इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए अन्यथा, अन्य सभी प्रश्न नहीं लिए जा सकेंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्रीमन्, इस प्रश्न का जो शीर्षक आपके यहां से, क्वेश्चन ब्रांच से दिया गया है: मैं उसकी तरफ आपका ध्यान सबसे पहले ले जाना चाहूंगा। इस प्रश्न का क्वेश्चन ब्रांच ने शीर्षक दिया है— 'पेप्सी फूड्स परियोजना का कार्य-निष्पादन', जबकि यह सवाल कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में नहीं है बल्कि यह सीधा सा सवाल है पेप्सी फूड्स परियोजना की विफलता के सम्बन्ध में। सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा ··

अध्यक्ष महोदय : मेरा नहीं, मंत्री जी का।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं चाहता हूं कि आप हम लोगों को इस मामले में पूरा-पूरा संरक्षण प्रदान करें क्योंकि सवाल कुछ होता है और उसका उत्तर हमें कुछ मिलता है। मैंने इस प्रश्न को पूरी तरह से पढ़ा है। इसमें मंत्री जी ने और उनके कुछ साथियों ने पेप्सी योजना की कम्प-लीट रूप से, पूरी की पूरी तारीफ कर डाली है। मैं जानना चाहता हूं कि जहूरा के 850 किसानों से जब कम्पनी का समझौता हुआ था, और उनको यह कहा गया था कि आप हमें टमाटर 750 रुपए प्रति टन की दर दें। इसके लिये उन्हें अच्छी किस्म के बीज दिए गए। सात वैराइटीज के उन्हें बीज दिए गए, जिन्हें कम्पनी के निर्देशों के मुताबिक उन किसानों ने बोया और उत्पादन किया।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे प्रश्न पूछिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्रीमन्, हम पूछना चाहते हैं कि अमृतसर में क्या किसानों को इस योजना के तहत जिन लोगों को, किसानों को, काफी करोड़ रुपए की हानि हुई है, क्या मंत्री जी उन्हें मुआवजा दिलवाने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

श्री गिरधर गोमांगो : कम्पनी ने अभी कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना नहीं की है। लेकिन माननीय सदस्य ने मुझे जो जानकारी दी है, मैं इसकी जांच करूंगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार

* 62. श्री लालकृष्ण आडवाणी :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य के दूरस्थ पर्वतीय, रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने का है; यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है, तत्सम्बन्धी कार्य-योजना क्या है और उसे कब तक लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) इसके अन्तर्गत किन-किन वस्तुओं का वितरण किया जाएगा,

(ग) क्या उपर्युक्त क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये कुछ और विशिष्ट वस्तुओं का वितरण किए जाने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में राज्यावार प्रस्ताव क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सप्रवाही बनाने का कार्य एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। केन्द्रीय सरकार अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित सलाह देती रही है—

(1) उन इलाकों में मोबाइल वैनें चलाना जहां अभी तक यह सुविधा नहीं है अथवा कम है;

(2) इसके अन्तर्गत और वस्तुओं को शामिल करना;

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लगे विभिन्न अभिकरणों के बीच प्रभावशाली समन्वय प्रणाली विकसित करना।

(4) आदिवासी क्षेत्रों में हाटों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों की बिक्री आयोजित करना।

(5) विभिन्न स्तरों पर परामर्शदात्री/सतर्कता समितियां गठित करना तथा

(6) फील्ड स्तरों पर उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उपलब्धता की पुनरीक्षा करना : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार, छः मुख्य आवश्यक वस्तुएं, अर्थात गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, लेवी चीनी

आयातित खाद्य तेल और सोफ्ट कोक, अन्य मदों को वितरित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को सप्लाई करती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह छूट है कि वे अपनी तरफ से स्थानीय पसन्द को ध्यान में रखकर आम खपत की और मदों को इसके अन्तर्गत शामिल कर सकती हैं।

इस मन्त्रालय की एक योजना है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस तरह के क्षेत्रों में चलते-फिरते बिक्री केन्द्रों के रूप में चलाने के वास्ते वैनों को खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक उद्देश्य हमारे समाज के गरीब वर्ग को मुद्रा स्फीति के प्रभाव से बचाना है। जब सरकार आर्थिक सहायता को हटाने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है तो वह कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य प्रभावित नहीं होगा और हमारे समाज के गरीब वर्ग मुद्रास्फीति से प्रभावित नहीं होंगे।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिला सकता हूं कि गरीब जनता की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने का विचार है और उनकी आवश्यक वस्तुएं की पूर्ति की जायेगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कैसे ? यह एक गम्भीर मामला है और सरकार आर्थिक सहायता के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही है। उससे भी पहले, योजना आयोग द्वारा गठित एक संचालन समिति ने सिफारिश की है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि गरीबों को रियायतों का पूरा फायदा मिल सके। आज यह आमतौर पर सबको मिलती है। लेकिन योजना आयोग द्वारा कुछ समय पहले गठित संचालन ग्रुप द्वारा सिफारिश की गई थी। मुझे विश्वास है कि योजना आयोग के यह कहने से पहले ही इस सरकार ने रियायतों को कम करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था इस विशेष सिफारिश की ओर ध्यान दिया है। इसको करने के लिए कैसा प्रस्ताव किया गया है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : ये सहायता विभिन्न वर्गों को दी जा रही है।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है और जहां तक समाज के गरीब वर्गों का संबंध है जैसा कि मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम गरीब वर्गों को इन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करेंगे।

अब सहायता देने के आम प्रश्न और सहायता वापस लेने के बारे में मेरे विचार से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं संचालन समिति जिसका मैं पहले हवाला दे चुका हूं द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के बारे में जानना चाहता हूं। उनमें से एक सिफारिश यह है कि मोटा अनाज भी उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऐसी कई सिफारिशें हैं। मैं उन सबको नहीं पढ़ रहा हूं लेकिन मैं उन सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को जानना चाहूंगा।

श्री कमालुद्दीन अहमद : जैसा कि प्रधान मंत्री ने उस दिन कहा था कि सार्वजनिक वितरण की समूची योजना को दुबारा से देखा जा रहा है और सत्र के दौरान उन मुख्य मंत्रियों और राज्यों के नागरिक आपूर्ति मंत्रियों की एक बैठक बुलाने की भी योजना बना रहे हैं और हम उनके विचार जानना चाहेंगे और माननीय सदस्यों को एक बहुत व्यापक एवं पूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बताएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को यह बता दूं कि जहां तक संभव होगा मैं एक तरफ से एक सदस्य को ही अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न में राज्यों के पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों का उल्लेख है और केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़ दिया गया है। देश में कई ऐसे केन्द्र शासित प्रदेश हैं जो अलग थलग दूर-दराज और द्वीप में हैं जहां पर कई बार आवश्यक वस्तुएं न मिलने के कारण और कई बार अधिक मूल्यों के कारण भी समस्याएं हो जाती हैं इसलिए मैं सरकार से विशेष रूप से जानना चाहूंगा। क्या वे विशेष रूप से इस प्रकार के द्वीप और दूर-दराज के प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : छः आवश्यक वस्तुएं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आती हैं राज्यों को और संघ प्रदेशों को आवंटित की जा रही हैं और संघ प्रदेशों को भी इनका आवंटन किया जा रहा है और यह इसका वितरण कर रहे हैं। छः आवश्यक वस्तुएं जिनका हमने विवरण में उल्लेख किया है वे हैं गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, खाना आयातित खाद्य तेल और साफ्ट कोक हैं। केन्द्र शासित संघ और विशेषतया वे सब प्रदेश जहां से माननीय सदस्य हैं, को भी आवंटन किया गया है और उन्हें नियमित रूप से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जहां तक अन्य वस्तुओं को शामिल किया जाने का संबंध है यह केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्यों पर छोड़ दिया गया है और विशेषतया अंडमान प्रदेश ने अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई वस्तुएं शामिल की हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : हमारे देश की आदिवासी जनता को तथा आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों में रह रहे हैं आदिवासी लोगों को भी सस्ते मूल्यों पर चावलों की सप्लाई करने की एक योजना है आदिवासी जनता का केवल 4 प्रतिशत आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों में रहते हैं जबकि 55 प्रतिशत आदिवासी जनता आई.टी.डी.पी. क्षेत्र से बाहर रहती है। यह इस नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या सरकार समूची आदिवासी जनता को सस्ती दरों पर चावल वितरित करेगी जो अब आई.टी.डी.पी. क्षेत्र में रह रही आदिवासी जनता को वितरित की जा रही है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार नई सार्वजनिक वितरण योजना बनाते समय अन्य आवश्यक वस्तुओं को शामिल करने के बारे में विचार करेगी क्योंकि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चौदह आवश्यक वस्तुओं को शामिल करने की मांग करते हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : हम निश्चय रूप से इस पर विचार करेंगे।

श्री साहबुद्दीन संयद : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य और सारे लोगों को उचित मूल्यों पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना है। हम जानते हैं कि हम समूची जनता को सस्ते मूल्यों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हैं और अधिकतर जनता को अपनी आवश्यकताओं के लिए बाजार प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः मंत्री जी से मेरा प्रश्न है : क्या सरकार किसी थोक बिक्री व्यापार में खदानों को राष्ट्रीयकृत करने या नियमित करने पर विचार करेगी जिससे कि थोक बिक्री मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके और यदि फुटकर बाजार अपेक्षाकृत स्वतन्त्र है तो भी जाता अपेक्षाकृत कम मूल्यों पर दैनिक उपभोग की वस्तुएं खरीद सकती है ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, मेरे विचार से हम अभी राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पायेंगे। क्योंकि यह काफी वृहद प्रश्न है और हमें इस पर विचार करना होगा।

श्री के. पी. रेड्डय्या : महोदय, आज भारत में केन्द्र सरकार की कोई निश्चित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं है। लेकिन एक अच्छी वितरण प्रणाली है जिसे आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री एन. टी. रामा राव ने सफलतापूर्वक लागू किया है। यह योजना पिछले सात वर्षों से है (व्यवधान) आपको क्या चिढ़ है ?

मैं जानना चाहूंगा क्या यह सरकार का इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने तथा इस पर अध्ययन करने का कोई विचार है। इस प्रकाली से गरीब वर्गों के लगभग एक एक करोड़ परिवार जिसमें सीमान्तक किसान शामिल हैं को यह लाभ प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्या यह सरकार इस योजना को लायेगी, इसका अध्ययन करेगी और इसे भारत के सभी राज्यों में लागू करेगी।

श्री कमालुद्दीन अहमद। आन्ध्र प्रदेश में उपलब्ध प्रणाली निःसंदेह एक सफल प्रणाली है लेकिन केवल यहीं प्रणाली सफल नहीं हैं। केरल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में उपलब्ध प्रणालियां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सफलता पूर्वक चल रही हैं। हम निश्चय आन्ध्र प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे।

श्री आनन्द गजपति राजू पुआपति : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पिछली सरकार ने कुछ हद तक खाद्य पदार्थों और उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता में कटौती कर दी थी। अब, यह सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण चाहती है। खाद्य और उर्वरकों पर राज सहायता कम करने के लिए भी शर्त है। सरकार कौन से सुरक्षा उपाय कर रही है जिससे कि मैं वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा कम मूल्य पर और प्रतियोगी मूल्यों पर वितरित की जा सकें ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य कुशलता और बढ़े। अगर वह राज सहायता कम कर रहे हैं तो वह इस प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न एक अन्य सदस्य ने पूछा था।

(व्यवधान)

श्री आनन्द गजपति राजू पुसापति : महोदय, मैं इसका सुरक्षा संबंधी भाग पूछ रहा हूँ। (व्यवधान) मैं यह पूछ रहा हूँ कि अब राज सहायता के लिए प्रयुक्त राशि घटा दी गई तो राज सहायता में कमी आई है। अब, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रस्तावित ऋण को ध्यान में रखकर क्या यह सरकार राज सहायता में और अधिक कटौती करना चाहती है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : आज तक का निर्गम मूल्य कम किया हुआ मूल्य है। (व्यवधान) आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य ही जारी रहेगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय जैसा कि प्रश्न की मंशा है, उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार इन बातों के साथ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। आपको पढ़ना नहीं है, आप प्रश्न पर आ जायें।

श्री सत्य नारायण जटिया : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूँ। उन इलाकों में मोबाईल वैन चलाना, जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, उस निर्देश के अन्तर्गत मंत्रालय ने कितनी सुविधा प्रदान की है ? ऐसे कितने वाहनों के माध्यम से यह उपभोक्ता वस्तुयें ऐसे इलाकों में पहुंचायी जा रही है जहां इसकी आवश्यकता है ? प्रदेशवार इसकी जानकारी उपलब्ध करायी जायें ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय। क्या आपके पास यह जानकारी है ?

[हिन्दी]

श्री कमालुद्दीन अहमद : इसकी जानकारी अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। हम प्रश्न सं. 63 और 80 को एक साथ ले सकते हैं क्योंकि वे एक जैसे हैं।

प्रसार भारती अधिनियम को लागू करना

+

*63. श्री राम विलास पासवान :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसार भारती अधिनियम को लागू करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वर्तमान अधिनियम में कुछ और संशोधन करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है और इलेक्ट्रानिक जनसंचार माध्यमों को स्वायत्तता कब तक प्रदान कर दी जायेगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) निगम की औपचारिक स्थापना करने के लिए अधिकांश अनिवार्य कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं।

(ग) जी हां, यदि आवश्यक हो।

(घ) इस समय संशोधनों का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता। तथापि, सरकार प्रसार भारती की स्थापना करने और इलेक्ट्रोनिक माध्यमों के बीच स्पर्धा शुरू करने के लिए वचनबद्ध है।

इलेक्ट्रानिक जनसंचार माध्यमों की स्वायत्तता

*80. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रसार भारती अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में इलेक्ट्रानिक जनसंचार माध्यमों को वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करने के लिये क्या अनुवर्ती कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि अनुवर्ती कदम नहीं उठाये हैं तो किन बाधाओं के कारण ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) निगम की औपचारिक स्थापना के लिए अधिकांश अनिवार्य कार्य पूरे नहीं हुए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रानिक माध्यमों के बीच स्पर्धा शुरू करने की आवश्यकता को देखते हुए, अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के "क", "ख" और "घ" का जवाब आप देखेंगे तो पायेंगे कि वह एक दूसरे का विरोधाभास है। एक तरफ सरकार कहती है सरकार प्रसार भारती की स्थापना के लिए वचनबद्ध है और दूसरी तरफ सरकार अगर, मगर लगा रही है। उससे साफ जाहिर है कि सरकार इसको नहीं करना चाहती है और सरकार की नीयत शुरू से इसको करने की नहीं रही है। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी उसने सबसे पहले बी. जी. वर्गिस की अध्यक्षता में···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं।···(व्यवधान)···आपको जानकारी नहीं है इसलिए बैकग्राउन्ड बता रहा हूं···(व्यवधान) 1979 में पहला प्रसार भारती विधेयक लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस सदन में रखा था···(व्यवधान)···अगस्त 1990 को इस सदन ने सर्वसम्मति से, राज्यसभा से था संशोधन लाने के बाद यहां प्रसार भारती विधेयक को पास किया था। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने घोषणा की थी कि 31 मार्च 1991 तक प्रसार भारती को स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी। जो इस बीच की सरकार थी जो कि आपके इशारे पर चल रही थी उसने कहा था कि···(व्यवधान)···मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने अपने जवाब के "क" और "ख" जो कहा है वह कौन से अनिवार्य काम हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं हो पाये हैं, वह कब तक पूरे हो जायेंगे और कब तक प्रसार भारती की स्थापना हो जाएगी ?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : महोदय, यहां

एक प्रश्न के उत्तर का सम्बन्ध है, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। यह स्पष्ट है। प्रश्न सं. 63 के उत्तर की अंतिम पंक्ति में यह स्पष्ट है कि सरकार प्रसार भारती बनाने के लिए वचनबद्ध है।

जब से यह लोक सभा द्वारा स्वीकृत की गई थी, तब से सिर्फ यही कार्यवाही की गई थी कि डा. बी. ए पाई पनन्दिकर को 30 अक्तूबर, 1990 को धारा 4(1) (ग) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया। तत्पश्चात चन्द्रशेखर सरकार सत्ता में आई। 28 दिसम्बर, 1990 को सलाहकार समिति की एक बैठक हुई थी। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने स्वयं सारे मामले पर पुनर्विचार किया। तब से, अब तक मंत्री स्तर पर कोई कदम उठाया गया हो, हमें नहीं मालूम। किन्तु, अधिकारी स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं। राज्य परिषद और प्रेस परिषद के अध्यक्षों को एक पत्र भेजा गया था जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि चेयरमैन के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसका कोई औपचारिक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु, जब चेयरमैन ने शर्तों का ब्यौरा मांगा तो कुछ मौखिक संवाद हुआ। मैंने पद भार संभालने के बाद पाया कि सरकार ने कोई शर्तें निश्चित नहीं की और ऐसी चीजों की एक लम्बी सूची है जिन पर कार्यवाही शुरू नहीं की गई, जिसे हमने फाइलों से इकट्ठा किया है। बारह मुख्य बातों पर बिल्कुल काम नहीं हुआ। मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता और इसलिए मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं। अगर माननीय सदस्य कोई अन्य सूचना चाहते हैं तो मैं उन्हें दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आप ही पूछ लीजिए। मैंने यह कहा था कि कब तक पूरा हो जाएगा और सरकार कब तक प्रसार भारती की स्थापना कर देगी? सीधा सा सवाल है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, पिछली कार्य योजना में छः महीने की कार्यावधि की समाप्ति 30 मार्च, 1991 तक की अवधारणा की गई थी। किन्तु, तब से कोई कदम नहीं उठाए गए। वास्तव में, सदन ने परसों ही अपना विश्वास व्यक्त किया है। महोदय, हमारे घोषणा पत्र में, जिसके द्वारा हमने जनता से मत मांगा था, उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि "कांग्रेस उन नियमों के पक्ष में होगी जो कानून द्वारा बनाए गए मापदण्डों प्रसारण के अधिकारों के अनुरूप होगा। ऐसे निगम प्रसार भारती की प्रतिद्वंद्विता में कार्य करेंगे।" महोदय, इसका अर्थ यह है कि प्रसार भारती के अस्तित्व की शर्त जन-निगमों से पूर्व की है। हमारे घोषणा पत्र में पद भार संभालने के 365 दिन तक की अवधि इसके लिए निश्चित है। इस वायदे का पूर्ण रूप से पालन होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : एक साल के अन्दर? एक साल तक सरकार रहेगी, तब करेंगे न। अध्यक्ष जी, मैंने तो पहले ही कहा कि यह लागू होने वाला कम से कम आपकी सरकार में तो है ही नहीं।

मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं, अभी थोड़े दिन पहले "ए प्राइवेट चैनल आन दूरदर्शन

साइकली'' करके आपने प्राइवेट कारपोरेशन के लिए अलग चैनल देने की बात कही है। क्या आप बतलाएंगे कि इसमें पूरे तथ्य क्या हैं ? क्या कैबिनेट की स्वीकृति इसको दे दी गई है, इसका उद्देश्य क्या है ? और दूरदर्शन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ? क्या जो मल्टी नेशनल हैं, दूरदर्शन इससे उनके हाथ का खिलौना नहीं बन जायेगा ?

[अनुवाद]

श्री अजीत कुमार पांजा : महोदय, जहां तक सार्वजनिक निगमों का संबंध है। विभिन्न लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है। इसकी प्रक्रिया अभी तक निश्चित नहीं हो पाई है और निश्चित हो जाने के पश्चात मंत्रालय इस पर निर्णय लेगा। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं। मैं पुनः दोहराना नहीं चाहता। यह कानून द्वारा निर्धारित मापदण्डों के भीतर ही होना चाहिए, और इस प्रकार के कानून को संसद के समक्ष रखना ही होगा। अभी यह निर्णय नहीं हुआ है कि क्या सार्वजनिक निगम अस्थायी भागीदारी द्वारा पब्लिक लिमिटेड होंगे या प्राइवेट लिमिटेड या कि एक व्यक्तिगत संस्था होंगे। यह अभी प्रारंभिक चरण में है। कई लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है और वे पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक दिशा निर्देश नहीं बनाए गए हैं। इसलिए हम अधिकाधिक संभव लोगों के विचार ले रहे हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान उनके द्वारा दिए गए उत्तर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। "यह कहा गया है" जी हां, यदि आवश्यक हो। और फिर वे कहते हैं कि संशोधन का ब्यौरा इस चरण पर नहीं बताया जा सकता। ये एक दूसरे के विरोधी बातें। मेरे विचार से मंत्री जी के दिमाग में कुछ है जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे अपने उत्तर को सही करेंगे अथवा नहीं।

दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसा क्यों सोचती है कि प्रसार भारती के साथ प्रतिद्वंद्विता होगी।

श्री अजीत कुमार पांजा : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है, मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा विशेषकर इस सभा, लोकसभा में। उत्तर स्पष्ट है "जी हां, यदि आवश्यक हो।" हम सभी विकल्प खुले रख रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री का उद्धरण देते हुए सभी विकल्प खुले हैं, बशर्ते कार्यक्रम अच्छे हों तो। इसलिए, अगर संशोधन जरूरी हुआ तो, ऐसे किसी भी संशोधन के लिए मुझे सदन में आना होगा। मैं इसे सदन के बाहर नहीं कर सकता। मैंने कहा है कि ब्यौरा बताना संभव नहीं है क्योंकि हम अभी भी प्रारंभिक जांच कर रहे हैं और मामले पर विचार कर रहे हैं। काफी समय से मामले को ठंडे बस्ते में डाला हुआ था और अब हमने इसे निकाला है। किन्तु मैं इसे सीधे ओवन पर नहीं रख सकता क्योंकि पहले इसे सामान्य तापमान पर लाना होगा और फिर इसे पकाना शुरू होगा।

अब मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए दूसरे पहलू को लेता हूं। जहां तक प्रतिस्पर्धा का सम्बन्ध है, किसी भी रचनात्मक कला के लिए यह जरूरी है कि उसे बाहरी की शक्तियों का मुकाबला करना पड़े। यह हमारी भारतीय संस्कृति है और हम अब जो रह रहे हैं उस में कुछ भी नया नहीं है। जब भी प्रतिस्पर्धा होगी, बजार की शक्तियां इसमें हिस्सा लेगीं और कलाकार को विकल्प, मिलेंगे और इस प्रकार भारतीय संस्कृति बनी रहेगी और फूलेगी।

अध्यक्ष महोदय : अर्जुन चरन सेठी ।

श्री अर्जुन चरन सेठी : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि निगम की औपचारिक स्थापना के लिए आवश्यक अधिकांश कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं । वे कौन से विशिष्ट कार्य हैं जो पूरे नहीं हुए हैं ? उन्हें पूरा होने में कितना समय लगेगा ? माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्हें सदन से मतादेश कि अभी हाल ही में जिस दिन विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, मिला है । जब उन्होंने निजीकरण और तत्काल निगम स्थापित करने के मुद्दे पर विचार किया था तब उन्होंने अधिकांश अन्य मदों, जो देश में यह कानून लागू करने से पहले पूरी की जानी थीं, पर विचार क्यों नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय । पूरे प्रश्न का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है । फिर भी मैंने माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कहा ।

श्री अजीत कुमार पांजा : चूंकि प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं मुख्य उपबन्धों के बारे में बताऊंगा...।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है लेकिन कृपया संक्षेप बताइए ।

श्री अजीत कुमार पांजा : वास्तव में अधिसूचना की धारा । (3) मेरे निगम बनाने से संबंधित धारा 3 (1) और इसके बाद अधिनियम के सम्बन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है । जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक हम अधिसूचना जारी नहीं कर सकते हैं । अन्यथा इस संबंध में विवाद रहेगा । हम सरकारी निगम और प्रसार भारती के बीच भेद नहीं कर रहे हैं । प्रसार भारती एक अधिनियम बन चुका है । हमारा यह कहना है कि हमने एक विचार रखा है ताकि पूरे भारत और अन्य किसी स्थान के लोग हमारे साथ शामिल हों और अपने विचार बताएं और तत्पश्चात मानक निर्धारित किये जा सकते हैं । जहां तक मुख्य मुद्दों पर विचार करने का संबंध है मैंने बताया है कि मैं उन्हें सभा पटल पर रखूंगा ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सबसे पहले मैं मंत्री महोदय द्वारा अपने उत्तर में उठाए गए दोनों मुद्दों के बारे में अपनी प्रसन्नता प्रकट करना चाहता हूं । सर्वप्रथम उन्होंने कहा है कि सरकार प्रसार भारती लाने के लिए वचनबद्ध है जिसका अर्थ है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन जो आज सरकारी विभाग हैं, उन्हें स्वायत्त निगम बना दिया जाएगा । यह अच्छी बात है । मैं इसे सभा में दिया गया एक आश्वासन मानता हूं । दूसरा पहलू यह है कि प्रसार भारती के सम्बन्ध में भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया का एकाधिकार समाप्त करना है और यह कहा गया है कि वे इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रतिस्पर्धा लाना चाहते हैं । मैं इन दोनों पहलुओं का स्वागत करता हूं । लेकिन विगत में जो भी हुआ उसका इतना महत्व नहीं है । जो कुछ भविष्य में होने वाला है उसका अधिक महत्व है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रसार भारती अधिनियम को इसके यथा रूप में लागू करना चाहती है क्योंकि यह सभा में एकमत से पारित किया गया था और जो भी आवश्यक संशोधन इसमें करने हों उस पर विचार कर लिया जाए अथवा क्या सरकार इस पर विचार कर उन सभी संशोधनों के बारे में निर्णय लेना चाहती है जो यह प्रसार भारती को लागू करने से पहले प्रस्तुत करना चाहती है ? यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि प्रसार भारती अधिनियम कांग्रेस दल सहित जो उस समय विपक्ष में था सभा के मतैक्य का प्रतिनिधित्व

करता है और जो पर्याप्त चर्चा तथा वाद-विवाद का परिणाम है, इसे जितना जल्दी संभव हो सके लागू करना चाहिए। पिछली सरकार ने जो कुछ नहीं किया वह पुरानी बात है। इस सरकार को सबसे पहले इसे लागू करना चाहिए और बाद में हमें इसमें आवश्यक संशोधन करके प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी मुद्दा लाना चाहिए। महोदय, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकास इतनी तेजी से हो रहे हैं कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं होगा। बाद में इस बात को महसूस करना गलत होगा कि जब पूरा विश्व उपग्रह के माध्यम से चित्र देखता है तब हम यहां लोगों को प्रतिबंधित कर रहे हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसी सत्र में एक नया विधेयक लाने के लिए सभा में आश्वासन देती है।

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को नोट कर लिया गया है। इस मुद्दे के बारे में मैं सभा को आश्वासन नहीं दे सकता कि क्या इस सत्र में नया विधेयक लाना संभव होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस सम्बन्ध में अंतिम कार्यवाही 12 सितम्बर, 1990 को की गई थी। तथापि प्रधान मंत्री के रूप में श्री चन्द्रशेखर ने कोई नीति संबंधी वक्तव्य दिया था और मेरे विचार से प्रधान मंत्री के रूप में उनके साथ कुछ तथ्य अवश्य होंगे। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है।

माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि प्रौद्योगिकी संबंधी विकास बड़ी तीव्र गति से हो रहा है 12 सितम्बर, 1990 से 17 जुलाई 1991 के बीच जो भी विकास हुए हैं उन्हें ध्यान में रखा गया है प्रसार भारती विधेयक लागू किया जाएगा लेकिन हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या नए विकासों को देखते हुए अधिनियम में कोई संशोधन आवश्यक है। यदि हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई संशोधन आवश्यक नहीं है तब हम सीधे ही इसे प्रस्तुत कर देंगे। यदि हम यह पाते हैं कि कुछ मुख्य संशोधन आवश्यक है तब इस पर परामर्शदात्री समिति में चर्चा की जाएगी। विपक्ष को तो हम विश्वास में लेगें ही और उनके साथ इस बारे में चर्चा भी करेंगे क्योंकि यह सर्वसम्मत विधेयक है।

[हिन्दी]

श्री तेज सिंह राव भोंसले : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि सरकार प्रसार भारती अधिनियम को लागू करेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या सरकार का वर्तमान अधिनियम में कुछ संशोधन करने का विचार है? जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन में हाउस आफ कामंस का दृश्य दूरदर्शन पर दिखाया जाता है क्या उसी ढंग से इस सदन का दृश्य हमारे पूरे देश के लोग देख सकेंगे कि हम सदन में सुचारु रूप से काम करते हैं या नहीं। इसके लिए क्या आप कुछ करने वाले हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह इनके क्षेत्र की बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजित यादव : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि इसमें खुली प्रतिस्पर्धा लाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि वह पूरे भारत और अन्य स्थानों से जानकारी

प्राप्त कर रहे हैं। क्या अन्य स्थानों का अर्थ यह है कि वह वॉइस ऑफ अमरीका, बी. बी सी. और अन्य ऐसी एजेन्सियों से भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी संगठनों ने भी रुचि दिखाई है और क्या सरकार इसे पूरे विश्व के लिए खुला रखना चाहती है ? क्या प्रतियोगी पूरे विश्व से आ सकते हैं।

श्री अजित कुमार पांजा : वैसे तो अभी तक किसी विदेशी संगठन ने हमें संपर्क नहीं किया है। कुछ अनिवासी भारतीयों ने रुचि दिखाई है और उन्होंने पूछा है कि क्या वे यहां आ सकते हैं, नियमों के अनुसार सरकारी लिमिटेड जैसा निगम बना सकते हैं, धन निवेश कर सकते हैं और इस प्रस्ताव का लाभ उठा सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैंने यह पूछा है क्या यह विदेशी संगठनों के लिए खुला है या नहीं।

श्री अजीत कुमार पांजा : किसी भी विदेशी संगठन ने अभी तक हम से संपर्क नहीं किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपकी नीति जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपकी नीति विदेशी संगठनों के लिए खुली है अथवा नहीं। (व्यवधान) आपकी नीति क्या है ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि आपकी नीति विदेशी संगठनों के लिए खुली है या नहीं ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : अभी तक प्रसार भारती विधेयक में संशोधन नहीं किया गया है। आप इन प्रस्तावों पर कैसे विचार कर सकते हैं ?

श्री अजीत कुमार पांजा : मेरे विचार से माननीय सदस्या ठीक नहीं कह रही हैं। यह प्रावधान अधिनियम में ही है। केबलग्राफ अधिनियम में भी यह प्रावधान है। इसका संशोधन अभी समाप्त नहीं की गई है। यदि माननीय सदस्या इसे पढ़ें तब उन्हें इस बात का पता लगेगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही माननीय सदस्या के प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दिया है। यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विदेशी एजेन्सियों के लिए खुला है अथवा नहीं। मेरे विचार से वह महिला सदस्य को वरीयता दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री के. पी उन्नीकृष्णन : क्या माननीय मंत्री महोदय यह जानते हैं कि 1992 में बी.बी.सी. नया उपग्रह छोड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण प्रौद्योगिकीय आयाम बदल जाएंगे और क्या वह इसके लिए तैयार है ? यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव हैं।

श्री अजित कुमार पांजा : हां, महोदय, हमें इस बात की जानकारी है। हम इस बारे में सभी कदम उठा रहे हैं ताकि हमारी सुस्थापित परंपरा और संस्कृति में कोई हस्तक्षेप न हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1991 के प्रश्न पत्रों का परीक्षा से पहले ही पता लग जाना

*64. श्री चन्द्रजीत यादव :

श्री मदन लाल खुराना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1991 के कुछ प्रश्न पत्रों का परीक्षा से पहले ही पता लग गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच-पड़ताल करने के निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को इस मामले की जांच करने की सलाह दी है।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अभी जांच की जा रही है केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी जांच के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है।

आशय पत्रों का जारी किया जाना

*65. श्री धर्मण्णा मोन्डया सादुल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 6 महीनों के दौरान एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को उद्योग स्थापित करने हेतु बड़ी संख्या में ऐसे आशय पत्र जारी किए गए थे जिन्हें जारी करते समय मानदंडों एवं विनियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि ऐसे किन्हीं मामलों में आशय पत्रों को निरस्त करने हेतु कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है तो वे क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियर) : (क) और (ख) आशय पत्र की मंजूरी के लिए एम. आर. टी. पी. कम्पनियों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर प्रचलित औद्योगिक नीति तथा पद्धतियों के अनुसार विचार किया जाता है। निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के बाद जनवरी से जून, 1991 तक की अवधि के दौरान एम. आर. टी. पी. कम्पनियों को 87 आशय पत्र मंजूर किए गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

*66. श्री प्रकाश बापू वसंतराव पाटील :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से जून, 1991 के दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें जनवरी से जून, 1991 के दौरान तथा 1990 में तदनुरूपी अवधि (जनवरी से जून, 1990) के दौरान चुनी आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में आए उतार-चढ़ाव का प्रतिशत दर्शाया गया है। इन आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के लिए जिम्मेवार मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—(1) देशीय उत्पादन में कमी होना; (2) वितरण तथा माल उठाने में कठिनाइयां होना और भुगतान शेष पर निरन्तर दबाव होने के कारण कुछ मदों को आयात करने में सरकार की असमर्थता; (3) चावल तथा गेहूं जैसे अनाज के वसूली मूल्यों में वृद्धि तथा उनके निर्गम मूल्यों में समायोजन; (4) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि तथा पेट्रोलियम पदार्थों के देशीय मूल्यों में 25% का खाड़ी अधिभार लगाने के कारण ढुलाई लागत में वृद्धि होना और (5) कुल मुद्रा स्रोतों तथा खाद्य-इतर ऋण में वृद्धि होना।

(घ) वर्तमान सरकार ने मूल्यों को बढ़ने से रोकने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि को रोकने, सरकारी खर्च में मितव्ययिता बरतने, अल्प बचत को प्रोत्साहन देने, "शीघ्र प्रभावित होने वाली वस्तुओं" का बेहतर आपूर्ति व मांग-प्रबंध सुनिश्चित करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा इस बीच अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करने के लिए भी प्रयास किए जायेंगे। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की परिवीक्षा करने तथा उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मूल्यों के सम्बन्ध में एक मंत्रिमंडल समिति गठित की है। आशा की जाती है कि इन सभी उपायों से आने वाले महीनों में मूल्यों के रुख को संयत करने में सहायता मिलेगी।

विवरण

वस्तु	प्रतिशत उतार-चढ़ाव जून, 1991 जनवरी, 1991	 जून, 1990 जनवरी, 1990
1	2	3
चावल	+6.4	+3.7
गेहूं	—1.08	+2.8

1	2	3
ज्वार	+15.9	—4.6
बाजरा	+9.8	—1.8
चना	—3.7	+9.9
अरहर	+9.8	+17.2
मूंग	+7.5	+9.0
मसूर	—8.9	+2.0
उड़द	+7.4	+6.0
आलू	+25.3	+100.7
प्याज	—51.0	+19.0
दूध	+8.5	+7.3
मछली	+7.8	+13.3
गोश्त	+7.8	+3.1
मिट्टी का तेल	स्थिर	स्थिर
आटा	+12.5	—0.9
लाल मिर्च	+56.6	—8.9
चीनी	+2.9	+0.5
गुड़	+15.0	+13.8
नमक	+5.3	+0.7
वनस्पति	+9.6	+13.7
सरसों का तेल	+10.2	+22.3
नारियल का तेल	+6.6	+4.7
मूंगफली का तेल	—3.2	+23.0
चाय	—19.2	+2.6
सूती कपड़ा (मिल का)	+9.2	—0.6
कपड़े धोने का साबुन	+1.4	स्थिर
दियासलाई	स्थिर	स्थिर
साफ्ट कोक	स्थिर	स्थिर
सभी वस्तुएं	+3.6	+5.3

औद्योगिक एककों के पंजीकरण के लिए प्रस्ताव

*67. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नये उद्योगों के पंजीकरण के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त उन प्रस्तावों की राज्यवार संख्या और ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ?

12.7.1991 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए महानिदेशक तकनीकी विकास योजना के अधीन तथा छूट प्राप्त उद्योग पंजीकरण योजना के अधीन पंजीकरण के लिए विचारार्थ लंबित पड़े आवेदनों पत्रों की कुल संख्या 10 है। इनकी राज्यवार स्थिति इस प्रकार है :—

राज्य	पंजीकरण के लिए लंबित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या	
	महानिदेशक तकनीकी विकास पंजीकरण	छूट प्राप्त उद्योग पंजीकरण
हरियाणा	1	—
जम्मू और कश्मीर	1	—
कर्नाटक	1	—
केरल	1	—
पंजाब	3	—
राजस्थान	—	1
तमिलनाडु	1	—
उत्तर प्रदेश	1	—
	9	1

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रधानों की नियुक्तियां

*68. श्री के. पी. उन्नीकृष्णन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7 नवम्बर, 1990 से लेकर लोक सभा के लिए आम चुनाव कराने हेतु अधिसूचना जारी किये जाने तक केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के प्रधानों के जो पद भरे गये, उनका मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त पदों पर नियुक्त किए गये उम्मीदवार, सरकारी उद्यम चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी अर्हताओं को पूरा करते थे और क्या ये नियुक्तियां चयन समितियों की सिफारिशों के अनुरूप थी;

(ग) लोक सभा के आम चुनावों के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात उक्त पदों पर की गई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार चुनाव आयोग के मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन करके की गई ऐसी नियुक्तियों की पुनरीक्षा करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 7 नवम्बर, 1990 से 19 अप्रैल, 1991 तक की अवधि के दौरान अर्थात लोक सभा के लिए आम चुनाव कराने हेतु अधिसूचना जारी करने तक केन्द्रीय सरकार के के उपक्रमों प्रधानों के पद पर की गई नियुक्तियो के ब्यौरे "संलग्न विवरण-एक" में दिए गए हैं।

(ख) कुछ नियुक्तियों को छोड़कर ये नियुक्तियां सरकारी उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार की गई थीं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 19 अप्रैल, 1991 के बाद अर्थात लोक सभा के लिए आम चुनाव कराने के लिए अधिसूचना की तारीख के बाद तथा 30 जून, 1991 तक की गई नियुक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-दो में दिए गए हैं।

(घ) यह मामला विचाराधीन है।

विवरण-एक

7-11-90 से लेकर 19-4-91 तक मन्त्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	पद	नियुक्त अधिकारी का नाम	ए.सी.सी. के आदेश जारी होने की तारीख	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वस्त्र मन्त्रालय	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम	एम.डी.	क्यू एम.हुमायूं	19-12-90	12-6-85	सेवा में वृद्धि का मामला
2.		राष्ट्रीय वस्त्र निगम (दक्षिणी महाराष्ट्र)	सी.एम.डी.	वाई. सुन्दरम	8-2-91	30-3-88	वही
3.		राष्ट्रीय वस्त्र निगम (उत्तरी महाराष्ट्र)	सी.एम.डी.	के.एस.सिद्ध	8-2-91	24-2-88	वही
4.		उत्तरी-पूर्वी हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम लि.	एम डी.	जे.के. सोगबुरा	7-3-91	23-2-91	

1	2	3	4	5	6	7	8
5.		उत्तरी-पूर्वी हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम लि.	एम.डी.	एस.एम. पंते	21-3-91	27-6-91	
6.		राष्ट्रीय वस्त्र निगम (होल्डिंग कम्पनी)	सी.एम.डी.	आर. रामाकृष्णा	12-4-91	19-4-91	
7.		राष्ट्रीय वस्त्र निगम (यू.पी.) लिमिटेड	सी.एम.डी.	एम.एस. राना	15-4-91	अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया	
8.		राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एम.पी) लिमिटेड ।	सी.एम.डी.	पी. अवमन	15-4-91	19-4-91	
9.		राष्ट्रीय वस्त्र निगम (प. बंगाल, असम, बिहार तथा उड़ीसा)	सी.एम.डी.	एम.के. चक्रवर्ती	15-4-91	6-5-91	
10.	भूतल परिवहन मंत्रालय	केन्द्रीय इनलैंड जल परिवहन निगम	सी.एम. डी.	कमाण्डर एच.सी. सेठी	21-12-90	31-1-91	
11.		दिल्ली परिवहन निगम	सी.एम.डी.	आर.आर. सिंह	4-2-91	4-2-91	
12.		कोचीन शिपयार्ड लि.	सी.एम.डी. कमा.	एस.एस. बाबा	15-4-91	10-5-91	
13.	उर्वरक विभाग	प्रोजेक्ट एण्ड डवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड	सी.एम.डी.	एस.पी. शर्मा	5-2-91	17-3-91	
14.	शिक्षा विभाग	एज्यूकेशनल कंसलटेंट्स इण्डिया लि,	एम.डी.	प्रो. युद्धवीर	8-2-91	अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया	

15. इस्पात विभाग	फैरो स्क्रैप निगम लि.	एम.डी.	ए.के. मुखर्जी	8-2-91	23-2-91	
16.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि.	सी.एम.डी.	एम.एन. सिंह	31-1-91	6-2-91	
17.	मैटालर्जिकल इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इण्डिया लि.	सी.एम.डी.	एस.के. गुप्ता	4-1-91	1-4-91	
18. भारी उद्योग विभाग	नेशनल इंसट्रूमेंट्स लि.	सी.एम.डी.	एस.आर. दास	4-3-91	18-10-84	सेवावृद्धि का मामला
19	रेयोल बर्न लि.	सी.एम.डी.	ब्रिग्रे. जी.पी. बत्रा	26-3-91	30-3-91	
20.	एण्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी	सी.एम.डी.	जयन्त रे	26-3-91	1-4-91	
21.	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इंसट्रूमेंटस लि.	एम.डी.	एम.पी. जिन्दल	27-3-91	16-4-91	
22.	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन	सी.एम.डी.	बी.टी. श्री धरन	11-4-91	19-4-91	
23. पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक	बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि.	एम.डी.	आर.पी. सिंह	16-4-91	27-5-91	
24. गैस विभाग	भारतीय तेल निगम लि.	चेयरमैन	के.एन. वेंकटासुब्रामनियम	12-3-91	25-3-91	
25 रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग	मणिपुर स्टेट ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लि.	एम.डी.	बी.बी. सम्पत	15-3-91	20-5-91	

1	2	3	4	5	6	7	8
26.		हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	सी.एम.डी.	बी.जी. खरे	19-4-91	30-4-91	
27.	कोयला विभाग	भारत कोकिंग कोल	सी एम.डी.	आर.बी. माथुर	21-3-91	26-3-91	
28.		सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंसटीट्यूट लि.	सी.एम.डी.	आर.एम. मिश्रा	31-3-91	26-3-91	
29.		वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	सी.एम.डी.	एस.पी.वर्मा	5-4-91	6-4-91	
30.	वाणिज्य मंत्रालय	भारतीय चाय व्यापार निगम लि.	एम.डी.	एम. चन्दा	21-3-91	9-5-91	
31.	पर्यावरण मंत्रालय	अंडमान निकोबार द्वीप समूह वन एवं बनरोपण विकास निगम लि.	एम.डी.	बी.ए. मैथ्यू	21-3-91	7-5 91	
32.	रक्षा मंत्रालय	मिश्र धातु निगम लि.	सी.एम.डी	के.के. सिन्हा	22-3-91	5-3-84	सेवावृद्धि का मामले

33. इलैक्ट्रानिक विभाग	सेमी कन्डक्टर कम्पलैक्स इंडिया लि.	सी.एम.डी.	कर्नल रमाकान्त	16-4-91	8-5-91
34.	इलैक्ट्रानिक व्यापार तथा तकनीकी विकास निगम	सी.एम.डी.	बी.डी. मोहन्ती	30-1-91	31-1-91
35. विद्युत विभाग	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन	सी.एम.डी.	पी.एस. वामी	18-4-91	28-4-91
36. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	इंडियन मैडिसन्स फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन लि.	एम.डी.	लक्ष्मीकान्त द्विवेदी	19-4-91	अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया।
37. खाद्य विभाग	भारतीय खाद्य निगम	चेयरमैन	के.सी. सिंह	17-12-90	19-12-90

विवरण-दो

24-4-91 से 20-6-91 तक मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी, अधिकारियों की नियुक्ति को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	पद	नियुक्त व्यक्ति का नाम	मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के आदेश जारी होने की तारीख	कार्यग्रहण करने की तारीख	अभियुक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उर्वरक विभाग	पारादीप फोस्फेट लि.	एम.डी.	सी. मोहन्ती	1.5.91	1.6.91	
2.	रक्षा उत्पाद विभाग	हिन्दुस्तान एरनाटिक्स लि.	सी.एम.डी	विंग कमाण्डर आर.एन. शर्मा	2.5.91	2.5.91	
3.	पेट्रोलियम	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि.	सी.एम.डी.	पी.डी. मोदक	21.6.91	1.8.91	
4.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विभाग	कोचीन रिफाइनरीज लि.	सी.एम.डी.	के. एल. कुमार	29.5.91	7.6.91	

5.	भारत भारी उद्योग कम्पनी लि.	एम.डी.	वी.एन.शर्मा	21.6.91	1.6.91 (कार्यरत)
6. इस्पात विभाग	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	सी.एम डी	पी.एन.रथ	29.5.91	15.6.91
7.	मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लि.	सी.एम डी	एस.एम. वेंकटरमन	21.6.91	अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।
8.	कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि.	सी.एम.डी	ए. कृष्णामूर्ति	21.6.91	3.7 91
9.	भिलाई इस्पात संयंत्र प्लांट	एम.डी.	सुब्रता रे	2.7.91	13.7.91
10. भारी उद्योग विभाग	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.	सी.एम.डी.	जी के.माथुर	30.5.91	4.6.91
11.	मारुति उद्योग लि.	सी.एम.डी.	आर.सी. भार्गव	23.5.91	23.5.91 पद परिवर्तन
12.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	एम.डी	बी. वेंकेटावरलु	6.5.91	8.5.91
13. वस्त्र मन्त्रालय	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि.	सी.एम.डी	एम.एस. यादव आई.पी.एस	16.5.91	7.6.91
14.	राष्ट्रीय जूट उत्पादक निगम लि.	सी.एम.डी	ए.के. मोहन्ता	21.6.91	29.3.85 सेवावृद्धि का मामला
15. खान विभाग	भारतीय एल्युमीनियम कम्पनी लि.	सी.एम.डी	एस.एम. आजाद	21.6.91	अभी कार्यभार नहीं सम्भाला

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	भूतल परिवहन मंत्रालय	भारतीय नौवहन निगम लि.	सी.एम.डी	कैप्टन पी.पी. राधाकृष्ण	17.6.91	18.6.91	
17.	दूर संचार विभाग	टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटेन्ट (इण्डिया) लि.	सी.एम.डी	वाई.एन. अग्रवाल	21.6.91	22.9.86	सेवावृद्धि का मामला
18.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.	सी.एम.डी	बी. राजमोहन	21.6.91	8.7.91	
19.	रेल मंत्रालय	कन्टेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.	अंशकालिक अध्यक्ष	रणजीत माथुर	21.6.91	26.5.91	
20.		इण्डियन रेलवे कन्सट्रक्शन कं. लि.	अंशकालिक अध्यक्ष	के.वी. कृष्णमूर्ति	23.5.91	29.5.91	
21.	विद्युत विभाग	नार्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन	सी.एम.डी	एन.के.दास	3.5.91	14.5.91	

ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वरोजगार मूलक उत्पादनकारी प्रयास

* 69. श्री योगेन्द्र झा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं कि ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वरोजगार मूलक उत्पादनकारी प्रयास किए जायें, जिससे रोजी व रोटी के अवसरों में वृद्धि की गारन्टी एक साथ सुनिश्चित हो सके ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : सरकार ने ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से प्रमुख समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जो कि ग्रामीण गरीबों के लिए एक मुख्य स्वरोजगार कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 1980 से देश के सभी विकास खंडों में चल रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयन किए गए ग्रामीण गरीबों को आय सृजित करने वाली योजनाओं जिन्हें सरकारी सबसिडी तथा संस्थागत ऋण द्वारा वित्त-पोषित किया जाता है, के माध्यम से सहायता दी जाती है। 1991-92 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 22.5 लाख परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य है।

ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम)

यह ग्रामीण युवाओं के लिए आय सृजित करने वाले उद्यम सुनिश्चित करने की एक विशेष योजना है। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) जो कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक पूरक योजना है, के अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिये तकनीकी तथा उद्यम सम्बन्धी कुशलताओं मे प्रशिक्षण किया जाता है। 1991-92 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत 4.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना है।

ग्रामीण महिला तथा शिशु विकासयोजना (डवाकरा)

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप-योजना के रूप में ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा) को जारी रखा जा रहा है। ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा) के अन्तर्गत महिलाओं के समूहों को उनकी कुशलता, अभिरुचि तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल स्वरोजगार हेतु आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता दी जाती है। 1991-92 में ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना के अन्तर्गत 10,000 महिला समूह बनाये जाने की आशा है।

राज्य सरकारों के लिए दूरदर्शन के दूसरे चैनल का प्रावधान

* 70. श्रीमनाथेश्वर राव वाड्डे :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों को दूरदर्शन का दूसरा चैनल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस तारीख तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) प्रसार भारती तथा सार्वजनिक निगमों के साथ स्पर्धा की शुरूआत के संदर्भ में स्थानीय चैनल को, जिसे टी. वी. के दूसरे चैनल के नाम से जाना जाता है, राज्य सरकारों को सौंपना इलेक्ट्रानिक माध्यमों की स्वतंत्रता के अनुकूल नहीं होगा।

आठवीं योजना को अंतिम रूप देना

* 71. डा. असीम बाला :

श्री चित्त बसु :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने में अत्यधिक देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आठवीं योजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिये जाने की संभावना है, और

(घ) विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पूरा करने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के "दृष्टिकोण पत्र" में क्या नीति निर्धारित की गई है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :
(क) और (ख) वर्ष 1989 से सरकार के बार-बार बदलने से आठवीं योजना को तैयार करने में अपरिहार्य रूप से विलम्ब हुआ है।

(ग) आठवीं योजना को अति शीघ्र अन्तिम रूप देने हेतु आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।

(घ) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण तथा पंचायत राज संस्थाओं को पुनः सक्रिय करके ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की कार्यनीति योजना का प्रमुख तत्व होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधायें

* 72. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उद्देश्य हेतु आबंटन में वृद्धि की जाएगी, और

(घ) यदि हां, तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में कितना सुधार किया जायेगा ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) और (ख) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने की आवश्यकता को महसूस करती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम/जवाहर रोजगार योजना जैसे गरीबी निवारण कार्यक्रमों और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इन बुनियादी सुविधाओं में और सुधार लाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई का ब्योरा इस प्रयोजन हेतु योजना के तहत आबंटित निधियों पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सहित मूल बातों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, इसलिए इस सम्बन्ध में सूचना आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात ही उपलब्ध होगी।

उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ के रथ महोत्सव का दूर दर्शन से सीधा प्रसारण

* 73. श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ के रथ-महोत्सव का जो कि देश के महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है, दूरदर्शन से सीधा प्रसारण करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) और (ख) वर्तमान नीति और उपलब्ध तकनीक के अनुसार, दूरदर्शन से सीधा प्रसारण गणतंत्र दिवस परेड, स्वतन्त्रता दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं आदि जैसे राष्ट्रव्यापी रूचि के अवसरों तक सीमित है। अन्य महत्वपूर्ण/सामाजिक-सांस्कृतिक अवसरों की टी. वी. रिपोर्ट तैयार की जाती हैं जो बाद में दूरदर्शन पर प्रसारित की जाती हैं। पूरी रथ महोत्सव की रिपोर्ट दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिखाई जाती है और इसके अलावा इसे उसी दिन समाचारों में भी दिखाया जाता है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सहायता संबंधी गाडगिल फार्मूले में संशोधन

* 74. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने संबंधी संशोधित गाडगिल फार्मूले में गरीबी सूचकांक को कोई स्थान दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अपने वर्तमान रूप में संशोधित गाडगिल फार्मूला सामाजिक असमानता को रोकने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में असफल रहा है, और

(घ) क्या सभी क्षेत्रों का बहुमुखी विकास करने के लिए सरकार का गाडगिल फार्मूले में संशोधन करने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्र की तुलना में राज्य के पिछड़ेपन के आकलन हेतु प्रति व्यक्ति आय को एक मानदंड के रूप में शामिल किया गया है।

(ग) जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय तथा विशेष समस्याओं के मानदंड को शामिल करने के कारण फार्मूला अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों के अनुकूल है।

(घ) अक्तूबर, 1990 में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में आशोधित गाडगिल फार्मूला के संशोधन की घोषणा की गई थी। किन्तु, चूंकि अनेक राज्यों ने उस संशोधन के बारे में संकोच प्रकट किया है इसलिए इस सम्पूर्ण मामले को अन्तिम निर्णय के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष रखने का प्रस्ताव है।

जवाहर रोजगार योजना के अधीन आवंटित धनराशि का दुरुपयोग

* 75. श्री राम पूजन पटेल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जवाहर रोजगार योजना के अधीन ग्राम प्रधानों के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु प्रदान की गई धनराशि के अधिकांश भाग का दुरुपयोग किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) देश में लगभग 2.20 लाख पंचायतें हैं। निधियां सभी पंचायतों को दी जाती हैं क्योंकि जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई) देश भर में कार्यान्वित की जा रही है।

भारत सरकार को ग्राम प्रधानों को दी गई जवाहर रोजगार योजना की निधियों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। देश में योजना के कार्यान्वयन में शामिल पंचायतों की संख्या को देखते हुए जवाहर रोजगार योजना की निधियों के दुरुपयोग से सम्बन्धित

शिकायतें अपेक्षाकृत काफी कम हैं। जब कभी ग्रामीण विकास मंत्रालय में ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन पर समुचित उपचारात्मक कारंवाई करने हेतु उन्हें राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है।

प्रत्येक राज्य में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन की खंड, जिला तथा राज्य मुख्यालयों के स्तर पर प्राधिकारियों द्वारा गहन पर्यवेक्षण तथा निगरानी की जाती है। मार्गदर्शिकाओं में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य सरकार को निर्देशों की एक अनुसूची तैयार करनी चाहिए जिसमें राज्य स्तर से लेकर खंड स्तर के पर्यवेक्षण कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय दौरों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई हो।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य सरकार के पास पंचायतों को दिये गये अनुदानों पर उचित नियन्त्रण रखने हेतु जांच करने तथा संतुलन बनाए रखने के लिए अपने अधिनियमों/नियमों/मैनुअल में यथा उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अपनी पद्धति है।

इन उपायों से ग्राम प्रधानों/सरपंचों द्वारा अनुदानों के दुरुपयोग की संभावना पर अंकुश लगता है।

[अनुवाद]

राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन का दूसरा चैनल

* 76. श्री वी. एस. विजयराघवन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम सहित सभी राज्यों की राजधानियों में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों में दूसरा चैनल स्थापित करने की केन्द्रीय सरकार की योजनायें हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) पृथक स्थानीय चैनल, जिसे टी. वी. के दूसरे चैनल के नाम से जाना जाता है, चार नगरों अर्थात दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में पहले से ही उपलब्ध है। त्रिवेन्द्रम सहित अन्य नगरों में ऐसी सुविधा प्रदान करना आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

महाराष्ट्र के लिए चीनी मिलें

* 77. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में 28 नई चीनी मिलें स्थापित किए जाने की संभावना है, और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों के स्थापना स्थलों, इन पर आने वाली अनुमानित लागत तथा प्रत्येक एकक की क्षमता का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए 30.6.91 तक 38 आशय पत्र जारी किये गये जिनका कार्यान्वयन अभी लंबित है। 2500 टी.सी.डी. क्षमता के नए चीनी प्लांट की अनुमानित परियोजना लागत, जो केन्द्रिय वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई है, लगभग 33 करोड़ रुपए हैं। उक्त लंबित आशय पत्रों का स्थल तथा क्षमता का विवरण संलग्न है :

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए जारी किए गये आशय पत्रों को बताने वाला विवरण

30.6.91 को स्थिति

क्र. सं.	स्थान सहित नाम	आ. पत्र की तारीख	क्षमता टी.सी.डी.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री संत मुक्ताबाई एसएसके लि., कुण्ड तह. एंडलाबाद, जिला जलगांव	11.2.88	2500
2.	अम्बा एसएसके लि., अंजनगांव (सुरजी) जिला अमरावती	14.3.88	2500
3.	मै. शिवलक्षित आदिवासी और मेगस्वर्गीय एसएसके लि., पातुरखीरा, तह. शेगांव, जिला बुलधाना	31.8.88	2500
4.	श्री नामदेवराव वी. गाडेकर देवगीरी एसएसके लि., फुलम्बरी, जिला औरगाबाद	1.12.88	2500
5.	मै. श्री संत डामाजी एसएसके लि., मिरालम्बगी तह. संगलवेधे, जिला सोलापुर	3.4.89	2500
6.	मै. रामगणेश गदकारी एसएसके लि., सावनेर, जिला नागपुर	3.4.89	2500
7.	श्री कोन्डेश्वर एसएसके लि., बदनेरा, जिला अमरावती	3.4.89	2500
8.	डा. वामनराव रामकृष्ण अकोला जिल्हा एसएसके लि., गांव सुकालि, जि. अकोला	3.4.89	2500
9.	विदर्भ हितकारी एसएसके लि., मोहगांव, जिला नागपुर	3.4.89	2500

1	2	3	4
10.	श्री शंकर सेतकारी एसएसके लि., गांव मंगरूल, जिला यवतमाल	26.4.89	2500
11.	मैं. सिन्धखेड़ा एसएसके लि., वेगांव तह. सिन्धखेड़ा, जिला धुलिया	23.6.89	2500
12.	मैं. अजरा सेतकारी एसएसके लि., अम्बोली ता. सावन्तवाडी, जिला सिन्धुदुर्ग	10.7.89	2500
13.	मैं. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकार एसएसके लि., मबंलगा (बी.के) तह. निलंगे जिला बीड	16.10.89	2500
14.	श्री सुन्दर राय ए. सोलंकी, माझल गांव, एसएसके लि., नियकड़, त. माझल गांव जिला बीड़	16.10.89	2500
15.	मैं. भनगंगन सहकारी एसएसके लि., तहसील भूम, जिला ओसमानाबाद	16.10.89	2500
16.	मैं.बाऊसाहेब, महादेव हान्डे, समस्तो एसएसके लि., जामगांव, त. अकाला, जिला सोलापुर।	17.10.89	2500
17.	मैं. सनगोला ता. एसएसके लि., वाकी त. सानगोला, जिला सोलापुर	18.10.89	2500
18.	जामनेर तालुका एसएसके लि , गोन्डखेड़, त. जामनेर, जि. जालगांव।	3.11.89	2500
19.	जरानदेश्वर एसएसके लि., बोमबाले सातेवाडी, त. खातेव, जि. सतारा।	17.1.89	2500
20.	मैं. जय किसान एसएसके लि., बारवाड़ी त. दरवा, जिला यवतमाल।	20.3.89	2500
21.	मैं. सेतकारी एसएसके लि., नन्दगांव, त. हिन्गनघाट, जि. वर्धा	20.3.89	2500
22.	मैं. श्री चोपाडा एसएसके लि., माझालें त. चोपाडा, जि. जलगांव।	20.3.89	2500
23.	मैं. आदिनाथ एसएसके लि., सावेमाटवाली त. कारमअला, जि. सोलापुर।	20.3.89	2500

1	2	3	4
24.	श्री केदारेश्वर एसएसके लि. बोधेगांव, त. सोमगांव, अहमदनगर ।	22.12.89	2500
25.	जयवन्त पाटील एसएसके लि., हुवसानी, त. हदगांव, जि नान्देड	21.3.90	2500
26.	नरसिम्हा एसएसके लि., लोहगांव, जि. परभानी ।	21.3.90	2500
27.	जय अम्बिका एसएसके लि. सोमथाना, त. बिल्लोली, जि. नान्देड़ ।	23.3.90	1750*
28.	जाथ टी. के. सेथकारी एसएसके लि , तिप्पेहाली, ता. जाथ, जि. साँगली ।	26 3.90	2500
29.	श्री संत तुकाराम एसएसके लि., हिंजावाडी तह. मुलशी, जि. पुणे	26.3.90	2500
30.	इन्दिरा एसएसके लि., पुसेगांव, पुसेगांव, ता. हिंगोली, जि. प्रभानी	28390	1750*
31.	बालघाट सेतकारी एसएसके लि , उजना, तह अहमदपुर, जि. लटूर	28.3.90	1750*
32.	पुष्पावती एसएसके लि. चिक्वाली, तह. पुषाड, जि. यवतमाल	28.3.90	2500
33.	इन्दिरा एसएसके लि., मीराबागी तह. अकलकोट, जि. सोलापुर	28.3.90	2500
34.	घोगगा एसएसके लि., महुनारे तह. सिरूर जि. पूना	12.4.90	2500
35.	भाबूराव चव्हाण एसएसके लि., मुन्दखेड, जि. नादेड	2.5.90	2500
36.	श्री बागेश्वरी एसएसके लि., रोहिना/चम्बा तह. परपूर, जि. जालना	30.5.90	2500
37.	मैं. पुष्पदन्तेश्वर एसएसके लि., शमशेरपुर तह. नन्दूरबार, जि. धुलिया	4.1.91	2500
38.	मैं. पदमश्री डा. विठलराव विखे पाटिल एसएसके, लि., कोठी, ता. केज जि. बीड	24.1.91	2500

* क्षमता को 2500 टी. सी. डी. तक बढ़ाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

भाड़ा-समकरण योजना को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना

* 78. श्री अमर रायप्रधान :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोहे और इस्पात के सम्बन्ध में भाड़ा-समकरण योजना को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये पांडे समिति की सिफारिशों को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों को लागू न किये जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) इनको जल्द से जल्द लागू करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस विषय पर राज्य सरकारों के अलग-अलग विचार होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि इन सिफारिशों को लागू करने के लिये कौन से कदम उठाये जायें इस बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद को सलाह ली जाये।

औद्योगिक लाइसेन्स हेतु आवेदन पत्र

* 79. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी उद्योगों के लिये लाइसेंस जारी कराने हेतु प्रत्येक राज्य के कितने-कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) इस प्रकार के उद्योगों के लिये लाइसेंस जारी करने में होने वाले विलम्ब को न होने देने के लिये किये गये उपायों का ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो पी. जे. कुरियन) : (क) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योगों के सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसेन्स जारी करने के लिए लंबित आवेदन पत्रों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी में होने वाली देरी को दूर करने के लिये अनेक उपाय किये हैं। अनुमोदन समितियों द्वारा आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिये समय सीमायें निर्धारित की गई हैं, हालांकि इस कार्य में बहुविध जांच एजेंसियां, जैसे कि प्रशासनिक मंत्रालय, तकनीकी व वैज्ञानिक प्राधिकरण इत्यादि अन्तर्ग्रस्त होती हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर पर्याप्त मात्रा में आवेदन पत्रों का निपटान सुनिश्चित करने के लिये औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय द्वारा एक ठोस निगरानी प्रणाली अपनाई जाती है। विलंबित मामलों की परियोजना अनुमोदन बोर्ड को मासिक आधार पर सूचना देने की भी व्यवस्था है।

मिश्रित अनुमोदन वाले आवेदन पत्रों के लिये एकल विन्डो निपटान जैसी तीव्र मार्ग व्यवस्थायें भी आरम्भ की गई हैं। इसके अलावा कुछ प्रकार के कार्यों का तीव्र निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रशासनिक मंत्रालयों को विशिष्ट प्रकार के मामलों में निर्णय लेने के अधिकार दिये गये हैं। लाइसेंस नीति का कुल उदारीकरण तथा इसके अधीन आरम्भ किये गये विभिन्न उपाय भी तीव्र औद्योगिक विकास की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	86
2.	असम	0
3.	बिहार	33
4.	गुजरात	38
5.	हरियाणा	39
6.	हिमाचल प्रदेश	10
7.	जम्मू और कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	73
9.	केरल	9
10.	मध्य प्रदेश	43
11.	महाराष्ट्र	298
12.	मणीपुर	1
13.	मेघालय	1
14.	नागालैंड	0
15.	उड़ीसा	18
16.	पंजाब	48
17.	राजस्थान	17
18.	तमिलनाडु	67
19.	त्रिपुरा	0
20.	उत्तर प्रदेश	273
21.	पश्चिम बंगाल	28

1	2	3
22.	सिक्किम	0
23.	अरुणाचल प्रदेश	1
24.	चंडीगढ़	0
25.	दादरा और नगर हवेली	2
26.	दिल्ली	4
27.	दमन और दिव	1
28.	पांडिचेरी	5
29.	गोवा	3
30.	अन्य	21
	कुल	1120

एंटार्कटिका में खनन पर रोक

223. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एंटार्कटिका में खनन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी रोक लगाने के भारतीय प्रस्ताव पर अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या प्रस्तावित सचिवालय उसके कार्यक्षेत्र, कार्य और वित्तीय सहायता की स्थापना के द्वारा एंटार्कटिका संधि प्रणाली को लाभ पहुंचाने के काम में कोई प्रगति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारतीय प्रस्ताव के बुनियादी तत्वों पर सर्वसम्मति की समाभिरूपता है और अंटार्कटिक संधि परामर्शक दलों ने अब अंटार्कटिक में खनन गतिविधियों पर 50 वर्ष के लिए प्रतिबन्ध के प्रस्ताव को, इस अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान के साथ, स्वीकार कर लिया है। इस नयाचार की निर्णायक विषय-वस्तु, जिसमें यह अनुबन्ध सम्मिलित होगा, को अक्तूबर, 1991 में हस्ताक्षरार्थ रखे जाने की आशा है।

(ख) और (ग) अंटार्कटिक संधि प्रणाली के लिए एक सचिवालय की स्थापना का प्रश्न अक्तूबर, 1991 में बोन में आयोजित की जाने वाली 16वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शक बैठक में विचारार्थ रखे जाने की आशा है। इसका विस्तृत ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में उद्योगों का पंजीकरण

224. श्री राजवीर सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास नए उद्योगों के पंजीकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 1990 से जून 1991 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में पंजीकृत उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार लंबित पड़े प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो यह मंजूरी कब तक दी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : आज की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस मुक्त उद्योग योजना के अधीन पंजीकरण के लिए कुल 125 आवेदन पत्र तथा छूट प्राप्त उद्योग पंजीकरण योजना के अधीन 30 आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं।

(ख) जनवरी 1990 से जून 1991 तक की अवधि के दौरान लाइसेंस मुक्त/छूट प्राप्त उद्योग/डी.जी.टी.डी. पंजीकरण योजना के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत किए गए आवेदन पत्रों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	पंजीकरणों की संख्या लाइसेंस मुक्त उद्योग पंजीकरण	छूट प्राप्त उद्योग पंजीकरण	डी.जी.टी.डी. पंजीकरण
1990	365	218	51
जनवरी, 1991 से जून, 1991 तक	81	137	15

जारी किए गए सभी पंजीकरणों से संबंधित ब्यौरे, जैसे उपक्रम का नाम, स्थान, विनिर्माण की मद (मदें) तथा क्षमता भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मासिक न्यूजलेटर" में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ग) और (घ) छूट प्राप्त उद्योग पंजीकरण और लाइसेंसमुक्त पंजीकरण संबंधी आवेदन पत्रों के निपटान के लिए समय सीमाएं निर्धारित की गयी हैं। आवेदन पत्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

बिहार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवंटित मदें

226. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कितनी मात्रा में मुख्य मदें आवंटित की गई हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान वास्तव में प्रत्येक मद की कितनी मात्रा जारी की गई है;

(ग) राज्य द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान वास्तव में कितनी मात्रा उठाई गई है;

(घ) न उठाई गई अवशेष मात्रा यदि कोई हो, तो क्या उसे वर्ष 1991-92 के लिए उपलब्ध कराया जाएगा; और

(ङ) वर्ष 1991-92 के लिए बिहार को कितनी मात्रा आवंटित की गई है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) और (ङ) 1990-91 और 1991-92 में चावल, गेहूं, लेवी चीनी और मिट्टी के तेल तथा आयातित खाद्य तेल के आवंटन और उनकी उठाई गई मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के जो आवंटन नहीं उठाए जाते वे महीने के अंत में समाप्त हो जाते हैं। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अनुरोध पर, न उठाई गई मात्रा को पत्रिता के आधार पर पुनः वैध कर दिया जाता है या वैधता की अवधि बढ़ा दी जाती है। तथापि, मिट्टी के तेल के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

बिहार को वर्ष 1990-91 और 1991-92 में सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत चावल, गेहूं, लेवी चीनी, खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल को आवंटित मात्रा

अवधि	चावल		गेहूं		आयातित खाद्य तेल	
	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा
	(हजार मी. टन में)		(हजार मी. टन में)		(मी. टन में)	
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल, 90	10.0	3.2	42.0	34.1	600	500
मई, 90	10.0	1.8	42.0	23.3	1000	530
जून, 90	10.0	3.6	42.0	26.5	1000	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
जुलाई, 90	10.0	2.0	42.0	26.4	1000	1734
अगस्त, 90	10.0	0.5	42.0	37.0	1500	849
सितम्बर, 90	10.0	1.4	42.0	22.3	1500	1100
अक्तूबर, 90	9.0	1.0	42.0	32.3	2000	644
नवम्बर, 90	8.0	1.4	42.0	46.8	1000	1000
दिसम्बर, 90	8.0	8.6	42.0	42.1	शून्य	400
जनवरी, 91	8.0	2.0	42.0	39.0	शून्य	596
फरवरी, 91	8.0	2.5	50.0	51.5	1000	शून्य
मार्च, 91	8.0	3.1	50.0	47.8	1500	895
अप्रैल, 91	8.0	3.4	55.0	42.9	शून्य	406
मई, 91	8.0	3.9	55.0	36.3	शून्य	365
जून, 91	8.0	उ.न.	42.0	उ.न.	शून्य	
जुलाई, 91	8.0	उ.न.	42.0	उ.न.		

उ.न.—उपलब्ध नहीं

मिट्टी का तेल

	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1990-91	469063	468523
अप्रैल, 91 से		
जुलाई, 91	152328	उपलब्ध नहीं

1.10.1986 को अनुमानित आबादी के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति की माहवार उपलब्धता के आधार पर बिहार राज्य को लेवी चीनी का 33459 मी.टन. का मासिक कोटा आवंटित किया गया है।

बल्क औषध का उत्पादन

227. डा. कृपासिंधु भोई :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बल्क औषधों जिनमें गत वर्षों के दौरान सरकार ने मूल्य वृद्धि की स्वीकृति दी है, के उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है,

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनियंत्रित बल्क औषधों, दवाओं के उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई,

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) 49 प्रपुंज औषधों में से जिनके लिए पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि दी गई है, जानकारी जहां तक इस विभाग द्वारा मानीटर की जाती है, 37 प्रपुंज औषधो के लिए उपलब्ध है संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान नियंत्रण मुक्त की गई 26 प्रपुंज औषधों में से जानकारी मानीटर की जाने वाली सीमा तक, 5 प्रपुंज औषधों के लिए उपलब्ध है जो संलग्न विवरण दो में दी गई है।

(ग) कुछ को छोड़कर उत्पादन का सामान्य रूख वृद्धि परिलक्षित करता है। इन मामलों में उत्पादन में गिरावट विभिन्न कारणों से हो सकती है जैसे बाजार-मांग, औषध-अप्रचलन, कंपनी की कारपोरेट योजनाएं आदि।

विवरण एक

उन प्रपुंज औषधों के नाम जिनकी कीमत में जुलाई 1989 से जुलाई 1991 के दौरान वृद्धि की गई थी।

क्रम सं.	वस्तुओं का नाम	इकाई	उत्पादन 1988-89	उत्पादन 1989-90
1	2	3	4	5
1.	थियोफाइलिन	मीटन	135.91	140.77
2.	टरबुटालाइन सल्फेट	किग्राम	335.00	387.00
3.	एमिनो फाइलिन	मीटन	2.89	1.32
4.	ट्राइनेथ्रोप्रिम	टन	99.57	133.73
5.	एसपाइरिन	,,	1532.70	1551.28
6.	क्लोरोक्वीन फास्फेट	,,	130.08	271.34
7.	एलमुनियम हाइड्रोक्साइड जेल	,,	1378.80	1142.33
8.	हाइड्रोकोर्टिसोन	किग्राम	11.00	14.00
9.	विटामिन सी प्लेन	टन	868.76	1034.7
10.	विटामिन सी कोटेड			
11.	स्ट्रेप्टोमाइसिन	टन	243.79	84.15
12	टेट्रासाइक्लीन एच सी एल	टन	184.33	305.38
13.	इफीड्रीन एच सी एल	,,	35.50	33.87

14.	पेरासिटामोल	टन	1.19	6.50
15.	पेनिसिलिन	,,	330.47	324.93
16.	विटामिन ए एसिटेट ड्राई पावडर	एम एम यू	74.23	94.31
17.	विटामिन ए एसिटेट पावडर (10 एम आई यू/ग्राम)			
18.	विटामिन ए (पालमीटेट)			
19.	सल्फासिटामाइड सोडियम	टन	48.09	42.43
20.	सल्फासिटामाइड सोडियम डबल रिफाइन क्रिस्टल			
21.	एमोडियाक्वीन	टन	20.17	25.72
22.	क्लोरेमफेनिकोल पावडर	,,	92 84	100.26
23.	आयोडो क्लोरो हाइड्रोक्सीक्वीनोलीन	,,	204.87	181.65
24.	एरिथ्रोमाइसिन थियोसिनाइड	,,	37.44	76.44
25.	एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट	,,		
26.	रिफैम्पिसिन	,,	73.66	39.07
27.	एथाम्बुटोल	,,	407.99	490.63
28.	फ्रेमीसिटीन सल्फेट	,,	4.40	—
29.	पेराक्लोरो मेटाक्सीलिन (पी सी एम ए क्यू)	,,	92.37	100.69
30.	मेटानिडाजोल	टन	436.28	269.88
31.	मेट्रोनिडाजोल बेन्ज़ोऐट			
32.	क्लोरोक्वीन सल्फेट	,,	130.08	271.34

1	2	3	4	5
33.	प्रेडीनीसोलोन	किग्राम	1923.00	2128.00
34.	प्रेडनीसोलोन			
35.	हाइड्रोकोर्टिसोन	,,	11.00	14.00
36.	ट्रिपाइल प्रोफिलीट	मीटन	410.61	464.23
37.	सिप्रोफ्लोक्सिन मोनोहाइड्रेट	,,	45.84	69 81

विवरण दो

5 जुलाई, 1989 के बाद विनियंत्रित प्रपुंज औषधों की सूची

क्रम सं.	विनिर्माण की मद	इकाई	उत्पादन	
			1988-89	1989-90
1.	हेपरीन	एम यू	7439	11955
2.	नाइट्रोफ्यूरेशन	टन	3.25	1.36
3.	पाइरोक्सीकेम	,,		0.65
4.	[illegible]	टन	7.91	9.74
5.	[illegible]	टन	12.74	15.51

मारुति उद्योग लिमिटेड

228. श्री हरि किशोर सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा सोवियत रूस के बाजार में प्रवेश करने सम्बन्धी प्रयासों का ब्योरा क्या है; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड का अन्य देशों विशेषकर अफ्रीकी देशों को किये गये निर्यात सम्बन्धी अनुभवों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड को इन देशों में विशेषकर अफ्रीकी देशों में सुजूकी कम्पनी की उपस्थिति से किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड (मा. उ.लि.) के वाहनों का सोवियत संघ में निर्यात करने के बारे में पूछताछ होती रही थी परन्तु कोई प्रगति नहीं हुई क्योंकि प्रस्ताव वस्तुओं के बदले में व्यापार का था और आटोमोबाइलों का निर्यात भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार समझौते के अन्तर्गत नहीं आता था। हाल ही में, मारुति उद्योग लिमिटेड को वर्ष 1991-92 के दौरान 5000 कारों की आपूर्ति किये जाने का, मैसर्स श्रोकरा-मिफोर्म वी.ई.एस. से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका भुगतान अमरीकी डालरों में किया जाएगा। मारुति उद्योग लिमिटेड इन सम्भावनाओं का पता लगा रहा है।

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेनिन, भूटान, कैमरून, कांगो, फ्रांस, गिन्नी, गैबान, हंगरी, इटली, आईवरी कोस्ट, जोर्डन, मेडागास्कर, माल्टा, मालदीव, मारीशस नेपाल, नाइजर, पपुआ, न्यूगिनी, पोलैंड, पुर्तगाल, सेनेगल, सेशल्स, श्रीलंका, तन्जानिया, टोगो, युगांडा, युगास्लाविया और जाम्बिया को वाहनों का निर्यात कर रहा है।

(ग) पश्चिम अफ्रीका में मारुति उद्योग लिमिटेड सुजुकी मोटर्स कारपोरेशन के वितरकों के माध्यम से बिक्री कर रहा है जो एक विशेष लाभ देती है क्योंकि वे इन देशों में एक लम्बे समय से इन व्यवसाय में हैं और उनका एक व्यवस्थित डीलर-नेटवर्क है।

[हिन्दी]

बरेली में हाई फ्रीक्वेंसी रिले केन्द्र

229. श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बरेली में स्थित हाई फ्रीक्वेंसी रिले केन्द्र ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) यह कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) बरेली में आकाशवाणी की 2×3 कि. वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर (अति उच्च फ्रीक्वेंसी बैंड) सहित एक स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने तथा दूरदर्शन को कार्यक्रम निर्माण सुविधा सहित एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें हैं। आकाशवाणी की स्कीम के 1991 में तथा दूरदर्शन की स्कीम के 1992 में पूरा हो जाने की उम्मीद है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन

230. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की विसंगतियों को देखते हुए इसमें संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उनका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सरकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को अधिक प्रभावी और उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए अनेक सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। इन सुझावों में कुछ परिभाषाओं में संशोधन करना, अधिनियम में परिकल्पित तीन-स्तरीय प्रतितोष अभिकरणों को अधिक शक्ति देना, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग तथा जिला मंचों की बैठकों में कोरम के लिए प्रावधान करना आदि शामिल है।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के हाल ही के एक निर्णय के कारण वे सभी आदेश, जिन पर राज्य आयोग तथा जिला मंचों के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं, अकृत और शून्य माने जाने थे। इससे उपभोक्ताओं को कठिनाई हो सकती थी। इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश प्रख्यापित किया है।

[अनुवाद]

कोचीन में अमोनिया उत्पादक संयंत्र

232. प्रो. के.वी. थामस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फैक्ट" (उवरक और रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड) कोचीन ने केंद्रीय सरकार को अमोनिया उत्पादक संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

दूरदर्शन केन्द्र, सहरसा

233. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सहरसा दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कब तक वृद्धि किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन का निरन्तर यह प्रयास रहता है कि उसके नेटवर्क का यथाशीघ्र विस्तार किया जाए। लेकिन, यह कार्य इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध ढंग से ही पूरा किया जा सकता है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का गैर.सरकारीकरण

234. श्री आर्क फर्नान्डीज :

श्री हरि किशोरसिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मारुति उद्योग लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय तेल निगम तथा इसी तरह के अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का गैर-सरकारीकरण करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में ललितपुर में उद्योगों की स्थापना

235. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे जिलों की राज्यवार संख्या कितनी है जो न केवल औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं बल्कि उद्योग विहीन भी हैं,

(ख) उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, जिले के विकास के लिए स्थापित औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ललितपुर के उद्योग विहीन जिला न घोषित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ललितपुर जिले के विकास के लिए वहां कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

(च) क्या सरकार इस बारे में किसी अन्य योजना पर विचार कर रही है, और

(छ) यदि हां, तो इस बारे में कब विचार किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) 'उद्योग रहित जिलों' सहित औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ख) ललितपुर जिले में उद्योग लगाने के लिए दो आशय पत्र, एक वर्ष 1987 एवं एक वर्ष 1988 में जारी कर दिए गए हैं।

(ग) केवल उन ही जिलों को जहां 1979-80 हेतु जिला उद्योग कार्य योजना के अनुसार कोई बड़ा अथवा मध्यम उद्योग नहीं है, 'उद्योग रहित जिले' घोषित किए गए थे। क्योंकि ललितपुर यह मानदण्ड पूरा नहीं करता इसलिए इसे 'उद्योग रहित जिला' घोषित नहीं किया गया।

(घ) से (छ) किसी विशेष जिले/क्षेत्र के औद्योगीकरण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की है। सामान्यतः बुनियादी स्वरूप की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में केन्द्र द्वारा निवेश किए जाते हैं, जिनके स्थापना स्थल का निर्णय तकनीकी आर्थिक विचारों पर किया जाता है। इस समय ललितपुर में कोई केन्द्रीय परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की संख्या का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	श्रेणी 'क' उद्योग रहित जिले	विशेष क्षेत्र के जिले	श्रेणी 'ख'	श्रेणी 'ग'
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	6	13
2.	असम	2	8	—	—
3.	बिहार	6	—	5	6
4.	गुजरात	1	—	3	7
5.	हरियाणा	—	—	3	4
6.	हिमाचल प्रदेश	5	7	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	7	7	—	—
8.	कर्नाटक	1	—	3	7
9.	केरला	2	—	3	2
10.	मध्य प्रदेश	18	—	4	19
11.	महाराष्ट्र	1	—	3	10
12.	मणीपुर	6	—	—	—

1	2	3	4	5	6
13.	नागालैंड	1	6	—	—
14.	मेघालय	4	1	—	—
15.	उड़ीसा	3	—	5	—
16.	पंजाब	—	—	3	2
17.	राजस्थान	4	—	5	7
18.	सिक्किम	4	—	—	—
19.	तमिलनाडु	—	—	3	9
20.	उत्तर प्रदेश	11	4	5	21
21.	पश्चिमी बंगाल	5	—	3	6
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	—	—
23.	दादरा और नगर हवेली	1	—	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	4	2	—	—
25.	गोवा, दमन और दिव	—	1	—	—
26.	लक्षद्वीप	1	—	—	—
27.	त्रिपुरा	3	—	—	—
28.	मिजोरम	2	—	—	—
29.	पांडिचेरी	—	1	—	—

[हिन्दी]

विलम्बित केन्द्रीय परियोजनाओं को पूरा करना

226. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार ऐसी विभिन्न चालू केन्द्रीय परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है जिन्हें निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सका है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज : (क) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार 31, मार्च 1991 को(8)

केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं जिनकी 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत है नवीनतम अनुमोदित पूरा होने की तिथि के संदर्भ में विलम्बित हैं।

विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रों में आने वाली परियोजनाओं का विवरण निम्न है।

(1) परमाणु ऊर्जा।	4
(2) कोयला	37
(3) उर्वरक	1
(4) सूचना तथा प्रसारण	5
(5) इस्पात तथा खनिज लोहा	5
(6) रसायन तथा पेट्रो रसायन	3
(7) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	18
(8) विद्युत	25
(9) कागज, सीमेंट तथा आटोमोबाइल्स	6
(10) रेलवे	42
(11) भूतल परिवहन	25
(12) दूर संचार	10
	181

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग) प्रबोधन करते हैं और परियोजनाओं के समयबद्ध पूरा करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित सामयिक कार्यवाई के लिए समस्यात्मक क्षेत्रों पर प्रकाश डालते रहे हैं।

औरंगाबाद में फल आधारित उद्योग की स्थापना

237. श्री मोरेश्वर सावे :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फलों की उपलब्धता के आधार पर औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में एक फल आधारित उद्योग की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास किसी भी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सीधे स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु इस मंत्रालय ने अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं जिनके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकारों, सहकारी समितियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि को सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र राज्य सरकार से औरंगाबाद में फलों पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिये सहायता मांगने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

लक्षद्वीप के विकास के लिए मास्टर प्लान

238. श्री पी. एम. सईद :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप के बहुमुखी विकास के लिये एक विशेषज्ञ समिति ने द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण को एक मास्टर प्लान तैयार करके प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य हेतु आबंटित धनराशि सहित इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और

(ग) अब तक इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं। लक्षद्वीप के समग्र विकास के लिये मास्टर प्लान तैयार करने हेतु किसी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रोजगार में वृद्धि

239. श्री भागेय गोवर्धन :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1990-91 के प्रारंभ में बेरोजगारों के क्या आंकड़े थे,

(ख) 1990-91 के दौरान रोजगार में वृद्धि की वार्षिक दर क्या है,

(ग) एक करोड़ नये रोजगार प्रति वर्ष पैदा करने के लिए किस वृद्धि-योजना की आवश्यकता है, और

(घ) एक करोड़ नये रोजगारों के लिये निजी और सरकारी क्षेत्र-वार रोजगार क्षमता कितनी है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच आर. भारद्वाज) : (क) वर्ष 1987-88 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए 43 वें दौर के सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर मार्च 1990 में बेरोजगारों का बैकलांग (सामान्य प्राधन स्तर) 13.1 मिलियन होने का अनुमान है।

(ख) अन्तिम अनुमान के आधार पर 1990-91 में रोजगार में 1 8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) रोजगार इस समय तैयार की जा रही आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है। रोजगार में वृद्धि करने की गति को तेज करने के लिए कार्यनीति का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और इसे आठवीं योजना के दस्तावेज में शामिल किया जाएगा।

योजना आयोग के अध्ययन दल का पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा

240. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अक्तूबर, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गवर्नमेंट टीम टु विजिट इस्टर्न उत्तर प्रदेश शीर्षक से प्रकाशित, समाचार शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है,

(ख) क्या योजना आयोग के किसी अध्ययन दल ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा किया था,

(ग) यदि हां, तो दल ने जिन जिलों का दौरा किया था और उनका ब्योरा क्या है,

(ग) दौरे से क्या निष्कर्ष निकले, और

(ङ) दल द्वारा की गयी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी हां। हमने यह समाचार शीर्षक देखा है।

(ख) से (ङ) हाल के विगत समय में योजना आयोग के किसी दल द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा नहीं किया गया।

राजस्थान में पेट्रो रसायन उद्योग का विस्तार

241. श्रीमती वसुन्धरा राजे :
क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में पेट्रो रसायन उद्योग का विस्तार और विकास करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कब तक क्या कदम उठाये गये है,

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के लिए कोई नई नीति अपनाने का प्रस्ताव किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) राजस्थान में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं समेत विभिन्न पेट्रो-रसायनों के विनिमाण के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन समय-समय पर प्राप्त होते हैं। इन आवेदनों की जांच की जाती है और सतत प्रक्रिया के रूप में विद्यमान नीतियों के अनुसार तकनीकी आर्थिक आधार पर इस पर निर्णय लिए जाते हैं।

[हिन्दी]

"हाटलाइनों का जमकर दुरुपयोग हुआ" शीर्षक से समाचार

242. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1991 के दैनिक जागरण में प्रकाशित "दूरदर्शन महानिदेशक की अदरूनी कहानी (2) हाटलाइनों का जमकर दुरुपयोग हुआ शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की ध्यानपूर्वक जांच की गई है। तथापि, यह समाचार गलत पाया गया है।

[अनुवाद]

चक्रवात और बाढ़ की चेतावनी देने वाली प्रणाली

243. श्री अशोक आनन्द राव देशमुख :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चक्रवात और बाढ़ के आने के 3-4 दिन पूर्व चेतावनी देने वाली प्रणाली का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या इस प्रणाली में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारत मौसम विज्ञान विभाग भारत में चक्रवात की पूर्व चेतावनी देने के लिए एक नोडीय एजेंसी है। ये चेतावनियां भारत मौसम विज्ञान विभाग के छः चक्रवात चेतावनी केन्द्रों (कलकत्ता, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, मद्रास, बम्बई और अहमदाबाद) द्वारा परम्परागत विरीक्षणों,

चक्रवात का पता लगाने वाले शक्तिशाली राडारों और इन्सैट उपग्रह की सहायता से चक्रवाती गतिविधियों की मानीटरिंग करके फिर चक्रवातों की दिशा एवं तेजी का पूर्वानुमान लगा कर दी जाती है। चक्रवात चेतावनियां दो चरणों में दी जाती है। प्रथम चरण में तट के साथ-साथ विपरीत मौसम की शुरुआत से 48 घंटे पूर्व एक "चक्रवात एलर्ट" जारी किया जाता है। दूसरे चरण में, चक्रवात के संभावित क्षेत्र में आने से 24 पहले "चक्रवात चेतावनी" जारी की जाती है। बंदरगाहों को "विशेष बंदरगाह चेतावनी सेवा के माध्यम से चेतावनी दे दी जाती है।

बाद की चेतावनियां जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देश की विभिन्न अन्तर्राज्यीय नदियों के निकट स्थित 157 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों के माध्यम से दी जाती हैं। मौजूदा केन्द्रों पर चेतावनी के समय में केन्द्रानुसार 6 घंटे से 36 घंटे के बीच का अन्तर होता है।

(ख) जी, हां।

मौसम विज्ञान संबंधी निरीक्षण नेटवर्क को मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में सुदृढ़ किया जा रहा है तथा फिलहाल आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में उपलब्ध इन्सैट पर आधारित आपदा चेतावनी नेटवर्क का भी विस्तार किया जा रहा है।

सरकारी उपक्रमों में विदेशी मुद्रा की कमी

244. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता के कारण कई सरकारी उपक्रम परेशानी में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उक्त सरकारी उपक्रमों को कांट्रेक्ट सम्बन्धी वायदों को पूरा करने के लिये विदेशी मुद्रा नहीं मिल रही है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई करने का विचार है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

स्वापक औषधियों का उत्पादन

245. श्री प्रकाशबापू वसंतराव पाटिल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निश्चेतक के रूप में प्रयोग करने के उद्देश्य से स्वापक औषधियों का उत्पादन करने की अनुमति देने का विचार है ताकि भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जब जब भी इस प्रकार का आवेदन प्राप्त होता है तो उस पर गुणावगुण के आधार पर और विभिन्न अधिनियमों जैसे इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट 195। ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1940 नारकाटिक एण्ड साइकोट्रानिक सबसटेन्सस एक्ट 1985 के उपबन्धनो के अनुपालन के आधार पर विचार किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अपराधिक आरोप

246. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम वी चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल माह के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार और अपराधिक गतिविधियों के लिये सैकड़ों सरकारी कर्मचारी पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार पकड़े गए सरकारी कर्मचारियों और ऐसी गतिविधियों में उनका तथा कथित रूप से लिप्त पाए जाने का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार लिप्त पाए गए सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अलवा) : (क) जी, हां।

(ख) 170 सरकारी कर्मचारी जिनमें राजपत्रित स्तर के 121 कर्मचारी हैं, जो अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पतियाँ रखते, अनुचित सरकारी पक्षपात देने तथा अपराधिक कदाचार इत्यादि से संबंधित केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अप्रैल 1991 के दौरान दायर 104 मामलों में लिप्त है।

(ग) संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमित मामले दायर कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अलग से आवंटन

247. श्री राम विलास पासवान :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में केन्द्रीय बजट में अलग से धनराशि के आबंटित करने और इस धनराशि को प्राथमिकता आधार पर समाज के इस वर्ग पर व्यय करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु और माध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देना

248. श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विचाराधीन उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी जे. कुरियन) : सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के अनेक उपाय किये हैं। इनमें मूलभूत सहायता का प्रावधान तथा प्रोत्साहनों के पैकेज और रियायती वित्त उत्पाद लाभ, केवल लघु क्षेत्र मे उत्पादन हेतु मदों का आरक्षण, के जरिये विपणन सहायता, लघु सबको से खरीद हेतु मदो का आरक्षण, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया-खरीद आधार पर मशीनरों की आपूर्ति, तकनीकी परामर्श सेवाओ का प्रावधान औद्योगिक स्थान का प्रावधान, जांच सुविधाओं, सामान्य सुविधा सेवाओं तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं जैसी रियायतें शामिल हैं।

आयोजन प्रक्रिया में सुधार

250. श्री धर्मण्णा मेंडिय्या सादुल :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजन प्रक्रिया में सुधार करने हेतु कोई कदम उठाने का विचार है ताकि विभिन्न विकास-योजनाओ का लाभ वास्तविक रूप से अभीष्ट लाभार्थियों तक पहुंच सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) विकासात्मक आयोजना एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय प्राप्त गत अनुभव के आधार पर आयोजना प्रक्रिया में सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में उनकी क्षमता के उपयोग एवं जनशक्ति की आवश्यकता के बारे में यथास्थिति पत्र

251. श्री प्रकाशबापू बसंतराव पाटिल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न सरकारी उपक्रमों की प्रतिष्ठापित क्षमता के अधिकतम उपयोग और उनमें कार्यरत जनशक्ति के संबंध में कोई यथास्थिति पत्र जारी करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्री. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता :

महाराष्ट्र को चावल और खाद्य तेलों की सप्लाई

252. श्री प्रकाशबापू बसंतराव पाटिल :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र को दिसम्बर, 1990 के दौरान चावल और खाद्य तेलों की सप्लाई की गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) महाराष्ट्र की विभिन्न खाद्यान्नों हेतु की गई मांगों का ब्योरा क्या है और इसमें से उसे कितना सप्लाई किया गया ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार को दिसम्बर, 1990 मास के लिए 45,000 मीटरी टन चावल आवंटित किया गया था।

राज्य व्यापार निगम के पास आयातित खाद्य तेलों का अपर्याप्त स्टाक होने और विदेशी मुद्रा की तंगी के कारण आयात बन्द कर देने की वजह से महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आयातित खाद्य तेलों के आवंटन को अप्रैल, 1991 से स्थगित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने दिसम्बर, 1990 में 15,000 मीटरी टन पामोलीन की आपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया था। यद्यपि, राज्य व्यापार निगम के पास आयातित खाद्य तेल के पड़े हुए अवशेष स्टाक में से महाराष्ट्र को जून, 1991 में 600 मीटरी टन की मात्रा का तदर्थ आवंटन किया गया है।

(ग) महाराष्ट्र के संबंध में दिसम्बर, 1990 मास के लिए चावल और गेहूं की मांग, आवंटन और उठान की स्थिति नीचे दी गई है :

(हजार मीटरी टन में)

		आवंटन	उठान
चावल	52.0	45.0	47.3
गेहूं	100.0	100.0	96.1

शीरे पर से नियंत्रण हटाना

253. श्री प्रकाशबापू बसंतराव पाटिल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार शीरे पर से नियंत्रण हटाने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति का उद्देश्य औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन के लिए डिस्टिलरियों को उचित मूल्यों पर शीरे की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

केरल को खाद्यान्नों और पामोलीन की सप्लाई

254. श्री रमेश चेन्नित्तला :

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को वर्ष 1990 की अन्तिम तिमाही में, माह-वार, और जनवरी से जून, 1991 तक, माहवार चावल, अन्य खाद्यान्नों, पामोलीन और चीनी की कितनी मात्रा का आबंटन किया गया और कितनी मात्रा भेजी गई;

(ख) क्या केरल सरकार ने अधिक आबंटन की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का निकट भविष्य में आबंटन की मात्रा बढ़ाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री [illegible] गगोई) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) चावल और गेहूं

राज्य सरकार ने प्रति मास 1.60 लाख मीटरी टन [illegible] और 25,000 से 30,000 मीटरी टन गेहूं आवंटित करने की मांग है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लिए चावल और गेहूं के आबंटन खुले बाजार में उपलब्धता के अनुपूरक होते हैं और ये किसी की समस्त मांग को पूरा करने के प्रयोजन के लिए नहीं होते हैं। ये आवंटन स्टाक की समूची [illegible] उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

खाद्य तेल

केरल सरकार ने मार्च, 1991 में 6,000 मीटरी टन पामोलीन का आवंटन करने के लिए अनुरोध किया था। राज्य व्यापार निगम के पास खाद्य तेलों का अपर्याप्त स्टाक होने तथा विदेशी मुद्रा की तंगी के कारण आयात स्थगित कर देने की वजह से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 1991 से आयातित खाद्य तेलों का कोई नियमित आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध अवशेष स्टाक में से राज्य को जून, 1991 में 560 मीटरी टन की मात्रा का तदर्थ आवंटन किया गया है केरल सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आयातित खाद्य तेलों का आवंटन खाद्य तेलों का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

चीनी

अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को चीनी का आवंटन 1.1.1986 को स्थिति के अनुसार परियोजित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम 425 ग्राम की मासिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के एक समान मानदंड के आधार पर किया जाता है। ये मानदंड पहली फरवरी, 1987 से प्रभावी हैं। केरल सरकार से वर्तमान वर्ष के दौरान अधिक आवंटन करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

अक्तूबर, 1990 से जून, 1991 तक केरल के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं, खाद्य तेलों और चीनी के आवंटन और उठान आदि को बताने वाला विवरण।

(हजार मीट्रिक टन में)

मास	चावल आवंटन	चावल उठान	गेहूं आवंटन	गेहूं उठान	खाद्य तेल आवंटन	खाद्य तेल उठान	चीनी आवंटन	चीनी उठान
अक्तूबर, 1990	145.0*	114.8	20.0	16.8	6.000	4.540	केरल को प्रति मास 1 1953 मीट्रिक टन लेवी चीनी आवंटित की जा रही है। इसके अलावा, 1990 के दौरान केरल को त्योहार कोटे के रूप में सितम्बर और अक्तूबर के प्रत्येक मास के लिए 1 800 मीट्रिक टन चीनी आवंटित की गई। राज्य में उठान, परिवहन और वितरण का प्रबंध राज्य सरकार अथवा उसके नामिती द्वारा किया जाता है।	
नवम्बर, 1990	145.0*	128.4	20.0	19.1	4.000	4.000		
दिसम्बर, 1960	135.0	136.8	20.0	19.8	—	1.097		
जनवरी, 1991	142.5	118.0	30.0	28.0	—	0.008		
फरवरी, 1991	142.5	124.7	20.0	20.2	1.200	0.420		
मार्च, 1991	142.5	131.1	25.0	23.8	1.700	2.188		
अप्रैल, 1991	142.5	136.0	30.0	28.0	—	0.298		
मई, 1991	142.5	148.7	30.0	29.5	—	0.016		
जून, 1991	142.5	उ.न.	30.0	उ.न.	0.560	—		

* इसमें त्योहार मौसम के लिए 10,000 मीट्रिक टन तदर्थ आवंटन शामिल है।

केरल में मत्स्य संसाधन उद्योग

255. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नये मत्स्य संसाधन उद्योगों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा यथा-अनुमोदित इक्विटी सहभागिता स्कीम के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण केरल में (1) कालूवरा एक्सपोर्ट्स लि. कोचीन और (2) इनसिग्नेिया कवियन एक्सपोर्ट्स लि. अरूर नामक प्रास्ताहकों (प्रमोटरों) के सहयोग से नए प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करेगा।

इन प्रस्तावों की जांच की गई थी और प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने इन परियोजनाओं में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का इक्विटी सहभागिता का अनुमोदन किया था। ये दो परियोजनाएं निर्यात प्रयोजन हेतु आई. क्यू. एफ. समुद्री उत्पादों के लिए हैं।

त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच माइक्रोवेव लिंक

256. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से त्रिवेन्द्रम और दिल्ली दूरदर्शन के बीच माइक्रोवेव लिंक स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम को दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली के साथ जोड़ने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस समय दिल्ली और मंगलौर के बीच माइक्रोवेव लिंक स्थापित करने के लिए त्रिवेन्द्रम और कालीकट के बीच मौजूदा माइक्रोवेव लिंक का मंगलौर तक विस्तार करने के वास्ते दूरसंचार विभाग को पक्का आर्डर दे दिया गया है।

केरल में टी. वी. स्टेशनों और टी. वी. स्टूडियो की स्थापना

257. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में टी. वी. स्टेशनों और स्टूडियो की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या केरल में वर्तमान टी. वी. स्टेशनों और स्टूडियो के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) केरल में कालीकट में, सातवीं योजना से आगे ले जाई गई स्कीम के रूप में, मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति (10 कि. वा.) टी वी ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। आठवीं योजना के अन्तर्गत, राज्य में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार योजना आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली कुल धनराशि पर निर्भर करेगा।

हैदराबाद से दूसरा टी. वी. चैनल

258. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रस्तावित दूसरा टी. वी. चैनल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) हैदराबाद दूरदर्शन से दूसरा चैनल कब से काम करना शुरू कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन का दूसरा चैनल राज्य सरकारों, को सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद से दूसरे चैनल की सेवा शुरू करने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

विजयवाड़ा में दूरदर्शन स्टूडियो का निर्माण

259. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में दूरदर्शन स्टूडियो के निर्माण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ख) निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) विजयवाड़ा में टी. वी. स्टूडियो केन्द्र की स्थापना पर 1614.63 लाख रुपए के कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय में से अभी तक 329.42 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। परियोजना के स्थान का कब्जा लिया जा चुका है तथा कुछ उपकरणों की खरीद के लिए निर्माताओं को आर्डर दे दिए गए हैं। इतने बड़े आकार की परियोजना के पूरा होने में सरकार द्वारा स्कीम का औपचारिक अनुमोदन कर दिए जाने की तारीख से लगभग 4 वर्ष का समय लग जाता है।

विशाखापत्तनम में मत्स्य संसाधन इकाई की स्थापना

260. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद का प्रचुर मात्रा में उपयोग करने हेतु विशाखापत्तनम में मत्स्य संसाधन इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या केंद्रीय सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दी है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय ने विशाखापत्तनम में स्वीकृत मत्स्य परियोजना की एक इकाई की स्थापना की स्वीकृति दी है। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में उपलब्ध मुख्यतः गैर-पारम्परिक और कम कीमत की मछलियों से विविध प्रकार के मछली उत्पादों का उत्पादन और विपणन करना है।

(ग) जी हां, वर्ष 1988 के दौरान इसकी स्वीकृति दी गई थी।

कच्ची फिल्मों की कीमतें

261. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्ची फिल्मों की कीमत बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या फिल्म उद्योग ने कच्ची फिल्म की कीमत घटाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड द्वारा सिने कलर पासिटिव फिल्म के बिक्री मूल्य में 15-6-91 से 37.5% तक वृद्धि की गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) सिने कलर पासिटिव फिल्म के परिवर्तित मूल्य को प्रास्थगित रखा गया है।

[हिन्दी]

जोधपुर लिफ्ट कैनाल जलपूर्ति योजना के लिए आवंटित

262. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जोधपुर लिफ्ट कैनाल जलपूर्ति योजना के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान 9.54 करोड़ रुपए आवंटित करने का है।

(ख) क्या यह धनराशि राज्य सरकार को दे दी गई है,

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण है, और

(घ) यह धनराशि कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

लघु उद्योग को प्रोत्साहन

263. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए पहले कोई योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के शुरू होने के समय से गत तीन वर्षों के दौरान अनुदान की कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या यह योजना 30 सितम्बर, 1988 को समाप्त कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन उद्योगों को अनुदान उपलब्ध कराने का है जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत उद्योग लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए थे लेकिन उन्हें उस समय तक अनुदान का आवटन नहीं किया गया था; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (च) केन्द्रीय निवेश सबसिडि योजना, 1971 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना करने वाले उद्यमी, अपने निर्धारित निवेश पर सबसिडि की प्रेडिड दरों के पात्र हैं। यह योजना लघु एककों पर भी लागू है। योजना के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को की गई क्षतिपूर्ति इस प्रकार है :—

वर्ष	(रु. करोड़ में)
1988-89	154.97
1989-90	84.30
1990-91	127.41

योजना को 30 सितम्बर, 1988 से समाप्त कर दिया गया है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ

शासित क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दी जाती है कि 31.9.1989 तक गैर-विनिर्माणकारी कार्य-कलापों तथा 31.12.1989 तक विनिर्माणकारी कार्य-कलापों के सम्बन्ध में किए गए भुगतान, केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि परियोजनाएं 30.9.1988 से पूर्व अनुमोदित की गई हों।

[अनुवाद]

केरल राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम की वित्तीय स्थिति

26 . श्री वी. एस. विजयराघवन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केरल राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम के एक हिस्से का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण करने के बाद इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल राज्य इलैक्ट्रौनिक विकास निगम पर पूर्ण नियंत्रण रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम (केल्ट्रान) के किसी भी हिस्से का प्रबंध अभिग्रहण नहीं किया है। किन्तु इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ई.आर. एण्ड डी.सी.) त्रिवेन्द्रम तथा इलेक्ट्रानिकी परीक्षण विकास केन्द्र (ई.टी.डी.सी.) त्रिवेन्द्रम नामक दो संगठनों की प्रबंध व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1988 में अपने हाथ में अवश्य ले ली गयी है, जिसका प्रबंध अब तक केल्ट्रान द्वारा किया जा रहा था। इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ई आर एण्ड डी सी) धर्मादा अधिनियम के अन्तर्गत केरल सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था थी। इलैक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र (ई टी डी सी) राज्य तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से स्थापित किया गया था। यह दोनों इकाईयां केल्ट्रान का हिस्सा नहीं थी, केवल केल्ट्रान द्वारा इनका प्रबंध किया जा रहा था।

(ग) जी, नहीं

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पोलर सैटेलाइट लान्च व्हिकल का विकास

265. श्री वी.एस. विजयराघवन :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "पोलर सैटेलाइट लांच व्हिकल" के विकास में कितनी प्रगति हुई है। और

(ख) इसकी परीक्षण उड़ान तक किए जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी), जोकि 900 कि.मी. की ध्रुवीय कक्षा में 1000 कि.ग्रा. भार की श्रेणी के उपग्रह को छोड़ने में सक्षम एक चार चरण वाला राकेट है, के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

पी.एस.एल.वी. के अधिकांश माड्यूलों जैसे प्रथम चरण की ठोस मोटर (विश्व में तृतीय सबसे बड़ी), द्रव ईंधन वाले द्वितीय और चतुर्थ चरण, तापकवच, इलेक्ट्रानिकी प्रणालियां प्राप्त कर ली गई हैं और इनकी भूमि पर सफलतापूर्वक जांच कर ली गई है। पी.एस.एल.वी. की प्रणालियों की आगामी अर्हता जांचें प्रगति में हैं। समाकलन, जांच-पड़ताल और प्रमोचन के लिए विविध सुविधाएं तैयार हैं।

पी.एस.एल.वी. की प्रथम विकासात्मक उड़ान के 1992 के दौरान किए जाने की सम्भावना है।

केरल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापना।

266. श्री वी.एस. विजयराघवन :

क्या खाद्यप्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केरल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने का है, ताकि वहां के विविध कृषि उत्पादों का उपयोग किया जा सके, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

केरल में ईंट उद्योग में संकट

267. श्री वी.एस. विजयराघवन :

क्या प्रधान मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ईंट उद्योग संकट का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में नयी चीनी मिलें

[हिन्दी]

268. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्री मोरेश्वर सावे :

क्या खाद्य मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नयी चीनी मिलों की स्थापना की स्वीकृति हेतु 1990 में कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए,

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कितनी प्रस्तावित चीनी मिलों की संस्तुति की, और नई चीनी मिलों को किस आधार पर लाइसेंस दिये जा रहे हैं,

(ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार को ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए,

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने साईं बाबा सहकारी चीनी मिल की स्थापना के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) वर्ष 1990 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु आशय पत्र की मंजूरी के लिए औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से खाद्य विभाग में 148 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) उपर्युक्त में से 21 प्रस्तावों पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिफारिश की गई है। नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर लाइसेंसिंग नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया है।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसका संबंध राज्य सरकार से है।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शर्करा उद्योग में लाइसेंसिंग नीति सरकार के समीक्षाधीन है। साईं बाबा सहकारी चीनी मिल लगाने के प्रस्ताव तथा अन्य लम्बित प्रस्तावों पर उक्त समीक्षा को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

सीमेंट के मूल्य पर नियन्त्रण रखने के लिए पैनल की नियुक्ति

[अनुवाद]

269. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए किसी पैनल की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो प्रस्तावित पैनल के सदस्य कौन होंगे, उसके विचारार्थ विषय क्या होंगे और इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट के मूल्यों को उचित स्तर पर रखने के उपायों पर विचार करने और एक योजना तैयार करने के लिए संयुक्त सचिव (आपूर्ति विभाग), सीमेंट उद्योग के विकास आयुक्त, कार्यकारी निदेशक, रेलवे बोर्ड तथा अपर महानिदेशक, आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का एक कार्य दल बनाया गया है।

(i) सीमेंट उद्योग को रेलवे माल-डिब्बों की अपेक्षित संख्या की उपलब्धता।

(ii) सड़क द्वारा माल की ढुलाई के लिए असामान्य रूप से उच्च प्रभार दर के एवज में उद्योग की क्षतिपूर्ति।

(iii) सीमेंट उद्योग के लिए एक उपयुक्त भाड़ा समानीकरण योजना तैयार करना। उक्त दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

चुनाव परिणाम विश्लेषण 1991 के प्रसारण पर हुआ व्यय

270. श्री अमर राय प्रधान :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 के चुनाव परिणाम विश्लेषण के दूरदर्शन प्रसारण पर कितनी धनराशि व्यय हुई और इस सम्बन्ध में विभिन्न एजेंसियों को कितना भुगतान किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : दूरदर्शन ने चुनाव परिणाम विश्लेषणों के प्रसारण के लिए विभिन्न एजेंसियों को 35,93,000/- रुपये का भुगतान किया जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

एजेंसी का नाम	अदा की गयी राशि
1. मैसर्स एन.डी.टी.वी. नई दिल्ली।	25,60,000/- रुपये
2. मैसर्स पी.टी.आई., नई दिल्ली।	5,00,000/- रुपये
3. मैसर्स यू.एन.आई., नई दिल्ली।	5,00,000/- रुपये
4. मैसर्स जेड-एक्सिस, बम्बई।	33,000/- रुपये

इसके अलावा हाट लाइनों प्रोटेक्शन चैनलों आदि की व्यवस्था करने के लिए 1,77,00,000/- रुपये की अनुमानित राशि का भुगतान दूरसंचार विभाग को किया जाना है।

सरकारी क्षेत्र के घाटे में चल रहे उद्यम

271. श्री ओ.के. कप्पुस्वामी :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सरकारी क्षेत्र के घाटे में चल रहे उद्यमों के राज्य-वार नाम क्या है, और

(ख) इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को हुए घाटे को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्य-की गई है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों की राज्य-वार सूची विवरण के रूप में संलग्न है, जिन्होंने वर्ष 1989-90 के दौरान घाटा उठाया था।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन को बेहतर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन करना, प्रोद्योगिकी को समुन्नत बनाना, बेहतर अनुरक्षण प्रबन्ध पद्धतियां, ऊर्जा संरक्षण, आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापन, संगठनात्मक पुनर्संरचना आदि जैसे विभिन्न उपाय किये जाते हैं। समझौता ज्ञापन की एक नई अवधारणा शुरू की गई है जो बेहतर कार्य-निष्पादन प्राप्त करने में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा प्रशासनिक मन्त्रालयों के परस्पर दायित्वों को स्पष्ट करती है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उद्यमों की राज्यवार सूची

(1989-90 के दौरान)

आन्ध्र प्रदेश

1. सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो. लि.

2. हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि.

असम

3. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.

4. असम अशोक होटल कारपो. लि.

बिहार

5. भारत रिफैक्ट्रीज लि.

6. पायराइट्स, फोस्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.

7. भारी इंजीनियरी निगम लि.

8. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

9. प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि.

10. रांची अशोक बिहार होटल कारपो. लि.

गुजरात

11. नेटेका (गुजरात) लि.

हरियाणा

12. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

कर्नाटक

13. भारत गोल्ड माइन्स लि.
14. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि.
15. नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.
16. मसाला व्यापार निगम लि.
17. विग्नयन इंडस्ट्रीज लि.
18. विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कं. लि.

केरल

19. कोचीन शिपयार्ड लि.

मध्य प्रदेश

20. नेपा लि.
21. नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.
22. नादर्न कोलफील्ड्स लि.
23. साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
24. मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपो. लि.

महाराष्ट्र

25. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
26. रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.
27. मझगांव डाक लि.
28. एयर इंडिया चार्टर्स लि.
29. भारतीय होटल निगम लि.
30. नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.
31. नेटेका (महाराष्ट्र साउथ) लि.
32. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.
33. महाराष्ट्र एण्टीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.
34. भारतीय राष्ट्रीय बाइसाइकिल निगम लि.
35. महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मैल्ट लि.

मेघालय

36. उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.

नागालैंड

37. नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कम्पनी लि.

उड़ीसा

38. उड़ीसा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लि.

39. पारादीप फास्फेट्स लि.

40. उत्कल अशोक होटल कारपो. लि.

राजस्थान

41. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.

उत्तर प्रदेश

42. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.

43. भारत पम्प एंड कंप्रेसर्स लि.

44. स्कूटर्स इंडिया लि.

45. आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यु. कारपो. आफ इंडिया

46. टेनरी एंड फुटवियर कारपो. आफ इंडिया लि.

47. भारत लेदर कारपो. लि.

48. नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.

49. यू.पी. ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स कं. लि.

50. ब्रुशवेयर लि.

51. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.

52. एल्गिन मिल्स कंपनी लि.

53. कानपुर टेक्सटाइल्स लि.

पश्चिम बंगाल

54. इंडियन आयरन एंड स्टील कं. लि.

55. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

56. ब्रेथवेट एंड कम्पनी लि.

57. बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लि.

पश्चिमी बंगाल

58. माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.
59. बीको लारी लि.
60. भारत ब्रेकस एंड वाल्व्स लि.
61. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि.
62. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम
63. भारत आप्थेलिमक ग्लास लि.
64. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि.
65. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.
66. मेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.
67. हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लि.
68. भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि.
69. बेवर्ड (इंडिया) लि.
70. भारतीय साइकिल निगम लि.
71. नेशनल जूट मैन्युफेक्चर्स कारपो. लि.
72. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.
73. हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.
74. भारतीय टायर निगम लि.
75. बंगाल इम्युनिटी लि.
76. बर्ड्स, जूट एंड एक्सपोर्ट लि.

दिल्ली

77. हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लि.
78. भारतीय सीमेंट निगम लि.
79. भारतीय उर्वरक निगम लि.
80. हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.
81. सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि.
82. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
83. माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि.
84. राष्ट्रीय बीज निगम लि.

दिल्ली

85. इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एंड टेक्नालाजी डेवलपमेंट कारपो. लि.

86. भारतीय खाद्य निगम

87. इंडियन एयरलाइन्स

88. हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.

89. भारतीय सड़क निर्माण निगम लि.

90. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.

91. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.

92. नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.

93. दिल्ली परिवहन निगम

94. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो. लि.

95. वायुदूत

96. इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लि.

पांडिचेरी

97. पांडिचेरी अशोक होटल कारपो. लि.

अन्य

98. स्कूटर्स इंडिया (इंटरनेशनल) जी.एम.बी.एच. पश्चिमी जर्मनी

उड़ीसा में पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स

272. श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि. ने उड़ीसा मे नेफ्था आधारित क्रैकर काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) बड़े पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्सों की स्थापना के प्रस्तावों पर फीड स्टाक की उपलब्धता और अन्य तकनीकी आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है।

उर्वरकों का आयात

273 श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्दर उर्वरक उद्योगों की वर्तमान उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान उत्पादन क्षमता तथा इस समय उपयोग की जा रही प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जी हां।

अनुमानित मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच की कमी को पूरा करने के लिये उर्वरकों का आयात किया जाता है। वर्ष 1991-92 के दौरान आयात किये जाने वाले उर्वरकों की यथार्थ मात्रा अभी पूर्णत: निश्चित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) 1990-91 के दौरान देश में उर्वरक संयन्त्रों का क्षमता उपयोग नाइट्रोजन के मामले में 85.1% और फास्फेट के मामले में 74.5% रहा है। कुछ संयन्त्र उपस्कर खराबी विद्युत आपूर्ति में बाधा, असौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों और कच्चे मालों एवं मध्यवर्तियों के अल्पतर आयात सहित कई कारणों से अपना पूर्ण उत्पादन क्षमता को प्राप्त नहीं कर सके।

[हिन्दी]

चावल की खरीद में अनियमिततायें

274. श्री सन्तोष गंगवार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के बरेली डिवीजन में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा चावल की खरीद में बरती गई अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन पर की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि उनके पास 28.4.1991 को फर्जी नाम के व्यक्ति द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि बरेली जिले में स्थित भारतीय खाद्य निगम के बरेली और शाहजहांपुर केन्द्रों में ऐसे चावल को स्वीकार किया गया जिसमें 30 से 40 प्रतिशत तक के रेंज में

टोटा था। तथापि, उपर्युक्त शिकायत प्राप्त होने से पहले ही जनवरी और फरवरी, 1991 में भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय के स्क्वाड ने अपने रूटीन अचानक निरीक्षण के दौरान यह पाया कि बरेली जिले में वसूल किया गया भारतीय खाद्य निगम का लेवी के चावल का स्टाक नमी तत्व, टोटे और भूसी रहित अनाज से संबंधित निर्धारित की गई एक समान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं थी।

(ख) जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, बरेली को मुअत्तल कर दिया गया है उन्हें आरोप पत्र दिया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही प्रगति पर है।

[अनुवाद]

कीट नाशकों से खतरा

276. श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या कीटनाशकों से खतरा संसार भर में गंभीर चिन्ता का एक विषय बन गया है, यदि हां, तो कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में प्रभावी तथा वैकल्पिक तकनीक ढूंढने की दिशा में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या बहुत से कीटनाशक कैंसर तथा अन्य स्वास्थ्य विषमतायें उत्पन्न करने का कारण हैं जैसा कि इंडियन टेक्सीकालोजी रिसर्च सेन्टर लखनऊ के गत दो दशकों के विभिन्न अध्ययनों से पता चला है, और

(ग) कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कीटनाशकों के विकल्प ढूंढने में लगे विभिन्न संस्थानों/इकाइयों के नाम क्या हैं और उनका वार्षिक बजट क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां। समय समय पर हानिकारक कीटनाशियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है और उनके स्थान पर नए एवं सुरक्षित कीटनाशी लाये जाते हैं। इस प्रयोजनार्थ नई प्रौद्योगिकियों का देश में ही और विदेशी सहयोग के जरिए भी किया जाता है।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

"रेडियोएक्टिव मैटिरियल इन इम्पोर्टेड फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स" शीर्षक समाचार

277. श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जून, 1991 के "आब्जर्वर" मे रेडियोएक्टिव मेटिरियल इन इम्पोर्टेड फासफेटिक फर्टिलाइजर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन के डाक्युमेंट पर आधारित थी; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब जारी किया गया तथा खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम स्थित हमारे प्रतिनिधियों द्वारा इसे कब प्राप्त किया गया था तथा इस बारे में क्या कारंवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जैसा कि समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में दिया गया है, फास्फेटिक उर्वरकों मे कोई रेडियोसक्रिय कैडमियम नहीं है। यह सर्वविदित है कि फास्फेट की सभी चट्टानों में यूरेनियम होने के संकेत मिलते हैं। तथापि, प्रयोग के दौरान इनसे स्वास्थ्य संबंधी कोई खतरा नहीं होता है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्निर्माण/पुनरोद्धार करना

278. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत उर्वरक निगम का वित्तीय पुनर्निर्माण/पुनरोद्धार करने संबंधी कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) वित्तीय दबावों विशेषकर संचित घाटे की कुल हानि का ब्योरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों की छंटनी करने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रो रसायन क्षेत्र में उदार लाइसेंस नीति

279. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने योजना आयोग को हाल ही में पेश किये गये प्रतिवेदन जिसके अनुसार उदार लाइसेन्स नीति के कारण पेट्रो रसायन क्षेत्र में अधिक क्षमता पैदा करना संकट में पड़ गया है और इससे इस क्षेत्र में किये जाने वाले हुलर्म निवेश का अपव्यय होने की संभावना है।

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सीलमपुर ऐरोमेटिक्स सहित जिन पेट्रो रसायन परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है उनके नाम स्थान तथा क्षमता क्या है, कौन-कौन से औद्योगिक घराने उनसे संबद्ध है और इनमें क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार पहले से ही बहुत अधिक विलम्बग्रस्त परियोजनाओं को कार्यान्वित करने सम्बन्धी अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है, और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) भारत में पेट्रो रसायन उद्योग की परिप्रेक्ष्य योजना से संबंधित रिपोर्ट योजना आयोग से हाल ही में प्राप्त हुई है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

परियोजना का नाम	क्षमता	स्थान	वर्तमान व्यापार समूह	अब तक प्रगति
1	2	3	4	5
I. 1. क्रेकर काम्पलेक्स कार्यान्वयनाधीन				
1. एम. जी. सी सी.	300,000 टीपीए इथाइलीन "	नागोथाने महाराष्ट्र	आई पी सी एल (सरकारी क्षेत्र)	चालू होने के लिए तैयार
2. हजीरी क्रेकर काम्पलेक्स	400,000 इथाइलीन	हजीरा (गुजरात)	रिलायंस उद्योग समूह	1991 के अन्त तक 3 डाउनस्ट्रीम यूनिटों के चालू होने की आशा है।
हाल की स्वीकृतियां				
1. औरिया	300,000 "	औरिया (यूपी)	जैल (स.क्षेत्र)	प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग के प्रयास जारी
2. गंधान	300,000 "	गंधार (गुज.)	आईपीसीएल (सरकारी क्षेत्र)	—वही—

3. नोसिल	240,000 "	थाने बेलापुर रोड महाराष्ट्र	नोसिल	—वही—
4. विशाका	300,000 "	विशाखापटनम (आ. प्र.)	यूबी समूह	डाउनस्ट्रीम यूनिटों के लिए औद्योगिक स्वीकृति पर कार्यवाही की जा रही है।
5. हल्दिया	300,000 "	हल्दिया (प.बं.)	टाटा टी लि. के साथ सहयोग में डब्ल्यूबीआईडीसी	प्रौद्योगिकियों के लिए सहयोग के लिए प्रयास जारी है।
6. असम	300,000 "	असम	असम एसबीईडीसी कम्प्रोटर का अभी चयन किया जाना है	स्थान चयन प्रोमोटर चयन आदि के प्रयास जारी हैं।
	2570,000 "			
100% ईओयू परियोजना				
1. मद्रास नेफ्था क्रेकर	426,000 "	मद्रास (त.नाडु)	आरपीजी पेट्रो	केमि. लि.
	× सहयोजित डाउनस्ट्रीम उत्पादों सहित			
2. [illegible] परियोजना				
फिनोलेक्स पाइप्स लि.	1,00,000 टीपीए	जयगढ़ जिला रत्नागिरी महाराष्ट्र		एफसी जीजी सहयोग

1 2		3	4	5
3. स्टाइरिन/पोलीस्टीरीन परियोजना				
स्टीरीन				
1. सुप्रीम इन्डस्ट्रीज लि.	६0,000 टीपीए नागोथाने (महाराष्ट्र)	श्री एमपी टापरिया		
2. पोलिकेम लि.	—वही— रायगढ़ जिला महाराष्ट्र	एस. किलाचन्द		प्रोद्योगिकी के लिए सहयोग के प्रयास जारी
पोलिस्ट्रीरीन				
1. सुप्रीम इं.ड. लि.	40,000 टीपीए नागोथाने (महाराष्ट्र)	एमपी टापरिया		
2. बीएएसएफ इंडिया लि.	56,000 गुजरात	बीएएसएफ		
3. पोलिकेम लि.	40,000 टीपीए रायगढ़ महाराष्ट्र	एस किलाचन्द रिफाइनरी लि.	—वही—	निवेश के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त
एमआरएल एरोमैटिक काम्पलैक्स	ओरथोजाइलीन 30,000 टीपीए मनाली मद्रास	मै. सर्दन पेट्रो इं.ड. कार्पो. (स्पीक) के		विस्तृत सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। तथा

	बेनज़ीन 30,000 टीपीए पीटीए 200,000 टीपीए		साथ सहप्रोमोटर के रूप में है।	स्वीकृति के लिए सरकार को भेज दी गई है।
सोलमपुर एरोमेटिक प्रोजेक्ट	पीटीए 200,000 टीपीए पेरेक्सीलोन 103,000 " बेन्जीन 30,000 " ओरथोजाइलीन 30,000 टीपीए	सलीमपुर, उ.प्र.	मे. जे. के. पेट्रो केकिम. लि.	पार्टी में एसआईए के पास स्वीकृति के लिए सहयोग आवेदन दिया है। तकनीकी मूल्यांकन समिति ने आइसोमेटिसेसन यूनिट को छोड़कर विदेशी सहयोग की सिफारिश की है। पार्टी ने स्वदेशी आइसोमेरिसेसन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सहमति दे दी है। विदेशी निवेश बोर्ड (एफआईबी) को उपेक्षित सिफारिश के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
उच्च इंजी. प्ला. चरण	बड़ौदा गुज.		आईपीसीएल और मे. वोई प्ला. नीदरलैंड के मध्य संयुक्त सहभागिता	आशय पत्र जारी

1	2	3	4	5
इथाइलीन पर आधारित गैस क्रेकर	300,000 टीपीए	जिला भड़ौच, गुजरात	आईपीसीएल सर. क्षेत्र	आशय पत्र जारी
इथाइलीन विस्तार परि	3,00,000 टीपीए से 4,00,000 टीपीए विस्तार	—वही— नागोथाने जिला रायगढ़	आईपीसीएल (सर. क्षेत्र)	आशय पत्र जारी
एचडीपीई क्षमता का विस्तार	75,000 टीपीए अति. क्षमता	—वही—	आईपीसीएल (सर. क्षेत्र)	आशय पत्र जारी

उपभोक्ता वस्तुओं के लिए विदेशी सहयोग

280. श्री सैयद शाबुद्दीन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं के सम्बन्ध में मंजूर किये गये विदेशी सहयोग के प्रस्तावों और मदों का ब्यौरा क्या है तथा उन विदेशी सहयोगकर्ताओं एवं भारतीय लाइसेंसधारियों के नाम क्या हैं; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र के लिए मंजूर किये गये विदेशी सहयोग के प्रस्तावों का कुल मूल्य कितना था ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) एक विवरण संलग्न है (विवरण-एक) ।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान विदेशी सहयोग के लिए कुल 640 अनुमोदन किये गये थे । इसमें विदेशी सहयोग के 170 ऐसे मामले सम्मिलित हैं जिनमें 71 06 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश निवेश की परिकल्पना की गई है । वर्ष 1990-91 के दौरान किये गये विदेशी सहयोग अनुमोदनों का उद्योग-वार ब्यौरा विवरण-दो के रूप में संलग्न है ।

विवरण एक

अप्रैल 1990 से मार्च 1991 के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं के लिए स्वीकृत किये गये विदेशी सहयोगों के ब्योरों का विवरण ।

क.	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी कंपनी का ना	निर्माण मद
1	2	3	4
1.	मै. न्यूट्रीशनल फूड प्राडक्ट्स इंडिया लि., नई दिल्ली	मै. नेसले एस ए स्विट्जरलैण्ड	सोयाबीन पर आधारित उत्पाद
2.	मै रजनीकांत एंड संस डायमंड एंड ज्यूलरी प्राइवेट लिमिटेड ।	मै. जैक रीफ आफ यू एस ए	स्वर्ण आभूषण
3.	मै. इण्डो डेनिस आर्गेनिक प्रा. लि., पटना ।	मै. एलम केमी प्रोडक्शन ए/एस, डेनमार्क	हैड फिलंबर (जैली)
4.	मै. एम. के. टेक्सचराईजिंग इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., बम्बई ।	मै. हेंसचेल एक्सपोर्ट्स जो एम बी एच, जर्मनी	फूड पल्प/ कंसंट्रेट्स/जूस

1	2	3	4
5.	मै. गोइट्जे (इंडिया) लि. नई दिल्ली।	मै. डॉ ग्रागस्ट आइटकेर पश्चिमी जर्मनी	संसाधित अनाज उत्पाद
6.	मै. बी. एक्स एल. इंडिया लि., नई दिल्ली।	मै. सेन्ट्रल सोया फूड प्राडक्ट्स, यू. एस, ए.	सोया खाद्य उत्पाद
7.	मै. सुपीरियर इनवेस्टमेंट (इंडिया) लि., नई दिल्ली।	मै. हेसवेल एक्सपोर्ट्स जी एम बी एच, जर्मनी	अनानास पूरी
8.	मै. जैन रोटफील्ड होटर्स (प्रा.) लि., महाराष्ट्र।	मैं. रोटफिल सर्ल इटली	इलैक्ट्रिक होटर्स
9.	मै. फ्लावर एण्ड वेजिटेबल एक्सपोर्टस कार्पोरेशन नई दिल्ली।	मै. हेजेन, हालैंड	खुम्बियां (मश्रूम्स)
10.	मै. मीरा खाजुरा, नई दिल्ली।	मै. हेजेन हालैण्ड	संसाधित खुम्बियां
11.	मै. जी ए. ए. जब्बार, बंगलौर।	मै. यूनियन नोफ गम्फ, जर्मनी	बटन
12.	मै हिन्दुस्तान नैशनल ग्लास इंडस्ट्रीज लि., कलकत्ता।	मै. वेग्ट्रीपैक लि., स्विटजरलैण्ड	कांच की बोतलें
13.	मै. सजीव मिल्कफूड प्रा. लि., मिर्जापुर।	मै. एम. पी. फूड कंपनी, जापान	प्रान क्रैकर्स/ स्नैक्स
14.	मै. जेमप्लस ज्यूलरी इंडिया प्र. लि. बम्बई।	मै. कटीनेंटल होल्डिंग्स लि., हांगकांग	जड़ाऊ स्वर्ण आभूषण
15.	मै. एडीसन ज्यूलरी प्रा. लि. बम्बई।	मै. काबूशिकी कैशा ओकामात्सन, जापान	जड़ाऊ स्वर्ण आभूषण
16.	मै रसिक लाल हीरालाल एंड क., बम्बई।	मै. सानो ट्रेडिंग कंपनी जापान	जड़ाऊ सादे आभूषण

1	2	3	4
17.	मै. केरल सिरेमिक्स लि., केरल	मै. एडवांस्ड प्रॉजेक्ट टेक्नोलोजी लि., यू. के.	बोन चाइना मिक्सड टेबल वेयर्स
18.	मै. रबीक एक्सपोर्ट्स लि., नई दिल्ली।	मै. एफ बी ए बिजनेस एड्रेस गम्फ, जर्मनी	चमड़े के जूतें
19.	मै. हैदराबाद आल्विन लि., हैदराबाद।	मै. सीको, जापान	मकैनिकल घड़ियां
20.	मै. विश्व इलैक्ट्रोनिक्स (इं.) लि., महाराष्ट्र।	मै. मैगनेटिक मशीनरी लि., हांगकांग	वीडियो आडियो टेपे और कैसेटें
21.	मै. मजिद काकेमुल्ला खां तमिलनाडु।	मै. लैक्टिन स्विस पंचायड, स्विटजरलैंड	हाई प्रोटीन बेस फूड
22.	मै. अरविन्द इलैक्ट्रानिक्स लि., अहमदाबाद।	मै. जे. वी. सी., जापान	विडियो मैग्नेटिक टेप्स एवं विडियो कैसेट्स
23.	मै. अपैल प्रान्त इलैक्ट्रानिक्स लि., आंध्र प्रदेश	मै. ओरिएन्टल प्रिसिजन कं. लि., रिपब्लिक आफ कोरिया	कार्डलेस टेलीफोन्स
24.	मै. हिमाचल वायरलैस लि., शिमला।	मै. विनफेयरे इलैक्ट्रानिक्स कं. हांकांग	कार्डलैस टेलीफोन्स
25.	मै. श्री के. सी. गोयल नई दिल्ली।	मै. जेल मुलसन कं. दक्षिणी कोरिया	स्पेक्टिकल फ्रेमस
26.	मै. एस. आर. एफ. अपलाइन्सेस लि., नई दिल्ली।	मै. सैमसुंग इलैक्ट्रानिक्स कं. लि., दक्षिण कोरिया	प्रोग्रोफिल वाशिंग मशीन
27.	मै. ओशिनिक मैगनेटिक लि., नई दिल्ली।	मै. जेम्स यार्क (होल्डिंग्स) लि., यू. के.	आडियो मैग्नेटिक कैसेट्स
28.	मै. केटी स्विचगियर प्रा. लि.।	मै. थामसन ब्रांट पब्लिक, फ्रांस	आटोमेटिक वाशिंग मशीन
29.	मै. महाराजा	मै. सिल्टल कासा	डोमेस्टिक

1	2	3	4
	इन्टरनेशनल लि., नई दिल्ली।	एस. पी. ए., इटली	रेफोजरेटर्स वाशिंग मशीन
30.	मै. यूनेटिक टैक्नोलाजी प्रा. लि., नई दिल्ली।	मै. सर्विस ग्रुप लि., यू. के.	आटोमेटिक इलैक्ट्रानिकली कंट्रोल्ड वाशिंग मशीन्स।
31.	मै. डा. बैक एंड कं. (आई.) लि., बम्बई।	मै. ए. एस. एफ. लास्को परबान ए. जी. जर्मनी	पेंट्स/ वार्निशिज
32.	मै. कैल्विनेटर्स आफ इंडिया लि., नई दिल्ली।	मै. व्हाईट कसालिडेटिड इंडस्ट्रीज आफ यू. एस. ए.	प्रोग्रामेबल वाशिंग मशीन

विवरण-दो

अप्रैल 1990 से मार्च 1991 तक स्वीकृत किये गये विदेशी सहयोग के मामलों का उद्योगवार ब्योरा दर्शाने वाला विवरण।

क्रमांक	उद्योग का नाम	अप्रैल 1990 से मार्च 1991 तक स्वीकृतियों की संख्या
1	2	3
1.	धातुकर्म उद्योग	24
2,	ईंधन	8
3,	बायलर्स और भाप बनाने वाले संयंत्र	5
4,	प्राइम मूवर्स (बिजली वालों से भिन्न)	4
5,	बिजली के उपकरण	94
6,	दूरसंचार	75
7,	परिवहन	18
8,	औद्योगिक मशीनें	71

1	2	3
9,	मशीन टूल्स	19
10,	कृषि मशीनें	1
11,	मिट्टी हटाने की मशीनें	—
12,	विविध मकैनिकल और इंजीनियरी उद्योग	34
13,	वाणिज्यिक, कार्यालयों संबंधी तथा घरेलू उपकरण	10
14,	मेडिकल और सर्जिकल उपकरण	7
15,	औद्योगिक उपकरण	32
16,	वैज्ञानिक उपकरण	1
17.	गणित संबंधी, सर्वेक्षण संबंधी और ड्राइंग के उपकरण	—
18,	उर्वरक	—
19,	रसायन (उर्वरकों से भिन्न)	65
20,	फोटोग्राफी की रा फिल्में और कागज	—
21,	रंजक सामग्री (डाइस्टफ)	—
22,	औषध और भेषज	1
23,	वस्त्र (रंगे हुए, छपे हुए तथा अन्य प्रकार से संसाधित)	8
24,	कागज उत्पादों सहित कागज और लुगदी	7
25,	चीनी	—
26,	फर्मेंटेशन उद्योग	—
27,	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	5
28,	वनस्पति तेल और वनस्पति	5
29,	साबुन, कास्मेटिक्स और टायलेट का सामान	1
30,	रबड़ का सामान	6
31,	चमड़ा, चमड़े का सामान और पिकर्स	4
32,	गू और जिलाटिन	—
33,	कांच	—
34,	सिरैमिक्स	7

1	2	3
35,	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	3
36,	टिम्बर उत्पाद	—
37,	सेना उद्योग (डिफेंस इण्डस्ट्रीज)	—
38,	सिगरेट	—
39,	परामर्श	11
40,	विविध उद्योग	69
		कुल—640

[हिन्दी]

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को पुनरुज्जीवित करना

281, श्री भोगेन्द्र झा :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में मधुबनी, और ओइनो में स्थापित फल प्रसंस्करण उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने में किन मुख्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) इन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे इन उद्योगों को पुनरुज्जीवित किया जा सके ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सहकारी सेक्टर में इन जिलों में केवल तीन खाद्य प्रसंस्करण यूनिट हैं। वर्ष 1966-67 में स्थापित इन यूनिटों में कभी कोई उत्पादन नहीं हुआ क्योंकि ठेकेदार और संबंधित समितियों के बीच मशीनरी की आपूर्ति को लेकर कोई झगड़ा था और मामला विवाचन में पड़ा था। विवाचन (आर्बिट्रेशन) मामला 1975 तक चलता रहा जिसके कारण समितियाँ वाणिज्यिक उत्पादन नहीं कर सकीं। जब तक मामलों को हल किया गया, समितियों को इसमें रुचि नहीं रही। राज्य सरकार की सिफारिश पर, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने दरभंगा में यूनिट पुनः चालू करने के लिए वर्ष 1976 में 4,80 लाख रु, की पुनर्स्थापन सहायता की स्वीकृति दी। परन्तु राज्य सरकार ने यूनिट को पुनः चालू करने के लिए यह सहायता समिति को रिलीज नहीं की। बाद में यह स्वीकृति रद्द कर दी गई। इसके बाद, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने वर्ष 1982 में बैनो (उइनो) स्थित यूनिट को 4.20 लाख रु. और मधुबनी यूनिट को 4,12 लाख रु, की पुनर्स्थापन सहायता स्वीकृत की। इन मामलों में भी, राज्य सरकार ने पुनर्स्थापन की कोई कार्रवाई नहीं की और इस लिए स्वीकृतियों को रद्द कर दिया गया। अतः इन यूनिटों को पुनः चालू करने में जो मुख्य कठिनाई सामने आ रही है वह संबंधित समितियों और राज्य सरकार द्वारा इनमें कोई रुचि न दिखाना

है। राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषद को अभी तक बिहार सरकार से इन यूनिटों को पुनः चालू करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का भी इन यूनिटों को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव नहीं है।

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड और ठाकुर पेपर मिल्स का पुनरुद्धार

282. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) सरकार द्वारा बिहार के दरभंगा जिले के रामेश्वर नगर में स्थित अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड का पुनरुद्धार करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड के रामेश्वर नगर एकक के पुनरुद्धार में क्या बाधाएं पेश आ रही हैं और इन बाधाओं को कब तक और किस तरीके से दूर करने का प्रस्ताव है; और

(ग) समस्तीपुर स्थित ठाकुर पेपर मिल्स का कब तक पुनरुद्धार हो जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) । (क) और (ख) अशोक पेपर मिल्स लि. (ए. पी. एम.) के दो एकक हैं—एक जोगीघोपा, असम में और दूसरा रामेश्वर नगर, बिहार में। असम एकक मार्च, 1983 से और बिहार एकक सितम्बर, 1982 से बन्द पड़े हैं। अशोक पेपर मिल्स लि. (ए.पी.एम.) ने रुग्ण औद्योगिक कपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के उपबंधों के अधीन औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) को एक आवेदन पत्र दिया था। बी. आई. एफ. आर. की कार्रवाई के दौरान बिहार और असम राज्य सरकारें उन्हें पुनः चालू करने के उद्देश्य से उनके अपने-अपने राज्यों में स्थित दोनों एककों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए सहमत थी। असम राज्य सरकार ने अशोक पेपर मिल्स लि. को असम एकक का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। जहां तक अशोक पेपर मिल्स लि. के रामेश्वर नगर एकक का संबंध है, बिहार सरकार को इस प्रकार की कार्रवाई करनी है।

बिहार सरकार ने अशोक पेपर मिल्स के रामेश्वर नगर एकक का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अध्यादेश जारी करने से पहले अध्यादेश का मसोदा राष्ट्रपति के अनुदेश प्राप्त करने के लिए भेजा था। भारत सरकार की ओर से कुछ विचार/सुझाव बिहार सरकार को उनकी टिप्पणी के लिए भेजे गए हैं, जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है। एकक को पुनः खोलने से संबंधित आगे की कार्रवाई बिहार राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

(ग) मैं. ठाकुर पेपर मिल्स लि. (टी.पी.एम.एल.) मार्च, 1982 से बंद पड़ी है। यह सूचित किया गया है कि एकक को हो रही कठिनाइयां दूर करने के लिए बिहार राज्य सरकार के परामर्श से प्रस्ताव तैयार करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के प्रयास सफल नहीं रहे हैं। मैं. ठाकुर पेपर मिल्स लि. की बन्धक रखी गयी संपत्ति की बिक्री के बारे में 1971 में प्राप्त किए गए आदेश को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. सी. आई.) ने कार्रवाई आरंभ कर दी है।

बिहार में पेट्रो-रसायन परिसर

283. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बरौनी में पेट्रो रसायन परिसर की स्थापना करने के लिये बहुत देर से मांग की जा रही है,

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या इस संबंध में बिहार की राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार को कुछ प्रस्ताव पेश किये थे, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) बिहार राज्य के बेगुसराय जिले में बरौनी नामक स्थान पर एक एरोमेटिक काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए मेसर्स बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. ने सितम्बर, 1984 में आशय पत्र के लिए आवेदन दिया था।

यह आवेदन सरकार द्वारा सितम्बर, 1986 में इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि इस परियोजना के लिए अपेक्षित फीडस्टाक के लिए व्यवस्था नहीं की गई है।

[अनुवाद]

पैगम्बर मोहम्मद साहेब के जन्म दिवस को सरकारी अवकाश घोषित करना।

284. श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैगम्बर मोहम्मद साहेब के जन्म दिवस को वर्ष 1991 के दौरान सरकारी अवकाश घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) :
(क) जी, नहीं।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

उर्वरक उत्पादन एककों की क्षमता का उपयोग

285. श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक उर्वरक उत्पादक एकक की प्रतिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक एकक की और सभी एककों की उपयोग क्षमता का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादन एककों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के सभी उत्पादन एककों की उपयोग क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उत्पादन की एकक लागत और कारखाने से बाहर का मूल्य कितना-कितना था; और

(ङ) इसी अवधि में विदेशों के प्राप्त विभिन्न उर्वरकों का पोत पर्यन्त नि शुल्क मूल्य क्या था ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के लिए सार्वजनिक/सहकारी/निजी क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन एककों की एककवार स्थापित क्षमता और प्रतिशत क्षमता उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) 1990-91 के लिए प्रमुख किस्म के उर्वरकों का औसत प्रतिटन प्रतिधारण मूल्य निवेश पर लाभ और ब्याज के साथ उत्पादन के मानक लागत सहित परन्तु भाड़ा छोड़कर निम्नानुसार है :—

उर्वरक की किस्म	प्रतिटन औसत प्रतिधारण मूल्य (रु.)
यूरिया	3728
अमोनियम सल्फेड	2727
डी ए पी	6037

प्रमुख किस्म की उर्वरकों का कारखाना बाह्य मूल्य निम्नानुसार है :

नाम	अधिकतम विक्रय मूल्य	वितरण का लाभ	कारखाना बाह्य मूल्य
यूरिया	2350	130	2220
अमोनियम सल्फेट	1650	80	1570
डी ए पी	3600	190	3410

(ङ) 1990-91 के दौरान विभिन्न उर्वरकों का प्रतिमीट्रिक औसत ठेका मुक्त पृथक पोत की मूल्य नीचे दिया गया है :—

उर्वरक का नाम	अमरीकी डालर
डी ए पी	172.75
एम ओ पी	100.60
एस ओ पी	180.63
एम पी के	20 .11

1990-91 के दौरान देश मे यूरिया अथवा अमोनियम सल्फेट का आयात नहीं किया गया।

विवरण

नाइट्रोजन

संयंत्र का नाम	31.3.91 की स्थिति के अनुसार स्थापित क्षमता	उत्पादन (0C0 मी. टन.) 1990-91	क्षमता उपयोग 1990-91
1	2	3	4
1(सार्वजनिक क्षेत्र :—			
एफ.सी.आई. :—			
सिन्द्री आधुनिकीकरण	219 0	109.6	50.0
गोरखपुर	131.0	11.5	8.8
रामागुंडम	228.0	36.1	15.8
तालचर	228.0	73.0	32.0
योग एफ सी आई	806.0	230.2	28.6
एच.एफ.सी.एल. :			
नामरूप-I	2C.0	3.6	18.0
नामरूप-II	152.0	67.4	44.3
नामरूप-III	177.0	49.9	28.2
दुर्गापुर	152.0	54.8	22.9
बरौनी	152.0	52.4	34.5
योग एच,एफ.सी,एल,	653,0	208,1	31,9

1	2	3	4
एन,एफ,एल, :—			
नांगल-I	80,0	60,9	76,1
नांगल-II	152.0	134.5	88,5
भटिंडा	235,0	185,9	79,1
पानीपत	235,0	217.4	92,5
विजयपुर	334,3	390,6	116,9
योग एन,एफ,एल,	1036,0	1989,5	95,5
फैक्ट :—			
उद्योग मंडल	78,0	47,6	61,0
कोचीन-I	152,0	103,2	67,9
कोचीन-II	81,0	86,8	107,2
योग फैक्ट	311,0	237,6	76,4

नाइट्रोजन

संयंत्र का नाम	31,3,91 की स्थिति के अनुसार स्थापित क्षमता	उत्पादन (000 मी, टन,) 1990-91	क्षमता उपयोग 1990-91
1	2	3	4
आर,सी,एफ, :—			
ट्राम्बे	90,0	82,6	91,8
ट्राम्बे-4	75,0	55,3	73,7
ट्राम्बे-5	152,0	134,0	88,2
थाल	683,0	637,2	93,3
योग आर,सी,एफ,	1000,0	909,1	90,9
एम एफ एल मद्रास	176,0	127,6	72,5
सेल : राउरकेला	120,0	43,6	56,3
एन, एल, सी, नवेली	70,0	46,9	67,0
पीपीएल : पारादीप	130,0	39,2	45,5

1	2	3	4
उप उत्पाद	30,0	21,4	71,3
योग सार्वजनिक क्षेत्र	4332,0	2973,0	[illegible],3
II (सहकारी क्षेत्र :			
इफको : कलोल	182,0	171,3	94,1
कांडला	120,0	89,9	74,9
फूलपुर	228,0	271,3	119,0
आंवला	334.0	399.4	119.0
योग	864.0	931.9	107.9
कृभको : हजीरा	668.0	790.2	118.3
योग सरकारी क्षेत्र	1532.0	1122.1	112.4
III (निजी क्षेत्र :			
जीएसएफसी : बड़ोदा	236.0	299.1	126.7
सीएफएल : विजाग	84.2	96.9	115.4
एसएफसी : कोटा	152.0	169.8	111.7
आई ई एल : कानपुर	310.0	306.5	98.9
जेड ए सी : गोवा	198.0	208.9	105.5
एसपीआईसी : तूतीकोरीन	312.0	320.4	102.7
एमसीएफ : मंगलौर	181.0	134.7	74.4
इण्डो गैरी इन्दौर नाइट्रोजन	8.0	11.6	14[illegible].0
संयत्र का नाम	31.3.91 की स्थिति के अनुसार स्थापित क्षमता	उत्पादन (.000 मी टन.) 1990-91	% क्षमता उपयोग 1990-91
1	2	3	4
हरि फर्टि. वाराणसी	10.0	0.0	0.0
जीएनएफसी : भड़ोच	273.0	289.1	105.9

1	2	3	4
टीएसी : तुतीकोरीन अल्कली	16.0	7.8	48.8
पीएसएफ : नांगल	16.0	12.5	78.1
एचएलएल : दुर्लिया	29.0	20.0	69.0
आईजीएफसी : जगदीशपुर	334.0	524.4	127.1
बीएसएफसी : सिक्का	59.0	48.6	82.4
बीएफसी : काकीनाडा	54.0	43.8	81.1
उप उत्पाद	12.0	3.9	32.2
योग निजी क्षेत्र	2284.0	2398.0	105.0
योग (IXII×III)	8145 0	6993.1	85.8
फास्फेट			
1 सार्वजनिक क्षेत्र फैक्ट :—			
उद्योग मंडल	37.0	25.1	67.8
कोचीन-II	112.0	95.2	85.0
योग फैक्ट	149.0	120.3	80.7
आर.सी.एफ :—			
ट्राम्बे	45.0	55.5	123.3
ट्राम्बे-4	75·0	55.4	73.9
योग आर सी एफ	120.0	110.9	92.4
एमएफएल : मद्रास	112.0	88.4	78.9
पीपीएल : पारादीप	331.0	151.2	45.7
एचसीएल : खेतरी	30.0	7.6	25.3
पीपीसीएल : अमझोर	42.0	20.9	49.8
एसएसपी यूनिट	35.0	11.6	33.1
योग सार्वजनिक क्षेत्र	819.0	510.9	62.4

फास्फेट

संयंत्र का नाम	31.3.91 की स्थिति के अनुसार स्थापित क्षमता	उत्पादन (.000 मी. टन) 1990-91	% क्षमता उपयोग 1990-91
II सहकारी क्षेत्र :			
इफको । कांडला	309.0	233.1	75.4
III. निजी क्षेत्र :			
जीएसएफसी : बड़ोदा	50.0	91.9	183.8
सीएफएल : विजाग	104.0	101.7	97.8
जेडएसी : गोवा	111.0	75.2	67.7
एसपीआईसी : तूतीकोरिन	101.0	149,0	78,0
एमसीएफ : मंगलौर	63,0	42.3	67,5
ईआईडी पैरी : इन्नोर	10,0	14,3	143,8
जीएमएफसी : भड़ोच×××		4,3	
एचएलएल : हल्दिया	73,0	56,9	69,7
जीएसएफसी : सिक्का	152,0	123,9	81,5
जीएफसी : काकीनाडा	138,0	111,8	81.0
एसएसपी यूनिट	730,0	541,9	74,2
योग निजी क्षेत्र	1622,0	1307,9	80,6
योग (I+II+III)	2750,0	2051,9	74,6

××× परीक्षण उत्पादन को सूचित करना है।

परमाणु विद्युत संयंत्रों का दर्जा बढ़ाना तथा उनकी क्षमता का उपयोग

286. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के परमाणु विद्युत संयंत्रों का एकक-वार वर्तमान संचालित दर्जा क्या है तथा प्रत्येक एकक की स्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) वर्ष 1990-91 तथा वर्ष 1990 के दौरान के यूनिटवार वास्तविक उत्पादन क्षमता स्थापित क्षमता का कितने प्रतिशत रही; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान क्षमता उपयोगिता और उत्पादन कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) इस समय देश में काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

यूनिट	परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा यथा अनुमोदित स्थापित विद्युत क्षमता	वर्ष 1990-91 में क्षमता गुणक (%)
तारापुर परमाणु बिजलीघर-1	160 मेगावाट	67.3
तारापुर परमाणु बिजलीघर-2	160 मेगावाट	68.6
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1	220 मेगावाट	24.4
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2	220 मेगावाट	68.0
मद्रास परमाणु बिजलीघर-1	220 मेगावाट	47.2
मद्रास परमाणु बिजलीघर-2	220 मेगावाट	60.1
नरोला परमाणु बिजलीघर	220 मेगावाट	56.3*

*1.1.1991 से जब नरोला परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट ने वाणिज्यक स्तर पर उत्पादन करना शुरू किया था।

(ग) तारापुर परमाणु बिजलीघर के पहले तथा दूसरे यूनिट और राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट ने अपने 62.8% के मानक विद्युत स्तर से अधिक क्षमता गुणक प्राप्त किए। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट की दक्षिणी एण्ड फील्ड में हुए हल्के पानी के रिसाव को यांत्रिक तरीके से बन्द करने के परिणामस्वरूप परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से सन् 1987 से इस यूनिट के प्रचालन विद्युत स्तर को घटाकर लगभग 160 मेगावाट तक सीमित कर रखा है। एण्ड शील्डों बदलना एक दीर्घावधि परियोजना है और इस यूनिट की निर्धारित क्षमता को घटाकर 100 मेगावाट किया जा रहा है। मद्रास परमाणु बिजलीघर के पहले तथा दूसरे यूनिट दोनों के मॉडरेटर इनलेट मेनीफोल्डों के काम करना बन्द कर देने की समस्या को दूर करने के लिए किए गए अन्तरिक सुधार कार्यों के परिणामस्वरूप परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने वर्ष 1990-91 के दौरान इन यूनिटों का प्रयास इनके पूर्ण विद्युत स्तर के 75% तक सीमित कर दिया है। इन यूनिटों को पुनः इनके सामान्य विद्युत स्तर पर बताने के वास्ते आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नरोला परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट को अपनी किस्म का पहला यूनिट है, के प्रचालन से प्राप्त अनुभव के आधार पर नरोला परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट की विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए समस्याओं को क्रमिक रूप से सुलझाया जा रहा है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर पुनः 200 मेगावाट कर दिया है और मद्रास परमाणु बिजलीघर तथा नरोला परमाणु बिजलीघर के मामले में प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 200 मेगावाट कर दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मासिक स्टाक का किश्तों में क्रय

287. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जो निर्धन लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत महीने भर के लिये अनुमत्य स्टाक को ही एक ही बार में खरीदने में असमर्थ हैं, उन्हें अपने स्टाक अधिकार की चीजों से हाथ धोना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने की इच्छा है जिससे वे किश्तों में स्टाक खरीद सकें ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) उचित दर दुकानों के जरिये उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं देने की आवधिकता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित की जाती है और यह साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक होती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता का ध्यान रखा जाता है।

राशन कार्डों के लिए स्थाई पता देना

288. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राशन कार्डों के दावेदारों द्वारा स्थाई पते दिये जाने पर जोर दिए जाने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक समाज के सबसे नाजुक वर्गों की पहुंच नहीं हो पाती है; और

(ख) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है कि दुर्बलों में दुर्बलतम वर्गों के लोग, जिनमें अन्य स्थानों से आकर मजदूरी करने वाले और फुटपाथों पर रहने वाले वे लोग हो उस सुविधा से वंचित न रह जाएं जो मुख्यतया उन्हीं के लिये उपलब्ध कराई गई है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन, जिसमें राशन कार्डों हेतु पात्रता के लिये मानदण्ड निर्धारित करना शामिल है, के संबंध में निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा है कि वे उन आवासों को, जिन्हें यह सुविधा प्राप्त नहीं है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाएं तथा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में हर परिवार को राशन कार्ड जारी करें।

[हिन्दी]

बिहार में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या

289. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है; और

(ख) सरकार द्वारा इन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्यमन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज): (क) घरेलू उपभोक्ता व्यय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें दौर के अनन्तिम परिणामों के आधार पर वर्ष 1987-88 में बिहार में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 40.8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) कृषि, उद्योग और सेवाओं आदि के जरिए आय और रोजगार सृजन के लिये विकासात्मक प्रयासों के अलावा, गरीबी दूर करने के लिये विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इनमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के विकास के लिये कुछ विशेष कार्यक्रम भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों आदि के मूल्यों को पूर्ववत करना

290. **श्री मान्ये गोवर्धन :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1090 में डीजल, मिट्टी के तेल, नमक और खाद्य तेलों के मूल्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जून, 1991 में इन वस्तुओं के खुदरा मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वस्तुओं के मूल्यों को जुलाई, 1990 के स्तर तक लाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का मूल्यों को पूर्ववत करने का कार्य अक्तूबर, 1991 तक पूरा करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) जुलाई, 1990 में तथा 14 जून, 1991 को (नवीनतम उपलब्ध) डीजल, मिट्टी

के तेल, नमक तथा खाद्य तेलों के औसत खुदरा मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न अनुबंध पर दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार मुद्रास्फीति कम करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक कदम उठाएगी। मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि पर नियन्त्रण करने सरकारी व्यय में किफायत बरतने, अल्प बचत को प्रोत्साहन देने, 'शीघ्र प्रभावित होने वाली वस्तुओं' की बेहतर आपूर्ति और मांग-प्रबंध सुनिश्चित करने, जमाखोरों और मुनाफाखोरी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने तथा इस बीच अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे। आवश्यक वस्तुओं की मूल्य स्थिति की परिवीक्षा करने तथा उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में 13-7-91 को एक मंत्रिमन्डल समिति गठित की गई है। इन उपायों से मूल्यों के बढ़ते रुख पर वांछित प्रभाव पड़ने की आशा है।

विवरण

डीजल, मिट्टी के तेल, नमक और खाद्य तेलों के 27.7.1990 तथा 14.6.1991 को औसत खुदरा मूल्य

मदें	यूनिट	औसत खुदरा मूल्य 27.7.1990	14.6.1991
डीजल	लीटर	4.39	5.40
मिट्टी का तेल	लीटर	2.39	2.97
नमक (साधारण)	किग्रा.	1.04	1.36
मूंगफली का तेल	किग्रा.	32.50	38.81
सरसों का तेल	किग्रा.	29.98	33.13
नारियल का तेल	किग्रा.	41.13	48.91
वनस्पति	किग्रा.	35.98	39.93

स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मन्त्रालय।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिव्यय

291. श्री मान्ये गोवर्धन :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1991-92 के दौरान ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों को लाभान्वित करने हेतु सरकारी क्षेत्रों के कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर होने वाले परिव्यय का 50 % इन्हें आवंटित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना परिव्यय निश्चित किया गया है; और

(ग) इस परिव्यय से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच आर भारद्वाज) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के 1991-92 के अन्तरिम बजट में विनिर्दिष्ट आवंटनों के आधार पर केन्द्रीय योजना के लिए बजट सहायता में ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाले परिव्यय का हिस्सा लगभग 51 प्रतिशत है। जैसा कि अन्तरिम बजट में बताया गया है 1991-92 की केन्द्रीय योजना में 18520 करोड़ रु. की कुल बजट सहायता में से यह लगभग 9450 करोड़ रु. है।

(ग) इस परिव्यय को मुख्य विकास शीर्षों तथा कृषि ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, विद्युत, परिवहन, ग्रामीण उद्योग, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा एवं जल आपूर्ति के अन्तर्गत कार्यक्रमों के लिए रखा गया है।

राष्ट्रीय सुपरकंडक्टिविटी कार्यक्रम

292. श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 'प्रौद्योगिकी के विकास' के सन्दर्भ में राष्ट्रीय सुपर कंडक्टिविटी कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है,

(ख) क्या बिजली पारेषण व्यवस्था में बिजली की हानि को कम करने हेतु एक प्रवाही कंडक्टर का विकास करना भी इस कार्यक्रम का एक अंग है; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय सुपरकंडक्टिविटी कार्यक्रम की आज तक क्या उपलब्धि है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान और प्रौद्योगिक बोर्ड के बारे में सरकार के तारीख 27.2.1991 के संकल्प के अनुसार 'प्रौद्योगिकी के विकास' के सन्दर्भ में राष्ट्रीय अतिचालकता कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

i) उच्च क्वालिटी वाले उच्च तापमान अतिचालकता माल का प्रचुर मात्रा में संश्लेषण।

ii) अतिचालकता माल में से पूर्वगठित/निर्मित वस्तुएं, तार, टेप और केबल तैयार करना।

iii) इलैक्ट्रानिक्स/विद्युतीय अनुप्रयोगों सहित विविध अनुप्रयोगों के लिए अतिचालकता यन्त्रों/उप प्रणालियों/प्रणालियों का विकास/इन्जीनियरी,

iv) औद्योगिक और विद्युतीय अनुप्रयोगों में प्रयोग के लिए प्रोटोटाइप विद्युतीय चुम्बकों का विकास/इन्जीनियरी, और

v) अतिचालकता प्रौद्योगिकी के औद्योगिकीकरण का उन्नयन।

(ख) और (ग) उपर्युक्त प्रमुख उद्देश्यों वाली अलग-अलग परियोजनाओं को समर्थन दिया गया है। अतिचालकता के पावर ट्रांसमिशन अनुप्रयोगों और इस काम के लिए अतिचालकता तारों के विकास के बारे में प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विचार नहीं किया गया है। लाइनों में प्रतिरोधक हानि, कम करके, सुपर कंडक्टर ट्रांसमिशन में होने वाले नुकसानों को कम से कम कर सकते हैं, लेकिन उनके संचालन के लिए निम्नतापिका वातावरण की आवश्यकता होगी और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए हाइ वोल्टेज डायरेक्ट करन्ट ट्रांसमिशन आदि की तुलना में अतिचालकता तारों के तकनीकी-आर्थिक फायदे अभी सिद्ध होने हैं। भारत में राष्ट्रीय अतिचालकता कार्यक्रम में सामान्य प्रयोग के लिये उच्च तापमान अतिचालकता तारों/टेप के विकास के क्षेत्र में कुछेक परियोजनाएं शुरु की गई हैं।

प्रौद्योगिकियों के अन्तरण हेतु विकास के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाएं

239. **श्री भार्गवे गोवर्धन :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौद्योगिकियों के अन्तरण हेतु विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक अनुमोदित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं के परिणामस्वरूप विकसित प्रौद्योगिकियों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसी प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण हेतु प्रत्येक मामले में उद्योग द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पेप्सी परियोजनाओं के सम्बन्ध में सूचना

294. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री 27 फरवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 767 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न पेप्सी परियोजनाओं में जाकर वर्तमान स्थिति का आकलन करने हेतु गठित दल ने अब तक मैसर्स पेप्सी फूड्स से तथ्य और सूचनायें एकत्र कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी देरी के क्या कारण हैं और इसे शीघ्र करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) दल ने मैं. पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की दिसम्बर, 90 तक की स्थिति के बारे में अब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया है कि:—

(1) कम्पनी ने पंजाब में आलू/खाद्यान्न प्रसंस्करण, मृदु पेय सांद्रण और फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिट स्थापित किए हैं।

(2) कम्पनी ने टमाटर के पौधे उगाने के लिए पोलिथिन आवरणों के नीचे आरक्षित नर्सरी के विकास और 'ड्रोप चिसलिंग टैकनीक' अपनाकर अच्छी किस्म के अधिक पैदावार देने वाले वर्ण-संकर टमाटरों को उगाने में किसानों को प्रोत्साहित करने के भी कदम उठाए हैं।

(3) ऊर्जा की बचत करने वाली अविस्तारस प्रक्रिया के साथ सेब रस सांद्रण, नाशपाती सांद्रण और सांद्रण तैयार करने के लिए उपस्करों का आयात/चालू नहीं किया गया है।

(4) मृदु पेय सांद्रण के बिक्री कारोबार में स्पष्ट रूप से कमी आई है।

(5) पेप्सी परियोजना के अधीन तीन यूनिटों, जिनके लिए आशय पत्र/विदेशी सहयोग की स्वीकृति दी गई थी, में तैयार किये गये अपने उत्पादों अर्थात् फल एवं सब्जी उत्पादों, प्रसंस्कृत आलू/खाद्यान्न उत्पादों और मृदु पेय सांद्रण का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भण्डार में छुट्टी

295. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार शाखाओं की तुलना में केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं में अधिक छुट्टियां रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं में अक्सर छुट्टी रहने से उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए सुपर बाजार और केन्द्रीय भन्डार की शाखाओं के काम करने का समय और कार्य दिवस समान करने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय भण्डार तथा सुपर बाजार दो पृथक संगठन हैं जिनके कार्य घण्टों तथा छुट्टियों से सम्बन्धित अपनी अलग-अलग नीतियां है।

(ग) इस स्तर पर दोनों संगठनों के कार्य घंटों तथा कार्य दिवसों को एक समान करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

सरकारी कर्मचारियों को एल. टी. सी. की सुविधा

296. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या प्रधान मन्त्री 22 फरवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 297 के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले एल. टी. सी. की सुविधा पर लगा प्रतिबन्ध हटा दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इसे कब तक हटाया जाएगा;

(ग) क्या चार वर्षों के बजाय 1986-89 के लिए दी जाने वाली एल. टी. सी. की सुविधा जिसे जून, 1991 तक बढ़ाया गया था, को अब सितम्बर, 1991 तक बढ़ा दिया गया है; और

(घ) कर्मचारियों की यात्रा को सुविधाजनक, उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए पर्यटन स्थलों पर क्या सुविधाय देने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, हां।

(घ) छुट्टी यात्रा रियायत पर कुछ पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध है।—

(i) पर्यटन विभाग, यात्री निवास, यात्रिकाएं, पर्यटन बंगले तथा फोरेस्ट लाज जैसे कम खर्च वाले आवास स्थानों के निर्माण में राज्य सरकारों की मदद करता है। सामान्यतः ये पर्यटक की रुचि वाले स्थानों पर बनाये जाते है।

(ii) भारत सरकार का उपक्रम, भारत पर्यटन विकास निगम (आई. टी. डी. सी.) चुनिंदा स्थानो की यात्रा के लिए रियायती दरों पर छुट्टी यात्रा रियायत पैकेज की व्यवस्था करता है।

(iii) भारत पर्यटन विकास निगम (आई. टी. डी. सी.) अनुरोध किये जाने पर सस्ते भोजन की व्यवस्था करता है।

भारत पर्यटन विकास निगम (आई. टी. डी. सी.) द्वारा दी गई रियायतें दिनांक 1-3-91 से 15-10-91 तक प्रभावी हैं।

'टेनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड' के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें

297. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'टेनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड' के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ वित्तीय और अन्य प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाई की गई ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) शिकायतें मुख्यतः इमारतों के अनावश्यक तोड़फोड़, घटिया किस्म के कच्चे माल की खरीद, आनुषंगिक इकाइयों से मदों की खरीद में अनियमितताओं, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक के कार्यकाल में उत्पादन में कमी, उसी अवधि के दौरान घाटे में वृद्धि, तुलन-पत्र बनाने के लिए खर्च में वृद्धि, मोटर वाहनों के दुरुपयोग इत्यादि के बारे में है। इन शिकायतों में से कुछ की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने की हैं जिसने दो मामलों में सम्बन्धित अधिकारियों को 'मेजर पेनल्टी' लगाये जाने के लिए विभागीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया है :

इन मामलों मे कार्यवाही प्रक्रियानुसार की जाएगी। तीसरे मामले में, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार-निरोध, लखनऊ के समक्ष अभियोजन प्रस्तुत किया गया है।

रुग्ण औद्योगिक इकाइयां

298. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी छोटी, बड़ी तथा नन्हीं औद्योगिक इकाइयों जिन्हें रुग्ण घोषित किया गया है या जिन्होंने काम करना बन्द कर दिया है, की अब तक की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) उनकी रुग्णता के क्या कारण हैं और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाऐ है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) बैंकों से सहायता पाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई रुग्णता की परिभाषा के अनुसार एकत्र किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दिसम्बर, 1988 के अंत में लघु उद्योग तथा गैर लघु-उद्योग वर्ग के अधीन लघु, मझोले तथा बड़े आकार के रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। अति लघु एककों से संबंधित सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ख) औद्योगिक रुग्णता के लिए प्रायः साथ-साथ होने वाले आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के कई कारण उत्तरदाई है। त्रुटिपूर्ण योजना, प्रबन्धकीय कमियां, अकुशल वित्तीय नियन्त्रण, स्रोतों का दिशांतरण, अनुसंधान तथा विकास पर अपर्याप्त ध्यान, प्रौद्योगिकी व मशीनों का पुराना हो जाना, घटिया औद्योगिक संबंध, मांग पर्याप्त न होना, कच्चे माल व अन्य निविष्टियों की कमी तथा अवस्थापना सम्बन्धी बाधाएं, इत्यादि कुछ मुख्य कारण हैं।

रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनर्जीवित करने के लिये भारत सरकार ने कई उपाय किए हैं। वे हैं।

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् 'रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध अधिनियम, 1985' बनाया है। इस अधिनियम के अधीन 'औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य रुग्ण

औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरु कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारम्भिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिये पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिये पुनः स्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रुग्ण इकाइयों की पुनः स्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एवं रियायतों को स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) लघु क्षेत्र में रुग्णता कम करने के लिये राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक 'सीमांत धन योजना' शुरु की है। इस उदारीकृत योजना के अन्तर्गत पुनः स्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000/- रु. से बढ़ाकर 50,000/- रु. कर दिया गया है।

(6) कमजोर एककों के लिये एक उत्पाद कर राहत योजना की भी घोषणा की गई है। यह योजना किसी भी ऐसे एकक के लिये लागू होगी जिसमें किन्हीं पांच लेखा वर्षों में उनका अधिकतम निवल मूल्य संचित हानियों के कारण 0% अथवा इससे अधिक कम हो गया हो। उक्त एकक की पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण अथवा दिशान्तरणपैकेज नामजद वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिये। पात्र एकक ब्याज मुक्त ऋण का पात्र होगा जिसके लिये तीन वर्ष की राहत अवधि मिलेगी और इसे 7 वर्षों के भीतर वापस करना होगा जो योजना के अनुमोदन के बाद के 3 वर्षों के लिये वास्तविक उत्पाद भुगतान का 50 प्रतिशत होगा। 'उत्पाद ऋण' के रूप में दी जाने वाली कुल राशि पुनस्थापना आधुनिकीकरण/दिशान्तर की कुल लागत से 25% से अधिक नहीं होगी।

(7) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिये शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिये पिछले वर्ष अप्रैल में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इस बैंक की प्राधिकृत पूंजी 250 करोड़ रु होगी और यह आई डी बी आई द्वारा दी जाएगी।

विवरण

दिसम्बर, 1988 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार गैर-लघु उद्योग तथा लघु उद्योग वर्ग के रुग्ण औद्योगिक एककों का राज्यवार वर्गीकरण।

क्र. सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गैर-लघु उद्योग वर्ग के रुग्ण एककों की संख्या	लघु उद्योग वर्ग के रुग्ण एककों की संख्या
1	2	3	4
1.	असम	4	11,642

1	2	3	4
2.	मेघालय	1	622
3.	बिहार	33	15,670
4.	मिजोरम	—	151
5.	अरुणाचल प्रदेश	1	20
6.	पश्चिम बंगाल	174	22,370
7.	नागालैंड	—	500
8.	मणिपुर	—	1,258
9.	उड़ीसा	13	8,858
10.	सिक्किम	—	70
11.	त्रिपुरा	—	790
12.	उत्तर प्रदेश	73	23,806
13.	दिल्ली	28	3,777
14.	पंजाब	22	3,814
15.	हरियाणा	36	2,580
16.	चंडीगढ़	24	277
17-	जम्मू एवं कश्मीर	1	2,690
18.	हिमाचल प्रदेश	10	960
19.	राजस्थान	45	11,063
20.	गुजरात	140	5,601
21.	महाराष्ट्र	275	19,582
22	गोआ	13	824
23.	दमन तथा दीव	—	33
24	दादरा तथा नगर हवेली	1	4
25.	मध्य प्रदेश	40	14,292
26	आन्ध्र प्रदेश	90	25,234
27.	कर्नाटक	69	10,010
28.	तमिलनाडु	112	35,032

1	2	3	4
29.	केरल	33	2 ,735
30.	पांडिचेरी	3	308
	योग :	1,241	2,40,572

सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1991 का रद्द किया जाना

299. श्री मदन लाल खुराना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1991 को कतिपय प्रश्न पत्रों का परीक्षा पूर्व पता लग जाने के कारण रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1991 को आयोजित करने हेतु नई तिथियां घोषित कर दी गई हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) नई परीक्षा शीघ्र ही आयोजित की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा-समय पर विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा किये जाने की आशा है।

(ग) परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा करने में देरी निम्नलिखित कारणों से हुई है :—

(i) प्रश्न पत्रों के लीक (पता लग जाना) होने के स्रोत का पता लगाना तथा इस संबंध में उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता।

(ii) परीक्षा को नये सिरे से आयोजित किये जाने के लिए क्रियाविधि तथा संभार तन्त्र सम्बन्धी अपेक्षाएं।

[हिन्दी]

दिल्ली में जाली राशन कार्ड

300. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार द्वारा जाली राशन कार्ड बनाये जाने के विरुद्ध कड़े नियमों के बावजूद दिल्ली में बड़ी संख्या में जाली राशन कार्डों का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में जाली राशन कार्डों/बढ़ाई गई इकाइयों के मौजूद होने तथा इस्तेमाल में लाये जाने के मामले सरकार की जानकारी में आये हैं। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जाली राशन कार्डों की छंटाई करने तथा बढ़ाई गई इकाइयों को समाप्त करने के लिए नियमित अभियान चलाता है। 1991 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) के दौरान 271 जाली राशन कार्ड पकड़े गये थे।

[अनुवाद]

विदेशी पूंजी-निवेश

301. श्री प्रकाश वो. पाटिल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1989 की तुलना में 1990 के अन्त में विदेशी पूंजी-निवेश में कितने प्रतिशत गिरावट आई;

(ख) किन-किन देशों के पूंजी-निवेश में गिरावट आई है तथा प्रत्येक मामले में कितने प्रतिशत गिरावट आई है और इसके क्या कारण हैं।

(ग) विदेशी पूंजी-निवेश में इस गिरावट का विभिन्न परियोजनाओं पर कुल क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। विदेशी निवेश के साथ अनुमोदित विदेशी सहयोग की संख्या 1990 में वही है जो 1989 में थी अर्थात प्रत्येक वर्ष 1941, 1989 में अनुमोदित विदेशी निवेश की मात्रा में तीव्र वृद्धि एक बड़ी परियोजना के कारण है। 1990 में अनुमोदित विदेशी निवेश में गिरावट के अन्य कारणों में बाहरी कारक जैसे विश्व की आर्थिक स्थिति, खाड़ी संकट इत्यादि हो सकते हैं।

(ग) और (घ) अनुमोदित परियोजनाओं में विदेशी निवेश के प्रवाह पर कोई विपरीत प्रभाव दिखाई नहीं देता है।

विवरण

वर्ष 1989 तथा 1990 के दौरान अनुमोदित विदेशी निवेश की राशि का विवरण

क्रम सं.	देश का नाम	1989 (रु. लाख में)	1990	वर्ष 1989 तथा 1990 के बीच अनुमोदित निवेश में वृद्धि (+) अथवा कमी (—) राशि (रु. लाख)	प्रतिशत (%)
1	2	3	4	5	6
1.	आस्ट्रेलिया	300.00	62.80	—237.20	—79.06
2.	आस्ट्रिया	52.00	74.35	+22.35	+42.98
3.	बेल्जियम	32.52	—	—32.52	—100.00
4.	ब्राजील	—	7.98	+7.98	संकलन के लिए नहीं है।
5.	कनाडा	117.00	66.00	—51.00	—43.59
6.	चेकोस्लोवाकिया	139.00	—	—139.00	—100.00
7.	डेनमार्क	980.00	272.32	—707.68	—72.21

8.	चीन	20.00	—	—20.00	—100.00
9.	एफ. आर. जी.	12032.85	1951.22	—10081.63	—83.78
10.	फिनलैंड	105.50	56.66	—48.84	—46.29
11.	फ्रांस	845.69	888.00	+42.31	+5.00
12.	ग्रीस	8.00	—	—8.00	—100.00
13.	हांगकांग	110.25	115.00	+4.75	+4.31%
14.	इटली	690.44	682.74	—7.70	1.11%
15.	जापान	877.93	500.15	—377.78	—43.03%
16.	कोरिया (दक्षिण)	33.75	706.24	+672.49	1992.56%
17.	कुवैत	285.00	—	—285.00	– 100%
18.	मलेशिया	—	12.50	+12.50	
19.	मैक्सिको	257.25	—	—257.25	—100%
20.	नीदरलैंड	230.56	376.61	+146.05	+63.35%
21.	नार्वे	338.50	4.00	—334.50	—98.82%
22.	पोलैंड	33.00	—	—33.00	—100%
23.	सिंगापुर	348.68	—	—348.68	—100%
24.	स्वीडन	416.80	33.82	—382.98	—91.88%
25.	स्विटजरलैंड	774.26	1350.70	+576.44	—74.45

1	2	3	4	5	6
26.	ताइवान	—	—64.18	+64.18	संकलन के लिए नहीं है।
27.	यू. के.	3346.14	906.70	—2439.44	—72.90%
28.	यू. एस. ए.	6215.59	3448.24	—2767.35	—44.52%
29.	यू. एस. एस. आर.	958.00	710.80	—247.20	—25.80%
30.	एस. आर. आई.	2117.76	524.88	—1592.87	—75.21%
31.	थाइलैंड	—	16.25	+16.25	संकलन के लिए नहीं है।
	योग :	31666.56	12832.14	—18834.42	—59.48 प्रतिशत

[अनुवाद]

12.00 मध्याह्न

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में चावल की अनुपलब्धता के कारण स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। चावल का मूल्य इतना अधिक है कि गरीब लोग खुले बाजार से चावल नहीं खरीद सकते हैं। साधारण चावल का मूल्य 5.50 रुपये अथवा 6.00 रुपये प्रति किलो है तथा अच्छे चावल का मूल्य 6.00 रुपये अथवा 6.50 रुपये प्रति किलो है। उचित मूल्य की दुकानों पर चावल उपलब्ध नहीं है। यद्यपि लोगों के पास पैसा है परन्तु उन्हें चावल मिल नहीं रहा है क्योंकि चावल उपलब्ध नहीं है।

श्री कोटगिरी विद्याधर राव मारुडे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बात इस सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि आन्ध्र प्रदेश में तथा देश के अन्य भागों के किसानों को उर्वरकों की कमी के कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उर्वरकों की बिक्री निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर की जा रही है क्योंकि वितरक अत्यधिक लाभ कमाना चाहते हैं। यह आने वाले बजट के कारण हो सकता है, जिसके बाद वे मूल्यों में वृद्धि कर सकते हैं।

अब खेती संबंधी कार्य देश भर में तेजी से चल रहा है क्योंकि मानसून आ चुका है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह उर्वरकों की जमाखोरी रोकने के लिये आवश्यक कदम उठायें तथा सभी किसानों को नियन्त्रित मूल्य पर तथा पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराये।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही दर्द के साथ आपके माध्यम से सारे सदन के सामने रखने जा रहा हूँ। हमारे संविधान के मुताबिक मतदान का अधिकार सबको है और गत 12 जून, को जिस क्षेत्र से मैं आया हूं सात व्यक्ति सिर्फ मतदान का अधिकार अमल में लाने के जुर्म में गोलियों से मार दिए गए। अलग-अलग बूथों पर सात व्यक्ति मारे गए। एक पुत्र मारा गया, निसारुल हक, 21 वर्ष का' उसका पिता अब्दुल लतीफ जब उसको बचाने के लिए आया उस मतदान केन्द्र पर, तो उसको भी मार दिया गया। वहीं बगल के बूथ पर मोहम्मद तौफीद मारा गया. उसके बगल के बूथ पर रामाशीष ठाकुर मारा गया। इसी तरह से एक बूथ पर टीपू दास मारा गया और बेनीपट्टी चांदपुरा में राईस राईन मारा गया। इसी तरह से मोहम्मद मोहिद नयाबाद में मारा गया। इस तरह से सात लोगों की हत्याएं हुई है। इन सात की हत्या की और सातों खेत मजदूर परिवार के है। उनमें से छः के घर में कोई दूसरा बालिग मर्द नहीं है, सभी नाबालिग बच्चे हैं। एक घर में दो-छो बेवा है। मैं मुकदमे की बात नहीं कर रहा हूँ। कई मुजरिम अभी तक भागे हुए हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि इस जुर्म के जो मुजरिम है, उनकी बात अलग है, कोई दो गुटों में झगड़ा नहीं था, जाहरी दुश्मनी भी नहीं थी, न हो यह था कि हमारी तरफ से पटाखे का भी इस्तेमाल हुआ हो। यह मैंने जरूर कहा था कि रक्षा के लिए डन्डे का इस्तेमाल करो।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आपको बहुत संक्षेप में बोलना पड़ेगा। आप विस्तार में न जाइये।

श्री भोगेंद्र झा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि उस परिवारों के लिए राहत का इन्तजाम करें। जो पांच अकलियत के है और दो हरिजन और कमजोर तबके के हैं, निर्धन तो सभी हैं, मेरा आग्रह यह है विधि मंत्री और गृह मंत्री से कि चुनाव के मामले में एक तरफा हमला मतदान केन्द्रों पर हो, ऐसे मामले में सदन क्या करता है और देश क्या करता हैं। अगर कोई अड़ता है कि हम मतदान केन्द्र नहीं छोड़ेंगे, इसी जुर्म में हत्या हो और आधे बिहार के मुजरिम जो नामी हैं हमारे यहां आ गए थे 12 जून को।

अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य, आप बहुत लम्बा कर रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए से मैंने वहां राहत के लिए। विधि मंत्री और गृह मंत्री इनकी जांच करें कि ऐसे जुर्म के लिए और क्या दण्ड वे दे सकते हैं जिन्होंने किया और कराया। जो मुजरिम थे वे छूटे घूम रहे हैं।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां भी इसी तरह की बात हुई है। आतंकवादियों द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पांच लोगों की हत्या की गयी। हमारी कांस्टीच्यूएंसी में जो इस्लामपुर का इलाका है वहां खरजमा और सोहजन्ना में एक आदमी को मार कर उसके शरीर को काट कर उन्होंने खलिहान और मकान में लगायी गयी आग में डाल दिया और दर्जनों जो गांव हैं उन्हें लूट लिया। करीब-करीब 40-50 खलिहानों में आग लगायी गयी और यह काम ऐसे लोगों ने किया जिनकी हत्या करने की राजनीति है। बिहार में आई पी.एफ. के लोगों ने ऐसा किया है। हम गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृषित करना चाहते है कि इस मामले की वे देखें और जो लोग मर गए है जिनके मकान जल गए हैं, जिनके घर लूट लिए गए हैं उनको पर्याप्त रूप में आर्थिक मुआवजा दिया जाए।

श्री सुखराम (मंडी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मण्डी जिले के सरकाघाट तहसील सब-डिवीजन में मेट्रों एन्ट्राइसिस नाम की बीमारी, जिसने महामारी का रूप धारण कर रखा है, से पिछले एक महीने से तकरीबन 5500 से ज्यादा लोग बीमार पड़ें और कल तक की जो मेरी सूचना है, 70 आदमियों की मृत्यु हो गयी है। वहां पर गन्दा पानी पीने की वजह से बीमारी फैली है। पानी का जो ऐनेलाइसिस किया उसमें 30 प्रति मिलियन के हिसाब से बैकटोरिया है, जबकि परमिलियस 10 मिलियन है। इसका कोई इन्तजाम प्रान्तीय सरकार ने नहीं किया। मैंने कुछ दिन पहले जब उस क्षेत्र का भ्रमण किया तो बहुत लोग सीरियस कंडीशन में थे। उनको सिविल अस्पताल मण्डी के लिए रैफर किया गया था। उनको गाड़ी तक सरकार ने मुहैया नहीं की। वहां पर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि 10 हजार रुपये मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, मगर वे 10 हजार से एक हजार पर आए। लेकिन एक हजार भी नहीं दिया, अब 500 पर आए है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस सारे सब-डिवीजन में करीबन 300 गांव हैं और 104 गांवों में यह महामारी फैली हुई है। प्रान्तीय सरकार बिलकुल फेल हुई है। दवाइयों का इन्तजाम नहीं है और एम्बूलेंस का इन्तजाम नहीं है। वहां पर जो एडीशनल डांक्टर और स्टाफ भेजना था, उसका इन्तजाम नहीं है। लोगों में भय और आतंक फैला हुआ है। मैं केन्द्रीय सरकार से और गृह मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हू कि वहां पर एक्सपर्ट टीम भेजी जाए। सैकड़ों लोग बीमार है और

कहीं-कहीं बिस्तरों में तीन-तीन मरीज पड़े हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की कमजोरी की वजह से और उनकी नैगलीजेंस की वजह से लोग मरे हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकार को डायरेक्शन दी जाए कि करीब एक लाख रुपया मृतक परिवार को मुआवजा दिया जाए और सारा इन्तजाम किया जाए और एक्सपर्ट टीम भेजी जाए ताकि वहां पर बीमारी की रोकथाम हो सके। प्रान्तीय सरकार इस मामले पर बिल्कुल फेल हुई है। इसी के साथ प्रो. धुमल का जो क्षेत्र है उसमें भी वह बीमारी फैली हुई है। अगर हिसाब किया जाए तो एक सौ से ज्यादा लोग मरे हैं। मुख्य मन्त्री दो दिन पहले गये थे। ...(व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हू कि केन्द्र सरकार इसका इन्तजाम करे।

प्रो प्रेम धुमाल : अध्यक्ष जी, मेरा नाम लिया गया है। अभी मैं प्रधान मन्त्री जी से मिल कर आया हूं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : मैं सरकार का ध्यान असम में बाढ़ की स्थिति पर दिलाना चाहूंगा. इससे असम में त्राहि-त्राहि मच गयी है। अनेक लोग मारे गये हैं तथा हजारों बेघर हो गये हैं। अनेक लोग राहत शिविरों तथा ऊचे स्थानों पर शरण लिये हुये हैं। अनेक हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि नष्ट हो गयी है। विशेषरूप से असम में कृषि कार्य प्रभावित हुआ है; जहां पर इस समय धान की बोआई चल रही है। उनकी बड़ी खराब स्थिति है। फालतू जानवर बह गये हैं तथा छोटे-छोटे पौधे नष्ट हो गये हैं। अतः मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि राहत तथा पुनर्वास उपाय तेज किया जाये, तथा बाढ़ पीड़ितों के लिये विभिन्न सुविधायें भी प्रदान की जायें। मैं इस बात पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बाढ़ के कारण भारी संख्या में भूमि कटाव हो गया है तथा बड़ा नदी द्वीप मजूली बह जाने के खतरे में है। इसी प्रकार दक्षिणी सलमारा क्षेत्र भी बह जाने के खतरे में है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेनन करता हूं कि राहत तथा पुनर्वास उपायों को ठीक प्रकार से लागू किया जाना चाहिये।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि दीर्घावधि की परियोजनायें तथा योजनायें तैयार की जायें जिससे असम में बाढ़ को रोका जा सके तथा भूमि कटाव का रोका जा सके ताकि वहां के लोगों को बचाया जा सके तथा वहां की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने एक बहुत ही गम्भीर और सनसनी खबर के विरुद्ध सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज एक प्रमुख अखबार में एक खबर छपी है। यह बहुत ही चिंताजनक है।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है : "नेताओं के विरुद्ध षडयन्त्र सामने आया।" "कुछ अधिकारिक सूत्रों के अनुसार सम्पूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व जिसमें श्री राजीव गांधी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा अनेक

मुख्य मंत्री एवं राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता सम्मिलित है। को हटाने के लिये एक जबर्दस्त षडयन्त्र रचा गया था। इसका पता पिछले सितम्बर में राष्ट्रीय एकता परिषद के दौरान लगा था जिसकी जानकारी अब सामने आयी है।

यदि यह योजना सफल हो गयी होती तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री राजीव गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री श्री ज्योति बसु सहित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्षस्थ नेता, जनता दल सहित राष्ट्रीय मोर्चे के नेता तथा उनके सहयोगी दलों के नेता, तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री एम. करूणानिधि अन्य लोगों के अलावा अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की प्रमुख सुश्री जय-ललिता सहित देश के शीर्षस्थ नेताओं का अन्त हो गया होता।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यह जो खबर आज प्रमुख अखबार में छपी है यह चिन्ताजनक ही नहीं है, बहुत खतरनाक रिपोर्ट है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सितम्बर महीने में यह चीज तमिलनाडू सरकार का पता लगी, क्योंकि यह पी.टी.आई. ने तमिलनाडु से दी है। सारा सदन इसके बारे में चिन्तित होगा कि भारत सरकार को इस प्लाट के बारे मेंहता था सितम्बर के महीने में और केन्द्र सरकार में जिस दल की सरकार थी, राज्य में जो सरकार थी तो यह मामला केन्द्र सरकार के गृह विभाग के सामने आना चाहिए था और उसे सावधान होना चाहिए था। आपको भी चिन्ता होगी कि सितम्बर महीनेमें इस प्लाट के बारे में केन्द्र सरकार को पता होता तो शायद राजीव गांधी जी बच जाते। मैं आज मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं अर्जुन सिंह जी यहां बैठें हैं इस बारे में सरकार एक स्वेत पत्र निकाले और आज सदन को विश्वास में ले कि इस बारे में क्या तथ्य है। अर्जुन सिंह जी बैठें हैं वे कुछ कहें, क्योंकि यह गम्भीर सवाल है।

अनुवाद

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय यह एक गम्भीर मामला है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय मैं माननीय सदस्य की चिंता में सम्मिलित हूं तथा मैं माननीय गृह मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष जी, 15 जुलाई को एक प्रमुख अखबार के मुख्य पृष्ठ पर ऐसी खबर छपी है जिसके कारण देश को करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है। सेना में लड़ने वाले मारे सैनिकों के परिवारों को हल्की प्रकार की दवाइयां देने का एक स्कैन्डल इस अख-बार में मुख्य पृष्ठ पर छपा है।

अनुवाद

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप मे बताए आपको सिर्फ समाचार पत्रों में छपी बातों पर

निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि आपको यह कहने की स्थिति में होना चाहिए कि स्थिति इस प्रकार है।

हिन्दी

श्री हरिन पाठक : मैं इसलिए मांग करता हू कि इसकी जांच की जाये। इसके अन्दर फाइल नम्बर और सर्कुलर नम्बर दिये हैं। जो दवायें नागरिक तथा रक्षा विभाग की सप्लाई होती है उसमें कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी मिली भगत कुछ दवायें बनाने वालो से है और उन्होंने एकाधिकार स्थापित करके ऊंची कीमत पर टेण्डर को मंजूर कराकर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत देकर विभाग को दवाइयां खरीदने पर मजबूर किया। डी.जी.एस.एन.डी. और डी.जी.क्यू.ए. के इन अधिकारियों से मिलकर 160 दवाइयां बनाने वाली कम्पनीज का डी- रजिस्टेशन कर दिया और उनकी मान्यता रद्द कर दी। जबकि डी,जी,एस,एन,डी और डी,जी,क्यू,ए, इनके पास ऐसी कोई रास्ता नहीं है कि वह 160 कम्पनीज की मान्यता रद्द कर दे। सचिव आपूर्ति और संयुक्त सचिव सप्लाई इन्होने अपने नोट में उसका विरोध किया है। मैं उस नोटिंग को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हू.

अनुवाद

अध्यक्ष महोदय : आप इस ढंग से उस नोटिस को नहीं पढ़ सकते हैं। मैं आपको इस प्रकार का पूर्वोदाहरण स्थापित करने नहीं दूगा आपको संक्षेप में बाते करनी होगी। आप कह सकते हैं कि समाचार पत्र में ऐसा छपा है

श्री हरिन पाठक : महोदय मेरे पास यह फाइल सं है। विभागीय परिपत्र संख्या 11010

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे सत्यापित करेंगे।

श्री हरिन पाठक : मैं इस कागज को संबंधित मंत्रीं को भेज रहा हूं, मैं चाहता हूँ कि इस मामले पर एक जांच की जानी चाहिए ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। यदि आप कोई कागजात पढ़ते हैं तो आपको कहना होगा कि यह सही है।

श्री हरिन पाठक : महोदय सौभाग्यवश यह समाचार पत्र में छपा था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कहते हैं यह सही है ?

श्री हरिन पाठक : मैं नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूं कि यह पता लगाने के लिए इस मामले की जांच की जानी चाहिए कि वे शामिल है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। आप कृपया कागजात न पढ़े। कृपया इसका सार बताएं।

श्री हरिन पाठक : मेरी मांग यह है । इस विशेष मामले की जांच की जानी चाहिए ताकि पता लगे कि वे लोग है या नहीं ।

[हिन्दी]

मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमे कौन मिले हुए है ।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात को उद्घाटित करना चाहता हूं । गढ़ मुक्तेश्वर में 86 गायें पकड़ने के बाद और बुलन्दशहर में गौ-मांस पकड़े जाने के बाद भी दोनों वक्त दिल्ली स्थित साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में गौ भेजी जा रही हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद में अरहिन्त कम्पनी के नाम से प्रमिला मरवाह नाम की एक महिला ने भैंस के मांस के लिए उसे निर्यात करने हेतु परमिट लिया था लेकिन वह कम्पनी वर्षो से लिंक रोड पुलिस की सांठ-गांठ से लगातार गौ मांस का निर्यात विदेशों को करती रही । मेरा निवेदन यह है कि उक्त कम्पनी का जब पता लगा तो दिल्ली के उच्चाधिकारियों ने कल निर्देश दिया । लिंक रोड पुलिस स्टेशन पर 24 व्यक्ति पकड़े गये है जिनमें प्रमिला मरवाह उसकी मुख्य मुलजिम है । उन 24 व्यक्तियों के पकड़ जाने के बाद भी आज पुलिस पर जो उच्च-स्तरीय दबाव प्रारम्भ हो गया है, मुझे भय है कि इस उच्च-स्तरीय दबाव के कारण जिस प्रकार से कुछ साल पहले गा म गौ को चर्बी मिलाने वाले व्यक्ति को वंचित किया गया था या निरपराध छोड़ दिया गया था, अब भी वैसा हो सकता है । इसलिए मेरा इस सदन के माध्यम से इस आधार पर निवेदन है कि गौ-मांस का निर्यात करने वाली कम्पनी का निर्यात लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाये और 24 व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाये ।

श्री सूरज मण्डल (गाड्डा) : अध्यक्ष महोदय, रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन बन्द होने की स्थिति में आ गया है । विश्व बैंक ने पी. टी. आई. के माध्यम से एक लोकल अखबार "प्रभात" में यह रिपोर्ट छपी है कि कोल इण्डिया ने जो आर्डर लिया था, एच. ई. सी. से, उनके आर्डर को रद्द कर दें । इसलिए कि एम. सी. डब्ल्यू. जो उनका क्षेत्र है, कोल कम्पनी ने उनमें भी 18 महीने विलम्ब से एच. ई. सी. द्वारा आर्डर पर सप्लाई किया था ।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से एच. ई. सी. का 12.87 करोड़ डालर का जो आर्डर था, वह खत्म हो जाएगा और एच. ई. सी. ट्राइबल एरिया में होने पर वहां के लोगों को जो रोजगार मिलता है, उससे वे लोग वंचित हो जायेंगे । यह क्षेत्र झारखंड इलाके की दूसरी राजधानी है । इस स्थिति में हम सरकार से कहेंगे कि एच. ई. सी. बार-बार बंद होने की स्थिति में आ जाती है, सरकार उसको बंद न होने दें ताकि लोग भुखमरी का शिकार होकर न मरें । वैसे विश्व बैंक ने कोल इण्डिया को भी हिदायत दी है । इस संबंध में इस्पात मंत्रालय तुरन्त इस पर कार्रवाई करे ताकि एच. ई. सी. बन्द न होने पाये । मैं इस विषय को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना अमृतसर, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में बोल सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी,···(व्यवधान)···अध्यक्ष जी, इस सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि इंडियन आयल कारपोरेशन के कार्यकारी निदेशक श्री दोरईस्वामी के बारे में जानकारी बहुत शीघ्र हो दी जायेगी। देश की जनता चिन्तित है कि उनके साथ क्या हुआ? क्या सरकार के साथ कोई बातचीत हो रही है या नहीं? उसी तरह से "उल्फा" के बारे में कहूंगा कि हमने उनको आम माफी दी है या नहीं दी है, यह एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने कहां भी कुछ लोगों को बंधक बना रखा है। जो शर्त उन्होंने रखी है, उनसे देश की जनता चिन्तित है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कुछ इस तरह की बात से लोग चिन्तित हैं। जैसा अभी श्री रवि राय जी ने एक सवाल पूछा था, उसी तरह से यह कश्मीर और असम के आतंकवादियों के मामले में बंधक बना रखा है। प्रधान मन्त्री जी ने उस दिन विश्वास दिलाया था कि हाउस को विश्वास में लिया जाएगा। मेरा निवेदन यह है कि इसके बारे में जो इस तरह की लेन-चार बातें हैं, उसके बारे में हाउस को विश्वास में लेकर हाउस का बताना चाहिए, सदन को बताना चाहिए कि इस समय क्या स्थिति है? उस दोरइस्वामी की पत्नी अपील कर रही है, हाथ फैला रही है, अपील कर रही है आतंकवादियों के सामने और हमारा सरकार क्या कर रही है यह हम जानना चाहते है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रधान मन्त्री जी को या होम मिनिस्टर जी को आप आदेश दें कि चाहे असम का मामला हो चाहे काश्मीर का मामला हो, इन दोनों के बारे में अपना वक्तव्य सदन में दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। आप मंडल आयोग पर भी चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : यह आज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, यह बहुत जरूरी है। पूरा सदन इस पर चिंतित है। (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, जो सदन के नेता हैं अर्जुन सिंह जी, मैं उनका ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, मंडल कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा रुख अपनाया है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हमने इस मुद्दे पर सरकार के रुख के बारे में परस्पर विरोधी खबरें देखी हैं। हम जानना चाहते हैं कि मंडल आयोग रिपोर्ट पर नई सरकार का क्या रुख है?

अध्यक्ष महोदय : आपको पढ़ना नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : और उन्होंने कहा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति की ओर से दिए गए भाषण से स्पष्ट है कि सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहती है और इसलिए ··(व्यवधान)

माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, वह अखबार पढ़ रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : आप अखबार नही पढ़िये ।

श्री राम विलास पासवान : अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ने कहा है कि सरकार के इस नए मंडल कमीशन में आर्थिक आधार जोड़ने के प्रस्ताव के कारण नये सिरे से विचार करना पड़ेगा । एक तरफ सरकार कहती है कि हम मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कटिबद्ध है और दूसरी ओर सरकार का जो मामला कोर्ट में पेश है उसमें सरकार ने ऐसे लोगों को इन्होंने अटार्नी जनरल को ऐक्टेंशन दिया है जो ऐन्टी मंडल है और दूसरा आर्थिक आधार का मुद्दा जोड़कर के सरकार मंडल कमीशन को खटाई में डालना चाहती है । आज अन्तिम डेट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज की ही डेट में 17 तारीख तक सरकार अपना रवैया स्पष्ट करे । यहां अर्जुन सिंह जी बैठे हुए है । मैं जानना चाहता हूं कि और कांग्रेस पार्टी के लोग हो, बी जे पी के लोग हो, जनता दल के लोग हो, सबने अपने घोषणा पत्र में मंडल आयोग की सिफारिशों को बात कही है । क्या सरकार मंडल आयोग के बारे में कोई दूसरा रवैया अपनाने जा रही है या मंडल कमीशन के सम्बन्ध में सरकार का अपना जो पुराना रवैया है उस पर कायम है ? यदि है, तो फिर सरकार यह ठीक से पेश क्यों नहीं कर रही है ? हम लोग सरकार से जानना चाहेंगे और अर्जुन सिंह जी यहां मौजूद हैं, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है इसलिए हम अर्जुन सिंह जी से चाहेंगे कि सरकार की इस पर क्या नीति है, सरकार का इस पर क्या रवैया है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : नहीं, महोदय, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायालय सरकार से आज निर्णय चाहता है । सरकार के लिये कौन निर्णय लेगा ?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, सरकार की ओर से इस विषय में जो कुछ कहा जाना था वह नीति सम्बन्धी मामले की दृष्टि से राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा जा चुका है । जहां तक यह प्रश्न है कि न्यायालय में क्या हो रहा है और जहां तक न्यायालय द्वारा किसी विशेष उत्तर की अपेक्षा करने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य इस बात पर मुझसे सहमत होंगे कि वह उत्तर उचित तरीके से उपयुक्त सरणि से होकर आएगा । मैं सभा में न्यायालय के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकूंगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे···

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, न्यायालय ने सरकार के निर्णय की मांग की है । सरकार को इस सभा मे उसकी घोषणा करनी है···(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सरकार का दृष्टिकोण क्या है ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : इस मामले में सरकार का रवैया साफ नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्री कान्त जेना (कटक) : आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो कुछ कहा है, उससे सारा मामला और उलझ गया है···(व्यवधान)। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही सरकार को यह स्पष्ट नहीं है कि वह क्या करने जा रही है। सरकार को स्पष्ट निर्णय के साथ आगे आना चाहिए। क्या आप मंडल आयोग की सिफारिशों में आर्थिक मानदंड को शामिल करने जा रहे हैं या नहीं। आप इसे स्पष्ट रूप से बतायें। (व्यवधान) हम इस बारे में सरकार से स्पष्ट रूप में जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से नहीं कह सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब तक हम एक के बाद एक विषय पर चर्चा कर रहे थे। हमें मामले को उलझाना नहीं चाहिए। अब एक मुद्दा उठाया गया है। सरकार की ओर से जवाब दे दिया गया है। दोनों ही चीजें आपके सामने हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष जी, इसमें सवाल केन्द्र सरकार की नीति का है। उसे स्पष्ट करना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : जो कुछ भी सदस्यों ने बोला है वह सब कहा और किया जा चुका है। लेकिन जिस बात पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, सरकार को उसे स्पष्ट करना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या वह आर्थिक मानदण्ड को शामिल कर रही है या नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, अगर यह मामला रेगुलर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता तो उसमें हम इन्टरफियर नहीं कर सकते थे परन्तु अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि आज की सरकार का रवैया क्या है, यह नीति विषयक बात है, यह डे-टू-डे रेगुलर सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में नई सरकार की नीति क्या है, उसका रवैया क्या है वह स्पष्ट करे। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह अपनी मण्डल आयोग सम्बन्धी नीति स्पष्ट करे।

[अनुवाद]

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) · महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सभी एक साथ एक ही समय में बोलना चाहेंगे ?

श्री नानी भट्टाचार्य : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे कह सकते हैं परन्तु एक साथ और एक ही समय में नहीं। हां, श्री खुराना जी।

श्री नानी भट्टाचार्य : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नानी भट्टाचार्य : कल उन्होंने एक गलत वक्तव्य दिया था और वह यह है कि······ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा ही ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि जैसा अभी सदन के नेता ने कहा अगर कोई रेगुलर केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता, तो उनका जवाब बिल्कुल सही था कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसका जवाब एटार्नी जनरल या दूसरा कोई व्यक्ति कैसे दे सकता है, उनका कहना बिल्कुल ठीक था, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है और कहा है कि सरकार की नीति कन्फ्यूजिंग है, परस्पर विरोधी है, नई सरकार का इस बारे में क्या रवैया है, उसे वह आज तक बताये। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसलिए यह सदन, देश की पार्लियामेंट, आपके माध्यम से यह जानना चाहती है कि नई सरकार की मण्डल कमीशन के बारे में क्या नीति है, आप उसमें आर्थिक पहलू को रखना चाहते हैं या नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट को जो अपनी नीति बताने जा रही है, वही यह सदन जानना चाहता है।

अध्यक्ष महोदय : जो सुप्रीम कोर्ट को बताना है, क्या आप उसे यहां पर मांग रहे हैं।

श्री मदन लाल खुराना : नहीं, हम तो नीति के बारे में जानना चाहते हैं। इट इज ए पौलिसी मैटर।

अध्यक्ष महोदय : सुप्रीम कोर्ट को जो बताना है, वह आपको नहीं बताना है।

श्री अर्जुन सिंह : वही तो मैंने कहा।

[अनुवाद]

श्री नानीभट्टा चार्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रश्न मंच का नहीं है। प्रश्न सरकार की नीति का है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, हम एक नीति सम्बन्धी वक्तव्य की मांग करते हैं। क्या यह सही नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय में नीति वक्तव्य देने से पहले इस सभा में दिया जाए ? इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब मैं बोलने जा रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले आपके व्यवस्था के प्रश्न के बारे में जो कुछ भी हो रहा है वह नियमानुसार नहीं है। आप इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। हमें उसके बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए।

जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, आप जानना चाहते है कि सरकार की नीति क्या है। अब माननीय मंत्री बोल रहे हैं वह आपको इसे विस्तार से बताना चाहते हैं।

श्री नानी भट्टाचार्य : उन्होंने गलत बयान दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में मंडल आयोग का कोई जीक्र नहीं है। यहां तक कि 'मंडल आयोग' शब्द भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है,

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, यदि मुझे कहने की इजाजत दी जाए तो प्रक्रिया को स्पष्टरूप से समझा जाना चाहिए। वास्तव में, इस समय सभा राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त सत्र में दिए गए अभिभाषण पर चर्चा कर रही है। इस अभिभाषण में इस विषय के बारे में स्पष्ट उल्लेख है। इस सभा में वादविवाद के दौरान बहुत से माननीय सदस्य उससे संबंधित मामले उठाएंगे। वादविवाद के जवाब में माननीय प्रधान मंत्री इस बारे में स्पष्ट रूप से बताएंगे। सभा को इसी बात की जानकारी है। अब, जहां तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का संबन्ध है, मैंने पहले ही कहा है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी कारण कोई निर्देश दिया है तो हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय उस मंच में जो कुछ चाहता है उसका हम सही ढंग से जवाब दें। मैं बस इतना ही कह सकता हूं। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सरकार की क्या नीति है ?

श्री अर्जुन सिंह : नीति यहां राष्ट्रपति के अभिभाषण में है। इसे राष्ट्रपति के अभिभाषण के वादविवाद के उत्तर पर स्पष्ट किया जाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के जवाब में सरकार को नीति सम्बन्धी वक्तव्य देने के लिए बाध्य होना होना पड़ा। क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह पहले सभा में नीति सम्बन्धी वक्तव्य दे, क्योंकि इस समय सत्र चल रहा है ? इसी प्रश्न का उन्हें जवाब देना है। वह इस प्रश्न के उत्तर को टाल रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली है। अब हमें अगले मुद्दे अर्थात सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र को लेना चाहिए।

————

12.36 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इंस्टीट्यूट आफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च नयी दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(एक) इंस्टीट्यूट आफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टयूट आफ अप्लाइड मेनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी -37/91]

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा सुपर बाजार कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नयी दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि।

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कमालुद्दीन अहमद) : महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन विनियम, 1991, जो 5 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 204 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग में भर्ती) संशोधन विनियम, 1991, जो 5 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 205 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रयोगशाला तकनीकी पदों के लिए भर्ती) संशोधन विनियम, 1991, जो 5 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 206 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों के लिए (भर्ती) संशोधन विनियम, 1991, जो 5 अप्रैल, 1991 के भारत राजपत्र के मे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 207 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 38/91]

(2) (एक) सुपर बाजार, कोपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सुपर बाजार, कोपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 39/91]

परमाणु ऊर्जा (खाद्य विकिरण नियंत्रण) नियम 1990 अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत परमाणु ऊर्जा (खाद्य विकिरणन नियंत्रण) नियम, 1990, जो 2 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 129 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 40/91]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1990 जो 26 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 56 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति सुविधायें) संशोधन नियम, 1991, जो 26 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 57 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति सुविधायें) दूसरा संशोधन नियम, 1991, जो 16 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 101 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) (दूसरा) संशोधन विनियम, 1991, जो 13 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 246 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1991, जो मार्च 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 125 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 126 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1991, जो 26 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 240 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1991, जो 22 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 365 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1991, जो 22 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 366 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.-41/91]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, सिंहभूम के वर्ष 1980-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, सिंहभूम का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-42/91]

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.-43/91

(6) (एक) साह इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) साह इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-44/91]

(8) (एक) अटोमिक एनर्जी एज्युकेशन सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अटोमिक एनर्जी एज्युकेशन सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी.-45/91]

टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड कानपुर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यक्रम की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी.के. थुंगन) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रन्थालय में रखो गयी। देखिए संख्या एल. टी. 46/91]

———

(दो) टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर काफी वाद-विवाद करा दिया है। यदि आप मेरा विनिर्णय चाहते हैं तो मैं अपना विनिर्णय दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। जहां तक उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का सम्बद्ध है, माननीय मंत्री जी यह कह चुके हैं कि निर्देशों के अनुसार उत्तर उच्चतम न्यायालय को दे दिया जायेगा। जहां तक नीतिगत मामले का प्रश्न है, जैसा कि यह आज है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कह दिया गया है और आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में उस अंश को पढ़ सकते हैं जो इस नीति से सम्बन्धित है। अब यदि नीति में कोई परिवर्तन है तो माननीय मंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद के उत्तर में यह बताया है कि नीति तैयार की जायेगी। मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त से भी अधिक है और अब हम इस मुद्दे पर और वाद-विवाद नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : सरकार को पहले सभा में वक्तव्य देना है और तब इसे सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिये। इस मुद्दे पर आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह जारी नहीं रखिए। कोई हद होनी चाहिए, अथवा यदि आप विनिर्णय के लिये कहते हैं तो मैं विनिर्णय देता हूं और जब मैं अपना विनिर्णय दूंगा तो आप फिर से कहेंगे कि विनिर्णय में संशोधन किया जाना चाहिये। इसका कहीं अंत तो होना चाहिए। मैं कह चुका हूं कि जहां तक नीतिगत मुद्दे का प्रश्न है, यह राष्ट्रपति के अभिभाषण मे है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पता नहीं कि कोई भ्रांति है या नहीं। आप का क्या है वाद-विवाद करना। आप सभी योग्य सांसद हैं और यदि कोई भ्रांति होती हो, तो आप उस भ्रांति पर रोशनी डालें और उसे सुस्पष्ट बनाये और आप उसे सरकार की जानकारी में ला सकते हैं। मैं इस बात पर कोई निर्णय नहीं कर रहा हूं। जहां तक उनके वक्तव्य का प्रश्न है, मेरा विनिर्णय यह है कि इस मामले पर इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

अब नियम 377 के अधीन मामले । श्री जीवरत्नम

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है ।

आपने विनिर्णय देने के लिए कहा और मैंने दे दिया । मैं इसे नहीं समझता ।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं । आपके विनिर्णय का आदर करते हुए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : कोई निवेदन नहीं ।

श्री श्रीकान्त जेना : कुछ स्पष्टीकरण होने चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय । मैं श्री जीवरत्नम का नाम पुकार चुका हूं । वह जो कुछ बोलेंगे केवल वही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह भी कहा है कि इकनोमिक क्राइटेरिया ले लेंगे।···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : वे भ्रम पैदा कर रहे हैं। वे इस सभा को भ्रम में डाल रहे हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय को भ्रम में डाल रहे हैं। वे आपको भ्रम में डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे भ्रमित नहीं किया जा सकता । यह आपका भ्रम है अपने स्थान पर बैठ जाइये । यदि आप राष्ट्रपति को अभिभाषण के ध्यान से पढ़ें, तो आपको उसमें आर्थिक मानदंडों का भी जिक्र मिलेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप और स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो वह इस समय नहीं दिया जा सकेगा ।

मेरे विचार से आपका सरकार से पूछने का हक है । संभवतः सरकार अपने निर्णय में सही समय पर सही स्पष्टीकरण दे किन्तु अभी नहीं ।

सभा के समक्ष और भी मामले हैं। यह आपका समय है यदि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कहना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे मुद्दे रखने के अपने समय से वंचित हो जायेंगे। अपने समय से स्वयं को वंचित न करिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब कोई स्थान से न उठे। यदि आपको कोई भ्रम है, तो मेरे कक्ष में आइये अथवा माननीय मंत्री जी कक्ष में जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आर. जीवरत्नम।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : आप कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं वाक आउट करता हूं।

12.44 म. प.

इस समय श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और एक अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

12.44 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मद्रास और अर्कोनम के बीच विशेष रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता

श्री आर. जीवरत्नम (अर्कोनम) : अध्यक्ष महोदय, लगभग 30,000 लोग प्रतिदिन रेल द्वारा अर्कोनम से मद्रास आते हैं, क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण फैक्टरियां और कार्यालय मद्रास में स्थित हैं। मद्रास में रेल कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पर्याप्त आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है। कर्मचारी और विद्यार्थी प्रतिदिन अर्कोनम से मद्रास तथा मद्रास से अर्कोनम आते-जाते हैं।

अतः मेरा यह सुझाव है कि प्रतिदिन एक विद्युत गाड़ी अर्कोनम से प्रात 8.45 पर रवाना होनी चाहिए तथा 10.00 म. पू. मद्रास पहुंचनी चाहिए। शाम को यह रेलगाड़ी प्रतिदिन मद्रास से अर्कोनम के लिए 5.45 म. प. पर रवाना होनी चाहिए।

इस समय अर्कोनम से होकर मद्रास से पश्चिमी तट के विभिन्न स्टेशनों के लिए अनेक गाड़ियां बड़ी लाइन पर चलती हैं। ये रेलगाड़ियां अर्कोनम से होकर आती है और मद्रास से अर्कोनम तथा अर्कोनम से मद्रास को कम दूरी तक जाने वाले यात्री इन गाड़ियों में चढ़ जाते हैं जिससे

लम्बी दूरी के यात्रियों को असुविधा होती है। यदि मद्रास और अर्कोनम के बीच विशेष गाड़ियाँ चलाई जाएं तो लम्बी दूरी के यात्रियों को होने वाली असुविधा दूर की जा सकेगी।

आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में खेतीहर मजदूरों और बुनकरों की दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

डा० विश्वनाथम् केनियों (श्रीकाकुलम:) : महोदय, कृषि मजदूर और बुनाई आदि जैसे अन्य व्यवसाय में लगे ग्रामीण परिवार गांवों से अन्य जिलों के शहरों और नगरों का आजीविका कमाने के लिए जा रहे हैं। इन ग्रामीण वासियों के लिए शुद्ध पेय जल की आपूर्ति तो दूर, पेय जल की भी बहुत कमी है। आन्त्रशोथ से मरने वालों की संख्या में वृद्धि इस तथ्य का सूचक है। इन लोगों द्वारा गांवों से शहरों में जाने के अनेक तथा विभिन्न कारण हैं अर्थात समुचित शिक्षा तथा निर्धन लोगों में सजगता का अभाव कपड़ा बुनने मत्स्य पालन और कृषि पर आधारित अन्य कार्यों में लगे इन परिवारों को दी जाने वाली सहायता में कमी, स्वनियोजन और प्रशिक्षण केलिए अल्प सुविधाएं, छोटी मध्यम और बड़ी परियोजनाओं के पूरा न होने से कारण पक्की सिंचाई सुविधाओं का न होना, औद्योगिक विकास की कमी तथा पूंजी निवेशकों को प्रोत्साहन न दिया जाना।

चूंकि यह कृषि पर आधारित जिला है, इसलिए यदि यहां की किसानों के सहायता की जाय और सभी सुविधाएं प्रदान की जाए तो श्रमिक वर्ग तथा बुनकरों, आदि जैसे अन्य श्रमिक वर्गों की दयनीय दशा में स्वतः ही सुधार हो जाएगा।

उज्जैन में अप्रैल 1992 में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले से सम्बन्धित विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु एक केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उज्जैन में अप्रैल, वर्ष 1992 में सिंहस्थ कुंभपर्व का आयोजन सुनिश्चित है। विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकात्मकता की अभिव्यक्ति है जहां देश-विदेश के लाखों लोग एकत्रित होते हैं। इस पर्व में उज्जैन में एक करोड़ से अधिक लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है। कुंभ पर्व के सफल आयोजन के लिए केन्द्र सरकार से पर्याप्त सहायता की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण, खाद्य, सूचना और प्रसारण, नागर विमानन तथा पर्यटन, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, रेल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शहरी विकास, कल्याण, संचार, गृह, जल संसाधन, भूतल परिवहन मंत्रालयों के अंतर्गत विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अतएव मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि अप्रैल, वर्ष 1992 में आयोजित कुंभ पर्व के सफल आयोजन के लिए केन्द्र सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों के अन्तर्गत विभागीय केन्द्रीय

समिति गठित की जाए जिससे "राज्य स्तरीय सिंहस्थ आयोजन समिति" सहायता प्राप्त कर आयोजन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सके।

(चार) गुजरात में पेड़ों की अवैध कटाई रोकने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्दूभाई देशमुख (भडोच) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में सरकार ने पिछले पांच वर्षों के लिए वनों की कटाई पर रोक लगा दी थी . फिर भी बडी तादाद में वनों की गैर कानूनी कटाई हुई है . भडोच जिले में 20 करोड रुपये का जंगल कट चुका है और सूरत जिले में एक लाख 30 हजार पेड गैर कानूनी तौर से काटे जा चुके हैं गुजरात में वनों की कटाई पर रोक लगाने के बावजूद भी कटाई होती रही है। इस रोक के कारण गुजरात के तीन लाख आदिवासी जो जंगल सोमायटी के जरिये अपना गुजारा करते थे, वे आज भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि इस समस्या को तुरन्त हल करे और गैर कानूनी कटाई कराने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करे।

(पांच) आतंकवादियों की बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, शाहजहांपुर, लखीमपुर, नैनीताल, रामपुर मुरादाबाद आदि जिलों में आतंकवादी गतिविधियां जोर पर है। 12-13 जुलाई को पीलीभीत, शाहजहांपुर की सीमा पर आतंकवादियों ने बमों की वर्षा करके 5 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी जिसमें एक एस. एस. पी. और तीन अन्य पुलिस कर्मी हैं। इन पुलिस कर्मियों के पास से आतंकवादियों ने ए. के.-47 राइफल तथा वायरलेस सेट लूट लिए। इस तरह की अनेक घटनायें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का तराई हिस्सा जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, सिख उग्रपंथी तथा उल्फा उग्रपंथियों की शरणस्थली बन रहा है। प्रदेश सरकार ने इन गतिविधियों को रोकथाम के लिये 63 जिलों में बम निरोधक दस्ता बनाने की योजना बना रखी है। इस सम्बन्ध में सहायता और संस्तुति केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन है। केन्द्र सरकार इन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार को भरपूर मदद दे।

(छः) कालीकट और मुम्बई तथा कालीकट और त्रिवेन्द्रम के बीच अतिरिक्त उड़ानें आरम्भ करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान कालीकट हवाई अड्डे की वर्तमान दशा की ओर दिलाना चाहता हूं, जो मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र के लोगों द्वारा बहुत समय से की जा रही मांग के फलस्वरूप तीन वर्ष पहले कालीकट में मादीपुर हवाई अड्डे को स्वीकृति प्रदान की गई। कालीकट हवाई अड्डा मालाबार क्षेत्र और विशेष रूप से खाड़ी देशों में काम करने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

किंतु आशाओं के विपरीत कालीकट और मुम्बई के बीच इस समय इंडियन एयर लाइन्स की केवल एक उड़ान की ही व्यवस्था है। इस उड़ान का रद्द कर दिए जाने पर सहार हवाई अड्डे से खाड़ी के देशों की उड़ान पकड़ने वाले यात्रियों को मुम्बई पहुँचने में बहुत असुविधा होती है। लोगों द्वारा मुम्बई कालीकट मार्ग पर एक और अतिरिक्त उड़ान शुरु करने की मांग की जा रही है।

कालीकट और त्रिवेन्द्रम के बीच किसी उड़ान की व्यवस्था रही है, जिसके परिणामस्वरुप उन खाड़ी यात्रियों को बहुत दिक्कत होती है जो उसी दिन मालाबार क्षेत्र में बरास्ता त्रिवेन्द्रम अपने घर पहुँचना चाहते हैं। मालाबार क्षेत्र का वाणिज्यक महत्व और कालीकट विमान पत्तन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस समय यह आवश्यक है कि इंडियन एयरलाइन्स अविलम्ब ऐसी उड़ान की व्यवस्था करे जो कालीकट-त्रिवेन्द्रम तथा बंगलूर-मद्रास से होकर जाए। कालीकट हवाई अड्डा में इन्स्ट्रूमेंट लैन्डिंग प्रणाली आदि जैसी आवश्यक तकनीकी सुविधाओं का व्यवस्था की जाए तथा एयर बस ए-300 के लिए हवाई पट्टी को और लम्बा किया जाने की व्यवस्था शीघ्र की जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में केवल उसे ही शामिल किया जाएगा जो कुछ आपने लिखित रूप से दिया है।

(सात) विजयवाड़ा के लिए बोइंग विमान सेवा चलाने और वायुदूत सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजय वाड़ा) : महोदय, विजयवाड़ा हवाई अड्डे से प्रतिवर्ष यातायात बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। नागर विमानन मंत्रालय को कई बार इस बारे में अभ्यावेदन भेजा गया है कि यात्री यातायात को पूरा करने के लिए विजयवाड़ा हवाई अड्डे से बोइंग विमान के उड़ान की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। मंत्रालय ने बताया है कि हवाई पट्टी का विस्तार और इसे सुदृढ़ किए जाने के बाद विजयवाड़ा हवाई अड्डे तक बोइंग विमान सेवा शुरु कर दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है किन्तु हवाई पट्टी के विस्तार तथा सुदृढ़ करने का कार्य तथा रात में विमानों के उतरने सम्बन्धी सुविधाओं सम्बन्धी कार्य अभी शुरु नहीं किया गया है। इसे शीघ्र शुरु किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर वायुदूत सेवा असन्तोषजनक है और अनियमित है जिसके फलस्वरुप यात्रियों का इस वायुदूत सेवा में विश्वास नहीं रहा है। इस सेवा को अधिक कारगर ढंग से चलाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

(आठ) मध्यप्रदेश में सूखे की स्थिति की गम्भीरता का आकलन करने के लिए वहां एक केन्द्रीय दल भेजने की आवश्यकता

(हिन्दी)

कु. विमला वर्मा (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष मध्य प्रदेश में मानसून की स्थिति अभी तक अनिश्चित बनी हुई है। जुलाई का दूसरा सप्ताह है परन्तु अभी तक मानसून का पता नहीं है। 10 और 11 जून को जो वर्षा हुई थी उसके बाद कई किसानों ने बुआई कर दी थी परन्तु फिर

वर्षा न होने के कारण फसलें उग नहीं पाई हैं। जिन किसानों ने बुआई नहीं की उनकी फसल भी अनिश्चित होती जा रही है। अब वर्षा जल्दी हो भी जाय तो भी फसलें कमजोर ही होंगी।

इस स्थिति में मध्य प्रदेश में सूखे को स्थिति होने की आशंका बढ़ती जा रही है। अभी से यदि कारगर कदम न उठाये गये तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत गम्भीर हो जाने का खतरा है। केन्द्र सरकार को तत्काल अपना आकलन दल भेजकर जानकारी करनी चाहिए.

12.55. म. प.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (जारी)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे। श्री विजय कुमार यादव बोलें।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश करते हुए श्री बूटा सिंह जी ने पिछले सौ सालों का इतिहास गिनाया। आजादी के बाद से कांग्रेस की हकूमत रही है, वह हकूमत विफलताओं की हकूमत रही है। कांग्रेस के शासन ने, बावजूद इस बात के कि बहुत अच्छी अच्छी घोषणायें की हैं, लेकिन जहां तक देश के अन्दर जो मौलिक प्रश्न है, उन प्रश्नों का समाधान कांग्रेस नहीं निकाल सकी और यही वजह है कि देश के अन्दर कांग्रेसी हकूमत में गरीबी का बढ़ना, बेरोजगारी का बढ़ना, मंहगाई का बढ़ना, साम्प्रदायिकता का बढ़ना आम तौर पर बात रही है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का आईना होता है, लेकिन पिछले जो चुनाव हुए और उस चुनाव में हिन्दुस्तान की चुनाव प्रणाली की किस तरह से धज्जी उड़ा दी गई, चुनाव प्रणाली को किस तरह से बदनाम किया गया, इसकी जो भूमिका है, उस पर किस तरह से गहरी चोट की गई और इस की जो प्रतिष्ठा लोगों के अन्दर, आम जनता के अन्दर रही है, उस पर कितना बड़ा कुठाराघात किया गया है, इसकी चर्चा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि अभी भी देश में चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। चुनाव कमीशन ने चुनाव-कमीशन का काम न करके ऐसा लगता है, जैसे उन्होंने किसी पार्टी विशेष की भूमिका अदा कर दी है। आज भी बिहार में मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र का रिजल्ट रोके रखा हुआ है। उसकी गिनती हो गई है, क्योंकि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार वहां 93 हजार वोटों से जीत रहे हैं, इसलिए हियरिंग पर हियरिंग हो रही है। समझ में नहीं आता है कि वे कहां जाना चाहते हैं। इसी प्रकार के पटना के चुनाव को रोका गया। चुनाव होने के बाद रिजल्ट को रोका गया। गिनती को रोका गया और वहां के उम्मीदवार को यह कहना पड़ा कि चुनाव कमीशन के कमिश्नर बदले की भावना से काम कर रहे हैं। चूंकि अब वे फारन मिनिस्टर थे, तो उस आफिसर का उन्होंने स्थानान्तरण किया था और अब जब उनको मौका मिला है तो उन्होंने इस

मौके का इस्तेमाल करके, अपने इस ओहदे को इस्तेमाल करके गलत रूप में काम किया। हमारे यहां पालिंग, रि-पालिंग, काउन्टरमैंडिंग, गिनती के बावजूद भी रिजल्ट का प्रकाशित नहीं किया जाना, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और सरकार को इस मामले में साफ-साफ तौर पर आना चाहिए कि आखिर वह चुनाव सुधार किस रूप में करना चाहती है। अभी तक लोगों को यह विश्वास है कि चुनाव मशीनरी की स्वतन्त्र भूमिका रही है, लेकिन पहली बार देश के अन्दर यह घटना है, जिसने जनता के विश्वास को तोड़ दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि

···(व्यवधान)···

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : क्या आप बिहार के लिए बोल रहे हैं ?···(व्यवधान)

श्री विजय कुमार यादव : मैं सारे हिन्दुस्तान के लिए बोल रहा हूं।···(व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार : पूरे देश में नहीं होता है : सिर्फ बिहार और वेस्ट बंगाल में होता है।··· (व्यवधान)

श्री विजय कुमार यादव : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यापक नीति बनाई जानी चाहिए। इस व्यापक नीति में जहां तक चुनाव आयोग के कमिश्नर का सवाल है, उस कमिश्नर के अधिकार को भी निश्चित तौर पर निश्चित किया जाना चाहिए, निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसमें गैर-कानूनी तरीके से, मनमाने तरीके से, डिक्टेटोरियल से कोई कदम नहीं उठा सकें।

चर्चा सामाजिक न्याय की की गई है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसकी चर्चा की गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तक सरकार के सामने जो इश्यू है, वह मंडल कमीशन का इश्यू है। लेकिन उस अभिभाषण में मंडल कमीशन की कहीं चर्चा नहीं की गई है। कहा यह जाता है कि हम आर्थिक तौर पर पिछड़ी जाति के अन्दर जो कमजोर लोग हैं, हम उनको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। यह भी कहा जाता है कि उस मंडल कमीशन के आरक्षण में जो लोग नहीं आते हैं यानि तथाकथित जो उच्च जाति के लोग हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। अगर ऐसे लोगों की व्यवस्था की जाती है, तो बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार ने अपने उस अभिभाषण में इस बात का नहीं किया है। पचास फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है, मंडल कमीशन की 27 फीसदी की व्यवस्था पिछड़ी जाति के जो शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर बहुत पिछड़े हुए हैं, उन लोगों की है। अब कोई कोटा बाकी नहीं रहता है।

1.00 म प.

अगर उनकी मंशा सही होती और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात ये सोचते तो निश्चित तौर पर वे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इस बात का संकेत करते कि वे कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे और उस अमेंडमेंट के जरिए जो 50 प्रतिशत आरक्षण देने की बात है उसकी सीमा को बढ़ाते। लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसकी चर्चा नहीं की गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय कुमार यादव जी आपको और कितना टाइम चाहिए।

श्री विजय कुमार यादव : श्रीमान्, मुझे 10 मिनट और दीजिए। मैं 2-3 इमपोरटेंट प्वाइंट और बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो आप लंच के बाद में बोल लेंगे ।

श्री विजय कुमार यादव : ठीक है ।

1.01 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म. प. तक के लिए स्थगित हुई

2.05 म. प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.05 म. प. पर पुन: समवेत हुई

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री विजय कुमार यादव ।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदय, सामाजिक न्याय, मंडल कमीशन की रिपोर्ट और आरक्षण ये न केवल संवैधानिक बल्कि सामाजिक बाध्यता है । इसका सम्बन्ध देश के लगभग 50 करोड़ लोगों के साथ है और इन लोगों का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है । कांग्रेस की सरकार ट्रिपल मर्डर के लिए मुजरिम हो सकती है, जिसने 1953 में जब काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट आई उसकी हत्या कर दी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आई, उसकी हत्या कर दी और अभी दोबारा इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को समाप्त करने के लिए शब्दों के जाल में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण मे जिस तरह का रूप लिया गया है आगे आने वाली पीढ़ी और खास तौर पर पिछड़ी जातियों के लोग जो शोषित और उत्पीड़ित हैं, वे कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं कर सकते ।

सभापति महोदय, अभी जो कोर्ट का आदेश आया है, जो निर्देश अखबारों में आया है उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने अभी तक अपनी नीति इस मामले मे स्पष्ट नहीं की है । जिस आर्थिक आधार की चर्चा की जाती है उस आर्थिक आधार के मायने क्या होते हैं ? मंडल कमीशन ने आर्थिक आधार को भी अपने सामने लिया है, लेकिन संविधान मे सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ज्यादा जोर दिया गया है और इसकी वजह से उन्होंने इन दो बिन्दुओं को लेते हुए आर्थिक आधार भी जोड़ा है और क्राईटेरिया तय किया है । आर्थिक आधार की बात की जाएगी तो सेंट्रल सर्विसिज मे जो 52 फीसदी पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी भागीदारी केवल 4 फीसदी जगहों पर, आहदों पर है । समाज मे जिस तरह की असमानता है, समाज मे जिस तरह का भेदभाव है, बना रहेगा अगर आर्थिक बातों को लिया जाएगा हमारा देश कोई यूरोपियन देश नहीं है, हमारे देश का समाज जातियों के आधार पर बंटा हुआ है । इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जब

उत्तर दें तो केवल मैनीफेस्टो में लिखने से काम नहीं चलेगा, चीजों को स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर करने की आवश्यकता है।

आर्थिक संकट की बात की जाती है, सभापति महोदया, पिछली सरकार ने, जो केयर-टेकर गवर्नमेंट थी, हिन्दुस्तान के सोने को बेच डाला। इस सरकार ने विश्वास प्राप्त करने के पहले सोने को गिरवी रख दिया। आई. एम. एफ. से लोन लेने की बात थी और वह भी बगैर शर्तों को बताये हुए, आम जनता को कांफीडेंस में लिए बिना, जन-प्रतिनिधियों को, संसद को बिना कांफीडेंस में लिए हुए। आज स्थिति क्या है? कहा जाता है कि बहुत भारी संकट है और इसके हल के लिए कई रास्ते निकाले जा रहे हैं। अभी रेलवे बजट हमारे सामने आया। सैकिण्ड क्लास के फेयर में वृद्धि और माल भाड़े में वृद्धि की गई और आगे आने वाले आम बजट में भी आम जनता पर भारी टैक्सों का बोझ लादा जाने वाला है। सभापति महोदया, आई. एम. एफ. की शर्तों के बारे में जब कहा गया तो इन्होंने बताने से इन्कार किया है। दुनियां के दूसरे मुल्कों में जो उसकी शर्तें रही हैं उनकी शर्तें उस देश की आजादी को बेच कर मानी जाती रही है। उसकी प्रतिष्ठा को बेच कर मानी जाती रही है।...(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा बूंदी) : सभापति महोदया, सदन में भी केबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं।(व्यवधान) अब जवाब देना होगा तो कैसे देंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : हमारे पास इतना तो दिमाग है, हम याद रख सकते हैं। आपको गलतफहमी है।... (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह गलतफहमी नहीं है, यह नियम है। सदन की परम्परा के अनुसार सदन में किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्टर को रहना चाहिए।(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कृपया बैठ जाइए।

श्री विजय कुमार यादव : सभापति महोदया, आइ. एम. एस. की जो शर्तें हैं वह आमतौर पर जगजाहिर हैं। हमारे यहां पर कर्जे की बात की जा रही है। यह कहा जाता है कि देश के सम्मान को, देश की गरिमा को, देश की आजादी का ख्याल में रखते हुए शर्तों को तय करेंगे। आइ. एम. एफ. का जो इतिहास है। वह ठीक इसके विपरीत है, वह बराबर इन शर्तों को लगाता रहा है। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, सबसिडी से जो आम जनता को सामान सप्लाई किया जाता है उसमें कमी करने की बात पबलिक सैक्टर को समाप्त करने की बात, मोनोपोली इंडस्ट्रीयल हाउस पर पाबन्दी की बात, बैंकों के ऋण में सूद में बढ़ोत्तरी की बात, आयात को उदार बनाने की बात और आम जनता को सामग्रियों पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राईसेज में बढ़ोत्तरी की बात ये सारी शर्तें उसके अन्दर रहती हैं। इस आर्थिक संकट की घड़ी में सारी शर्तें मानी जायेगी। आम जनता पहले से कराह रही है। टैक्सों के बोझ से लोग परेशान हैं तो देश निश्चित रूप से बरबाद हो जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि बंगाल सरकार ने एक आल्टरनेटिव आर्थिक प्रोग्राम दिया है कि कैसे इस संकट

को दूर किया जा सकता है। पुरानी नीतियों को छोड़कर नई नीतियों का निर्माण आवश्यक है। आम जनता की क्रय शक्ति में बढ़ोत्तरी, घरेलू बाजार के विस्तार को सामने रखना, कृषि और उद्योग के विकास को प्राथमिकता देना और आत्म निर्भरता पर जोर देना और लैंड रिफॉर्म जैसे कदम गिनाये गये हैं। काफी विस्तृत रिपोर्ट है मैं समझता हूं कि उसको कंसोलिडेशन में लाना चाहिये। तमाम पोलिटिकल पार्टी जो यहां है, उनके राय मश्विरे से नई आर्थिक नीति का निर्माण किया जाना चाहिये और देश को तभी आर्थिक संकट से उबारा जा सकता है। श्री बूटासिंह जी ने कहा कि उन्होंने साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष शुरु किया है। एक जमाना था जब महात्मा गांधी ने इसके लिये जान दे दी। अब कांग्रेस क्या है। अब कांग्रेस साम्प्रदायिक शक्तियों से गठजोड़ करती है। उन्होंने मन्दिर निर्माण के लिए ताला खुलवाया, शिलान्यास करवाया साम्प्रदायिक शक्तियों से मिलकर, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को गिराया साम्प्रदायिक शक्तियों से गठजोड़ करके और इतना ही नहीं डिप्टी स्पीकर का पद साम्प्रदायिकता शक्तियों को देकर और स्पीकर का पद लिया सांप्रदायिक शक्तियों से गठजोड़ करके। यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वह मस्जिद को गिराना नहीं चाहते हैं। साथ-साथ यह भी कहते हैं कि मन्दिर, मस्जिद की जगह बनाना चाहते हैं। यह बात समझ में नहीं आती कि यह मामला क्या है। यह मामला इतना आसान नहीं है हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई में से किसी की इबादत गाह का गिराना है। देश के लिये बहुत विनाशकारी दिन होगा देश बच नहीं सकता है। देश के अन्दर जो तोड़ फोड़ करने वाली शक्तियां हैं, देश को अलग-थलग करने वाली शक्तियां हैं, वे सिर उठा रही हैं·· (व्यवधान) आज देश के अन्दर जो राजनैतिक परिस्थिति पैदा हो गई है तो उस परिस्थिति में अगर कोई एक पार्टी चाहे कि उसकी तमाम राज्यों में हुकूमत हो तो वह कभी सम्भव नहीं है। केन्द्र का इतना असर रहता है कि आर्थिक आजादी राज्यों को नहीं मिलती निर्भरता केन्द्र पर राज्यों को करनी पड़ती है और जो पार्टी पावर में है उसकी विकास करना कभी सम्भव नहीं है। केन्द्र की नीतियों के सामने झुकना पड़ता है। राज्य को जो निर्वाचित सरकारें हैं, उन सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं

[हिन्दी]

क्योंकि केन्द्र का हस्तक्षेप बराबर राज्य के शासन में और दूसरे तरीके से गवर्नर के जरिये होता रहता है। सरकारिया कमीशन को कांग्रेस के लोगों ने बनाया। आज तक कांग्रेस की सरकार ने उसको अमल में लाने की कोशिश नहीं की। जन-वितरण प्रणाली की बात कही गई है। मैं इसको विस्तार से नहीं कहना चाहता। एक बहुत डिटेल प्रोग्राम आने वाला है। लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, 15 चीजों को आवश्यक वस्तुओं में लगाना है उन सभी को सप्लाई करने की बात ग्रामीण क्षेत्रों में, इसको बड़े पैमाने पर विस्तार करने की बात तथा जो चीजें आप जन वितरण प्रणाली के जरिए वितरित कराना चाहते हैं, पर्याप्त मात्रा में उसकी पूर्ति करने की बात, सक्षम निगरानी करने की बात जिसमें सभी दलों के लोगों को प्रवेश करना चाहिए। और चोर बाजारियों के खिलाफ गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही की जाये इन बातों का समावेश होना चाहिए।

मजदूरों की व्यवस्था में भागीदारी की बात कही जाती है, लम्बे समय से यह कांग्रेस की भी मांग है, लेकिन आपने उसको अब तक पूरा नहीं किया। आज भी इस सिलसिले में कोई कायदे कानून बनाना चाहते हैं समय सीमा के अन्दर, ऐसी उन्होंने चर्चा नहीं की है। मैं समझता

हूं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। खेत मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून की बात पहले से की जा रही है। औद्योगिक मजदूरों के जो अधिकार हैं और खेत मजदूरों को वह अधिकार दिए जाने चाहिए और इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। जिससे एक व्यापक कानून बनाया जा सके।

प्रशासनिक सुधार कानून बहुत लम्बे समय से लम्बित है। आज पूरे देश में शासन होता है वह जनप्रतिनिधि का शासन नहीं होता है, बल्कि जो नौकरशाह हैं उनके हाथों में सत्ता की बागडोर रहती है। जब तक निचले स्तर पर ग्राम, पंचायत और दूसरी जो स्वायत्त संस्था की इकाइयां हैं उनके जिम्मे अधिक से अधिक शक्ति नहीं दी जाएगी और नौकरशाहों की शक्ति को कर्टेल नहीं किया जाएगा, उन पर जन प्रतिनिधियों की निगरानी नहीं रखी जाएगी तब तक निश्चित तौर पर जो कायदे-क़ानून बनते हैं ग्राम जनता के लिए जो लाभकारी कदम उठाए जाते हैं उनका लाभ उनको नहीं मिल सकता है।

भूमि सुधार के सिलसिले में कांग्रेस दावा करती है, लेकिन जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं वे यह जानते हैं कि जिनका इन्होंने सरोकार कराया है वह पश्चिम बंगाल की और केरल की सरकार ने इसमें आगे कदम बढ़ाया है। मैं समझता हूं वामपंथी दलों की सरकारों ने इन दो राज्यों में इस तरफ कदम बढ़ाया है। कांग्रेस ने इस बात को छोड़ दिया है। उनको ऐसे कानून बनाने चाहिए जो अण्डर रैयत हैं उनको अधिकार मिले, जो भूमि हदबंदी की फाजिल जमीन है वह गरीब किसानों और मजदूरों को दी जाये। लेकिन साथ ही साथ शहरी भूमि की हदबंदी भी इसको जोड़ देना चाहिए। शहरों में ऐसे-ऐसे लोग तैयार हो रहे है जिनके पास अलग जमीन पड़ी हुई है। उन सब जमीनों को लेकर उसका बंटवारा करके गरीबों में वितरित करनी चाहिए।

आखिरी एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैंने जिन चीजों की बात शुरू में की थी उसमें चुनाव आयुक्त के बारे में अब कहना चाहता हू कि उसने जो अपराध किया है मैं समझता हूं उसको बर्खास्त करना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदया, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं : सभा की यह महान परम्परा रही है कि जब कभी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जैसी महत्वपूर्ण चर्चा चलती है तो मंत्रिमण्डल स्तर का एक मंत्री या संकल्प रखने वाला व्यक्ति उपस्थित रहता है। परन्तु न तो मंत्रिमण्डल स्तर का मंत्री और और न ही संकल्प रखने वाला व्यक्ति सभा में उपस्थित है। परम्परा यह है कि उन्हें बराबर उपस्थिति रहना चाहिए। मैंने मंत्रियों को भागते हुये देखा है। प्रधानमन्त्री इस काम को बराबर एक मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री को सौंपते हैं। मैं यह कहूंगा कि यह राष्ट्रपति का अपमान है कि इस प्रकार का काम किया जा रहा है। आपको अवश्य निर्णय लेना चाहिये और सरकार को निर्देश देना चाहिए···

एक माननीय सदस्य : यह उनके सम्मान की कमी को दर्शाता है···

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : लेकिन विपक्ष के नेता कहां है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने मंत्रिमण्डल स्तर के मन्त्री को आने के लिए कहा है। मंत्री महोदय किसी भी वक्त आ सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : बात उनके आने की नहीं है। उन्हें बराबर उपस्थित रहना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर काफी महत्वपूर्ण चर्चा होती है। कृपया उनके मन्त्रियों को उपस्थित रहने का निर्देश दें। कृपया स्पष्ट निर्णय दें।

सभापति महोदया : यह मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है। इस मुद्दे पर ध्यान दिया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : लेकिन आप उन्हें निर्देश अवश्य दे दें।

श्री पी. एन. सईद : सभापति महोदया, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों का राजपत्र होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के सात पैराओं में देश में विद्यमान स्थिति विशेषकर कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसके गम्भीर आर्थिक स्थिति जिसमें हम फंसे हैं, के बारे में भी बताया गया है।

महोदया, मैं विपक्ष के अपने वरिष्ठ सहयोगियों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। मैंने पाया है कि जो कुछ भी राष्ट्रपति ने कहा है उसे गंभीरता पूर्वक न लेकर उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के महत्व को कम किया है। उदाहरण के लिए मंडल आयोग के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के मुद्दे आज सवेरे श्री पासवान द्वारा उठाया गया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह मुद्दा पहले से उठाया जा चुका है। अतः इस सभा के प्रत्येक सदस्य, विशेषकर श्री पासवान जैसे वरिष्ठ सदस्य के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण को ध्यान पूर्वक पढना समुचित है।

हिन्दी]

मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : कहां है मण्डल कमीशन।

श्री पी. एन. सईद : अगर आपने प्रेसीडेंट एड्रेस को खोल कर देखा होता तो उसमें पाए।

[[अनुवाद]

सदन के नेता ने उस पर एक स्पष्टीकरण भी दिया था।

श्री चन्द्रजीत यादव। यहां उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री पी. एम. सईद। यह आपके पसन्द के अनुसार न हो, लेकिन यह यहां है।

देश में पिछले दो वर्षों में काफी हिंसा हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? मैं दोषी व्यक्ति की ओर संकेत नहीं कर रहा हूं। परन्तु महोदया, राष्ट्रपति ने ध्यान दिलाया है कि पिछले

दो वर्षों में हिंसा काफी बढ़ी है सदस्यगण पिछली सरकार के 40 साल के शासन को बार-बार दोषी ठहरा रहे हैं। मैं किसी को अपनी मर्जी से कुछ करने नहीं दे सकता। पिछले दो वर्षों में पूरे देश में साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है ? इस के लिऐ मैं पिछली सरकार को दोषी ठहराता हूं।

जनता इस बार चौकस रही है उसने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया है।

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी को भी नहीं .

श्री पी. एम. सईद : सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं आपकी पार्टी को भी नहीं। जब चुनाव नहीं हुआ था उसके पहले से हो आप अपनी खिचड़ी मंत्रिमंडल बना रहे थे।

मान्यता प्राप्त विपक्षी दल ने राम के नाम पर वोट मांगा था। राम तो नहीं आए लेकिन रावण और सीता दोनों आ गऐ हैं। उस दल के सदस्यों की संख्या बढ़कर 117 हो गई है। भाजपा सोच रही थी कि उसे सुस्पष्ट बहुमत मिलेगा। राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा भी प्रारम्भ का मंडल कमीशन की सिफारिशों, जिसने देश में तबाही मचाई थी उन्हें पूर्ण मत के साथ सत्ता में वापस गये और उन्हे 400 स्थान प्राप्त हो जाऐंगे। उन्हें भी कम सीटें मिली हम भी बहुमत की आशा थी। बहरहाल मैं कोई विवादास्पद मुद्दा नहीं उठाने जा रहा हू। (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जैना (कटक) : यदि श्री राजीव गांधी की हत्या नहीं होती तो आपके दल की स्थिति ही कुछ और होती।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : क्या आप यह कहलाना चाहते हैं कि यदि श्री वी. पी. सिंह आपकी पार्टी में नहीं होते तो आप यहां होते ?

श्री. पी. एम. सईद : राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जब भाजपा से सरकार बनाने के लिए कहा गया तो वे तैयार नहीं हुए। जब बाकी पार्टियों को सरकार बनाने को कहा गया तो वे भी तैयार नहीं हुए। और जब जनता दल से सरकार बनाने के लिए कहा गया था तो वे भी सरकार बनाने को तैयार नहीं हुए। इसलिए राष्ट्रपति ने कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए कहा। हमें बहुमत नहीं मिला था अत. हमने सरकार नहीं बनाया थी। एक वरिष्ठ सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कल ही यह कहा था कि यदि हम फिर से जनता के समक्ष गये, तो वह हमारी चप्पल से आवभगत करेगी। ऐसे हालात हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या आप इस बात से सहमत हैं ?

श्री पी. एम. सईद : जी हां। प्रधानमंत्री महोदय जी ने विशेषकर आर्थिक मोर्चे जो बहुत अव्यवस्थित था और अब भी गड़बड़झाले में है, पर सभी दलों का सहयोग प्राप्त करने के लिये सबसे पहले पहल की है। इसलिये अवमूल्यन से पूर्व ही उन्होंने नेतागणों से मुलाकात की और उन्हें विश्वास में लिया। कुछ मामलों के बारे में स्वयं प्रधानमंत्री महोदय, जी ने कहा है कि वे उसके बारे में जानकारी देने की स्थिति में नहीं होंगे। इसके अलावा वे विपक्ष से ईमानदारी से सहयोग मांग रहे हैं।

दसवीं लोकसभा के गठन के पश्चात हमने अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पहला कदम उठाया। सुस्थापित प्रथा यह है कि अध्यक्ष पद के लिए सत्तारुढ़ दल का सदस्य निश्चित किया जाता है। दुर्भाग्यवश इस मामले में वामपंथी मोर्चा और राष्ट्री मोर्चा ने सुस्थापित प्रथा का सम्मान करने में सहयोग नहीं किया जिससे कि सत्तारुढ़ दल के किसी सदस्य को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया जा सके।

अब वामपंथी दल और राष्ट्रीय मोर्चा इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और अतः अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया है। वे —श्री वी. पी. सिंह और वामपंथी दल अपने सुभीते को देखते हुये इस सुस्थापित प्रथा को भूल रहे हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : क्या आठवीं लोकसभा में आपने इस प्रथा का अनुपालन किया था ? नौवीं लोक सभा में क्या हुआ था ?

श्री पी. एन. सईद : श्री शिवराज पाटिल को नौंवी लोक सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था क्योंकि हमें सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में मान्यता दी गई थी।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आठवीं लोक सभा में आपने उपाध्यक्ष का पद अ.भा.अ.द्र. मु.क. को दिया था जबकि वहां तेलगु देशम पार्टी इसके लिए मौजूद थी।

श्री पी एन. सईद : यह एक सुप्रतिष्ठित प्रथा थी। हमारे भा.ज.पा. से मतभेद वाजिब हैं। किन्तु राष्ट्री समस्याओं को हल करने के लिये हम निश्चित रूप से सभी दलों का सहयोग लेंगे।

हमारे कई मामलों में वाजिब मतभेद हैं। किन्तु इस सभा के सम्मान और इस सभा में सुस्थापित प्रथा को बनाये रखने के लिए हम किसी भी व्यवस्था का स्वागत करेंगे, भले ही यह सार्वजनिक व्यवस्था हो अथवा निजी व्यवस्था हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस सभा की गरिमा और सुस्थापित परम्पराओं का सम्मान किया जाये।

श्री वी विजयकुमार राजू (नरसापुर) आपने किसी भी प्रथा का पालन नहीं किया है।

श्री पी.. एम सईद : उपाध्यक्ष के पद के लिए यदि कोई व्यवस्था है, तो उन्हें बताने दीजिए। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भा. ज. पा. सरकार है। वे चुनाव जीतकर सत्ता में आए हैं। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं ? क्या आप वह कर सकते हैं ? चूंकि उनका सभा में दूसरा स्थान है, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं। अगर वैसा नहीं कर सकते हैं : इस सभा में सुस्थापित प्रथा के अनुसार दूसरे सबसे बड़े दल का सदस्य उपाध्यक्ष पद प्राप्त करेगा। आप अपनी बात को इसके साथ रख कर देखिये। यह केवल सत्तारुढ़ दल, यानि कि कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने के लिए कहा जा रहा है कि वह अपने सुभीते से यह भूल गई है कि यहां क्या घटित हो चुका है।

श्री वी. विजयकुमार राजू : राजू सहयोग के मायने क्या हैं ?

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : वे हार नहीं मान रहे हैं।

श्री पी. एम. सईद : मुझे एक भुलक्कड़ प्रोफेसर की कहानी याद आ रही है जो इस प्रकार है;

अठारहवीं शदी के अन्तिम वर्षों में स्काटलैण्ड के लार्ड एडवोकेट हेनरी इर्सकिने का एक भुल्लकड किस्म का शिक्षक था। वह इतना भुलक्कड था कि उस बूढे के प्रति बहुत आदर भाव रखने वाला इर्सकिने एक बार उससे यह सुनकर अवाक रह गया कि "ओ मेरे प्यारे बच्चे, मुझे खेद है कि तुम्हारे परिवार में किसी को बुखार हुआ था, जो बुखार से मरा वह तुम थे या तुम्हारा भाई ?" इर्सकिने जबाव दिया "वह मैं ही था।" "हाय, हाय, मैंने भी यही सोचा था। मुझे इस हादसे का अफसोस है, बेहद अफसोस है।" और बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया।

आपने एक प्रथा स्थापित की है, हम इसे कब कायम करने वाले हैं, आप इस तथ्य को सुभीते से भूल गये हैं। आप हमारी मद पिटवा कर सियासी फायदा उठा रहे हो। मेरे ख्याल से तो जनता इस तरह से बेवकूफ नहीं बनाई जा सकेगी।

मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह ने अपने भाषण संघटित कार्य बल के गठन का विरोध किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात भली भांति बताई गई है। जनता के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये बहुत सी अदालतें होंगी। दंगपीड़ितों को हर्जाना दिया जायेगा। इसमें और भी कई बातें कही गई हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने संघटित कार्य दल के गठन का विरोध क्यों किया है ?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : यह अल्पमतवाद है :

श्री पी. एम. सईद : उनके दीमाग में यही बात है। मैं अपने वामपंथी मित्रों को यह बता रहा हूं कि हम उनके बहुत करीब हैं।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी (डमडम) : वामपंथी शत्रु मानने के बजाय कृपया हमें वामपंथी मित्र मानिये।

श्री पी. एम. सईद : उन्होंने लोकतन्त्र के नाम पर खुलेपन (पेरेस्ट्रोइका) का लाभ उठाया है। श्री गोर्बाचेव जो विश्वव्यापी परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि सरकार को उस पहलू पर विचार करना ही है, तो यदि वे समर्थन नहीं करते, तो पता नहीं हमारा समर्थन और कौन करेगा। मेरा उनसे किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा इस बात को लेकर है कि पिछली सरकार द्वारा पैदा किये गये हालातों को दूर किया जाये। अतः राष्ट्रपति के अभिभाषण में संसद सदस्यों से स्थिति का यथार्थपरक आकलन करने की अपील की गई है। और इसलिये इस चुनाव के बाद जो नई व्यवस्था सामने आई है वह चल रही है और यह पांच वर्षों के लिये रहेगी। अतः मैं श्री बूटा सिंह द्वारा लाये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। कुछ सदस्यों ने पंजाब में चुनाव स्थगित कराये जाने के बारे में शिकायत की है। खालिस्तान आंदोलन के कारण उन्होंने कहा कि इस चुनाव पर मतदान होगा। वे पोस्टर छपवा चुके हैं ! अनेक मतदाता और अधिक से अधिक 24 उम्मीदवार मारे जा चुके हैं। ऐसे हालातों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का अवसर ही कहां था ? हम शुरू से ही इसमें शामिल नहीं थे। मैं पिछली सरकार पर दोष नहीं लगा रहा हूं।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : आपने ही सिफारिश की थी।

श्री पी. एम. सईद : हमने कहा था कि हम उसमें भाग नहीं लेंगे। हमने कहा था कि संविधान के दायरे में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है।

आहत कर देने वाली एक बात यह है कि असम में चुनाव नहीं हो सके। चन्द्रशेखर सरकार ने समझा था कि स्थिति में सुधार हो गया है और चुनाव शांतिपूर्वक कराये जा सकते हैं।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : त्रिपुरा में भी, संतोष मोहन देव को उनका उचित भाग दीजिए। किन्तु वहां उनके लिए चुनाव नहीं हो सकता।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्हें चार लाख मत प्राप्त हुए हैं।

श्री पी. एम. सईद : जम्मू कश्मीर के बारे में मेरे मित्र श्री जसवन्त सिंह की पार्टी ने सारी स्थिति को बिगाड़ दिया है। शुरू में वहां रुबैया कांड हुआ था और बाद में उनका समर्थन उस राज्यपाल ने किया जिसे की हम इस स्थिति का जिम्मेदार मानते हैं। उसे तब राज्य सभा में पदोन्नत किया गया था। यह स्थिति है। अब हमें क्या करना है ? हमें देखना होगा कि जो लोग भारत के सविधान का समर्थन करते हैं उन्हें उत्साहित किया जाए। हम यह कैसे करने जा रहे हैं ? यह इस सभा का सामूहिक दायित्व है कि वह इस पर विचार करे इसके लिए कोई हल निकाले। इसलिए हम सभा को दलगत रणनीति से ऊपर उठना होगा।

श्री जसवन्त सिंह ने अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग की है। क्या यह यथार्थवादी स्थिति है ? यह यथार्थवादी नहीं है। लेकिन कुछ दूसरे स्थानों पर अनुच्छेद 371 उनके लिए सहायक है। कुछ प्रत्यक्ष कारणों से वे उस अनुच्छेद के हटाए जाने की मांग नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह देश के हित में है कि हम अपने मन को टटोले और देखें कि मौजूदा हालातों में किस हद तक हम एक जुट होकर कार्य कर सकते हैं और इस अभूतपूर्व संख्या में हिंसा की घटनाओं और आर्थिक स्तर पर औद्योगिक संकट, जोकि देश में पहले कभी नहीं आया था, के समय में लोगों की भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को देखना है कि किस हद तक हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। इसलिए प्रधान मंत्री ने बार-बार यह कहा है, "मैं आप सबसे सहयोग चाहता हूं। आपको वित्त मंत्री के खिलाफ, रुपए के अमूल्यन के ढंग को लेकर आक्रोश होगा और इनमें से भी कुछ लोगों ने शिकायत की है। दो-तीन बार ऐसा किया गया है। लेकिन उनकी इच्छा अच्छी थी और इसलिए आपको उनकी मंशाओं के बारे में उनको संदेह का लाभ देना होगा।

मैं बहुत समय ले चुका हूं और महोदया घंटी बजा रही हैं। हम श्री बूटा सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रस्ताव का पूरे दिल से समर्थन करते हैं और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : सभापति महोदया, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

सभापति महोदया, राष्ट्रपति का अभिभाषण तथ्यों को उजागर नहीं करता है। हमने, तेलुगु देशम पार्टी की ओर से, भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या पर गहरी संवेदना

व्यक्त की थी। यह वास्तव में एक बहुत ही दुखद घटना है और यह भारत के इतिहास में सबसे मनहूस दिन माना जायेगा। श्री राजीव गांधी की एक चित्ताकर्षक व्यक्तित्व था। 1984 में, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी की स्वच्छ छवि के कारण कांग्रेस (इं.) पार्टी को सभा में सबसे अधिक स्थान प्राप्त हुए ये बाद की घटनाएं इतिहास का अंश है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण हिंसा के उस महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र करने में असफल रहा जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद हुआ। महोदया, शायद आपको विदित होगा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दूसरे बहुत से स्थानों में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी थीं। आंध्र प्रदेश में 70 करोड़ रुपए से अधिक सम्पत्ति बर्बाद की गई थी ? मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, नागालुरू नामक गांव में श्री मोरला जमालैया की जोकि एक गरीब गोड़ा था, कांग्रेस (इ.) के लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। विजयवाड़ा कम्मामपाडु जग्गायपेर, कोडापल्ली, मचरेला, हैदराबाद चेरलापल्ली और बहुत से अन्य स्थानों पर बहुत बड़ी संख्या में छोटे-मोटे व्यापारियों—सिगरेट, पान, सोडा—से संबंधित औद्योगिक संस्थानों को लूटा गया; उनको नष्ट कर दिया गया था और कुछ को जला दिया गया था। मचरेला और चिलाकाभुरंपेट के हमारे विधायकों के घरों सहित बहुत बड़ी संख्या में लोगों के घरों को नष्ट कर दिया गया था : यहां तक कि हस्पतालों को भी नहीं बख्शा गया था। कांग्रेस (इ) के गुण्डों ने दूसरे असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर हस्पतालों पर धावा बोला और मरीजों को अपनी जान बचाने के लिए भागने को मजबूर कर दिया था। हैदराबाद के दोहरे थियेटर 'राम-कृष्ण' जिसमें कि बहुत ही सुन्दर कला कृतियां हुआ भी मुम्बई से बहुत से लोग वस्तुतः इन थियेटरों को देखने के लिए हैदराबाद आते थे, वास्तव में ये सभी हमारे पार्टी के नेता श्री एन. टी. रामाराव के थे—को पूर्णतया जला दिया गया था और नष्ट कर दिया गया था। 'ताराकाराम' थियेटर भी जला दिया गया था। महोदय मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हैदराबाद में यह सब कुछ कांग्रेस (इ.) के विधायकों की मौजूदगी में हुआ।

महोदया, राज्य सरकार के इस उदासीन रवैये के कारण हमारे नेता श्री एन. टी. रामाराव को सर्वोदय न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा निष्पक्ष जांच कराये जाने के शिकार लोगों को सहायता उपलब्ध कराये जाने तथा इन अत्याचारों के पीछे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाये जाने की मांग करते हुए मौन भूख हड़ताल करनी पड़ी थी। महोदया, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब तक किसी प्रकार की जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं और न ही उन छोटे-मोटे व्यापारियों को, जो कि अपने और अपने परिवार के निर्वाह के लिए प्रतिदिन की 40 या 50 रुपए की कमाई पर आश्रित हैं, कोई सहायता दी गई है। उनको एक भी रुपया नहीं दिया गया है। दुर्भाग्यवश, जिन विधायकों के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट वे गलियों में घूम रहे हैं और वे अभी भी कांग्रेस पार्टी के नेता होने का दावा करते। महोदया, राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में इन बातों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। सरकार इस मामले पर तत्काल ध्यान दे और प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। 19 8 में आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेस (इ.) विधायक की हत्या के बाद दंगे हुए थे। तब सरकार ने प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की थी। इसी प्रकार हिंसा के शिकार इन सभी लोगों को भी सहायता उपलब्ध कराई जाए और दंगों के जिम्मेवार लोगों के खिलाफ शीघ्र कदम उठाए जाएं। अभिभाषण के पृष्ठ 5 पर यह कहा गया है—

"राजीव गांधी की हत्या से देश में हिंसा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता पर ध्यान और अधिक तीक्ष्णता से आकृष्ट हुआ है। देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति कुछ समय से अत्यधिक चिन्ता का कारण बनी हुई है।"

यथातथ्य, यह सौ प्रतिशत सही है। लेकिन जैसाकि मेरे माननीय मित्र श्री पी. एम. सईद ने अभी-अभी कहा है, हम अपने मन में झांककर पता लगाएं कि हिंसा की इस बढ़ती हुई प्रकृति के लिये कौन जिम्मेवार है? पंजाब राज्य में आतंकवाद और हिंसा तथा अलगाववाद की प्रवृत्ति के लिए कौन जिम्मेवार है? भिण्डरा वाले को किसने प्रोत्साहन दिया था? उसे आगे कौन लाया था? त्रिपुरा में हिंसा किसने भड़काई थी? चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए त्रिपुरा में टी.एन.वी. लोगों की सहायता किसने की थी? जम्मू और कश्मीर के बारे में जो कहा गया है वह एक तथ्य है। अभी-अभी श्री सईद ने किसी का जिक्र किया है। उन्होंने किसी भद्र पुरुष के बारे में टिप्पणी की थी। जिन्होंने एक राज्यपाल के रूप में कार्य किया तथा बाद में वह राज्य सभा के सदस्य बन गए लेकिन क्या आप आसानी से इस बात को भूल गए कि यह वही व्यक्ति है जिसे डा. फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिराई थी तथा वही श्री जी. एम. शाह के नेतृत्व वाली नई सरकार लाए थे। दुर्भाग्यवश हिंसा को बढ़ावा संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों से दिया जाता है। इसके परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं तथा लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पंजाब में उस समय कांग्रेस (आई) के संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कितने हजारों लोगों की जानें गयी। हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में भी श्री रामाराव की लोकतान्त्रिक रूप चुनी हुई सरकार को गिराकर भास्कर राव की सरकार बनायी गयी थी तथा बाद में लोगों के शक्तिशाली आन्दोलन तथा उनके त्याग के कारण श्री एन. टी. रामाराव की सरकार को फिर से सत्तारूढ़ किया गया था। आप जानते हैं कि आपने क्या किया है। हाल ही में श्री चन्द्रशेखर की एवजी सरकार के माध्यम से आपने श्री करुणानिधि की सरकार को गिरा दिया था। लोगों ने द्रमुक सरकार को लोकतान्त्रिक तरीके चुना था। उस समय आपकी तथा अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक के बीच कोई चुनावी गठबन्धन नहीं था। डी. एम. के. सरकार के पक्ष में लोगों ने मतदान किया था। आपने इस सरकार को गिराने की हिम्मत कैसे की। क्या आप यह भूल गये? (व्यवधान) राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आप यह सब कर रहे हैं। परन्तु इससे लोगों में चुनाव प्रक्रिया तथा लोकतान्त्रिक राजनीति में विश्वास उठ जायेगा। यही बात मैं इस सभा को बताना चाहता हूं।

अतः हमें अपने दिलों में झांकना चाहिए तथा इस देश में अलोकतान्त्रिक तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए। अंत में पृष्ठ चार में बताया गया है कि लोगों को बहुत अधिक त्याग करना पड़ा है। यह बात काफी चर्चित है कि उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता को वापस ले लिया जायेगा। मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि किसान इस वक्तव्य से तथा इस समाचार से चिन्तित हैं अब तक उर्वरक राजसहायता में से 60 प्रतिशत किसानों को मिलती है तथा 40 प्रतिशत उत्पादकों को मिलती है जिससे उनके उत्पादन की लागत का खर्च पूरा किया जा सके। या यह कुछ निहित स्वार्थों को मिलती है। मेरा विनम्र सुझाव है कि सरकार जो रियायत देती है वह उसको कम करने का कदम न उठाये क्योंकि किसान सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अब सरकार कहती है कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, परन्तु दुर्भाग्यवश कृषि से होने वाली आय तथा गैर-कृषि कार्यों से होने वाली आय के बीच का अनुपात कम हो रहा है। वास्तव में यह आधा रह गया है। वास्तव में 1970-71 की तुलना में यह आधा हो गया है। ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में

कुल कृषि क्षेत्र को केवल 17 प्रतिशत दिया गया है जोकि कुल राष्ट्रीय आय का लगभग एक तिहाई है, परन्तु 36 प्रतिशत पूंजीपतियों, उद्योग पतियों तथा बड़े व्यापारिक घरानों को जाता है जिनका योगदान कुल राष्ट्रीय आय का केवल 20 प्रतिशत है। यहां तक कि किसानों की बचत को ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र को दे दिया जाता है। अतः इन परिस्थितियों में मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि किसानों पर बोझ न डालें।

अन्त में मैं केवल एक चेतावनी देना चाहता हूं। अब सरकार ने घोषणा की है कि उसका औद्योगिक क्षेत्र के लाइसेंस को समाप्त करने का इरादा है। पहले ही दुर्भाग्यवश आधुनिकीकरण के नाम उदारीकरण के नाम पर संयंत्रों को विदेशों से आयात किया गया। सभी यात्री कारों स्टैन्डर्ड 2000, मारुति 1000 फीएट 118 एन ई तथा अन्य कारों के पुर्जों का आयात किया जा रहा है। यहां तक कि वाशिंग मशीन के लिए भी आयात किया गया तथा सारी अर्थव्यवस्था अधर में डाल दी गयी मेरे मित्र ने कहा है कि केवल राष्ट्रीय मोर्चा सरकार अथवा चन्द्रशेखर सरकार के 1½ वर्ष इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। नहीं। यह इन चार दशकों से सरकार द्वारा पालन की जा रही गलत आर्थिक नीतियों के कारण है। यह बात मैं इस सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं।

अब जबकि आपका कोई नियंत्रण नहीं रहा है बड़ी संख्या में छोटे उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं। पहले ही दो लाख से अधिक छोटे उद्योग रुग्ण हो गए हैं तथा लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं। वे सड़कों पर आ गए हैं। आपकी नई नीति के कारण और अधिक लाखों लोगों को कष्ट उठाना पड़ सकता है। अतः मेरा सुझाव तथा चेतावनी यह है कि सरकार इस दृष्टिकोण में बहुत सावधान रहे। कृपया यह देखें कि छोटे उद्योगों कोई नुकसान न हो। कृषि को उच्च प्राथमिकता दीजिए जो महात्मा गांधी ने कहा था तथा इन वर्षों में आप इसको भूल गये हैं। पहली प्राथमिकता कृषि को दीजिए, दूसरी प्राथमिकता छोटे उद्योगों को दीजिए। और फिर बड़े उद्योगों को प्राथमिकता के लिए इस नये दृष्टिकोण से ही हम वर्तमान आर्थिक संकट को दूर कर सकते। मुझे आशा है कि सरकार इन सुझावों पर ध्यान देगी।

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदया, राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है कि विद्युत उत्पादन बढ़ाया जाएगा तथा भारत की पर्यावरण के संरक्षण के प्रति वचनबद्धता है। मुझे आश्चर्य है कि जहां तक पर्वतों का सवाल है कि ये दोनों एक साथ चल सकते हैं। मैं यह मामला विशेष रूप से इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि टेहरी बांध का सवाल है। टेहरी बांध विवाद शुरू से ही चल रहा था और यह आज भी चल रहा है। मैं समझता हूं कि इस सभा को इस टेहरी बांध के परिणामों के बारे में पूरी तरह से नहीं बताया गया है और इसलिए मैंने इस मामले को सभा में उठाया।

टेहरी बांध, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है, दो बहुत महत्वपूर्ण नदियों—भागीरथी तथा भीलंगाना के बहाव को रोकती है जिससे 40 मील तक झील बन जाती है, यह चिन्ताजनक बात है कि प्राकृतिक सम्पदा के नष्ट होने के अलावा यह दो उर्वर घाटियों को डुबो देगी तथा टेहरी नगर और गांवों के लोगों को उजाड़ देगा। 1981 की जनगणना के अनुसार 40,000 तथा आज 70,000 लोग ऐसे हैं, जिन्हें उनके घर से बेघर कर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि इस बांध की योजना सही नहीं बनायी गयी है तथा स्वाभाविक रूप से विवाद उठ खड़ा हुआ है।

आरम्भ में जब यह विवाद उत्पन्न हुआ तो एक रांय आयोग का गठन किया गया तथा वास्तव में उन्होंने इस योजना को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि सुरक्षा कारकों बांध के जीवन लोगों के पुनर्वास तथा लागत से होने वाले लाभ, अर्थात यदि लागत 1 है तो लाभ 1.5 होना चाहिये, के बारे में किन्हीं आंकड़ों का आकलन नहीं किया गया केन्द्रीय जल आयोग के अधीन एक और समिति का गठन किया गया है। परन्तु इस समिति के निष्कर्षों को नजरअन्दाज किया जा सकता है। क्योंकि पहले ही यह परियोजना रूस को बेचने के लिए बनाई गई थी, हमने रूस को इस परियोजना को बेच दिया और रूस ने हमें सहायता प्रदान की। परन्तु वह पक्की रिपोर्ट नहीं थी। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण विभाग की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही कार्य शीघ्रता से शुरू कर दिया गया था। नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक, श्री चतुर्वेदी ने यह बताया कि जब टिहरी बांध के प्राक्कलन संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय में भेजा गया हो तो उस समय न कोई पर्यावरणीय स्वीकृति थी और न हो योजना आयोग की कोई स्वीकृति मौजूद थी। सम्पूर्ण टिहरी बांध परियोजना को मजबूरन पर्यावरण मुल्यांकन समिति को भेज दिया गया था। उन्होंने अपने विशेषज्ञों तकनीकी विशेषज्ञों तथा अधिकारियों से बातचीत करके यह निष्कर्ष निकाला था कि गाद सम्बन्धी उचित अध्ययन के अभाव में बांध का कार्यकाल अनिश्चित है। परियोजना में कहा गया है कि बांध का कार्यकाल 10 वर्ष होगा परन्तु यह बहुत अधिक समय कहा गया है। वास्तविक प्राक्कलन केवल 15 वर्ष के लिए होगा। उन्होंने यह भी कहा कि डुबाव-क्षेत्र के लिए कोई उपयुक्त योजना नहीं तैयार की गई है। महा विपदा प्रबन्ध मंडल द्वारा अध्ययन नहीं लिया गया था तथा पुनर्वास योजना भी त्रुटिपूर्ण थी।

एक सुसंगत प्रश्न, जो बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है, यह भूकम्प के बारे में है। यदि हम हिमालय के इतिहास को देखें तो हम यह पाएंगे कि 300 वर्षों में समय-समय पर भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट से टकराने के कारण ऊर्जा निकलती रहती है और इसीलिये हम देखते हैं कि 1905 में कांगड़ा में वर्ष 1934 में उत्तरी बिहार तथा 1950 में उत्तर पूर्व में भूकम्प ऊर्जा निकली थी। केवल मध्य हिमालय क्षेत्र जहां टिहरी बांध स्थित है में ही भूकम्प नहीं आया है। टिहरी बांध पर भूकम्प आने की आशंका है। अत: उन्होंने कहा कि इसकी केवल सम्भावना ही नहीं, अपितु यह निश्चित है कि टिहरी बांध पर भूकम्प अवश्य आएगा और वह भी टिहरी बांध के कार्य काल में।

इसके साथ ही साथ हमें यह अध्ययन करना चाहिए कि भूकम्प माप के अनुसार भ्रमण का कितना प्रभाव पड़ा कांगड़ा में भूकंप माप के अनुसार भूकंप का विस्तार 8,6, उत्तरी बिहार में 8.4 तथा उत्तर पूर्व में 8.7 रिकार्ड किया गया था। टिहरी बांध की योजना भूकम्प माप के अनुसार 7.2 के आधार पर बनाई गई जबकि अन्य सभी क्षेत्रों में यह 8 पांइट से अधिक था। यह तथ्य है। फिर भी, इस स्थिति में, अधिकतम भूसंपर्कित गतिवर्द्धन अभी भी 0.25 जी. बना हुआ है और यह कहा गया कि बांध की सुरक्षा 8.0, 0.25 जी. अधिकतम भूसम्पर्कित गतिवर्द्धन बहुत ही कम है। यह 1.0 जी. होनी चाहिए। एक विशेषज्ञ प्रो. जेम्स ब्रून ने स्पष्ट रूप से बताया कि यह 1.0 जी. से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए जबकि हम अभी भी 0.25 के आधार पर कार्य कर रहे हैं।

आप कृपया वास्तव में, भूकम्प के प्रभाव की कल्पना करें। 8 पांइट से अधिक के भूकंप जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है, का प्रभाव लगभग 10 हजार हिरोशिमा पर छोड़े गए बम के

बराबर अथवा 2.87 करोड़ टन टी.एन.टी. के बराबर है। जबकि भूकम्प माप के अनुसार 7.0 विस्तार के भूकम्प का प्रभाव केवल 90,700 टन टी.एन.टी. होगा। इससे हमारे क्षेत्र में महा विपदा आएगी।

सरकार को न्यायधीश श्री कुलदीप सिंह द्वारा उच्चतम न्यायलय में दिए गए निर्णय पर भरोसा हो सकता है। परन्तु माननीय न्यायाधीश ने निर्णय देते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि वह तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं, उन्हें इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है। वह पूर्ण रूपेण तकनीकी विशेषज्ञों की राय पर निर्भर था परन्तु प्रश्न यह है कि वहां किस प्रभाव के तकनीकी विशेषज्ञ थे। इनमें से एक तकनीकी विशेषज्ञ विश्व का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था जो अब महासागरीय विकास विभाग में कार्यरत है। उनका नाम श्री गोड़ है। यह विमल टिप्पण है, जिसे महत्व दिया जाना चाहिए।

महोदय, इस बात को छोड़ते हुए कि क्या यह सही है अथवा गलत परियोजना से निसंदेह ही लोगों के लिए अथवा हड्डी भूमि के लिए खतरा है। इस समय यह आवश्यक है कि लोगों को उनकी भूमि तथा उनके जीव जन्तुओं तथा पेड़ पौधों को संशय का लाभ दिया जाए। बुद्धिमत्तापूर्वक लिए गए निर्णय अनुसार भी यह आवश्यक है। पहले बहुत से बांध असफल रहे है तथा मोर्वी बांध की घटना अभी भी हमारे दिमाग में ताजा है।

टिहरी बांध के संबंध में काफी पैसा खर्च हो चुका है परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जान और माल अधिक महत्वपूर्ण है या बांध। निश्चय ही, मैं अत्यन्त उग्र उपायों के बारे में नहीं कहता परन्तु मैं यह सुझाव दूंगा कि टिहरी बांध के स्थान पर हमें रन आफ द रिवर टाइप योजना को अपनाना चाहिए। इस टिहरी बांध में हमारे पास दो रक्तरंगों और एक बड़ा सुरंग है। रन आफ द रिवर योजना में दो सुरंगों का अभी इस्तेमाल किया जा सकेगा केवल एक बड़ा सुरंग फालतू बचेगी। अतः करोड़ों रुपयों के मामले में 50 करोड़ रुपयों का नुकसान इस बांध क ब नने से होने वाले विनाश की तुलना में कुछ भी नहीं है। अतः सरकार को टिहरी बांध को बदलने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए।

रन आफ द रिवर योजना के अनेक लाभ है और मैं संक्षेप में उनका उल्लेख करना चाहता हूं। रन आफ द रिवर योजना से पूरे वर्ष 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी जबकि बांध से हमें केवल व्यवस्ता के समय बिजली प्राप्त होगी अर्थात 24 घण्टे में केवल 4 घन्टे के लिए ही बिजली मिलेगी रन आफ द रिवर योजना में गाद के बारे में उल्लेख नहीं किया गया जबकि टिहरी बाध में गाद भरे जाने से इसका कार्यकाल केवल 30 वर्ष अथवा पन्द्रह वर्ष ही रह जाएगा।

अब बात यह है कि यहां 9.800 ग्रामीण परिवार है जिनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी। अब तक केवल 1900 परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई हैं और शेष परिवारों को भूमि के अभाव से बसाया नहीं गया है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मानवेन्द्र शाह : महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अतः मैं इस का उल्लेख करना चाहता हूं।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि रन आफ द रिवर योजना के अनेक लाभ हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) लोग अपने स्थायी निवास स्थानों पर रह सकते हैं।

(2) लघु पन बिजली योजनाओं से 1001 गांवों में विद्युतीकरण हो जाएगा।

(3) पम्प योजनाओं से पहाड़ी क्षेत्रों की जल समस्या का समाधान हो जाएगा।

(4) पर्यावरण का भी संरक्षण होगा।

(5) इसके अतिरिक्त, यदि कभी भूकम्प जैसी घटना घटित होती है तो भूकम्प से होने वाला विनाश भी कम होगा।

पहाड़ी लोगों की उपेक्षा और उनके प्रति सौतेला व्यवहार एक प्रमुख कारण है कि हम अलग उत्तरांचल राज्य की मांग कर रहे हैं और यदि हम पहाड़ी लोगों के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रहा तो मुझे डर है कि हम इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाएंगे।

महोदया, मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, चूंकि वह उत्तर प्रदेश से नहीं है, अतः वह नए प्रयास करेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं सभी दलों और सभा के सभी सदस्यों से भी अनुरोध करता हूं कि वह हमारी सहायता करें और हमें इस क्रूर विकृति से बचाएं। यह हमारे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि इस मुद्दे पर सभी एकमत होंगे।

महोदया, मुझे जो यह अवसर प्रदान किया गया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह सुपर लेक का मामला हमारे लिए कडवाहट भरा न हो।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, मैंने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुना भी है और पढ़ा भी है और मुझको ऐसा लगा कि मुझे इसका पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। अभिभाषण किसी भी सरकार की प्रतिबिम्ब नीतियों होता है। इस अभिभाषण में नई सरकार की नई नीतियों को दर्शाने का प्रयास किया गया है जो आने वाले दिनों में उसके कदमों को स्पष्ट करती है। इस समय देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इसलिए हर देशभक्त नागरिक अत्यंत चिंतित है। देश में आतंकवाद का साम्राज्य है, जनजीवन असुरक्षित हो गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है,

नौजवान बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त हैं, महिलाएं उत्पीड़न से ग्रस्त हैं। देश का रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए देश को गिरवी रखने और देश का सोना बेचने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे संकटकालीन समय में पूरे देश के लोगों की निगाह इस अभिभाषण पर लगी हुई थी और सब को यह उम्मीद थी कि नई सरकार कुछ ऐसा ठोस कार्यक्रम लाएगी, कुछ ऐसी नीतियां लाएगी जिससे आने वाली चुनौतियों का हर मोर्चे पर सफलतापूर्वक मुकाबला किया जा सकेगा, उनसे उबरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस अभिभाषण से सभी वर्गों को बड़ी निराशा हुई।

सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने अपनी परंपरागत नीतियों के अनुसार फिर से देश को मीठी गोली देने की कोशिश की है, जिसके अन्दर पूरी तरह से कड़वाहट भरी हुई है और इन्हीं कारणों से इस देश की आर्थिक व्यवस्था जर्जर हो गई है और आज पूरा देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, इस देश के एक युवा राष्ट्रीय नेता की नृशंस हत्या हो गई तथा पंजाब मे अंधाधुंध लोगों की हत्याएं हो रही हैं। जम्मू-कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती ही चली जा रही है, हमारी सीमा पर भी घुसपैठ होती जा रही है, लेकिन अभिभाषण में सुरक्षा के बारे में जो भी जिक्र किया गया हैं, वह बहुत ही अस्पष्ट है और उसमें सशस्त्र बलों की तो तारीफ की गई है परन्तु यह नहीं बताया गया है कि देश के आंतरिक उपद्रवों को दबाने के लिये और जो बाहरी जो घुसपैठ हो रही उसको रोकने के लिए व देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के लिए यह सरकार किस प्रकार के कदम उठायेगी तथा उसकी क्या नीति है, इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा पैरा 13 में यह कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं में जो वृद्धि हुई हैं, उसके लिए सरकार अत्याधिक चिंतित है, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि 100 दिन के अन्दर आवश्यक वस्तुओं की मूल्यों को कम किया जाएगा, लेकिन ऐसा अब संभव नहीं लगता क्योंकि इस संबंध में अभिभाषण में किसी रणनीति की चर्चा नहीं की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस सुविधा का लाभ आखिरी आदमी तक पहुंचाया जाएगा लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था में अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस कारण आवश्यक वस्तुयें जरूरतमंद लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाती हैं, इस अव्यवस्था को किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा, इस बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। देश की तमाम समस्याओं के बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने प्रभावशाली ढंग से चर्चा की, लेकिन महिलाओं के संबंध में यहां पर चर्चा ही नहीं हुई। इसलिए मैं महिलाओं की समस्याओं के संबंध में कहना चाहूंगी। महिलाओं और बच्चों के बारे में अभिभाषण में कहा गया है कि देश की जनसंख्या के ये दो अत्यंत नाजुक हिस्से है और इनकी ओर विशेष ध्यान देना है। एकीकृत बाल विकास सेवा के 15 वर्ष पूरा करने और उसके सफल क्रियान्वयन के संबंध में संतोषजनक किया गया है, लेकिन सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि यह जो बाल विकास सेवा है, यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इस योजना के तहत बच्चों के लिए जो पोषाहार ग्रामीण स्त्रियों में जाता है वह या तो बाजार में बिकता है या फिर जानवरों का चारा बन कर रह गया है। आज भी अगर आप इस विभाग के सरकारी दस्तावेज उठा कर देख लें तो इस योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो जायेगा। आप देखेंगे कि जिस ग्रामीण क्षेत्र में पोषाहार बंट रहा है, वहां के बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, जिन बच्चों को एंटी टिटनेस का टीका लगाया जाता है, वे बच्चे टिटनेस की बीमारी से मर रहे हैं, जिनको पोलियो ड्राप्स दी जा रही हैं, वे बच्चे पोलियो की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ? सरकारी फाइलों में कार्यक्रम चल रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का

और कौन सा नमूना हो सकता है। विकास कार्यक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की कोई भी कदम उठाने की बात नहीं कही गयी है, बल्कि उसके सफल क्रियान्वयन की बात कह कर एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश की गयी है। अगर इसी तरह से केवल कागजों पर योजनाएं चलती रहीं तो इस देश की महिलाओं और बच्चों का भविष्य उतना ही अन्धकारमय बना रहेगा जैसे कि पहले रहा है हम लोगों को इस बात पर भी यह भी बड़ा आश्चर्य है कि अभिभाषण में महिलाओं में चेतना विकसित करने के बारे में तो बात कही गयी है लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित विधेयक, जो 1990 में सर्वसम्मति से दोनों सदनों में पास हुआ था उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गयी। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक पास किया था। इस विधेयक को दोनों सदनों, लोक सभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था तथा राज्य सरकारों ने भी इस पर सहमति दी थी। लेकिन इसकी कहीं भी कोई चर्चा नहीं की गयी। संवैधानिक अधिकारों से युक्त राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं की हर समस्या से जूझने का अधिकार दिया गया था तथा महिला उत्पीड़न के सम्बन्ध में हर प्रकार की जांच करने का अधिकार दिया गया था। महिलाओं से संबंधित हर प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक चेयरमैन और सात सदस्यों के साथ इस आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी गठन पूरा होने से पहले ही राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार चली गयी और यह सपना पूरा नहीं हो सका। महिलाओं और बच्चों के विकास के सम्बन्ध में राष्ट्रीय महिला आयोग की चर्चा न करके एक महिला आयुक्त नियुक्त करने की बात कही गयी है। इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि महिला आयुक्त कोई अधिकारी महिला होगी या समाज सेवी महिला होगी। क्या हमारी सरकार को यह नहीं मालूम कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीलन और धुएं से भरी झोंपड़ी में एक हाथ का घूंघट निकाले हुए दहेज की कमी के ताने को सगे संबंधियों से सुनते हुए जो महिला मूक होकर आंसू बहा रही है उसके अधिकारों की रक्षा या उसके अन्दर जागृति लाने का कार्य क्या यह महिला आयुक्त कर पाएगी? क्या आप लोग यही समझते हैं कि महानगरों में घूमने वाली महिला या इस सदन में बैठने वाली महिलाओं के संबंध में आपको सोचना है? जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं अज्ञानता के अन्धकार में डूबी हुई हैं, जो अशिक्षित हैं, जानवरों से भी बदतर जीवन बिता रही हैं, शादी करके ससुराल चली जाती है, लेकिन उनको नहीं मालूम रहता है कि कब उन्हें दहेज की कमी के कारण या किसी और वजह से घर से निकाल दिया जाएगा और वह बेघर हो जाएगी और समाज में तिरस्कृत हो कर परित्यक्ता का जीवन यापन करने को विवश कर दी जाएगी। इनके हित के बारे में क्या करेंगे। मैं यह जानना चाहती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में क्या कमी था, जो आप लोगों ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया बिल्कुल जिक्र तक नहीं किया। उसकी जगह पर महिला आयुक्त लाने की कोशिश की है। जबकि महिला आयुक्त का प्रस्ताव कई बार ठुकराया जा चुका है राष्ट्रीय महिला आयोग देश के विभिन्न महिला संगठनों की राय से विचार-विमर्श के बाद बना था। राष्ट्रीय महिला आयोग की अपेक्षा यह स्पष्ट करती है कि महिलाओं की जागृति के बारे में आप लोगों ने केवल खाना-पूर्ति की है। आप नहीं चाहते हैं कि महिलाएं भी आगे आकर इस समाज के विकास में हाथ बटाएं और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हों।

इसके साथ ही अभिभाषण में फैमिली कोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आप जानते

है फैमली कोर्ट का भी महिलाओं से बहुत घनिष्ठ संबंध है। अगर फैमिली कोर्ट के मामले में इसमें कहीं कमी थी तो उसके अन्दर संशोधन करके उसको और सक्तिशाली बनाया जा सकता था। पिछली सजपा सरकार ने, जो कांग्रेस द्वारा समर्थित थी, तीस हजारी कोर्ट के वकीलों के दबाव में आकर इसमें कुछ सशोधन करने की बात की थी, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इसमें कोई परिवर्तन करना चाहेगी, कोई संशोधन करना चाहेगी ? अगर वर्तमान सरकार संशोधन करना चाहती है तो महिला संगठनों से विचार-विमर्श करने के बाद ही कोई कदम उठाते तो ठीक रहेगा। क्योंकि यह विशेषकर महिलाओं से संबंधित कोई है फैमिली कोर्ट जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां उनको पूरी सुविधा नहीं है। कई जिलों में फैमिली कोर्ट का गठन नहीं हुआ है। इस लिए आपको चाहिए कि प्रत्येक जिलों में फैमिली कोर्ट के गठन के कार्यक्रम को प्रारम्भ कर दें ताकि उसका लाभ उठाया जाए। महिला और पुरुष दोनों ही उठा सके।

इसके अतिरिक्त बालिका भ्रूण हत्या के संबंध में कोई चर्चा नहीं गई है। साईंस और मेडिकल साईंस का विकास हुआ यह बड़ी खुशी की बात है लेकिन ये विकास भी महिलाओं के ऊपर तलवार बनकर लटक गया। अभी तक यह होता था कि दहेज के कारण हमारी नाजों से पाली बेटी को जलाकर मार दिया जाता था या फांसी के फन्दे पर लटका दिया जाता था। परन्तु अब इस दुनिया में आने से पहले ही गर्भावस्था में बालिकाओं को मार देने की योजना बना ली जाती है, इस जघन्य कार्य को रोकने के संबध में कोई जिक्र नहीं है। मैं चाहूंगी कि बालिका भ्रूण हत्या के संबंध में कोई कठोर कानून बनाकर इस जांच को रोक देने का कार्य तुरन्त प्रारम्भ कर देना चाहिए ताकि बालिकाओं की हत्या रुक सके। इसके अतिरिक्त अश्लील विज्ञापन और नारी शरीर के नग्न प्रदर्शन को भी व्यवसायिक बनाने से रोकना चाहिये उसके रोकने के सम्बन्ध में कोई कड़े कदम उठाने की बात नहीं की गई है। असंगठित महिला मजदूर की समस्या के सम्बन्ध में भी बात नहीं उठाई गई है। बड़ी-बड़ी बिल्डिगों को बनाने में महिलाएं मजदूर भी काम करती हैं उन्हीं में से कई गर्भवती महिला मजदूरों को असामान्य परिस्थितियों में गारा और मिट्टियों के ढेर के बीच में बच्चे को जन्म देना पड़ता है। वहां पर उन्हें कोई डाक्टरी सहायता नहीं मिल पाती है। प्रसव के तीसरे दिन बाद पैसा कमाने के लिए उसे फिर नवजात शिशु को छोड़कर काम पर जाना पड़ता है। कमजोरी की हालत में बोझा भी ढोना पड़ता है। इस प्रकार की विवश गर्भवती महिलाओं के लिये आप क्या योजना लाना चाहते हैं ? इस बारे में मेरी राय है कि हमारी सरकार को मातृत्व कोष की स्थापना करनी चाहिये ताकि गरीब माता और बच्चे की देखभाल हो सके। मां और बच्चे देश के नाजुक हिस्से हैं वाली बात कही गई है। लेकिन इस बारे में आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए। आजादी के 44 साल हो गए। लेकिन अब भी गांवों में प्रसूति केन्द्र नहीं हैं। इस कारण महिलाओं को बड़ी दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ता रहा है। गांव-गांव में प्रसूति केन्द्र खोलने की बात क्यों नहीं की गई है।

[हिन्दी]

कहीं-कहीं पर प्रसूति-गृह व चिकित्सा केन्द्र खुले हुए हैं, तो उनमें डाक्टर नहीं रहते। दवा भी नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में आप महिला व बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे। मेरा कहना है कि आपकी मंशा महिलाओं के विकास के बारे में ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि

राष्ट्रीय महिला आयोग को पूरे अधिकार के साथ गठन करने का प्रयास करें ताकि देश के अविकसित क्षेत्र में जो महिलाएं रहती हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में जागृत किया जा सके। एक और गंभीर समस्या है महिलाओं की आज तमाम जगह पर आबादी बढ़ गई है और लोगों ने जगह-जगह पर मकान बना दिए हैं। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण महिलाओं को बड़ी लज्जाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है, इस बारे में हरेक सदस्य जानते होंगे। रोशनी से बचने के लिए शाम के अंधेरे में मुंह छिपाकर महिलाएं क्यों खड़ी हो जाती हैं। आज तक इस बारे में नहीं सोचा गया। कब तक गरीब महिलाएं इस शर्मनाक स्थिति में रहेंगी। कब तक महिलाओं को इस शर्मनाक स्थिति से उबारने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको महिलाओं के विकास के बारे में बात करना छोड़ देना चाहिए। पेयजल की समस्या के बारे में कहना चाहूंगी। आज अधिकांश प्रदेश सूखाग्रस्त हैं। समाचार पत्रों में लिखा जाता है कि बाढ़ से जूझने की तैयारी पूरी हो गई है लेकिन सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल समस्या से निपटने की चर्चा कहीं नहीं की जाती है। आज गांवों में लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मुझे कुंओं का कीचड़ वाला पानी पी रहे हैं। जानवर भी प्यास से तड़फ रहे हैं। लगभग सारी नहरें भी सूख गई हैं। प्यासे नगर में मंत्री भी स्वागत करा रहे हैं। मैं लखनऊ गई। मैंने देखा कि लोग पानी को तरस रहे हैं। हमारी माननीय मंत्री जी वहां गई तो सौ स्वागत द्वार बनवा कर अपना स्वागत करवा रही थीं। बड़े अफसोस की बात है कि जिस देश के नागरिक पानी को तरस रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ स्वागत में हजारों रुपया खर्च किया जा रहा है। आप अगर इस देश की जनता को खाना नहीं दे सकते तो कम से कम पीने का पानी को दे ताकि पानी पीकर ही गरीब आदमी जिन्दा बना रहे। मेरा यह कहना कि मण्डल आयोग के भी सम्बन्ध में इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। शब्दों के जाल में मंडल आयोग को उलझा दिया गया है। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों के मन में समाज और सत्ता में भागीदारी दिखाने की जो रोशनी जगाई थी उसको फिर से बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह जो रोशनी का चिराग उसकी झोंपड़ी में उम्मीद बनकर जल रहा है उसको आप नहीं बुझा सकते। आपको मण्डल आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करना चाहिए और आपने शब्दों का जो भ्रम जाल फैलाया है इसको तोड़ देना चाहिए। शब्दों के भ्रमजाल के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया ही है कि आप अपनी मंशा स्पष्ट करें राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से यहां जो भ्रामक स्थिति पैदा हुई है, आप उसको पढ़ लें। आप स्पष्ट जवाब क्यों नहीं देते कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं या नहीं ? आपको स्पष्ट करना चाहिए और इसको लागू करके एक बार फिर से पिछड़े वर्ग को समाज और सत्ता में उचित स्थान देना चाहिए।

आज देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। चारों तरफ साम्प्रदायिकता की आग सुलग रही है। अयोध्या मन्दिर-मस्जिद विवाद को लेकर जो बातें चल रही हैं उनको रोकना आवश्यक है। बड़े दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक दिन पहले संविधान के अनुसार सरकार के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को बनाये रखने की शपथ ग्रहण की दूसरे ही दिन पूरी उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या के मन्दिर में पहुंच कर यह कहने लगी कि राम लला हम आये हैं। मन्दिर यहीं बनायेंगे। इससे राष्ट्र के धर्म निरपेक्ष स्वरुप को धक्का लगता है। अगर ये लोग ही जाना चाहते थे तो

व्यक्तिगत तौर पर आते, तीन घंटे वहां रहते, किसी को एतराज न होता लेकिन जब आप किसी विशेष कुर्सी पर हों और जनता के सम्मान की रक्षा करने का दायित्व आप पर हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के मन में भय की भावना पैदा हो रही है। उनके अन्दर आक्रोश भी पैदा होता चला जा रहा है। प्रदेश सरकार के ऐसे कार्यों से धार्मिक उन्माद भी फैल रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों इस पवित्र सदन में धार्मिक भावना से ओतप्रोत नारे लगे, अगर वे भी इस तरह से अपने धर्म के नारे लगाते तो इस पवित्र सदन की मान्यता खतम हो जाती और धर्म निरपेक्षता की छवि मिट जाती। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि अगर आपको अपने धर्मनिरपेक्षत स्वरुप को कायम रखना है तो इस मामले में अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिए। क्या आप मस्जिद तोड़कर मन्दिर बनाने देंगे या जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि पूजा स्थल को कायम रखते हुए मन्दिर बनाया जायेगा आप इस पर सहमत होंगे, इस बारे में आपको नीति स्पष्ट कर देनी चाहिये। देश की एकता, अखण्डता को सर्वोपरि रखते हुए आपको सभी वर्गों की धार्मिक भावना का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि यह देश बहुत बड़ा उपवन है। इसमें तरह-तरह के फूल खिले हुए हैं, तमाम तरह की जातियां और भाषायें हैं और विभिन्न जाति तथा भाषाओं के लोग इस देश में रहते हैं। इस देश में जो अनेकता में एकता है उसको कायम रखिये। कोई फूल मुरझाने न पाये और न कोई फूल की रंगत उड़ने पाये इसका जिम्मा आपका है। आपको पूरी तरह से जनादेश नहीं मिला है, लेकिन अगर आपको सरकार चलाने का मौका मिला है तो आप देश की एकता, अखण्डता को कायम रखते हुए इन बातों को ध्यान में रखते हुए, महिलाओंके विकास को, देश की आन्तरिक और बाहरी स्थिति को देखते हुए लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए सरकार को चलाना चाहिए।

इस अभिभाषण में इतनी सारी जो कमियां रही है, यह महिला विरोधी व मण्डल विरोधी भाषण है, अत: इसका मैं पूरी तरह से विरोध करती हूं।

श्री आर. प्रभु (नीलगिरि) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पहले दो पैराग्राफों में ठीक ही कहा है कि हम एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी के बाद मिले हैं। मेरे लिए यह त्रासदी और भी गहन है, क्योंकि श्री राजीव गांधी केवल हमारे प्रिय नेता ही नहीं थे मुझे उनकी मंत्रि परिषद का सदस्य रहने का सौभाग्य मिला था—किन्तु इसलिए भी कि यह जघन्य काण्ड मेरे राज्य तमिलनाडु में किया गया। द्रमुक शासन के दौरान मारधाड़ की स्थित प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया गया था वह अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। लोकप्रिय व्यक्ति की, जिसके प्रति इस देश के करोड़ों लोग श्रद्धा रखते थे, बहुत कायरतापूर्ण और जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई। यह हत्या हमारी अस्मिता और हमारे लोकतन्त्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अस्थिरताकारी पैशाचिक शक्तियों ने हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। जो मतपत्र से प्राप्त नहीं किया जा सकता था, उसे गोली से प्राप्त करने की कोशिश की गई।

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति कुछ ही दिनों में देश का प्रधान मन्त्री बनने वाला था उसे खत्म कर दिया गया और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, हम इसे सहन नहीं कर सकते। ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए कड़ी कार्रवाई करनी होगी।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पंजाब, असम तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के बारे में जिक्र किया है। किन्तु मुझे यह देख कर खेद होता है कि दक्षिण में तमिल ईलाम द्वारा फैलाये गये आतंकवाद का कोई जिक्र नहीं है। हमें यहां इस बात को स्वीकार करना होगा कि तमिल ईलाम द्वारा हमारे देश की अखंडता को जो चुनौती दी जा रही है, वह जम्मू और कश्मीर अथवा पंजाब अथवा असम के आतंकवाद से कम नहीं है। विदेशी ताकतों से राष्ट्र की सुरक्षा को ही खतरा पैदा हो गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तमिलनाडु में नई सरकार इस खतरे पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर उपाय कर रही है। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह दक्षिण में आतंकवाद को रोकने के लिए वित्तीय और मानवीय दोनों प्रकार की पूर्ण सहायता दे केन्द्र को कतिपय राजनीतिक दलों के तमिल ईलम के सम्बन्धों की भी जांच करनी चाहिए। इसके साथ ही उसे तमिल ईलम के उत्तरी भारत के आतंकवादियों से सम्बन्धों का भी पता लगाना चाहिए। (व्यवधान) मेरे मित्र श्री वी. एस. राव ने द्रमुक सरकार की बर्खास्तगी आदि के बारे में जो कहा है, मैं उसके बारे में अधिक विस्तार से नहीं कहना चाहता। किन्तु मैं चाहूंगा कि इस बात को रिकार्ड किया जाये कि द्रमुक सरकार की बर्खास्तगी के बाद—जिसके कारणों पर पिछली लोक सभा में चर्चा की गई थी यदि आप कार्यवाही वृत्तान्त पढ़ें, तो वे सब बातें उसमें हैं—मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में उन्हें लोक सभा में एक स्थान भी नहीं मिला। उन्हें विधान सभा में एक स्थान मिला। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो एक सदस्य विधान सभा में आया था उसमें भी विधान सभा का सामना करने का साहस न था और वह भी त्यागपत्र देकर भाग लिया।

राष्ट्रपति जी ने देश की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए अनेक नए उपायों का विस्तार से उल्लेख किया है। हमने अपनी स्वतन्त्रता के पिछले 44 वर्षों से विकास के एक आदर्श विशेष का अनुकरण किया है और हमें इस आदर्श का अनुसरण कर पर्याप्त सफलता मिली। खाद्य संबंधी चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए हमारे माननीय कृषि मन्त्री ने कल अथवा परसों कहा था कि हम आज ऐसी स्थिति में हैं कि हमारे पास 200 लाख टन खाद्यान्न का स्टाक है। इस देश में हमारी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था है जिससे अनेक विकासशील राष्ट्र ईर्ष्या करते हैं। हमने चीनी और गेहूं के उत्पादन में इतनी वृद्धि की है कि आज यह हमारे पास निर्यात के लिए अधिशेष है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाओं, आदि के रूप में एक उत्कृष्ट और ठोस बुनियादी ढांचा तैयार किया है। हमने नाना प्रकार के अनेक उद्योग लगाये हैं जो अधुनातन जिंसों, उच्च प्रौद्योगिकी की जिंसों से लेकर उपभोक्ता उत्पादों तक का उत्पादन करते हैं। आज हम इस देश में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र ऊटी में बैठकर विम्बलडन में खेले जा रहे टेनिस मैच को देखने योग्य हो गये हैं, तो मेरे विचार से तो यह एक महान उपलब्धि है। टेलीविजन नेटवर्क सारे देश में फैल चुका है। इस देश के 95 प्रतिशत गांव टेलीविजन देख सकते हैं। टेलीविजन केवल एक मनोरंजन का साधन ही नहीं है, अपितु यह मानव संसाधन विकास का साधन भी है और हमारे महान नेता राजीव गांधी इस बात को जानते थे।

हमारी राष्ट्रीय आय में हर वर्ष पांच प्रतिशत वृद्धि हुई है। आज समस्त संसार में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में तीव्र और आमूल परिवर्तनकारी फेरबदल हो रहे हैं और तो और पूर्वी यूरोप और रूस में भी आमूल परिवर्तन हुए हैं। हम इस मामले में पीछे नहीं रह सकते। हमें भी

अन्यत्र होने वाले परिवर्तनों का अनुसरण करना चाहिए। हमें पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए। हम हाल ही में कुछ बुनियादी परिवर्तन कर चुके हैं। यदि मेरे पास समय रहा तो अन्त मे मैं इस बारे में फिर से कहूंगा। किन्तु परिवर्तन करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस देश में लाखों लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। इस देश में गरीब लोग बहुत हैं। वे न्यूनतम पर बसर कर रहे हैं और मात्र जीवनयापन कर रहे हैं। उन्हें केवल भोजन, कपड़ा और मकान, आदि ही चाहिए।

अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त अर्थव्यवस्था बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यक सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इन गरीब लोगों की सामर्थ्य से बाहर न हों और हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको जीवित रखने के लिए उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति सावधानी बरती जाये।

मेरे मित्र श्री शोभनाद्रीश्वर राव ने उर्वरक पर राजसहायता के बारे में भी कहा था। खाद और उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता में कटौती अथवा समायोजन की युक्ति संगत ठहराने की कोशिश करते समय सरकार को चाहिए कि वह इस बात का ध्यान रखे कि बहुत से गरीब लोग इस पर निर्भर हैं। सीमांत किसान, छोटे किसान ही उर्वरकों पर निर्भर हैं। उर्वरकों और खाद पर राजसहायता को युक्तिसंगत बनाते समय यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। मैं उस समय विशेष रूप से प्रसन्न था जब प्रधान मन्त्री ने विश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद के उत्तर में यह आश्वासन दिया था कि मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त नहीं की जाएगी, इसे मजबूत बनाया जायेगा और इसमें आमूल सुधार किये जायेंगे और इसे और अधिक कारगर बनाया जाएगा।

3.31 म. प.

[राव राम सिंह—पीठासीन हुए]

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने भी उल्लेख किया है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 44 वर्षों के बाद भी इस देश में ऐसे गांव हैं जहाँ सुरक्षित जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है। जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते हैं, जब हम गांवों में जाते हैं, और वहाँ देखते हैं कि लोगों को न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप भी पेयजल उपलब्ध नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के पैरा 10 में कहा है कि पांच वर्षों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था हेतु एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा और जिसका नाम हमारे महान नेता श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा।

मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रधान मन्त्री के रूप में राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान, बहुत दूरदर्शिता दिखाई थी। उन्होंने इस देश के दूर दराज के क्षेत्रों—ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा किया। मुझे याद है कि वह गरीब लोगों की झोपड़ियों में भी गये और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। उनमें दूरदर्शिता थी तथा उन्होंने यह पता लगाया था कि हमारी कार्य पद्धति में कुछ खामियां हैं। उन्होंने ऐसे पांच क्षेत्र निर्धारित किए थे जिनमें उन्होंने

प्रौद्योगिकीय मिशनों की स्थापना की थी। पेय जल आपूर्ति के सम्बन्ध में भी एक प्रौद्योगिकीय मिशन स्थापित किया गया था। प्रौद्योगीकीय मिशनों की स्थापना से अधिकारी वर्ग की लाल फीताशाही समाप्त करके कार्य का शीघ्रता से पूरा किया जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इन प्रौद्योगिकीय मिशनों की पुनरीक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि इन्हें पुनः शुरू किया जाए।

गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत से कार्यक्रम बनाए गए हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना के सम्बन्ध मे राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। परन्तु दुर्भाग्यवश, इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में होता यह है कि किसी एक विशिष्ट गांव की आवश्यकताओं, खर्च की गई धनराशि तथा स्थापित की गई परिसम्पत्तियों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं होता। हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने इस समस्या को समझा। अतः उन्होंने कार्य प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के लिए प्रयास किए। उन्होंने पंचायत राज प्रणाली, नगर पालिका प्रणाली के बारे में विचार किया जिसमें पंचायतें इन समस्याओं को निपटान करने के लिए सुदृढ़ होंगी। मैं चाहता हूं कि इसकी पुनरीक्षा की जाए। मैं नहीं समझता कि इस सभा में कोई मतभेद है। हम दल-नीति को छोड़ सकते हैं और हम सब का एक मत हो सकता है कि इस देश की ग्रामीण जनता का उत्थान किया जाना चाहिए और उनका जीवन स्तर ऊंचा जाना चाहिए। मैं विशिष्ट रूप से यह चाहता हूं कि गांवों में ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं, खर्च की गई धनराशि और अर्जित की गई परिसम्पत्तियों के बीच तालमेल हो। अतः यह एक स्वतः सन्तुलन पद्धति है। इसमें कोई चोरी इत्यादि नहीं होगी तथा धन की फिजूलखर्ची नही होगी। यदि चोरी अथवा धनराशि व्यर्थ खर्च की जाती है, तो वह अनावश्यक और अनुत्पादक होगी तथा इससे मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी।

मैं आपको यह स्मरण कराना चाहता हूं कि तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा चावल उत्पादन का मुख्य केन्द्र था। परन्तु आज यह सूखा पड़ा है, क्योंकि शायद हमें तंजावुर जिले में तेल मिला है। यह सारा क्षेत्र अरब देशों की तरह पानी के बिना सूखा हो गया है। कावेरी नदी के जल के सम्बन्ध में जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच अन्तर्राष्ट्रीय नदी है, बहुत लम्बे समय से विवाद चल रहा है। यह बहुत पुराना विवाद है। हाल ही में, उच्चतम न्यायालय के निदेश पर एक न्यायाधिकरण स्थापित किया गया था। उच्चतम न्यायालय के निदेश पर न्यायाधिकरण ने यह अन्तरिम आदेश दिया कि 205 टी. एम. सी. जल तमिलनाडु को दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश, कर्नाटक सरकार न्यायाधिकरण के आदेश का पालन नहीं कर रही है। महोदय, मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। (व्यवधान) प्रश्न यह है कि यदि उच्चतम न्यायालय के निदेश पर न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है और यदि राज्य सरकार द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश का पालन नहीं किया जाता तो हमारी कानूनी प्रक्रिया का क्या होगा? इसका सम्बन्ध केवल तमिलनाडु अथवा कर्नाटक को पानी देने के प्रश्न से नहीं है। हमारी न्यायपालिका को क्या हो रहा है? हमारी कानूनी प्रक्रिया को क्या हो रहा है? यह एक मुद्दा है, जिस पर हमे विचार करना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन समस्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए; अन्तर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और इसे केन्द्रीय विषय बनाया जाना चाहिए और इसे राज्यों के स्वनिर्णय पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मैं इससे आगे यह भी कहना

चाहता हूँ कि ऊर्जा को भी केन्द्रीय विषय बनाया जाना चाहिए ताकि ताप और जल विद्युत को संघठित करके ऊर्जा का वितरण तथा उत्पादन सभी राज्यों के लिए समान रूप से किया जाए।

हाल ही में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ संगठनात्मक परिवर्तन किए हैं, जो कि हम समझते हैं कि बहुत अच्छे हैं रुपए का अवमूल्यन किया गया है, रुपए की कीमत कम हो गई है तथा यह सोचकर निर्यातकों को प्रतिपूर्ति की नई पद्धति सुझाई गई है कि हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अब हम परिवर्तन का बात करते हैं तथा अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, अर्थव्यवस्था के विस्तार को बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जो इतने समय से अब तक होता आ रहा है, हम उससे बिल्कुल हट जाएंगे और यह कहेंगे कि जो इतने वर्षों से हम करते रहे हैं वह गलत था। हमें किसी भी मंच से सुझाव प्राप्त हो सकते हैं, चाहे वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हो, चाहे विश्व बैंक से हो, परन्तु हमें उनसे सुझाव ले लेने चाहिए और उन सुझावों पर अपनी व्यवस्था के अनुसार विचार करना चाहिए और हम अपने दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना चाहिए। कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, यदि सुझाव सही हो तो हमें उस सुझाव का कार्यान्वयन करना चाहिए चाहे हमारी कितनी भी आलोचना क्यों न हो। परन्तु यदि सुझाव सही न हो तो हममे इतना साहस अवश्य होना चाहिए कि हम उस सुझाव का कार्यान्वयन न करें।

हमारी अर्थव्यवस्था की यह स्थिति इसलिए हो गई है क्योंकि पिछले दो वर्षों में हमारी अर्थ व्यवस्था गड़बड़ा गई है। आज हमारी साख इतनी गिर गई है कि हमे 200 मिलियन डालर का थोड़ा सा ऋण लेने के लिए सोना अपने देश से बाहर भेजना पड़ा। मुझे याद है कि वर्ष 1988 में सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी कुछ कम्पनियां अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से 200 मिलियन डालर से अधिक का ऋण ले सकती थीं और आज हमारी यह स्थिति है कि हमें इंगलैंड के बैंक में सोना रखना पड़ता है अथवा 200 अथवा 00 मिलियन डालर की थोड़ी सी धनराशि ऋण लेने के लिए सोना विदेशों में भेजना पड़ता है। जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है, पिछली दो सरकारों के पूर्णतय गलत प्रबंध के कारण ऐसा हुआ।

जहां तक रुपए के अवमूल्यन तथा सोने की बिक्री के सम्बन्ध है, मैं अर्थ शास्त्री नहीं हूं और मुझे आर्थिक मामलों में अधिक जानकारी नहीं है। परन्तु मुझे बताया गया है कि अपनी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा अपनी व्यवस्था के विस्तार के लिए यह किताबी तरीके अपनाने आवश्यक हैं। शायद भविष्य में अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति को और खराब होने को रोकने के लिए यह प्रयास किया गया है। मै रुपये के अवमूल्यन अथवा अपनी अर्थ व्यवस्था के पुनर्गठन अथवा सुधार के लिए किताबी तरीके अपनाने के विरुद्ध नहीं हूँ। परन्तु क्या हमें सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को नहीं देखना चाहिए, क्या हमें यह नहीं देखना चाहिए कि क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद मे? सम्भवतः हम इस समय उल्टे कार्य कर रहे हैं। क्या हमें अपने उत्पादन आधार तथा उत्पादकता में सुधार नहीं करना चाहिए? क्या हमें अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी उपाय नहीं करने चाहिए? निर्यात संवर्द्धन के लिए नई निर्यात नीति की घोषणा की गई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अत्यन्त दूरगामी निर्णय लिये गये हैं।

स्वभावतः रुपए के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप, नकद मुआवजा देने का सहायता को वापिस लिया जाना चाहिए। परन्तु निर्यात नीति को एक ही दिशा में बढ़ावा मिला है। वह कहते हैं कि यदि आपको निर्यात के लिए अधिक धनराशि मिलती है तो सम्भवतः निर्यात में वृद्धि होगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मैं समझता हूं कि निर्यात संवर्द्धन एक बहुनिमितीय समस्या है। इसका केवल यह अर्थ नहीं है कि यदि आपको निर्यात के लिए कुछ थोड़ी अधिक धनराशि मिल जाए तो स्वतः ही निर्यात में वृद्धि हो जाएगी। आज कल हो यह रहा है कि रुपए का अवमूल्यन हो गया है अन्य देशों के आयातकर्ता अवमूल्यन के प्रभाव का लाभ उन्हें दिलाने के लिए वे हम 10 प्रतिशत मूल्यों को कम करने के लिए कह रहे हैं। मेरी राय है कि हमे केवल निर्यातकों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि में वृद्धि करने के एक अकेले मुद्दे के कार्यक्रम के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए अपितु निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हम इस समस्या पर बहु-विमतीय दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें निर्यात में सुधार का प्रयास करना चाहिए। आज निर्यात के लिए भेजी जाने वाली वस्तुयें पत्तनों पर, हवाई अड्डों पर पड़ी रहती हैं, उन्हें ले जाने के लिए समुद्री जहाज तथा हवाई जहाज नहीं होते। अतः हमें अपनी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के बारे में सोचना चाहिए। हम पत्तन पर माल के संचालन की पद्धति को सुदृढ़ करने तथा हवाई अड्डों पर इस बात की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सोचना चाहिए कि निर्यात की जाने वाली वस्तुएं शीघ्र ही देश से बाहर भेज दी जाएं। हमें चीन जैसे देश से भी सबक लेना चाहिये जिसने कुछ वर्ष पूर्व ही विदेशी व्यापार शुरू किया है। सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि उन्होंने दूसरे देशों में अपने दूतावासों को समर्थ बनाया तथा निर्यात संवर्द्धन के लिये अपने विदेशी मिशनों को समर्थ बनाया। हमें भी यही करना चाहिये। हमें अपने विदेशी मिशनों को समर्थ बनाना चाहिये, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वाणिज्यिक अटेंशे और अधिक प्रभावी बनाया जाये तथा उच्च स्तर के लोगों को विदेशों में वाणिज्यिक अटेंशे के रूप में नियुक्त किया जाये ताकि निर्यात का संवर्द्धन किया जा सके। मैं समस्याओं को समझता हूं। इस देश की आर्थिक समस्यायें बहुत ही गम्भीर हैं। मैं समझता हूँ कि सभी दलों को एक होकर सरकार के साथ सहयोग करना चाहिये ताकि इन समस्याओं को हल किया जा सके। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसमें सहयोग करें ? अवमूल्यन में ? (व्यवधान)

श्री आर प्रभु : जिस तरह से भी आप सहयोग कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सहयोग कैसा है ? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आप हमें स्थिति नहीं बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री आर. प्रभु : महोदय, मैं समाप्त करना चाहूंगा। अवमूल्यन अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिये जाने को उत्पादन का आधार बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने तथा अन्य उपायों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।

इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देते हुए यह कहूंगा कि मैं श्री बूटा सिंह द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरयिंकील) : सभापति महोदय, मैं श्री बूटा सिंह द्वारा राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

मेरे दल के नेता ने पहले ही प्रमुख नीतिगत निर्णयों के बारे में विस्तारपूर्वक अपने विचार व्यक्त किये हैं। अभिभाषण में विकास के लिए जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है मेरा दल उसका दृढ़तापूर्वक विरोध करता है। वास्तव में जिन लोगों को विकास की आवश्यकता है उनके लिए यह कम विकास की तथा विकास विरोधी योजना की एक रूपरेखा है। सबसे बड़ी बात जिसका अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है वह है भूमि सुधार सम्बन्धी कानून। कल प्रधानमंत्री ने भूमि सुधार सम्बन्धी कानून का जिक्र किया था। कांग्रेस पार्टी यह महसूस करती है कि पहले ही भूमि सुधार लागू किये जा चुके हैं तथा आगे और कुछ किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

यदि आप अतीत में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि 1950 से शुरू होने वाले दशक में महालानोबीस समिति नियुक्त की गयी थी। उस समिति ने क्या रिपोर्ट दी थी? उसने पता लगाया था कि कम से कम 63 मिलियन एकड़ फालतू भूमि वितरण के लिये उपलब्ध थी। इसके बाद समितियां नियुक्त होती गयीं, यह पता लगाने के लिये कि कितनी फालतू भूमि उपलब्ध हैं। वस्तुतः क्या हुआ? 77 लाख एकड़ भूमि कब्जे में ली गयी तथा 58 लाख एकड़ भूमि वितरित की गयी। इसमें से लगभग 20 प्रतिशत पश्चिम बंगाल से मिली। बांटी गई शेष भूमि में से केरल काश्मीर और त्रिपुरा में बांटी गई भूमि को निकाल दें तो अन्य कांग्रेस सरकारों द्वारा कितने एकड़ भूमि बांटी गयी? भूमि के वितरण में प्रयास की कमी है। आप बेरोजगारी की समस्या को कैसे सुलझायेंगे? आज लगभग 14 करोड़ लोग बेरोजगार है। मुख्य उपाय यह है कि खादी तथा ग्राम्य और छोटे उद्योगों का विकास किया जाये। आप जवाहर रोजगार योजना अथवा एकीकृत ग्राम्य विकास योजना से बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर पायेंगे यदि आप भूमि का वितरण नहीं करते हैं? मूलभूत भूमि सुधार आवश्यक हैं। अतिरिक्त भूमि प्राप्त करें तथा उसे वितरित करें। कांग्रेस पार्टी की यह अवधारणा नहीं है। कृषि क्षेत्र के बारे में जो भी कहा गया है, वह केवल देश के अमीर किसानों के लिए हैं तथा कृषि श्रमिकों तथा अन्य गरीब किसानों के लिये नहीं है। यदि यह स्थिति है तो क्या होगा? वास्तव में आप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हैं। अभिभाषण में उनके बारे मे बहुत कुछ गया है लेकिन महिलाओं, अनुसूचित जातियों, तथा अनुसूचित जनजातियों पर प्रहार बढ़ रहे है। तथा आप उन्हें भूमि दिये बिना बचा सकते हैं? संयुक्त पट्टों के बारे में बहुत चर्चा हुई थी तथा राजीव गांधी के समय से इसका बहुत प्रचार हुआ था। परन्तु अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसका क्या हुआ? महिलाओं को संयुक्त पट्टा दिए जाने के लिये भूमि होनी चाहिये। आपके पास भूमि प्राप्त करने की कोई योजना नहीं है। आप कोई भूमि सुधार लागू नहीं कर रहे हैं। आप बेरोजगारी की समस्या नही सुलझा सकते हैं।

आप जो नई औद्योगिक नीति बना रहे हैं, उससे वास्तव में रोजगार कम होंगे। आपकी योजनायें लागू की गयी तो डाक-तार तथा रेलवे विभागों में तुरन्त लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे। अतः क्या होने जा रहा है? आपके पास बेरोजगारी समाप्त करने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है।

आपने श्रमिकों के लिए कुछ नहीं किया है। डाक विभाग में तीन लाख विभागेतर कर्म-

चारी हैं। उन्हें कितना मिल रहा है ? आप उन्हें 250 से 450 रुपये तक प्रतिमास दे रहे हैं। रुपये के अवमूल्यन के पश्चात उनका क्या होगा ? एक और पहलू है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को कितना पैसा मिलता है। एक आंगनवाड़ी कर्मचारी को 225 रु. से 325 रु. के बीच वेतन मिलता है। एक आया को 1 0 रुपये मिलते हैं। वास्तव में क्या हो रहा है ? मुझे नहीं पता कि श्रमिकों के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है ? आपको विस्तार से बताना होगा कि आप औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारना तथा श्रमिक वर्ग की रक्षा करने के लिये क्या करने जा रहे हैं। श्रमिकों के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है ? वास्तव में कपड़ा उद्योग मे आधुनिकीकरण कार्यक्रम चालू करने से हथकरघा उद्योग में संकट पैदा हो गया है। लाखों श्रमिकों को निकाल दिया जायेगा। इसका क्या उपचार है ? आप कह रहे हैं कि लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों को बड़े पैमाने पर विकसित किया जाएगा। परन्तु बैंकिंग उद्योग द्वारा वास्तव में ब्याज नहीं दिया जा रहा है। यदि संरक्षण नहीं दिया जाता है तो आप लघु उद्योग क्षेत्र को कैसे सुधार पायेंगे : क्या उनके लिए कोई क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं। इन सभी क्षेत्रों में एकाधिकवादी आ रहे हैं तथा लघु उद्योग क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके लिए कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं नहीं किये गये हैं विशेष रूप से कृषि पर आधारित उद्योगों के क्षेत्र में आप रोजगार कैसे उपलब्ध करायेंगे ? यदि आप भूमि वितरित करें तो कृषि पर आधारित उद्योग विकसित होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, स्थिति नहीं सुधारना चाहते हैं। उन पर अत्याचार हो रहे हैं। उन पर हमले तथा उनकी हत्यायें आदि हो रही हैं। बिना मूलभूत सुधारों के आप कुछ नहीं कर पायेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों के अनुभव के बाद भी कुछ भी नहीं सीखा है। आप हमारा समर्थन चाहते हैं। क्यों मेरी समझ में नहीं आता है कि हम समर्थन क्यों दें। आपकी सभी नीतियां लोगों तथा श्रमिक वर्ग के विरुद्ध हैं। वास्तव में सरकार को अपनी नीतियों को स्पष्ट करना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है।

महोदय, हमारे देश में साम्प्रदायिकता बढ़ रही है।

एक सदस्य : साम्यवाद नहीं ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप हमारे समक्ष हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं ! (व्यवधान) आपका वाद कौन सा है ? (व्यवधान) आप इसे स्पष्ट करें। (व्यवधान)

प्रो. सावित्रि लक्षमन (मुकुन्दपुरम) : हम लोग साम्प्रदायिकता की जगह पर साम्यवाद को रख सकते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : इसके लिए कौन जिम्मेवार है। अब जबकि हमारे देश में साम्प्रदायिकता रही है आप उससे कुछ सीख नहीं रही हैं। आपने केरल में क्या किया। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरा सदस्य महोदया से अनुरोध है कि वह अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्रीमती सुशीला गोपालन : अभिभाषण में साम्प्रदायिकता के बारे में काफी चिन्ता की गई है। परन्तु इसको बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेवार है, महोदय, यदि आप विगत समय की ओर नजर दौड़ायें तो आपको पता चलेगा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने के

लिए जिम्मेवार है ··(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी अब भी अनुभव से सीख लेने को तैयार नहीं है। अब भी वे केरल में सभी साम्प्रदायिक तत्वों से गठजोड़ कर रहे हैं और भाजपा से उनका गुप्त समझौता है (व्यवधान) एक ओर तो वे मुस्लिम लीग से गठजोड़ कर रहे हैं और दूसरी ओर भाजपा के साथ(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजूरी) : मुस्लिम लीग ने केरल में कौन सी साम्प्रदायिकता फैलायी है ? क्या आप एक भी घटना बता सकते है ? वास्तव में जब आप केरल में सत्ता में थे तो आप एक विशेष सम्प्रदाय, मुसलमानों के खिलाफ काफी कुछ कर रहे थे···(व्यवधान)हम जानते हैं कि जब आप केरल में सत्ता में थे तो आपने किस साम्प्रदायिक तरीके से कार्य किया था (व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : स्थिति में सुधार करने के लिए कांग्रेस पार्टी को अपने तरीके बदलने होंगे। वास्तव में उन्हें उन साम्प्रदायिक तत्वों से अलग होना होगा जिससे वे गठजोड़ कर रहे हैं। साम्प्रदायिक तत्वों के साथ उन्हें अपना संबंध समाप्त करना होगा। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक आप देश में साम्प्रायिक संकट के बारे में नहीं कह सकते है। आपकी नीतियों के कारण भाजपा विकसित हुई है, आपने भाजपा को विवादास्पद स्थान पर शिलान्यास करने दिया और वास्तव में इसी से उन्हें बढ़ावा मिला ..(व्यवधान)साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए वास्तव में आपको उन साम्प्रदायिक तत्वों से सम्बन्ध तोड़ना होगा। साम्प्रायिकता हमारे देश के लिए खतरा है। छोटे सम्प्रदायों से लड़े बगैर आप बड़े साम्प्रदायिकता से नहीं लड़ सकते हैं। वास्तव में आप भी उस बात को महसूस नहीं कर कर रहे हैं। आप देश में साम्प्रदायिकता बढ़ाने के लिये जिम्मेवार हैं ..(व्यवधान) साम्प्रदायिकता के समान ही आप हिंसा के बारे में भी बातें करते हैं। आप हिंसा से कैसे लड़ सकते हैं जब तक कि कांग्रेस पार्टी इसे न छोड़ें। मैं आपको श्रीमती इन्दिरा गांधी की दिल्ली में हत्या तथा श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद की घटनाओं की याद दिलाता हूं। पूरे देश में हिंसा बेरोकटोक हुई...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन। त्रिपुरा में जो कुछ भी हो रहा है वास्तव में मैं उसकी गवाह हूं। मैं वहां गई थी और मैंने महिला संगठनों से तथा अनेक महिलाओं से बात भी की थी। औरतों के साथ बलात्कार किया गया और उनकी हत्या की गई। अनेक घर जला दिए गए लोगों को मार दिया गया···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय आपको उन्हें और समय देना होगा क्योंकि उनका समय व्यवधान में चला गया। (व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं आप सबों की बातों का जवाब देने को तैयार हूं बशर्ते कि मुझे और अधिक समय दिया जाए।

सभापति महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती सुशीला गोपालन। सभापति महोदय (व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों सवेरे अध्यक्ष महोदय ने अपील की थी कि सदस्यों के भाषण में व्यवधान न डालें क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। इन व्यवधानों के कारण हमारा काफी समय बर्बाद हो रहा है। मैं भी आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया व्यवधान न डालें।

महोदया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय मैं अपना भाषण समाप्त करूंगी।

हम पर हमला कर आप हमसे समर्थन मांग रहे हैं। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र से आने के बाद एक महिला की हत्या कर दी गई थी और अनेक परिवारों को पीटा गया। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि त्रिपुरा में क्या हो रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ सात लोग मारे गए। यह उनकी प्रवृत्ति है। अब यदि आप हमसे सहयोग चाहते हैं तो हम आपको कैसे सहयोग दे सकते हैं। पहले आपको अपना तरीका बदलना होगा। आपको उस हिंसा को रोकना होगा जिसे आपकी पार्टी ने पूरे देश में फैलाया हुआ है···(व्यवधान) जी हाँ, आप अनेक अपराधों के लिए जिम्मेवार हैं। वास्तविक परिस्थिति यह है। जब तक कांग्रेस पार्टी अपना तरीका नहीं बदलती देश की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। यही मुख्य बात है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आपने जो कहा हठासिंह जी उसे स्वीकार करते है।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने अपना तरीका बदल लिया है और वह आपका सहयोग चाह रहे हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : हमें कैसे विश्वास हो सकता है कि उन्होंने अपना तरीका बदल लिया है? कम से कम आपके काम करने के तरीके से तो नहीं लगता कि आपने अपने को बदल लिया है। आप हर काम विपक्ष की सलाह के बगैर कर रहे हैं। आप अपनी सभी नीतियां हमारी सलाह के बिना बना रहे हैं। मुद्रा के अवमूल्यन के लिए भी आपने हमसे सलाह नहीं ली तो हम कैसे सोच सकते हैं कि आपने अपने तरीके बदल दिए हैं?

महोदय, आपकी नीतियों के कारण हमें देश में गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक बेरोजगारी है। आपकी नीतियों के कारण काफी नौकरियां खत्म हो जाएंगी और बेरोजगारी और अधिक बढ़ेगी। कुछ करने के पहले आपको सोचना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीति हमें नहीं बचा पाएगी। यह वह कड़वी दवा है जिसे निगलना मुश्किल है। यह एक ऐसा जहर है जो सारे देश को बर्बाद कर देगा।

अन्त में मैं अन्तराष्ट्रीय मामलों के कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें हंसने की ऐसी कोन सी बात है। उन्हे ऐसी बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिये।

श्रीमती सुशीला गोपालन : विदेश नीति के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि साम्राज्यवादी

साजिश के खिलाफ गुट निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। वास्तव में गुट निरपेक्षता आन्दोलन साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए चलाया गया था न कि दो ब्लाकों के बीच खिलवाड़ के लिए जिन राष्ट्रों को आजादी मिल गई है, उनकी भूमिका गुट निरपेक्ष आन्दोलन में साम्राज्यवादी ताकतों के नए-उपनिवेशवाद की साजिश के विरुद्ध संघर्ष करना है राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। महोदय, जहां तक गुट निरपेक्ष आन्दोलन का संबंध है हम अहम भूमिका निभाते हैं विशेषकर अब जब सोवियत संघ की अपनी समस्यायें हैं। अब तीसरे विश्व के देशों की मदद के लिए अब कोई सोवियत संघ नहीं आएगा। इसलिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका और भी अधिक आवश्यक हो गई और विशेष तौर पर भारत को एक अहम भूमिका निभानी है। खाड़ी युद्ध ने इसे पूरी तरह साबित कर दिया है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस साम्राज्यवाद विरोधी भूमिका का भी कोई उल्लेख नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों कोष ऋण के कारण तो नहीं है। यह अधिक लिये बहुत कठिन है कि आप साम्राज्यवाद विशेषकर अमरीका के खिलाफ लड़ें। यह एक कसौटी है और यही भूमिका है जो हमें निभानी है।

अन्त में मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में यथा वर्णित महिला अधिकार आयोग के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। इस संसद में राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्बन्ध में एक बिल पास किया गया है।

4.00 म.प.

उसका हवाला दिए बिना राष्ट्रपति ने महिला अधिकार आयोग की बात की है। राजीव गांधी के समय में महिला संगठन की एक गोष्ठी बुलाई गई थी। हमने संदर्श योजना पर चर्चा की थी लेकिन उसका क्या परिणाम निकला ? सभी ने महिला अधिकार आयुक्त के प्रस्ताव का विरोध किया था और अब कांग्रेस पार्टी वही प्रस्ताव ला रही है। मेरे विचार से केन्द्र में एक आयोग से ही सारे देश की महिलाओं की समस्याओं से नहीं निपट सकते हैं क्योंकि हम उस देश में रह रहे हैं जहां अभी भी समाज पर सामन्तवादी मनोवृत्ति का आधिपत्य है। यहां तक की प्रबुद्ध महिलाएं सती के पक्ष में बोल रही हैं और वह भी इस सदन में। हमने यह भी देखा है। इसलिये केन्द्र में एक महिला अधिकार आयुक्त बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको सभी राज्यों में महिला आयोग स्थापित करने होंगे और वे जिलों से संबंधित होंगे तभी इस देश की बहुत सी महिलाओं के भाग्य सुधारने में मदद मिलेगी। हमने इस पर काफी चर्चा की थी और उस समय कांग्रेस पार्टी इससे सहमत नहीं हुई थी। अब वे आयुक्त के उसी प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। उनमें लोकतांत्रिक भावना नहीं है। यही मुख्य अड़चन है और उन्हें इसको बदलना होगा। सरकार को महिला संगठनों के साथ इसकी चर्चा करनी चाहिये और तुरन्त संसद द्वारा यथा पारित एक महिला आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। यह मांग देश की महिला संगठनों की है।

महोदय, इन सभी बातों के कारण मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं। आप कृपया हमारी पार्टी से इन सभी बातों के लिये सहयोग की भी उम्मीद न रखें। यदि इन बातों पर चर्चा की जाती है और यदि आप अपने तरीके बदलने के लिये तैयार है, तो कुछ किया जा सकता है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, कांग्रेस (इ) की महिला सदस्य महिला आयोग पर खामोश हैं ।

4.02 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) 15.7.1991 को ओखला औद्योगिक क्षेत्र नई दिल्ली में हुई बैंक डकैती

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) : मैं, इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को 15 जुलाई 1991 को नई दिल्ली में ओखला औद्योगिक क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक आफ पटियाला में हुई बैंक डकैती की घटना के बारे में अवगत कराना चाहता हूं ।

15 जुलाई, 1991 को 10.40 बे पूर्वाह्न 4 अज्ञात व्यक्ति बैंक परिसर में घुसे । जब उन में से एक को गार्ड श्री मोला राम ने पकड़ा तो दो अन्य घुसपैठियों ने उस पर गोली चला दी । श्री मोला राम तथा श्री राजीव शर्मा नामक एक बैंक ग्राहक गोली लगने से घायल हो गए । एक घुसपैठी बैंक के प्रवेश द्वार पर निगरानी हेतु खड़ा हो गया और उसके साथियों ने अकारण गोली चलाकर दूसरे ग्राहक श्री ए.के. शर्मा की हत्या कर दी । उसके बाद लुटेरों ने प्रधान कोषाध्यक्ष श्री अशोक चौधरी को उनके कैबिन के बाहर निकाला और उन्हें बैंक प्रबंधक श्री राजीव गुप्ता सहित बैंक की तिजोरी वाले कमरे (स्ट्रांग रूम) में ले गए । तिजोरी को जबरदस्ती खुलवाया गया और लगभग 2 लाख रुपए निकाल लिए गए । दोनों को नजदीक से गोली मार दी । बैंक के ग्राहक, बैंक प्रबंधक तथा बैंक गार्ड या तो घटना स्थल पर ही मर गए या उन्होंने अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ा, जबकि मुख्य कोषाध्यक्ष की मृत्यु जख्मी होने के कारण बाद में हुई ।

लुटेरों ने 9 एम.एम. पिस्तोल तथा अन्य हथियारों से कम से कम 11 राउन्ड गोलिया चलाईं, जो 7.62/7.63 कैलेबर की रही होगी । प्रत्यक्ष दर्शियों द्वारा दिए गए हुलिए से पता चलता है कि हथियार मिनी स्टेनगन रहा होगा । बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को मारने के बाद हत्यारे उस सफेद रंग की मारुती कार में भाग गए जिस पर रजिस्टेशन संख्या डी.आई.एल. 5796 लगा हुआ था । वे बैंक गार्ड की दुनाली बन्दूक भी ले गए । भा.द.वि. संहिता की धारा 394/397/302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27/54/59 और आतंकवादी और विध्वंसकारी कार्यकलाप अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन ओखला में एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 202, दिनांक 15.7.1991 दर्ज किया गया और इसकी जांच पड़ताल शाखा को सौंपी गई है ।

घटना के तुरन्त बाद शहर-भर सतर्कता घोषित कर दी गई । विशेष नाकाबंदी व्यवस्था की गयी और शहर के विभिन्न भागों में तलाशी अभियान चलाया गया । कार पर स्पष्टतः झूठा नम्बर लगा हुआ था, क्योंकि डी.आई.एल. श्रृंखला केवल ट्रकों और वाणिज्यक वाहनों को ही जारी की जाती है ।

पुलिस नियंत्रण कक्ष की गाड़ी घटनास्थल से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर थी।

बैंक में अलार्म प्रणाली मौजूद है लेकिन अलार्म घटना के बाद ही बजा।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस निंदनीय घटना की निन्दा करने में मेरा साथ दें, जिसके परिणामस्वरूप 4 निर्दोष व्यक्तियों की जानें गई। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध भी करता हूं कि वे शोक संतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने में मेरा साथ दें।

मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम अपराधियों को गिरफ्तार करने और उनके साथ सख्त कार्यवाई करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। हम अपने नागरिकों को पूर्ण संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़संकल्प है। कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारी यदि अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही अथवा चूक बरतते हुए पाए जाते है तो उन्हें निवारक दण्ड दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इतना कुछ होने के बाद भी कोई सुराग मिला या नहीं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब माननीय मंत्री जी कोई वक्तव्य दे रहे हो तो उस दौरान प्रश्न करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है। मेरा कहना यह है कि ये सारी बातें तो अखबार मे आ चुकी हैं, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है कि आगे इस तरह की घटनायें न हो। इसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपके लिये अन्य प्रक्रियायें खुली है।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : सभापति महोदय, मेरा कोई प्रश्न नही है अपितु व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप न करिये। नियमों के अनुसार इस चरण में कोई प्रश्न करने की अनुमति नहीं दी जाती। यदि सदस्य सरकार की जानकारी में कुछ लाना चाहते हैं तो उसके लिये अनेक अन्य प्रक्रियायें खुली हैं और वे उसे उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : मान्यवर, इस तरह की घटनाएं रोज हो रही। एक हफ्ता पहले कालका जी में और उसके बाद ओखला में घटना हुई और कल मेरे चुनाव क्षेत्र में एक महिला की हत्याकर अपराधी 40 हजार रुपया लूट कर ले गये। रोज आए दिन दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं श्री जैकब के द्वारा वक्तव्य देने के लिये कहूंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : सभापति महोदय मैं आपका ध्यान राज्य सभा में अपनाई जा रही प्रक्रिया की ओर दिला दूं।

यह सच है कि राज्य सभा में अपनाई जा रही प्रक्रिया के विपरीत इस सभा में मंत्री के वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण मांगने की कोई व्यस्था नही है। हमने इस पर नौवी लोक सभा की नियम समिति में विचार किया था और यह निर्णय लिया था कि अध्यक्षपीठ के स्वविवेकानुसार यहां इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिये। यह निर्णय नियम समिति मे लिया गया था। उसके आधार पर हम कुछ स्पष्टीकरण मांग रहे है। उससे अधिक कुछ नहीं। यदि हम स्पष्टीकरण मांगें और वे उनके उत्तर दे दें, तो इससे सभा को कोई हानि नहीं होती है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यदि ऐसा किया जाये, तो सभा के वाद-विवादों और चर्चाओं के स्तर में सुधार होगा।

सभापति महोदय : सदस्यगण, इस विषय नियम पूर्णतः स्पष्ट है। नियम 372 कहता है "लोक वक्तव्य के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जाएगा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।" मैं नियमों से बंधा हुआ हूं। नियमों का पालन करना होता है।

श्री निर्मल कांत चटर्जी : मैं नियम समिति का सदस्य था। इसीलिए मैंने आपको यह सूचित किया था कि हमने इस मामले पर विचार किया था और यह निर्णय लिया था कि हमें इसे सभापति पर छोड़ देना चाहिये। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : मान्यवर जो बात अखबारों में परसों आ गई उसको मिनिस्टर साहब आज बता रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने इस बारे में निर्णय ले लिया है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह निर्णय लिया गया था कि केवल स्पष्टीकरण ही मांगा जायेगा। उदाहरण के लिये क्या उन्होंने सारे देश में परेशानियां पैदा कर रहे आतंकवादियों अथवा सशस्त्र विद्रोहियों से कोई संबंध पाया? क्या मैं यह जान सकता हूं कि वे इस बैंक डकैती से जुड़े है या नहीं। वे कुछ ऐसे प्रश्न है जो न केवल दिल्ली बल्कि सारे उत्तरी भारत को जनता के मानस को उद्वेलित कर रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : इस समय मंत्री जी पर प्रश्नों की बौछार करना अनुचित होगा क्योंकि अभी उन्होंने वक्तव्य दिया है पता नहीं आप किस प्रकार के प्रश्न करना चाहेंगे, और क्या पता वे उनके उत्तर देने को तैयार है ही नहीं तथापि, सभा की भावना को देखते हुये मैं इस ओर से एक प्रश्न तथा उस ओर से भी एक प्रश्न करने की अनुमति दूंगा। यदि मंत्री जी उनके उत्तर देने को तैयार हैं, तो वे उनके उत्तर दे देंगे अथवा यदि उन्हे और जानकारी की जरूरत होगी, तो वे बता देंगे कि उनके उत्तर देने के लिये उन्हे और जानकारी की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने घटना के बारे में बताया हैं यह नहीं बताया कि सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। (व्यवधान)

श्री कालका दास : सभापति जी, दिल्ली में रोजाना घटनाएं हो रही है। आज से 7 दिन पहले कालका जी में जे-82 में 5 लोगों को बांध दिया गया। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप एक सवाल पूछ सकते हैं और यदि मंत्री महोदय तैयार है तो उसका जवाब दे सकते हैं वरना वे समय मांग सकते है। (व्यवधान)

अनुवाद

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री ए. चार्ल्स : अभी आपने एक नियम पढ़ कर सुनाना है आपने अपने विवेकानुसार व्यवस्था दे दी है। किन्तु एक माननीय सदस्य ने बताया है कि नियम समिति द्वारा किया गया निर्णय एक अलग बात है। जब तक नियम समिति की सिफारिशों के आधार पर नियम बदले नहीं जाते, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि अब तक अपनाई जा रही प्रक्रिया और नियमों में विदिष्ट प्रकिया को क्या बदला जा सकता है?

सभापति महोदय : मुझे सचिवालय ने बताया है कि नौवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान नियम समिति की बैठक हुई थी और उसमें उस बारे में यह निर्णय ले लिया गया था। यह प्रश्न भी उठा था और उस समय अध्यक्ष महोदय ने मंत्री जी द्वारा दिये गये वक्तव्य पर एक अथवा दो प्रश्न पूछने की अनुमति भी दी थी, अतः मुझे मालूम है कि मैं अब कोई पूर्ण दृष्टांत नहीं बता

रहा हूं, नौवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान एक दृष्टान्त पहले ही बता चुका है। अतैव मैं एक प्रश्न इस ओर से और एक प्रश्न उस ओर से करने की अनुमति दे रहा हूं। यदि मंत्री जी किसी प्रश्न का उत्तर देने को तैयार नहीं है अथवा यदि उन्हें उस पर और जानकारी चाहिये, तो वे यह कह सकते हैं कि उन्हें इसके लिए एक नोटिस दिया जाये।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं इसके लिये आपको बधाई देता हूं इस सभा का एक मात्र काम यही है कि वह सुनिश्चित करें कि कार्य का स्तर सचमुच उन्नत हो रहा है। आपने अपनी व्यवस्था दे दी है जिससे हम सब संतुष्ट हैं। आपने केवल दो सदस्यों पर कृपा की है, कृपया यही कृपा कुछ और सदस्यों पर भी कर दीजिये ताकि हम भी कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर सके।

सभापति महोदय : मैं आफतों का पिटारा नहीं खोलना चाहता सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। मेरे विचार से यह एक महत्वपूर्ण विषय है और मन्त्री जी हमें इसके बारे में कुछ बतायेंगे।

श्री पी.एम. सईद। उनके पास दो वक्तव्य हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : दूसरा वक्तव्य भिन्न प्रकार का है। हम पहले वक्तव्य के बारे में बात कर रहे हैं जिसे वे पढ़कर सुना चुके है।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : सभापति जी दिल्ली इस समय आतंकवादियों का अड्डा बना जा रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने प्रश्न को बैंक डकैती तक ही सीमित रखिये जिस पर माननीय मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया है। आप जो कुछ हो रहा है, उस बारे में सामान्यीकरण नहीं कर सकते। वक्तव्य 14 तारीख को पड़ी बैंक डकैती के बारे में है अपने प्रश्न उसी तक सीमित रखिये।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : मैं वही कह रहा हूं। अभी ओखला में बैंक रोबरी हुई है और पांच लोगों की हत्या कर दी गयी। फिर नाईवालान में हुई, कालका जी में हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि आगे से दिल्ली में इस तरह की घटनाएं न हो, सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए? यह जो इनफोरमेशन दी यह तो अखबारों में तीन दिन पहले थी :··· (व्यवधान)

अनुवाद

सभापति महोदय : कृपया मन्त्री जी को उत्तर देने का मौका दें।

श्री एम.एम. जैकब : कृपया मेरी बात सुनिये। मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। किन्तु यह दिल्ली में कानून और व्यवस्था पर एक सामान्य प्रश्न है। बहुत ही अच्छा हो यदि दिल्ली में कानून और व्यवस्था पर चर्चा के बारे में एक नोटिस दिया जाये। ईस बैंक डकैती के अपराधियों को खोजने के लिये सरकार पूरी कोशिश कर रही है। (व्यवधान)

हिन्दी

श्री कालका दास : कौन से वे कारगर कदम हैं जो सरकार ने उठाये कि आगे से ये घटनायें न हों।

अनुवाद

सभापति महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे मन्त्री जी को सुनें।

श्री एम.एम. जैकब : जैसे ही बैंक डकैती की सूचना दी गई, कुछ ही मिनटों के भीतर पूर्ण चौकसी (रेड अलर्ट) की घोषणा कर दी गई और सारे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। तलाश जारी है और अपराध शाखा को जांच का काम सौंप दिया गया है। हमने निकटतम राज्य, हरियाणा सरकार को चौकस कर दिया है। अन्य क्षेत्रों को भी सूचना दे दी गई है और तलाश जारी है। फिलहाल यह स्थिति है। इस प्रश्न पर पुलिस अधिकारी बहुत सतर्क है।

श्री चन्द्र जीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से क्या मैं माननीय मन्त्री जी से एक प्रश्न कर सकता हूं। उन्होंने कहा है कि बैंक अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की गई है ताकि इस किस्म की घटना न हो कि बैंक अधिकारियों और ग्राहकों की इस प्रकार हत्या हो जाये। क्या ठोस उपाय किये गये हैं? अधिकारियों को किस किस्म की सुरक्षा प्रदान की गई है? (व्यवधान)

मैं पूछ रहा था कि ग्राहकों और बैंक अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिये क्या ठोस उपाय किये गये है क्या यह व्यवस्था केवल दिल्ली के बैंकों में ही की जायेगी या अन्य स्थानों के बैंक में भी की जायेगी?

श्री एम.एम. जैकब : मैं समझता हूं कि माननीय प्रश्नकर्ता ने मुझे गलत समझा है मैंने केवल यही कहा था कि हम व्यापकर इस मामले में अन्य उपाय कर रहे है। प्रश्न सामान्य प्रकार का है। दिल्ली और बाहर के अन्ये बैंकों और बैंक अधिकारियों का क्या होगा यह सब एक व्यापक प्रश्न है। हमें इस प्रश्न पर गंभीर रूख अपनाना है और यह पता लगाना है कि हम यह सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार कर सकते हैं। यदि किसी बैंक को विशेष खतरा है और यदि किसी खतरे की सूचना है तब हम निश्चित रूप से उन्हें विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराएगें।

श्री सोम नाथ चटर्जी : क्या वे आपको नोटिस देगें।

श्री एम.एम. जैकब : अन्यथा दिल्ली जैसे स्थान पर, जहां पर कि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में पुलिस कार्मिक ड्यूटी पर होते हैं जिनको गश्त लगाना पड़ता, है सुरक्षा तो दे दी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह लूटेरों की योजना बनाने में मद्द करेगा। आप कह रहे हैं कि आप कुछ को सुरक्षा देने की कोशिश करेंगे।

श्री एम.एम. जेकब : मुझे अपना उत्तर पूरा करलेने दीजिए। यदि कोई विशेष बैंक चाहता है कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है तो यह अलग बात है। यदि आप बैंकों की सुरक्षा देंगे तब दूसरा प्रश्न उठेगा। क्यों न दुकानों को सुरक्षा दी जाए ? दूसरे कार्यालयों में भी लोग इसकी मांग करेंगे। हर कोई सुरक्षा की मांग कर सकता है। वे सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं और इन सबको देने के लिए कटिबद्ध हैं। और इसलिए हम अब आमतौर पर सुरक्षा दे रहे हैं। यदि कोई विशेष अनुरोध किया जाता है तो हम वास्तव में उस विशेष क्षेत्र में ऐसी घटना रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाएंगे। इस समस्या पर अलग से चर्चा करनी होगी। देश के सभी बैंकों और बैंक कर्मचारियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए यह मुद्दा एक बहुत ही अहम मुद्दा है··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या माननीय मन्त्री दूसरा वक्तव्य देने की कृपा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, जब इन राज्य सभा में थे तो माननीय मंत्री और मैं अच्छे मित्र थे। मैं उन्हे अलग नहीं करना चाहता। कृपया मुझे उनसे एक स्पष्टीकरण देने के लिए कहने दीजिए···(व्यवधान)

सभापति महोदय : दूसरे वक्तव्य के बाद आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

हिन्दी]

श्री कालका दास : इस संबंध में नहीं बताया कि क्या-क्या कदम उठाए हैं।

सभापति महोदय : इन्होंने जो पढ़ा है वह अखबार में निकला है। जो फैक्ट है वह अखबार में निकला है। क्या फैक्ट तबदील करके आपके सामने रख देगें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो फैक्ट है वह अखबार में निकला है। वह आपको बता रहे हैं। अब आप दूसरे स्टेटमेंट को सुनें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मन्त्री महोदय को दूसरा वक्तव्य देने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय। अब मैं बोल रहा हूं, कृपया बैठ जाईए।

(व्यवधान)

हिन्दी

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : यह मामला मेरी कांस्टीच्यूऐंसी का है······ ···(व्यवधान)

अनुवाद

सभापति महोदय : खुराना जी, आप उस समय वहां उपस्थित नहीं थे। श्री कालका दास ने आपके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बहुत कुशलता से किया है।

हिन्दी

श्री मदन लाल खुराना : मेरे को बोलने का समय मिलना चाहिए ··(व्यवधान)

अनुवाद

सभापति महोदय : श्री खुराना दूसरे वक्तव्य के बाद मैं आपको मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण मांगने की इजाजत दे दूंगा।

(व्यवधान)

हिन्दी

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार): कोई रॉबर क्यों पकड़ा नहीं गया। सारी दिल्ली में रॉबर कहां गए। एक भी पकड़ा गया या नहीं, यह बताए।···(व्यवधान)

मंत्री द्वारा वक्तव्य

14.7.1991 को पटपड़ गंज दिल्ली के समीप रेल पटरी पर हुआ बम विस्फोट

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) । मैं सम्माननीय सदन को सूचित करता हूं कि 14.7 1991 को 11.15 बजे अपराह्न कड़कड़डूम के गन्दे नाले पर बने रेलवे पुल के नजदीक रेलवे पटरी (नई दिल्ली-गाजियाबाद सक्शन) पर एक बम विस्फोट हुआ। गाजियाबाद को जाने वाली एक माल गाड़ी, के रेलवे पुल पार करने के तुरन्त बाद बम विस्फोट हुआ। तथापि मालगाड़ी पटरी से सुरक्षित रूप से पार हो गई थी। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 और आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रिया कलाप अधिनियम की धारा 3/4 1989 का (पां) अधिनियम और 151 रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस

स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 448 दिनांक 15 जुलाई, 1991 दर्ज किया गया है।

2. विस्फोट से लगभग दो फीट पटरी उड़ गई और एक फिट गहरा और एक फिट व्यास का एक गड्ढा हो गया। घटनास्थल की जांच करने पर यह पाया गया कि विस्फोट उच्चक्षमित के विस्फोटक पदार्थ से हुआ, जो लगभग 100 मीटर बिजली की तार से जुड़ा हुआ था। तार का इस्तेमाल दूर से विस्फोटक पदार्थ को उड़ाने के लिए किया गया था क्योंकि तार का दूसरा छोर विस्फोट के स्थान से लगभग 75 मीटर दूरी पर पाया गया। विस्फोटक पदार्थ को 6 वोल्ट की बैटरी से जलाया गया और इसे हाथ से संचालित किया गया। विस्फोट में इस्तेमाल की गयी बैटरी का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। विस्फोटक पदार्थ की मात्रा लगभग 2 कि.ग्रा थी। विस्फोटक पदार्थ को दो पटरियों में से एक पर बड़ी सफाई से बांधा गया था।

3. मामले की जांच-पड़ताल का कार्य दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अपने हाथ में ले लिया है। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

4. रेलवे पटरियों पर गश्त गहन की जा रही है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में रेलवे पटरियों की लम्बाई लगभग 1 (किलोमीटर है। पूरी पटरी पर दिल्ली पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे गैंगमैन और होम गार्ड द्वारा संयुक्त रूप से गश्त लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश दो प्रधान मंत्रियों को सुरक्षित रखने में असफल रहा है। एक मामले में यह सुरक्षा कर्मियों की वजह से हुआ और दूसरे में सतर्कता की कमी के कारण जिससे दो प्रधानमंत्रियों की मौत हुई। हम जानते हैं कि इससे सुरक्षा की उस स्तर का पता चलता है जोकि हम न केवल अति विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान करते हैं बल्कि देश के आम व्यक्तियों को भी देने की बात करते हैं। इस मामले में भी सरकार को पहले इस प्रश्न का उत्तर देना है कि क्या ये दोनों मामले बैंक से धन इकट्ठा करना और इस प्रक्रिया में लोगों को मारना—रेल पथ पर हस्तचालित रासायनिक चार्ज से सबंधित है या नहीं। हम इन दोनों मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या वे आतंकवादी, जिनसे हमारी यदाकदा हुआ करती थी वे दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं या नहीं, कि दिल्ली···

सभापति महोदय : मुझे खेद है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। क्या आपका कहना है कि हम में से कुछ आतंकवादियों से नोक-झोंक कर चुके हैं···

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं आपके साथ राजनीतिक बातों में विस्तार में नहीं जाना चाहता (व्यवधान)। इसलिए मैं जो जानना चाहता हूं और समूची सभा और समूचा राष्ट्र जानने का इच्छुक होगा कि क्या ये घटनाएं इस प्रकार की कार्यवाईयों और संगठनों से जुड़े हैं। और यदि हां तो इस देश के नागरिकों को किस प्रकार की अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की उन्होंने कोशिश की है और उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। यही सब आपको अपने जवाब में सुनिश्चित करना है।

श्री एम. एम. जैकब : महोदय, श्री चटर्जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन दिल्ली में खतरे की आशंका कोई नई बात नहीं है। यह पहले भी होता रहा है। लेकिन यह सरकार सत्ता संभालने के बाद दिल्ली में ऐसे आतंकवादियों के प्रवेश की गहराई से जांच के लिए गंभीर प्रयास कर रही है और हमें सूचना मिली है कि दिल्ली में प्रवेश के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। इस प्रकार की घटनाओं के सबूत हैं। जहां तक मैं सोचता हूं इस बैंक डकैती और रेल पथ घटना की कोई सूचना नहीं है··· (व्यवधान) मुझे कोई जानकारी नहीं है और हमें पता लगाना है कि क्या उन दोनों में कोई संबंध है। चाहे जो भी हो हमारी अपराध शाखा इन दोनों की जांच कर रही है और मुझे आशा है कि श्री निर्मल कान्ति चटर्जी की सहायता और सहयोग से, जो यह कहते हैं कि उनको इस बारे में काफी जानकारी है, मैं इस संबंध में बेहतर करने में समर्थ होऊंगा।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोल बाग) : यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली में ऐसा होता रहता है। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली में लोग इतने हमलखोर हैं मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इसी साऊथ डिस्ट्रीक्ट के अन्दर कुछ दिन पहले एक डाका पड़ा, ढाई घंटे तक डाकुओं ने···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने प्रश्नों को केवल माननीय मंत्री द्वारा दिए गए दो वक्तव्यों तक ही सीमित रखिएगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : पुलिस की इनएफिशिएंसी के कारण दिल्ली पुलिस की जो सी.आई.डी. है वह टोटल फेल हो चुकी है। इनके पास जो सूचना है, उसके लिए भी जो कदम उठाने चाहिए वे नहीं उठाये जाते। केवल वी.आई.पी. को सिक्योरिटी देते हैं, दिल्ली वालों को कोई सिक्योरिटी नहीं देते।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वे अपनी सफाई देने के लिए यहां नहीं हैं। मेरे विचार से पुलिस प्रशंसनीय कार्य कर रही है और यहां पर पुलिस बलों की निन्दा करना अच्छा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेरा एक तो यह कहना है कि जो मर्डर हुआ है और पांच व्यक्तियों की हत्या हुई है, उनके परिवार वालों के लिए उनको कोई मुआवजा देने के लिए सरकार ने कोई तय किया है ? अगर नहीं किया तो मेरा कहना यह है कि···

[अनुवाद]

सभापति महोदय ! मेरे विचार से यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि क्या बैंक डकैती में मारे गए पांचों व्यक्तियों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

श्री एम. एम. जैकब : महोदय, बैंक द्वारा मुआवजे की पहले ही घोषणा की जा चुकी है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेरा पूरा वक्तव्य यह है कि बैंक एम्प्लाईज ने हड़ताल की जिसमें उनका कहना यह है कि जैसे पंजाब और जम्मू-कश्मीर में टैरोरिस्ट्स एक्टीविटीज होने के कारण वहां के कर्मचारियों को जो सुविधायें मिलती हैं, वे सारी दिल्ली के ऊपर भी लागू होनी चाहिये और बैंक कर्मचारियों की सिक्यूरिटी की जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासन या सेण्ट्रल गवर्नमेंट ले, इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की हत्यायें हुई हैं, उनके परिवार वालों को कोई नौकरी मिलनी चाहिये और उन लोगों को मनी के रूप में मुआवजे की शक्ल में आपने क्या क्या देने की कारंवाई की है ? अगर नहीं की तो उनको 5-5 लाख रुपया दिया जाये।

4.31 म.प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री एम. एम. जैकब : महोदय, इसका संबंध दो प्रश्नों से है। पहला है कि पीड़ितों को क्या हमने बैंक डकैती मुआवजा दिया है, मेरा मतलब जिसकी हत्या की गई और जो मारे गए। महोदय बैंक ने तुरन्त पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी और यदि सरकार की ओर से किसी अतिरिक्त मुआवजे की आवश्यकता है तो इस पर गौर करेंगे (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप तो कम्पनसेशन पचास हजार रुपया देते हैं। दिल्ली प्रशासन ने क्या किया है ? बैंक तो अपना करेगा ही, सैण्ट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली प्रशासन ने क्या किया ? अब आप इन सब को जोड़िये मत।

[अनुवाद]

श्री एम. एम. जैकब : साधारण प्रश्न के बारे में दूसरी बात यह है कि यदि मुझे समुचित सूचना दी जाती है तो मैं किसी भी मुद्दे पर पर्याप्त जानकारी लेकर इस सभा में आऊंगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना । अध्यक्ष जी, कोई डैफिनेट जवाब नहीं आया। बैंक कर्मचारियों ने

हड़ताल की, उनकी सिक्यूरिटी का इन्तजाम किया या नहीं ? उनके परिवार और उनके बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी प्राटेक्शन चाहता हूं। इतना टाईम बीत गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ।

[अनुवाद]

श्री एम. एम. जैकब : महोदय, यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को सरकार नौकरी देती है। यह एक सामान्य बात है। इस विशेष मामले में, मैं नियमों की जांच करुंगा और देखूगां कि क्या हो पाता है। आमतौर पर किसी सरकारी कर्मचारी की किसी संकट या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके निकटतम संबंधी को नौकरी दी जाती है। परंतु इस विशेष मामले में मैं माननीय सदस्य के सुझाव का खास ध्यान रखूगां।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : एक घण्टे से यह सवाल पूछ रहे हैं कि इन हत्याओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, अभी उन्होंने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है।

[अनुवाद]

श्री एम. एम. जैकब : महोदय यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य प्रश्न है और इसके लिए एक अलग नोटिस जरूरी है··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा-बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जो बैंक कर्मचारी मारे गये हैं, उन लोगों को तो मुआवजा देने की घोषणा की है लेकिन जो ग्राहक मरे हैं, उन लोगों के लिए आपने क्या किया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस हाउस में जो मिनिस्टर के स्टेटमेंट होते हैं, उस पर क्वश्चन्स नहीं पूछे जाते। इसके बाद भी आपको चांस दिया गया हैं, आप उसको बहुत लम्बा बढ़ायें तो अच्छी बात नहीं है।

[अनुवाद]

इसके लिए नियम है और हम नियमों का पालन कर रहे हैं। हमें इसे सीमा से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हू कि बैंक कर्मचारियों को इन्होंने कम्पनसेशन क्या दिया है, इसका जवाब नहीं दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका बचाव कर रहा हूं। मैं आपको यह बात बताऊंगा। यदि किसी जगह किसी सरकारी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए कुछ नियम हैं। उस नियम के अंतर्गत कुछ सुरक्षा दी जाती है, कुछ प्रतिपूर्ति और उसी प्रकार की सभी सुविधाएं दी जाती हैं। मुआवजे आदि के बारे मे नियम का विस्तार से बताना जरूरी नहीं है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि ये सभी बातों के बारे में आपको बताया जाए।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : मान्यवर, ग्राहकों को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह नहीं बोलिए। आप बैठ जाइए।

एक माननीय सदस्य : मेरी प्रार्थना यही है कि ग्राहकों को भी मुआवजा मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय। हम महत्वपूर्ण मामले पर भी चर्चा कर रहे हैं। यदि आप निश्चित सीमा से आगे जाते हैं तो आप अपना समय जाया करेंगे। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए। इस तरह नहीं।

(व्यवधान)

श्री फ्रेंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : महोदय, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने हत्या के हजारों मामलों में बचाव किया है, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि मन्त्री महोदय को कोई ऐसी जानकारी नहीं देनी चाहिए जो षडयंत्रकारियों तक पहुंच जाए। लेकिन उन्होंने एक वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि यह मामला दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को भेज दिया गया है। मैं राजीव गांधी की हत्या से संबंधित जांच रिपोर्टों को काफी ध्यान से पढ़ता हूं और मुझे नहीं लगता कि विशेष जांच दल जिसे इस हत्या की जांच करने के लिए गठित किया गया है, सभी गद्दारों की पहचान कर लेगा। आपकी एक विशेष जांच एजेंसी है और जो बात सामने आई है वह काफी चिन्ताजनक है कि तमिलनाडु में आपकी राज्य एजेंसी कहती है कि उप-पुलिस महा-निरीक्षक तथा छः लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि ये घटनास्थल से भाग गये थे। आपकी अन्य एजेन्सियां हैं जो शायद ज्यादा सक्षम हैं और उनसे अधिक से अधिक सहायता लेने के लिए आपको ही समन्वय करना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वे आपकी बात नहीं समझते।(व्यवधान)

श्री फ्रेंक एन्थनी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके देश की अपनी सभी जांच एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित किया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात आप उन्हें बाद में स्पष्ट कर सकते हैं अब श्री कायम्बूर एम. आर. जनार्दनन बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने इनके सुझाव का उत्तर नहीं दिया।(व्यवधान)

4.38 म. प.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। श्री जनार्दनन बोलेंगे।

श्री एम आर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : महोदय, मैं अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर से श्री बूटा सिंह द्वारा रखे गये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं यहां तमिलनाडु के प्रतिनिधि के रूप में आया हूं। तमिलनाडु की जनता का यह स्पष्ट आदेश है कि कांग्रेस (ई) केन्द्रीय सरकार या शासक दल बने और अखिल भारतीय अन्ना-द्रमुक तमिलनाडु का शासक दल बने। अब मैं आपको स्मरण कराता हूं कि नौवीं लोकसभा में क्या हुआ। जब केन्द्र सरकार ने राष्ट्रविरोधी उपायों के सम्बन्ध में निर्णय लिया और तमिलनाडु में द्रमुक सरकार को बर्खास्त कर दिया तो स्थिति काफी भयावह हो गई थी। वाममोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चा के हमारे अनुभवी नेताओं ने वहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की बर्खास्तगी की काफी आलोचना की थी। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री माननीय करुणानिधि जनता के समक्ष अपनी सरकार की बर्खास्तगी के लिए न्याय मांगने गये। और हम भी जनता के समक्ष, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री करुणानिधि ने हमारी पार्टी के साथ जो अन्याय किया था उसके खिलाफ न्याय मांगने गये थे। और मैंने समाजवादी नेता रविरायजी, भाजपा नेता यशवन सिंह जी सोमनाथ चटर्जी जी को कड़े शब्दों में कांग्रेस की निन्दा करते सुना। आपको जनमत की बात समझनी चाहिए। आपको कोई जनादेश प्राप्त नहीं हुआ है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह सरकार भी अल्पमत सरकार है लेकिन तमिलनाडु की जनता ने विधान सभा चुनाव में 98 प्रतिशत परिणाम हमारी पार्टी के पक्ष में दिया जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की गई थी तो द्रमुक नेता श्री करुणानिधि ने कहा था "एक वोट मृतक के लिए और एक वोट बीमार के लिए।" हमारे नेता पुरायी थलाइवर डा. एम. जी. आर. उस समय न्यूयार्क में थे। उस समय भी द्रमुक के दो सदस्य चुने गये थे। उस समय उन्होंने तमिल में कहा था :

"सतुक्कु ओरु वोटू नोयुक्कु ओरु वोटू"

श्री करुणानिधि एक महान तमिल विद्वान और महान तमिल नेता हैं। मैं 1949 से अन्ना का कट्टर समर्थक हूं। तमिल तिरुकुरल में एक श्लोक है जो इस प्रकार है :

यकावराविलुम न काका कवाक्कल

सोकापर सोलीभ्कु पट्टू

आप कितने भी महान क्यों न हों आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। अन्यथा आप उसके परिणामों में सुधार नहीं कर पायेंगे। और श्री करुणानिधि आज यही महसूस कर रहे हैं।

यद्यपि तमिलनाड की जनता ने हमें स्पष्ट बहुमत दिया हमारे सिर इस बात से, शर्म से झुक जाते हैं कि राजाजी पेरियार कामराज और अन्ना की इस जन्मभूमि तमिलनाडु में राजीव गांधी की नृशंस हत्या की गई। हम श्री राजीव गांधी के जीवन को खतरे के प्रति चिंतित थे, वह नृशंस हत्या हो ही गई। आज भी हम श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए द्रमुक पर सीधे दोष नहीं लगा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अनेक सदस्य बैंक डकैती के मामले पर उत्तेजित हो गये थे उसी प्रकार तमिलनाडु के लोगों का भी उत्तेजित होने का अधिकार है जो चाहते हैं कि श्री राजीव गांधी की हत्या की पूरी तरह जांच की जाए।(व्यवधान) आपको ऐसे मुख्य मन्त्री को लाने पर शर्म आनी चाहिए। जो तमिलनाडु में आतंकवाद और बंदूक की संस्कृति लाया। हम अन्ना-द्रमुक के हैं और वे द्रमुक के नेता हैं श्री राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए एक विशेष जांच दल मद्रास में काम कर रहा है, समाचार पत्रों तथा टेलीविजन पर बार-बार एक आंख वाले शिवरासन और शुभा की तस्वीर दिखाई जा रही है जिनकी राजीव गांधी की हत्या के सिलसिले में पुलिस को तलाश है। लेकिन तमिलनाडु के लोग इस षडयंत्र के पीछे राजनीतिक व्यक्ति का नाम जानने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं। वह उच्च पुलिस अधिकारी और भा. प्र. से. का अधिकारी कौन था जिसने तमिलनाडु के नजदीक आन्ध्र के जंगलों में बेस माडल के बम का परीक्षण देखा था? उनको अवश्य सबक सिखाया जाना चाहिए। कौन व्यक्ति चोरी छिपे गैर कानूनी ढंग से श्रीलंका गया? यह कांग्रेस की उदारता थी जिसने उस समय उसको अनुमति दी और अब आपने राजीव गांधी के रूप में इसका मूल्य चुकाया है। उस व्यक्ति का लिट्टे और प्रभाकरण से क्या सम्बन्ध है। आप बहुत उदार हैं। आप गांधीवादी तरीके से काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी के बाद इन्दिरा गांधी और इन्दिरा के बाद हमने राजीव गांधी जी को भी खो दिया है। द्रमुक को राजीव गांधी जी की उदारता को नहीं भूलना चाहिए। द्रमुक ने उस संसद सदस्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है जो अनधिकृत रूप से श्रीलंका गया था तथा प्रभाकरन के साथ रुका था। अब लिट्टे खुलेआम यह कह रहा है कि "हमने राजीव गांधी की हत्या की है।" केन्द्र सरकार के हमारे मित्र क्या करने जा रहे हैं? आपको तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। वर्ना जिन मतदाताओं ने मुझे चुना है वे मुझे इसलिए मार देंगे क्योंकि लिट्टे के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तमिलनाडु के लोगों की यही भावना है। 22 और 23 जून को जब मैं गांवों में गया था, लोगों ने खाना नहीं बनाया था। वे राजीव गांधी की मृत्यु पर शोक मना रहे थे। राजीव गांधी की याद उनके दिमागों में अभी ताजा है। प्रधानमन्त्री राजीव जी मदुरै से कन्याकुमारी तक अपनी कार में जा रहे थे प्रत्येक तमिल यह कहता है कि "हमने प्रधानमंत्री को अपनी कार स्वयं चलाते कभी नहीं देखा है।" किसी गांव में वह नौकरशाहों को सूचित किये बिना अचानक रुक गये। वे गांव वालों से पूछते थे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) तथा राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन. आर. ई. पी.) निम्न स्तर पर किस तरह चल रहा है ?" वह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में इस तरह पूछताछ करते थे।

मैं इस सभा में निवेदन करता हूं, कि विशेष जांच दल स्पष्ट रूप से यह बताये कि इस षड्यन्त्र के पीछे किन राजनीतिक लोगों का हाथ है ? हो सकता है तत्कालीन पुलिस महानिदेशक अथवा तत्कालीन गृह सचिव का हाथ हो। यह शहर में आम लोग कहते हैं संसद सदस्य नहीं। मैं ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमण के अभिभाषण के पहले चार पैराग्राफों पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं।

अन्य विषयों पर आते हुए मैं कपड़ा उद्योग के बारे में बात करना चाहूंगा। कपड़े से संबद्ध होने के कारण, मैं कहूंगा कि कपड़ा उद्योग में अब तक रुग्णता नहीं आई है। यह अच्छा मुनाफा कमा रहा है। केवल अब राष्ट्रीय मोर्चा जनता दल के मित्रों के कारण, भूतपूर्व कृषि मंत्री श्री देवी लाल की कपास के निर्यात करने की नीति के कारण आज कपास 14000 रु. प्रति कैंडी की दर से बिक रही है। मेरे मित्र श्री जाज फर्नान्डीज ने पूछा कि 40 काउन्ट की धोती की कीमत कम क्यों नहीं हुई। जब इन 20 दिनों में कपास के मूल्य में इतनी वृद्धि हुई है तो धोती की कीमत कम कैसे हो सकती है ? कपास की कमी है। अतः हमारी केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह बहुत ध्यान से स्थिति का जायजा ले तथा कपास के निर्यात सम्बन्धी नीति की घोषणा करते समय बहुत सावधानी बरते। हम सब को एक साथ अच्छे मानसून के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस मामले में भा. ज. पा. तथा राष्ट्रीय मोर्चा में विचारों का कोई मतभेद नहीं होगा। वर्ना यह हमारे लिए सबसे खराब वर्ष होगा।

मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार कपास के निर्यात संबंधी नीति की घोषणा करते समय बहुत सावधान रहे तथा वह कुछ औपचारिकताओं तक ही सीमित न रहे बल्कि भारत में कपास के अधिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए स्थिति की वास्तविकताओं पर ध्यान दे।

अब मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बात करना चाहूंगा जैसा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में घोषणा की है। मैं दो बातों पर जोर देना चाहता हूं। एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दूर दराज के गांवों तक बढ़ाना चाहिए और कि मुख्य पंचायत से काफी दूर हैं अर्थात 2 या 3 किलोमीटर दूर हैं। जो लोग दूर दराज के गांवों में रह रहे हैं, वे मुख्यतः गरीबी की रेखा से नीचे हैं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली उन तक पहुंचनी चाहिए। वे लोग दो या तीन किलोमीटर पैदल चलकर देर शाम तक मुख्य पंचायत पहुंचते हैं। जब तक वे पंचायत तक पहुंचते हैं, दुकान बन्द हो जाती है। अतः आपको व्यवहारिकता देखनी चाहिये। एक उचित दर की दुकान खोलने का मानदण्ड 300 कार्डधारियों से कम करके 200 कार्डधारी कर दिया जाए ताकि गांवों में आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध हो सके तथा रोजगार भी पैदा किया जा सके।

श्रमिकों तथा बेरोजगारी की समस्या के बारे में, मैं एक बात कहूंगा। यह समय है जब हमारे साथी, हमारे समाजवादी साथी असंगठित श्रमिकों के बारे में सोचें। संगठित श्रमिकों को रोजगार मिल जाता है। उनका रोजगार सुरक्षित है उनका का वेतन असंगठित श्रमिकों के वेतन से अधिक है। असंगठित श्रमिक, संगठित श्रमिकों की तुलना में काफी अधिक है। आपने असंगठित

श्रमिकों के लिए क्या किया ? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कहा था कि वह काम के अधिकार संबंधी विधेयक लाएगी। परन्तु वह नहीं लाई। यहां केवल काम के लिए लड़ाई है। काम के लिए कोई अधिकार नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपने तमिलनाडु में क्या किया है ?

श्री एम. आर. जनार्दनन : आप तमिलनाडु में आयें और देखें।

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें उत्तेजित कर रहे हैं।

श्री एम. आर. जनार्दनन : तमिलनाडु में सभी सहकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलें लाभ में चल रही हैं। सभी राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें लाभ में चल रही हैं। मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह असंगठित श्रमिकों के लिए कोई ठोस कार्य करें और इस पर हम सब में सहमति होनी चाहिए। हमें केवल बातें ही नहीं करनी चाहिये, बल्कि असंगठित श्रमिकों के लिये काम तथा अच्छे वेतन की गारंटी देनी चाहिए। श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में अगले वर्ष 21 मई तक, पूरे एक वर्ष तक, कोई हड़ताल नहीं होनी चाहिए। हम यहां हों या न हों। परन्तु राजनीति विचारधारा चलती रहनी चाहिए। परन्तु हमें नहीं पता है कि राजनीतिक रुझान क्या होगा। श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में सभी संगठित श्रमिकों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह लोगों के कल्याण के लिए है। यह मेरा आम जनता के प्रतिनिधि होने के नाते विनम्र निवेदन है।

मैं श्री वी. एस. राव को, यहां पर द्रमुक का प्रतिनिधित्व करने के लिए, धन्यवाद देता हूं।

श्री अन्ना ने 1957 के चुनावों में उगते हुए सूर्य का चिन्ह रखा था। मैं भी एक उम्मीदवार था। हमारे 15 विधायक बिना किसी समर्थन के जीते थे। 1962 में अन्ना हार गये थे। विधान सभा में हमारे विधायकों की संख्या 50 थी। 1957 में जब हम सत्ता में नहीं थे तब दो संसद सदस्य हमारे बल के जीते थे। हमारे एम. जी. रामचन्द्रन अब नहीं हैं। मैं अपने समाजवादी तथा साम्यवादी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे द्रमुक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखें क्योंकि हमारी नेता सुश्री जयललिता ने भद्रकाली के रूप में महिषासुर रूपी करुणानिधि को धराशाई कर दिया है। आपको महसूस करना चाहिए कि हमारे पुराने मित्र श्री करुणानिधि का चरित्र कैसा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप इस सरकार में शामिल हो जायें।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं इन महाशय से दो सवाल करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनसे मिलें और उनसे पूछ लें।

श्री फ्रैंक एन्थनी : यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे प्रभावित होता है जिस स्थान पर श्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी उस स्थान को प्रभावी रूप से बंजर क्षेत्र बताया गया था तथा पूरे मद्रास में सर्वाधिक सुरक्षित स्थान बताया गया था। वहां पर न कोई तलाशी ली गई और न

हो वहां पर मेटल डिटेक्टर लगाये गये थे। स्पष्ट रूप से, यह आन्तरिक तत्वों द्वारा की गयी साजिश थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप किससे प्रश्न कर रहे हैं ? माननीय सदस्य पहले ही सभा को छोड़कर चले गये हैं।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : माननीय सदस्य रिकार्ड कार्यालय में गये हैं। वह वापस आ जाएंगे।

श्री शाहबुद्दीन सैयद : (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, इस गणतन्त्र के राष्ट्रपति के प्रति बिना कोई असम्मान दिखाते हुए तथा सरकार जिसने अभी पिछले ही दिनों सभा मे विश्वास का मत प्राप्त किया है, कि वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाये बिना मुझे राष्ट्रपति का अभिभाषण एक निर्जीव दस्तावेज लग रहा है। इसमे मानवीय भावना की कमी है तथा यह एक कार्यालय टिप्पणी के रूप में है जिसे किसी नौकरशाह ने तैयार किया हो। यह राष्ट्रीय जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में कुछ नही बताया गया। यह देश की दिल की धड़कन से मेल नही खाता। इसमे तात्कालिकता की भावना नही है और यद्यपि उन्होने 'चिन्ता' शब्द का प्रयोग किया है परन्तु वास्तव में आज जो हमारी राष्ट्रीय चिन्ता है तथा देश तथा देश के लोगो की जो परेशानी है उसका उस गम्भीरता के साथ कोई जिक्र नही है। अतः यह हमारे देश के सम्मुख उसके अस्तित्व को उत्पन्न खतरे के विरुद्ध जन आन्दोलन के लिये एक प्रकार के रूप मे प्रेरित नहीं कर पाया है।

महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट की तरह तथा आगे आने वाले वर्ष के लिए क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम के रूप में होता है : हमको सही स्थिति का पता कैसे चलेगा यदि यह पता न चले कि देश को किस दिशा मे ले जाया जा रहा है ? हम मे से कुछ लोगो को लगता है कि हम सही दिशा भूल गये हैं, यदि वह हमारी लोकतान्त्रिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में चुप है, यदि हमारे राष्ट्रीय जीवन मे आने वाली कट्टरवादिता के बारे मे चुप है, यदि वह कानून के शासन तथा कानूनी प्रक्रिया की गरिमा के लिए उत्पन्न सतत खतरे के बारे मे चुप है, यदि वह देश के कष्ट एवं तकलीफ के बारे मे चुप है, कमजोर वर्गों पर हो रहे लगातार अत्याचार के बारे मे चुप है, यदि वह न्यायिक प्रक्रिया जो कि ठीक प्रकार से कार्य नही कर पा रहा है की प्रभावकारिता के होने पर चुप है और जो जितनी जल्दी आवश्यक है उतना जल्दी न्याय नहीं दे पा रहा है। यदि वह बढ़ती हुई अकुशलता एव भ्रष्टाचार तथा हमारे प्रशासनिक ढांचे एवं नौकरशाही के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के बारे में चुप है, यदि वह हमारे काले कानूनों की बढ़ती हुई संख्या तथा उनको कठोरता के साथ लागू किये जाने के बारे में चुप है, यदि वह हमारे समाज में धन के एक जगह पर एकत्र होने के बारे मे तथा परस्पर समूहों में तथा अन्तर-क्षेत्रीय बढ़ती हुई असमानताओं के बारे मे चुप है, यदि वह दो संस्कृतियों के उदय तथा हमारे देश में दो राष्ट्रों के उदय के बारे मे गरीब एवं अमीर, श्रेष्ठ एवं निम्नतम जिनमे रुचियों एवं आकांक्षाओं मे कोई समानता नहीं है। के बारे में चुप है। अतः अभिभाषण हमारी परिस्थितियों तथा हमारे दृष्टिकोण के अनुसार प्रासंगिक नहीं है। अभिभाषण में हमारी सरकार की उदासीनता दिखाई पड़ती है शायद यह हमारे सम्भ्रान्त वर्ग की उदासीनता को बताती है। यह हमारे देश के लोगों की तकलीफों, उनके दुःखों जिनका हमारी जनता रात दिन सामना करती है, के प्रति हमारे रवैये को दर्शाता है।

आज हमारा देश एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हमारे सामने संगठनात्मक परिवर्तन हो रहा हैं। जो लोग लम्बे समय से अत्याचार के शिकार हो रहे थे वे नया परिवर्तन चाहते हैं, धन तथा सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, केवल प्रकाश में स्थान चाहते हैं और उनकी आवाज नहीं है दबाई जानी चाहिए। अतः आज भारतीय समाज संघर्ष का अखाड़ा युग में बन गया है। और अध्यक्ष महोदय हम संसद में इस कक्ष में जो करते हैं वह कभी-कभी उस संघर्ष का समुचित रूप प्रतिनिधित्व नहीं करता है जो इस सभा के बाहर चल रहा है और जिसको हम केवल अपने को जोखिम में डालकर संतुष्ट ही नजरन्दाज कर सकते हैं। यह यथास्थिति बनाए रखने सम्बन्धी शक्तियों तथा यथास्थिति विरोधी शक्तियों के बीच संघर्ष है। यथास्थिति विरोधी शक्तियां अन्तिम लड़ाई लड़ रही हैं। वे शायद अपने अन्तिम हथकण्डे में व्यस्त हैं ताकि वे अपने-आपको सत्ता में बनाए रख सकें।

5.00 म.प.

अतः मैं पहले अपने मूल प्रश्न के बारे में कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण, जो आज हम देख रहे हैं, और कुछ नहीं बल्कि निराशा की अभिव्यक्ति और कठिन स्थिति तथा चुनौतियां है यथापूर्व स्थिति जो आज की शक्तियों के सामने हैं। यदि मुझे कहने की अनुमति दी जाए तो मैं कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता जो आज हम देख रहे है, दूसरे समुदाय के विरुद्ध नहीं परन्तु उसी समुदाय के निर्धनों और दलितों के प्रति है।

राजनैतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का साम्प्रदायिककरण और प्रयोग निरर्थक होने लगा है। यह हमारे गणराज्य की नींव, सांविधानिक नींव, जो हमने अपने गणराज्य को प्रदान की है, को खोखला कर रहा है। और हम यह जानते हैं, कि जो शक्तियां हमारे समाज में परिवर्तन के विरुद्ध है, जो आमूल परिवर्तन का विरोध करती है तथा जो साम्प्रदायिक का प्रचार करती हैं तथा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्मका प्रयोग करती हैं, वे एक ही हैं। उनका एक ही रूप है। ये वही शक्तियां हैं जो मंदिर बनाने के लिए मस्जिद को गिराने की मांग करती हैं, जो आरक्षण का तथा हमारे समाज के दलित वर्गों द्वारा सत्ता में सहभागिता का भी विरोध करती है। ये वही शक्तियां हैं जो आज महात्मा गांधी की विरासत को चुनौती दे रही हैं तथा महात्मा गांधी की याद में लगाई गई उनकी प्रतिमा के स्थान पर नाथूराम गोडसे की प्रतिमा स्थापित करना चाहती है। (व्यवधान) इस शक्ति का पता लगाना होगा और सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से इसका पता लगाया जाना चाहिए यदि धर्मनिरपेक्ष प्रणाली की सुरक्षा तथा उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करना है। यहीं राष्ट्रपति का अभिभाषण असफल हो जाता है। यह सही है कि भारी बहुमत प्राप्त करने का समय बीत गया है तथा संभवतः अल्पमत सरकार काल गया है। मैं इसे सम्मिलित सरकार का काल कहना चाहूंगा। शायद हमने व्यापक हित में कम से कम देश के समक्ष व्यापक राष्ट्रीय मसलों को सुलझाने के लिए मिलकर कार्य करने, सम्मिलित सरकार बनने, राजनैतिक समायोजन की प्रवृत्ति विकसित की है। फिर इस ध्रुवीकरण पर नियंत्रण रखा जा सकता था। दुर्भाग्यवश, कुछ भी नहीं किया गया, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी उल्लेख नहीं किया किया गया है, हम इन स्वस्थ शक्तियों को किस प्रकार से एकीकृत करेंगे जो हमारे लोकतन्त्र को पुनः शक्तिशाली बनाए।

यदि मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए तो मैं कहूंगा कि आगे आने वाला समय अशांति का है। परन्तु हम लोगों, जो संसद में बैठे हैं तथा जिन्हें जनता द्वारा उनके प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, की यह जिम्मेवारी है कि किसी भी प्रकार से इससे उबारा जाए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी यह जहाज लड़खड़ाए नहीं अथवा उदासीनता या असंवेदनशीलता, और यदि मैं कहूँ कि आपसी विरोध के कारण डूब न जाए। यदि यह डूब जाएगा तो हम सब डूब जायेंगे, और यदि देश नहीं बचेगा तो हम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए, मैं यह महसूस करता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात कही जानी चाहिए थी कि सभी देश वासी इस जोखिम की घड़ी में एक जुट होकर कार्य करें।

हमारे पुरातन विद्वानों से हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है, नफरत मे कोई कार्य 'पूरा नहीं होता, टकराव से कोई परिणाम नहीं निकलते, समानता और प्रतिष्ठा अच्छी बातें हैं, ज्यादा तो पुरानी पुकार है, जिसे दबाया नहीं जा सकता और इसलिए हमें किसी भी प्रकार से इन नई चुनौतियों का मुकाबला करना है और राष्ट्रीय जीवन को अस्त-व्यस्त किए बिना उन्हें समाज को परिवर्तित करने की अनुमति दें। मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया।

आज हम सब लोग उस युग में हैं जिसमें मानव अधिकारों का सम्मान किया जाता है। भारत मानव अधिकारों पर होने वाले सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रमुख भूमिका निभाता है। हमने सदा मानव अधिकारों को बनाए रखा है पूरे विश्व में जहां उनका उल्लंघन किया गया। परन्तु आज मैं देखता हूं कि मानव अधिकारों का निरन्तर उल्लंघन किया जाता है, मैंने यह नहीं देखा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की तरफ से इस बारे में कोई चुनौती दी गई हो।

पंजाब के बारे में मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा।

5.05 म. प.

[श्री एस. मल्लिकारजुनय्या पीठासीन हुए]

राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंजाब की स्थिति के बारे में कहे गए वाक्य में निर्वाचन आयोग को सारी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा अन्तिम समय में चुनावों के स्थगन करने के निर्णय का समर्थन किया गया है। केवल इतिहास ही यह स्पष्ट कर पायेगा कि क्या यह सही कदम है। मुझे डर है और मुझे आशा है कि मेरी यह बात सही सिद्ध होगी कि हमने पंजाब में लोकतन्त्र बहाल करने के अन्तिम प्रयास को खोया नहीं है।

काश्मीर के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं कई बार काश्मीर गया हूं। स्पष्ट है कि प्रशासन जो लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उग्रवादियों और जनता के बीच कोई भेद नहीं रखता। मुझे यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि भारत गणराज्य के राष्ट्रपति ने एक बार अत्याचारों के शिकार उन लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, जो काश्मीर की जनता को राष्ट्र से, देश के अन्य भागों के लोगों से दूर करती है, सामंजस्य स्थापित करने, शान्ति बहाल करने, सामान्य स्थिति लाने तथा लोकतन्त्रीकरण का कार्य प्रतिवर्ष मुश्किल होता जा रहा है।

महोदय, इन कुछ घावों पर लगाने के लिए हमारे पास मरहम है। हमें लोगों को उग्रवादियों से अलग करना है। हमें उनमें विश्वास की भावना को जगाना है। हमें उनमें विश्वास पैदा करना है कि हमें उन्हें यह स्पष्ट करना है कि हमें उनकी चिन्ता है, जीवन बहुमूल्य है, वे भारतीय नागरिक हैं, कि वे भारत के संविधान तथा कानून के अधीन पूर्ण सुरक्षा के हकदार हैं। मुझे खेद है कि जब तक यह कार्य नहीं किया जाता, हम काश्मीर के लोगों की अन्तरात्मा हमारे साथ नहीं वंचित होगी भले ही वे वहां हमारे नियंत्रण में रहे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में साम्प्रदायिक हिंसा का उल्लेख किया गया है। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में दिए गए कुछ सुझावों का स्वागत करता हूँ। परन्तु इस द्रुत कार्य बल के सम्बन्ध में, भूतपूर्व गृहमंत्री से जो सभा में उपस्थित है, मुझे यह कहना है कि मामला तीव्र कार्यवाही करने का नहीं, अपितु निष्पक्ष कार्यवाही का है। मुझे खेद है कि इस प्रश्न के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को इस बल में विश्वास है, सभी वर्गों के लोगों का इस बल में विश्वास है ? अन्यथा चुनौती और उत्तरों का एक दुष्चक्र शुरु हो जाएगा। हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि लोगों को प्रशासन तन्त्र, न्यायाधिकरण तथा सुरक्षा बलों की निष्पक्षता तथा तटस्थता में विश्वास नहीं रहा, तो हम केवल आग में घी का कार्य ही कर पायेंगे। मुझे विश्वास है कि भूतपूर्व गृह मन्त्री, जो धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना चाहते है, इस प्रश्न को समझेंगे कि प्रशासन की निष्पक्षता, कुशलता, तटस्थता, विशेष रूप से पुलिस बल के प्रति समाज के सभी वर्गों के लोगों मे पुनः विश्वास पैदा करना होगा, विश्वास जगाना होगा।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : सभापति महोदय, यही बात मैंने कही थी। जब मैंने भाषण दिया था तो मैंने इस बात पर बल दिया था कि हमेशा स्थानीय पुलिस ही समाज के सभी वर्गों द्वारा संशय के घेरे में आती है। इसलिए प्रत्येक राज्य में जहां साम्प्रदायिक दंगे हो, स्थिति पर नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय बल भेजा जाए क्योंकि लोगों को केन्द्रीय बल में विश्वास है। मैं यह आशा करता हूं कि नए बल को भी समाज के सभी वर्गों मे इसी सीमा तक विश्वास प्राप्त हो, ताकि ऐसे बल से स्थिति पर नियन्त्रण हो। मैंने यह मुद्दा उठाया था।

श्री शाहबुद्दीन सैयद : मुआवजे के संबंध में, अनुग्रह के रूप में हम अनुदान देते हैं। मुझे विश्वास है और मैं यह सुझाव देता हूं कि जीवन, अंग और सम्पत्ति का नुकसान होने पर मुआवजे के भुगतान के लिए सांविधिक उपबन्ध होने चाहिए क्योंकि किसी भी सुसभ्य सरकार का पहला आवश्यक कर्त्तव्य नागरिकों के जीवन, अंगों तथा सम्पत्ति की सुरक्षा करना है और यदि सरकार ऐसा करने में असफल होती है तो पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा अवश्य दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केवल मुआवजा देने का ही वचन न दे अपितु इस उद्देश्य के लिए कानून बनाने का भी वचन दे।

जहां तक दण्ड तथा जांच आयोगों का संबंध है, इस बारे में जितना हो कम कहा जाए, उतना ही उचित होगा। कुछ दिन पहले हमने मलियाना आयोग और हाशिमपुरा समिति के बारे में पढ़ा था। लोगों के पास रिपोर्ट तक भी नहीं आई। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने—जिनकी हत्या एक बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी है—ने एक बार नहीं अनेक बार मुझे वैयक्तिक रूप से विश्वास दिलाया था कि हाशिमपुरा के कातिलों को पकड़ लिया जाएगा। परन्तु आज तक चार अथवा पांच वर्ष बीत

गए हैं किसी एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया। इससे क्या हमारे प्रशासन तन्त्र, न्यायिक प्रक्रिया तथा जाँच आयोगों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा जब मलियाना और हाशिमपुरा के कातिल अभी तक फरार हैं, जब भागलपुर के कातिल अभी तक फरार हैं ? भागलपुर में लोगों की केवल हत्या ही नहीं की गई और उन्हें जला ही नहीं दिया गया अपितु उन्हें बहुत ही निर्मम ढंग से खेतों में गाड़ दिया गया और उनके ऊपर सरसों, सब्जियां और टमाटर आदि उगा दिए गए। परन्तु हत्यारे अभी भी फरार हैं। इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि सरकार इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करेगी।

अब बाबरी मस्जिद और रामजन्म भूमि का प्रश्न आता है। मैं विस्तार से इस बारे में उल्लेख नहीं करूंगा। परन्तु मैं केवल एक ही बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जो बहुत ही चिन्ताजनक है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिसके बारे में पिछली सरकारों ने वचन दिया था। मैं जानता हूं कि श्री बूटा सिंह ने अथक प्रयास किए थे, मैं जानता हूं कि श्री चन्द्रशेखर ने हर सम्भव प्रयास किए थे: और मैं अभी भी आगे और बातचीत करने के लिए तैयार हूं। परन्तु यदि बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकलता, यदि बातचीत से वह झुकने को तैयार नहीं होते तो कानून के मुताबिक कार्यवाही होनी चाहिए। एक सभ्य समाज केवल कानून के बल पर ही बना रह सकता है। विवादों को वोट द्वारा अथवा हिंसा द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता। बलपूर्वक अथवा धमकी देकर मामलों को नहीं सुलझाया जा सकता। अतः अन्तिम सभ्य तरीका केवल न्यायिक प्रक्रिया ही है। तथापि यदि बातचीत की जाती है तो मुझे विश्वास है कि सभा के सभी दल एक होकर यह चाहेंगे कि बातचीत का कोई परिणाम निकले। (व्यवधान) यदि ऐसा नहीं होता, तो सरकार का यह कर्तव्य है—समाधान प्रक्रिया को तीव्र बनाने और कानून को मामले को सुलझाने का अवसर प्रदान करने के लिए संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लिए जाने के कारण ऐसा करने के लिए कर्तव्य बद्ध है और इस बात के लिए वचनबद्ध होना कि अंतिम निर्णय जो भी हो चाहे वह किसी भी समुदाय के विरुद्ध हो हर कोई उसे स्वीकार करेगा, उसे सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री राम नायक (बम्बई-उत्तर) : शाह बानू के मामले सहित ? (व्यवधान)

श्री शाहबुद्दीन सैयद : यदि आप शाह बानू के मामले को बीच में लायेंगे तो मैं तुम्हें कानून में सबक सिखा दूंगा। किन्तु दुर्भाग्यवश समय नहीं है। (व्यवधान)

चाहे वह सोमनाथ से संबंधित प्रश्न हो या शाह बानू, से मैं इसका उत्तर दूंगा। आप इसकी चिन्ता न करें। (व्यवधान) महोदय, मैं कह चुका हूं कि पिछली सरकारों ने एक वायदा किया था और उस वायदे को सभा में अवश्य दोहराया जाना चाहिये। (व्यवधान) हम बहुत विकट आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि राष्ट्रपति ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह हमारी फिजूलखर्ची अथवा साधनों से अधिक खर्च करने का संचयी परिणाम है। अतः यह संकट कुछ महीनों का परिणाम नहीं है, हमें यह स्थिति पिछले 20 से अधिक वर्षों से विरासत में मिली है। इस लिये कहा जाता है कि हालतों में ठहराव सा आ गया है अब हम आयात का सामना कर रहे हैं। हम संकट का सामना कर रहे हैं। मैं यह आश्वासन देना

चाहूंगा कि देश को दिवालिया और बर्बाद होने से बचाने के लिये भारत की जनता उससे अपेक्षित किसी भी प्रकार के आर्थिक बलिदान के लिये तैयार रहेगी। किन्तु इस बलिदान के आघात को विशिष्ट वर्ग के लोगों को भी सहना होगा उन लोगों को जिनके पास देने के लिये कुछ है, जो कुछ बलिदान कर सकते हैं उन्हें भी इस बलिदान के आघात को सहना होगा। यह बोझ आम जनता पर ही नहीं पड़ना चाहिये जो देश के लिए पसीना और आंसू बहाने से अधिक और कुछ नहीं कर सकते।

मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। न केवल मूल्य वृद्धि हुई है, अपितु मुद्रा स्फीति की दर में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सभापति महोदय, मेरी पत्नी मुझे बताती है कि हर सप्ताह मूल्य बढ़ रहे हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बतायें। मुझे यकीन है कि देश में हर गृहणी का यही अनुभव है। इसके लिए कुछ करना होगा। मुझे याद है कि सरकार ने यह वायदा किया था कि वह 100 दिनों के भीतर कीमतों में कमी कर देगी। हम उसे इस वायदे से बांधे रखेंगे और यह देखना चाहेंगे कि सरकार मूल्यों में कमी करे. यदि इन्हें कम करके पहले के स्तर पर नहीं लाया जा सकता, तो कम से कम उनमें गिरावट का रुख तो दिखाई देना चाहिये।

सरकारी क्षेत्र के निजीकरण की बात की गई है। मुझे आशंका है कि निजीकरण के दो पहलू हो सकते हैं। निजीकरण का अर्थ यह भी हो सकता है कि कामगार जनता को शामिल करने के लिए स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण किया, किन्तु निजीकरण का अर्थ यह भी हो सकता है कि एकाधिकार हाल में प्रणाली को फिर से लागू कर दिया जावे। हमारे सामने हाल में सीमेंट फैक्ट्री को एकाधिकारी औद्योगिक ग्रह को बेचे जाने का जो उदाहरण है। उससे तो यही लगता है कि निजीकरण का अर्थ एकाधिकार की व्यवस्था को मजबूत बनाना है। हमें यह स्वीकार्य नहीं है।

हमें सरकारी क्षेत्र की सीमाओं और उसके बेतरतीब विकास की जानकारी है। हम इसकी पुनरीक्षा करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि यह अधिक कार्यकुशल बने। हम इसे उत्तरदायित्वपूर्ण चाहेंगे। हम चाहेंगे की यह अपनी ऊर्जा को प्रमुख राष्ट्रीय हितों के क्षेत्रों में प्रयोग करें। किन्तु हम यह नही चाहेंगे कि गैरसरकारीकरण के नाम पर पूंजीवादी व्यवस्था, एकाधिकारक ग्रह राष्ट्र की कीमत पर स्वंय को समृद्ध बनायें।

विदेशी सहयोग एवम प्रमुख मुद्दा बन गया है। ऐसा लगता है कि हम शनैः शनैः अपने द्वार खोल रहे हैं। संभवतः हम खुले द्वार की निति के मुद्दे पर पहुंच रहे है। मैंने विदेशी सहयोग की उन सभी योजनाओं का अध्ययन किया है। जिन्हें सरकार ने वर्ष 19·9-90 के दौरान स्वीकार किया था। मैंने पाया कि सहयोग की अनेक स्वीकृत योजनाओं में ऐसी योजनाओं की संख्या बहुत अधिक है। जो उपभोक्ता उत्पादों, फुटवियर, कमीजों के क्षेत्र से सबंधित थी। औद्योगिक हितबद्ध लोगों के साथ विश्वासघात है हमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नहीं चाहिये। हम अपने देश में उपभोक्ता समाज नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि उच्च और निम्न वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में असमानता बढ़े। हमें सुन्दर लोग नहीं चाहिये। और हम उन्हें और उनको महिलाओं को नवीनतम फैशन में रखने की उनकी जरूरतों को पूरा नही करना चाहते (व्यवधान) वस्तुतः यही हो रहा है। इसे अवश्य रोका जाना चाहिये। विदेशी पूंजीनिवेश जरूरी है किन्तु क्षेत्र बहुत सावधानी से चुना जाना चाहिये

यह ऐसा क्षेत्र होना चाहिये जिसके लिये देश में उच्च प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है मेरे विचार से अब ऐसा समय आ गया है कि हम अपने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए प्रौद्योगिक विकास की सम्पूर्ण निति का पुनरीक्षण करें श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी के बारे में राष्ट्रीय विकल्प स्पष्ट रूप से तय करें।

इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि सरकार किस प्रकार काला धन निकलवायेगी अथवा सामाजिक प्रयजनों के लिये इसका किस प्रकार उपयोग करेगी (व्यवधान) इसका उत्पादन अथवा सामाजिक प्रयोजन होना आवश्यक है। जब मैं सामाजिक प्रयोजन की बात करता हूं, तो इससे मेरा आशय उस प्रयोजन से होता है जिससे आम जनता की सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिये यह आम जनता के लिये काफी सस्ते में आवास निर्माण का प्रश्न हो सकता है। यह सड़कें अथवा पुल बनाने का प्रश्न हो सकता है जिसके लिये सरकार के पास धन नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चुनाव के बाद उनके पास धन की कमी हो गई है।

श्री शाहबुद्दीन सैयद : अतः यह तरीका है। यदि आप करों में प्रोत्साहन दें और उस धन को निकाल कर उसे जन उपयोग के क्षेत्र में लगायें, तो सम्भवतः ऐसा किया जा सकता है। हमारे रिकार्ड के अनुसार आज शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 350 लाख है। किन्तु इस देश में वास्तविक बेरोजगारी की संख्या 10 करोड़ से अधिक होगी। हम इस बारे में क्या कर रहे हैं? उसमें केवल एक छोटा सा वाक्य बेरोजगारी की समस्या पर है। क्या यह इस व्यापक समस्या के प्रति, हमारे युवाओं के प्रति, जो देश का भविष्य हैं, पर्याप्त अनुक्रिया है? और इसलिये महोदय कुछ और करने की जरूरत है।

मैं चाहूंगा कि कल्याण सम्बंधी कार्यक्रम यथा संभव व्यापक होने चाहिये, न कि सीमित यदि वे सीमित प्रकार के हुये, तो उन से भ्रष्टाचार और पक्षपात बढ़ेगा क्या सरकार प्राथमिक पूर्व शिक्षा वृद्धों के लिये अथवा विकलांगों तथा विधवाओं अथवा अनाथों के लिए पेंशन के मामले पर कुछ करना चाहती है? यह व्यापक रूप से और हर दरिद्र व्यक्ति के लिये किया जाना चाहिये। ऐसा चुनींदा आधार पर नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि ऐसा किया गया, तो हमारे समाज में पक्षपात की अन्तर्निहित प्रवृतियां हैं, वे सक्रिय हो जायेंगी और इन लोगों से वंचित हो रहेंगे और जो पात्र और पूर्वाग्रह की जो अन्तर्निहित प्रवृतियां हैं, वे सक्रिय हो जायेंगी और इन लोगों से वंचित लोग वंचित ही रहेंगे और जो पात्र नहीं है उन्हें कल्याण योजनाओं का लाभ मिलेगा।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मण्डलीकरण आज समाप्त हो गया है, आज सर्वोच्च न्यायालय से आशा थी कि वह मण्डल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के प्रश्न पर मौजूदा सरकार के रुख की जानकारी प्राप्त करेगा। हमें मालूम नहीं कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को क्या बताया है अथवा उसका सर्वोच्च न्यायालय को क्या बताने का विचार है। किन्तु मैं पूरे बल के साथ यह कहूंगा कि आज समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये प्रशासन और समाज के संचालन में योगदान करने का समय आ गया है। यदि आज वह वर्तमान सरकार अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इससे वंचित किया भी जा रहा है, तो एक दिन ऐसा आयेगा जब हमें इसे संभव बनाने के लिये और आरक्षण की समतावादी व्यवस्था लाने के लिये संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मैं सरकार से इस बारे में स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि यदि सर्वोच्च न्यायालय को किन्हीं बातों के आधार पर ऐसा लगता है कि आरक्षण को

वर्तमान योजना संविधान के अधिकार से बाहर है, तो सरकार उपयुक्त संविधान संसोधन लेकर सभा में आने के लिये तैयार रहेगी ताकि संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) की भावना के अनुरूप सभी वर्गों को समान भाग मिलना संभव हो सके।

महोदय, मैं आपका अधिक समय नही लेना चाहूंगा। मैं विदेश निति के बारे में एक शब्द कहना चाहूँगा। मैं समझता हूं कि निर्गुट आन्दोलन पुनर्मूल्याकन की प्रक्रिया में है यह पता नहीं है। इसका परीणाम क्या हो कि ऐसा लगता है कि इसका आधार ही समाप्त हो गया है। यह नए आधार ढूंढने का प्रयास कर रहा है। यह नई भूमिका की तलाश में है। सभापति महोदय, एक समय ऐसा था। जब भारत निर्गुट आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। मैं समझता हूँ कि नई भूमिका की तलाश मे यही कहना काफी नही है कि भारत इसमें भाग लेगा। मैं समझता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के समान और स्थान को बनायें रखने के लिये यह आवश्यक है हम निर्गुट आदोलन को एक नया नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि हम फिर से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए प्रकाश स्तंभ बन सकें। आप निर्गुट आंदोलन को कोई अन्य मनपसंद नाम दे सकते हैं। स्पष्ट तौर पर इसकी प्राथमिकतायें बदल गई है और इसोलिये यह नई भूमिका की तलाश मे हैं। जैसाकि जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था न्याय और अन्याय के बीच मे कोई तटस्थ स्थिति नही हो सकती। जैसाकि एक बार उन्होंने कहा था यह स्वतन्त्रता और दासता के बीच दमन और मुक्ति के बीच तटस्था है। यह किसी एक देश के पक्ष में और किसी अन्य देश के विरुद्ध होने का प्रश्न नही है किन्तु यह हमेशा सिद्धांत के लिये और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन के विरुद्ध खड़े होने का प्रश्न रहा है। ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय, काश! राष्ट्रपति का अभिभाषण कुछ और दार्शनिक होता और हमें भावी व्यवस्था का संकेत देता, जैसाकि मैंने कहा था इसमे यह नही बताया गया है कि राष्ट्र के जहाज को तट तक पहुंचने के लिये और रास्ते मैं पड़ने वाली चट्टानो से टकराने से बचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए। महोदय, हमारे सामने एक दर्शन है और वह कोई नया नहीं है।

यह दर्शन हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे स्वतन्त्रता आंदोलन की प्रकृति हमारी परम्परा से उत्पन्न हुआ है, जिस पर हम सबको गर्व है। हम ऐसा समाज चाहते है जिसमे हिंसा न हो, जो सामाजिक न्याय पर आधारित हो, जिसमे प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र हो तथा अपना सिर ऊंचा करके रह सके। हम ऐसा समाज चाहते हैं जो मनोवांछित हो, जिसके तरीके और दृष्टिकोण क्रूर न हों, और जो मानव पीड़ा और दुखो के प्रति उदासीन न हों; हम ऐसा समाज चाहते हैं जो वस्तुत: दुःख न हो, जो निडर हो तथा जिसमें नफरत न हो। गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर का यही सपना था तथा हमारे स्वतन्त्रता आंदोलन की भी यही प्रतिज्ञा थी। हमने कहीं किसी तरह अपना रास्ता खो दिया है और इसमें वह रास्ता नही दर्शाया गया है कि और न यह बताया गया कि कैसे बढ़ना, कहां बढ़ना है और कहां मुड़ना है। इसलिए अपनी इच्छा के विपरीत, मैं गणराज्य के राष्ट्रपति के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए मेरे पास इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

श्री एच. डी. देवगौडा (हसन) : सर्वप्रथम मैं आपको इसलिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। हम

सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आगामी वर्ष के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में बताया जाता है। हमारा देश अनेक ज्वलत समस्यायों का सामना कर रहा है और हमारे कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने विस्तार से उन मुद्दों का उल्लेख किया है। दुर्भाग्यवश, मैं उन ज्वलंत समस्ययायों में से कुछ पर अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ हूं क्योंकि आज एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में कर्नाटक से संबंधित एक महत्वपूर्ण समाचार केन्द्र सरकार द्वारा कावेरी विवाद पर अन्तरिम आदेश की अधिसूचना प्रकाशित हुआ है।

यह लगभग एक करोड़ लोगों के लिए ज्वलंत समस्या है जों कावेरी नदी घाटी में रहते हैं। इस समस्या पर पिछले सो वर्षों से अधिक समय से विचार किया जा रहा है। मुझे कावेरी नदी घाटी समस्या की पूरी जानकारी है। दुर्भाग्यवश सभी सरकारें शुरू से ही कर्नाटक को निराश करती रही है। यह मेरी शिकायत है।

आज मैं उन विषयों के सम्बन्ध में अधिक समय नहीं लेना चाहता जो अब अन्तिम निर्णय के लिए कावेरी न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित पड़े है। परन्तु मैं केवल 24 जुन 1991 को घोषित किए गए अन्तरिम आदेश के बारे के बात करता हूं। भारत सरकार को जल्दी व राजो में कोई कदम उठाने से पूर्व अन्तरिम आदेश से संबंधी कठिनाइयों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए।

श्री मणि शकर अय्यर (मईलादुतुराई) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। क्या किसी सदस्य के लिए यह सही है कि वह अपने पूरे भाषण में उस विषय पर बात करता रहें, जिसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया, जैसा कि यह सदस्य कर रहे हैं।

श्री एच. डी. देवगौडा : राष्ट्रपति के अभिभाषण में सिचाई के विकास के बारे में उल्लेख किया गया है मैं उस मद का उल्लेख नहीं करना चाहता जिसके अधीन मैं इस विशिष्ट मामले को उठा रहा हूँ। यद्यपि मैं इस सभा का नया सदस्य हु, मैं जानता हूं कि इस सभा द्वारा बनाए गए नियमों की सीमा के अन्तर्गत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। मैं अपनी सीमाए जानता हूं। यद्यपि मैं इस सभा में नवागत सदस्य हूँ, परन्तु 20 वर्षों से अधिक समय तक राज्य विधान सभा का सदस्य होने के नाते मैं अपनी सीमाए जानता हू। इसलिए मैं अधिक सतर्क हूं, पिछले सप्ताह से मैं लोकसभा की कार्यवाही देख रहा हूँ मैं नवागत सदस्य हूँ। इसलिए मैं उस विषय पर विस्तृत रूप से नहीं कहना चाहता।

महोदय, अन्तरिम आदेश में कहा गया है कि जून से मई तक के फसल वर्ष में 205 टी एम सी जल कर्नाटक से तमिलनाडु को दिया जाना चाहिए। महोदय मैं भारत सरकार को विशेष रूप से न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश की कठिनाइयों के बारे मे चेतावनी देना चाहता हूँ।

यदि आप प्रत्येक परियोजना से दिए जाने वाले जल के बारे में देखें अर्थात् कावेरी नदी घाटी में इन महीनों के दौरान पानी के अन्त:प्रवाह को देखें तो आप इन कठिनाइयों को समझ सकेंगे। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, हमने कर्नाटक सरकार को अपने जलाशय में से पानी देने के लिए कहा है ताकि जून से मई तक के फसल वर्ष के लिए 205 टी एम सी पानी

देना सुनिश्चित हो सके। मैं इस सरकार का ध्यान कम वर्षा होने वाले वर्ष में पानी की उपलब्धता की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस दिशा में कोई भी कदम उठाने से पूर्व सरकार द्वारा विचारार्थ यह विवाद का विषय है। कम वर्षा होने वाले वर्ष में जुलाई माह में दिया जाने वाला पानी 24 टी एम सी से 2.4 टी एम सी है। कावेरी नदी घाटी में सबसे निम्नतम जलाशय के आर एस तथा काबिनी हैं। हेमावाती, हारंगी, तोमग जलाशय के आर से ऊपर है, जो निर्माणाधीन हैं। भारत सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मैं काबिनी और के आर एस जलाशयों से दिए जाने वाले पानी के बारे में ही क्यों विचार कर रहा हूँ। यदि हम न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार जुलाई 42.76 टी एम सी जल देने के आदेश का पालन करें तो इसका अर्थ यह होगा कि कर्नाटक के किसानों को पानी न देकर उनके जलाशयों से पानी निकालकर तमिलनाडु को पानी देना। कर्नाटक में के आर एस जलाशय सहित बनाए गए चारों जलाशयों में एकत्र किए जाने अथवा अवरुद्ध किए जाने वाला पानी लगभग 95 टी एम सी है। के आर एस जलाशय लगभग 50 वर्ष पहले बनाया गया है। यदि आप ध्यान दें तो चारों जलाशयों अर्थात काबिनी, हारंगी, हेमवती और के आर एस में एकत्र किए जाने वाला कुल पानी लगभग 95 टी एम सी है। आप कर्नाटक सरकार की स्थिति को समझ सकते है। यदि कर्नाटक सरकार न्यायाधिकरण के निर्णय का पालन करती है तो कर्नाटक को कम वर्षा होने वाले वर्ष में लगभग 30 एम टी सी जल तमिलनाडु को देना होगा, जो कि उन्होंने जलाशयों में जमा कर रखा है। अतः यह जुलाई माह के लिए है।

अगस्त माह के लिए उन्हें 54 टी एम सी जल देने के लिए कहा गया। दुर्भाग्यवश, यदि आप पिछले 5-6 वर्षों से दिए गए जल के आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि कम वर्षा होने वाले वर्ष में के आर एस और काबिनी जलाशयों से दिए जाने वाला जल 5.9 टी एम सी से 31 टी एम सी होता है। यदि हम न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय का पालन करना चाहें, तो इससे अपने किसानों को पुनः कष्ट उठाना पड़ेगा तथा न्यायाधिकरण के आदेशानुसार अपने भण्डारों में से तमिलनाडु को पानी देना पड़ेगा मैं नहीं जानता कि कर्नाटक के किसानों को हानि पहुंचाकर क्या कर्नाटक सरकार के लिए पानी देना सम्भव होगा।

महोदय, हम न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए दूसरे निदेश की जांच करें। दूसरा निदेश यह है कि हमें 11.2 लाख एकड़ से अधिक भूमि विकसित नहीं करनी चाहिए। हमने पहले ही मई, 1990 में ही 11.2 लाख एकड़ भूमि विकसित कर ली है। उन्होंने मई, 1990 को अन्तिम तिथि माना है। बाद में, कर्नाटक सरकार द्वारा सिंचाई के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र में, उन्होंने पिछले एक साल के आंकड़ों की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। महोदय, मैं कुछ प्रश्नों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे प्रतिपक्षी राज्य तमिलनाडु ने सामान्य जनता के मन में यह विचार उत्पन्न करने का प्रयास किया है कि कर्नाटक ने अनुचित निर्णय लिया है। तमिलनाडु अथवा कर्नाटक को छोड़कर देश के अन्य भागों मे बुद्धिमतापूर्वक विचार करने वाले लोगों का यह विचार है कि जहाँ तक कावेरी जल विवाद का सम्बन्ध है, कर्नाटक सरकार अनुचित निर्णय ले रही है।

संक्षेप में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण

बात है कि कर्नाटक राज्य की पिछली सरकारों ने लोगों के मन में से इस प्रकार के विचार निकालने के प्रति उचित ध्यान नहीं दिया था।

कुल जल में से कर्नाटक लगभग 425 टी एम सी जल दे रहा है, जबकि तमिलनाडु मुश्किल से 225 टी एम सी जल, केरल 130 टी एम सी जल दे रहा है। जब ऐसी स्थिति है तो कर्नाटक और तमिलनाडु द्वारा कुल कितना पानी प्रयोग किया जा रहा है? यदि आप इसकी तुलना करें, तो तमिलनाडु ने 28 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि विकसित की है जबकि दुर्भाग्यवश, कर्नाटक द्वारा हमारी राजनैतिक भूलों के कारण केवल 11.2 लाख एकड़ भूमि ही विकसित की गई है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 11.2 लाख एकड़ भूमि में से हम सभी नई परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना में धान नहीं उगा रहे हैं। केवल के आर एस और कुछ पुराने जलाशयों में हम केवल एक फसल धान ही उगा रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में हम केवल गन्ने की फसल उगा रहे हैं। नई परियोजनाओं को छोड़कर जो भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन पड़ी है। चाहे यह हारांगी हो अथवा हेमवती, केवल शुष्क व नम फसल ही उगाई जाती हैं क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने आपत्ति की थी अन्य सभी परियोजनाओं का निर्माण स्वयं राज्य के संसाधनों द्वारा किया गया है। इन प्रमुख परियोजनाओं पर हमने लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च किये हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश आज इस अन्तरिम आदेश के कारण हमारी परियोजनाएं तमिलनाडु के लिए पानी इकट्ठा करने का स्थान बन गयी हैं जिसका किसानों के लाभ के लिए कोई उपयोग नहीं है। यह तमिलनाडु के लिए संतुलित करने वाला जलाशय है। न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश के कारण आज हम इस स्थिति में आ गए हैं।

मैं न्यायाधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय पर आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं जानता हूं कि इस मामले से किस प्रकार निपटा गया।

महोदय, इस देश में अनेक अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद चल रहे हैं। अनेक न्यायाधिकरण बनाये गये हैं और मेरी जानकारी में किसी भी न्यायाधिकरण ने अन्तरिम आदेश नहीं जारी किये हैं। जब न्यायाधिकरण गठित किया गया था, तब तमिलनाडु ने न्यायाधिकरण के समक्ष सिविल प्रकीर्ण याचिका लायी ताकि कर्नाटक को कुछ चालू परियोजनाओं को स्थगन के लिए अंतरिम आदेश जारी किया जाए तथा एक अच्छे और खराब समय में बजन को विशेष मात्रा जारी करने के लिए एक आदेश जारी किया जाय। न्यायाधिकरण ने एक निर्णय लिया कि वह सिविल प्रकीर्ण याचिका के मामले में उनके गुण और दोषों की जांच नहीं कर सकता। परन्तु दुर्भाग्यवश सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को अस्वीकृत कर दिया। इसी कारण मैंने यह कहा कि मैं इस समय आक्षेप नहीं लगाना चाहता। मेरी जानकारी में जब समस्त देश में इस तरह का मसला उठाया गया और न्यायाधिकरण के सामने अन्तर्राजीय नदी जल के वितरण से सम्बन्धित मसला लाया, तब किसी न्यायाधिकरण ने ऐसा अन्तरिम आदेश जारी नहीं किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के कारण न्यायाधिकरण के लाभ उठाया और यह अन्तरिम आदेश जारी किया।

मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु ने पहले किस प्रकार व्यवहार किया। मैं इस सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा तथा इस सभा के माध्यम से जन सामान्य का ध्यान आकृ-

षित करना चाहूंगा कि कर्नाटक विधान सभा द्वारा एक संकल्प पारित करने के कारण कर्नाटक ने न्यायाधिकरण का बहिष्कार करने तथा न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश को लागू न करने का यह अनुचित कदम क्यों उठाया है। ऐसी बात पहली बार नहीं हुई है। मैं पिछली घटनाओं का भी उल्लेख करना चाहूँगा। यह मामला लगभग 100 वर्ष पहले उठा था जब पुराने मैसूर राज्य पर तत्कालीन महाराजा का शासन था और तमिलनाडु पर अंग्रेजों का। मैं कुछ संगत मुद्दों का उल्लेख करूंगा, क्योंकि ये वर्तमान संदर्भ में काफी प्रासंगिक है।

तमिलनाडु सरकार ने उन दिनों मध्यस्थ के निर्णय का उल्लंघन कैसे किया? मैं इन घटनाओं को क्रमानुसार बता रहा हूं।

सन 1870 में मैसूर और मद्रास के बीच गभीर विवाद हुआ जो नदी के किनारे किसानों द्वारा भूमि की सिंचाई के बारे में मद्रास के दावा के विपरीत प्रभाव के बारे में था। मैसूर में सिंचाई सुविधा देने के बारे में मद्रास ने यह दावा किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून मैसूर जैसे साम्राज्यवादी राज्य में लागू नहीं होता। इस मामले के उभरने के बाद भारत सरकार ने श्री एच. डी ग्रिफीन को मध्यस्थ तथा श्री एम. नेथरसोन भारत के सिंचाई महानिरीक्षक को असेसर नियुक्त किया। श्री एच डी. ग्रिफीन ने 1914 में एक निर्णय दिया। उस पंचाट का तमिलनाडु सरकार ने इन दिनों पालन नहीं किया। सन् 1915 में उन्होंने उस पंचाट के खिलाफ भारत सरकार से अपील की इसके बावजूद उस पंचाट की पुष्टि की गई। उस समय भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार की आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया। परन्तु भारत सरकार ने स्वेच्छा से मध्यस्थ के निर्णय का अनुसमर्थन किया। इसका अनुसमर्थन 1916 में किया गया। भारत सरकार द्वारा 1916 में अनुसमर्थन किये जाने के पश्चात भारत के सेकेट्री आफ स्टेट के समक्ष अपील दी गई। उनकी राजनीतिक ताकत क्या थी उनकी शक्ति क्या थी यह कोई भी व्यक्ति समझ सकता है सेकेट्री आफ स्टेट ने एक नये मध्यस्थ निर्णय के लिए निर्देश जारी किया। तमिलनाडु ने प्रारम्भ में ही मध्यस्थ निर्णय को अस्वीकार कर लिया था क्योंकि इससे उन्हें सहायता नहीं मिली। उस समय एक छोटी मैसूर रियासत तत्कालीन महाराजा के शासन में थी जो भारत सरकार या महासचिव को उन दिनों प्रभावित नहीं कर सका। मैं इतिहास का उल्लेख इस देश की जनता को न्यायधिकरण द्वारा दिया आंतरिक पंचाट पर कर्नाटक द्वारा दिए गए अनुचित समय के बारे में बताना चाहता हूं। मैं किसी प्रकार का संघर्ष नही उत्पन्न करना चाहता।

विश्वास प्रस्ताव का उत्तर देते हुए प्रधान मन्त्री ने कहा था कि टकराव का युग समाप्त हो गया है। कुछ प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग चाहते हैं।

न्यायाधिकरण ने स्वयं अपने पिछले आदेश में उल्लेख किया था कि केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल विवाद नियम 1959 की धारा 13 के अन्तर्गत नियम बनाया है। अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत नियम बनाए गए हैं। परन्तु आंतरिक राहत देने के लिए कोई शीर्षक प्रदान नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में इस बात से यह भी पता लगता है कि न्यायाधिकरण को किसी भी प्रकार की आंतरिक राहत देने की शक्ति नहीं दें। यदि संसद का इरादा है कि न्याया-यिकता विवाद को उनके समक्ष भेजे बगैर आंतरिक राहत दे सकें तो इसे या तो अधिनियम में हीं या अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में ऐसी शक्ति प्रदान करनी होगी, परन्तु ऐसा नही

किया गया। यह स्वयं न्यायाधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश में की गई रियायतों दे जो जनवरी 1991 में लिखित याचिका पर तमिलनाडु की दलील को अस्वीकार करते हुए की गई थी। मैं इस सम्मानित सभा का समय बर्बाद नही करना चाहता हूं मैं समय का मूल्य जानता हूं। सामान्यतौर पर आपको मेरी पृष्ठभूमि के बारे में मालूम है मैं कभी भी अनावश्यक भाषण नहीं देता। यह बहुत ही तर्क संगत बात है और कर्नाटक के लिए यह जीवन मरण का प्रश्न है। सौभाग्यवश आप पीठासीन हैं। कृपया मेरे भाग्य के समय को कम न करें। यह काफी गंभीर मामला है। महोदय, मैं उसी न्यायधिकरण द्वारा जनवरी के महीने के आदेशों में की गई रियायत के बारे में बता रहा हूं। सिविल प्रकीर्ण याचिका पर न्यायाधिकेरण के आदेश को अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पुन: रियायत की

"उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हमारे लिए इस प्रश्न की गहराई में जाना आवश्यक नहीं है कि क्या जल विवाद अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण को अंतरिम राहत प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है अथवा नहीं।"

महोदय, जब ऐसा मामला है तो मैं नहीं जानता कि सर्वोच्च न्यायालय ने कैसे निदेश जारी किया कि और न्यायाधिकरण के उस निदेश पर आधारित अंतरिम आदेश कैसे जारी किया।

श्री मणि शंकर अय्यर : क्या मैं सदस्य महोदय से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या वे इस बात को स्वीकार करते हैं अथवा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय देश के कानून के मामले में एक अन्तिम प्राधिकरण है ?

श्री एच. डी देवगौड़ा : वास्तव में मैं अपने मित्र का अभिवादन करना चाहता हूं। यह एक अन्तर्राज्यीय विवाद अधिनियम का मामला है। इस अधिनियम की धारा 3 और 4 के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण गठित किया गया है जो इसी सभा द्वारा बनाया गया है। यद्यपि उन दिनों मैं सभा का सदस्य नहीं था मैं एक नया सदस्य हूं, और मैं आपका ध्यान अन्तर्राज्यीय विवाद अधिनियम की धारा 11 की ओर आकृष्ट करना चाहिए हूं जिसमें कहा गया है :

"किसी अन्य कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात के बावजूद न तो उच्चतम न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय का किसी जल विवादकोजो इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी न्यायाधिकरण को सौंपा जाना है के बारे में कोई क्षेत्राधिकार होगा अथवा उसका प्रयोग करेगा"

श्री मणिशंकर अय्यर : मुझे खेद है। परन्तु अधिनियम में समस्या के सार का उल्लेख है। कानून के अन्तर्गत मुद्दा यह है कि क्या न्यायधीकरण को देश के कानून के अन्तर्गत अन्तरिम आदेश देना चाहिए या नही देनाचाहिए। भारतके उच्चतम न्यायालय ने उन्हेंयह आदेश जारी रहने के लिए कहा है। इसलिए हमारे पास जो आदेश हैं वह उच्चतम न्यायालय जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, ---आदेश है और एक न्यायिक विकल्प का निर्णय है। कर्नाटक को यह निर्णय स्वीकार न करने ::प्रश्न आखिम है।

.. देवगौड़ा : मैं न्यायपालिका पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : सभापति जी यह दोनों माननीय सदस्यों के बीच क्या सवाल जवाब हो रहे हैं ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : एक कर्नाटक के है और दूसरे तमिलनाडु के ?

श्री एच डी देवगौड़ा : इस सभा में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश का मामला महा-नियोग के लिए लम्बित है। मैं इस मामले में टिप्पणी नहीं करना चाहता।

श्री डी.के. नायकर (धारवाड़ उत्तर) : न्यायाधिकरण के सामने उपयोग और वितरण से संबंधित प्रश्न था। इन शब्दों का प्रयोग किया गया है : "उपयोग और वितरण और सरक्षण" इस न्यायाधिकरण को एक आवेदन एक अन्तिरिम आवेदन लिया और इस आधार पर निर्णय लिया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आदेश देने के लिये कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। संदर्भ मुख्य विवाद "जल का उपयोग और वितरण" से सबंधित था इसलिये क्षेत्राधिकार न होने के आधार पर उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया। तत्पश्चात् अन्तिरिम स्थगन के लिये याचिका आई। इस स्थगन आदेश के विरुद्ध पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय में गई और सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय कायम की कि यह केवल उपयोग और वितरण का ही प्रश्न नहीं था, किन्तु कि वे इस पर गुणवगुण के आधार पर विचार कर रहे थे। प्रश्न केवल इस बात का था कि क्या न्यायाधिकरण को इस अन्तरिम याचिका को बर्खास्त करने का अधिकार है अथवा नहीं, अधिकार और सीमा तथा क्षेत्राधिकार संबंधी ये सब कानून के प्रश्न है। किन्तु इस पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया और न्यायधिकार की अन्तरिम आवेदनों से संबंधित मामले का भी निपटारा करने का आदेश दिया गता। किन्तु आदेश ऐसे समय न्यायधिकरण ने कर्नाटक राज्य की सामर्थ्य को भी ध्यान में रखा था क्योंकि कर्नाटक के पास 100 टी एम सी फुट जल भंडारन की व्यवस्था है। एक सौ टी,एम सी फुट। न्यायधिकरण ने 205 टी एम सी फुट देने का निर्देश दिया था कर्नाटक सरकार के पास भी काबिनी, हांरगी, हेमालती और के.आर.सागर नाम के चारों जलाशयों में 95 टी.एम.सी फुट पानी के भण्डारण क्षमता हैं। न्यायधिकरण के पास ऐसा आदेश जारी करने के लिये कोई व्यवहारिक जानकारी नहीं थी इस मामले को इतने गैरकानूनी और अव्यवहारिक तरीके से निपटाया गया कि इस पर कर्नाटक सरकार अमल नहीं कर सकी। (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : क्या वे हमारे खर्च पर विवाद को नहीं निपटा सकते ? हम उत्तर बिहार से उन्हें जितना वे चाहे उनकी जरुरत के अनुसार पानी दान कर सकते हैं·· ······

(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवगौड़ा : न्यायाधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश की भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षा की जानी चाहिये। भारत सरकार और राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। वे धारा 5 (3) के अधीन न्यायाधिकरण को तीन महीने के भीतर सारे मुद्दे की पुनः जांच करने और भेजने के लिये कह सकते हैं।

महोदय, आज के इंडियन एक्सप्रेस में बताया गया है कि भारत सरकार के लिये इस रिपोर्ट को एक महीने के भीतर प्रकाशित करना अनिवार्य है। मैं किसी पर कोई छींटाकशी नहीं करना चाहता।

मैं और पांच बातें कहना चाहता हूं कृपया मुझे और 5 मिनट दीजिए (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : इससे पहले कि वे दूसरे मुद्दे रखें मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं···(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब आप बोलें उस समय आप इसका उल्लेख कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री राम नाईक : माननीय सदस्य श्री अय्यर खड़े हो रहे हैं और अन्य सदस्यों के भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं। सिवाय व्यवस्था के प्रश्न को लेकर खड़े होने के लिये वह इस तरह व्यवधान नहीं डाल सकते। कभी कभार वह ऐसा कर सकते हैं। किन्तु यह चौथा मौका है जब उन्होंने उनके भाषण में बाधा डाला है···(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवगौड़ा : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान धारा 5 (3) की ओर दिला रहा हूं। इस धारा के अन्तर्गत या तो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार संशोधित याचिका से संबंधित सम्पूर्ण मुद्दे पर पुनः विचार करने के लिये कह सकती है। सरकार निदेश भी दे सकती है। यही विवाद का मुद्दा है जिसे मैं समझना चाहता था।

मैं यह बताना चाहूंगा कि कर्नाटक राज्य को किस प्रकार वंचित रखा गया है। 35 वर्षों से 4 परियोजनायें स्वीकृति के लिये लंबित पड़ी हैं, 1924 के समझौते के विपरीत कर्नाटक सरकार द्वारा आपत्ति किये जाने के बावजूद तमिलनाडु सरकार ने छः लाख एकड़ भूमि विकसित की है। दुर्भाग्यवश, भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों का संज्ञान नहीं किया। महोदय विगत में जब हमने हारंगी, काबिनी और हेमवती नाम की तीन परियोजनायें केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत की थी, तब भी उसी प्रकार का व्यवहार किया गया था। उन्हें स्वीकृति नहीं दी गई और वे 1965 से भारत सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं। इसीलिये मैं केन्द्रीय सरकार के रुख के प्रति आशंकित हूं। मैं जानता हूं कि न्यायाधिकरण के गठन के समय जनता दल की सरकार ने भी इस मामले पर किस प्रकार कार्यवाही की थी। मैं इस अवस्था में इस बारे में अधिक विस्तार से नहीं कहना चाहता। यदि हम न्यायाधिकरण के इस अन्तरिम आदेश को मानें कि सिंचाई का और विकासन किया जाये, तो इससे भारी वित्तीय हानि होगी क्योंकि संविदागत दायित्व निर्धारित किये जा चुके हैं। निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में जारी है और वितरण प्रणाली के लिये तय किये जा चुके हैं इसलिये यदि उन्हें रोका गया, तो उससे बहुत ही वित्तीय पेचीदगियां पैदा हो जायेंगी और राज्य सरकार पर बहुत अधिक भार पड़ेगा। यदि भारत सरकार द्वारा अन्तरिम आदेश अधिसूचित किये गये, तो इससे किसानों और कावेरी बेसिन को बहुत हानि होगी,

तमिलनाडु ने 27 लाख एकड़ भूमि विकसित की है और वे साम्बा तुलादी और कुरवई धान की फसलें उगा रहे हैं जब कर्नाटक में सभी नई परियोजनाओं में केवलबरानी और सिंचाई वाली फसलें उगाई जा रही हैं। यदि सभी चालू परियोजनायें पूरी भी हो गई तो उससे केवल 23 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और वह भी केवल बारानी और सिंचाई वाली। 1972 के सिंचाई आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मौसमी हालत इस प्रकार के है कि कर्नाटक में 27 तालुके और तमिलनाडु में 17 तालुके सूखों से प्रभावित होंगे। मैं यह बात भारत सरकार के विचारार्थ कह रहा हूं। तमिलनाडु से अब भी मेरा यही अनुरोध है कि वह अड़ियल रवैये को छोड़कर आपसी बात चीत और द्विपक्षीय वार्ताओं द्वारा इस समस्या को हल करे। यह मामला पिछले 60 वर्षों से अन-सुलझा पड़ा है। यदि कर्नाटक सरकार को उसके वाजिब भाग से वंचित किया गया, तो इसे सहन कर पाना आसान नहीं होगा। मैं राष्ट्रीय कृषि आयोग की टिप्पणियों को उद्धृत करना चाहूंगा। जल बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसका बहुत सोचसमझ कर उपयोग करना होगा। मैं राष्ट्रीय कृषि आयोग की केवल एक टिप्पणी का उल्लेख कर रहा हूं :

> "देश के अनेक भागों में भावी कृषि और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जल संसाधनों की अपर्याप्त को देखते हुये उनका परीक्षण करना और अत्यधिक निवेशपूर्ण तथा रियायती ढंग से उपयोग करना राष्ट्र के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है।"

सी.सी. पटेल समिति और संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना की भी रिपोर्ट यही बताती है कि यदि हम नई प्रौद्योगिकी अपनाकर भूतल जल का उपयोग करें, तो लगभग 340 टी.एम.एम सी. जल बचाया जा सकता हैं। यदि आप विवेकपूर्ण और किफायती ढंग से परीक्षण और उपयोग करना चाहें तो अपनाने के लिये अनेक आधुनिक प्रौद्योगिकियां है। अब राजनैतिक शक्ति सामने आयेगी कि कौन अधिक शक्तिशाली है तमिलनाडु याकि कर्नाटक मैं भारत सरकार और कांग्रेस पार्टी को इस बात से आगाह कर देना चाहता हूं कि कर्नाटक की जनता शुरू से कांग्रेस के साथ रही है, तब भी जब कांग्रेस (इ) विभाजित हुई। श्रीमती इन्दिरा गांधी के बुरे दिनों में वह कांग्रेस के साथ रही। यह बात भूलनी नहीं चाहिये। भूखा पेट कोई कानून संविधान नहीं जानता। वह अपनी उदरपूर्ति के लिये मर जायेगा। इस बात को याद रखना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण पूरा करता हूं।

6.00 म.प.

यही वे दो मुद्दे हैं जिन्हें मैं उठाना चाहता था क्योंकि इन पर और चर्चा तथा द्विपक्षीय बातचीत करके इस समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी ··(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री देवगौड़ा जी, आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है। आप 35 मिनट तक बोल चुके है। अब सभा झुंझलाने लगी है।

श्री एच. डी. देवगौडा. महोदय हम जानते हैं कौन अधिक शक्तिशाली है। यही मुद्दा हमारे सामने है। मैं जानता हूं राजनीति क्या है और कौन अधिक शक्तिशाली है, वर्तमान राजनीतिक वातावरण में कौन इस स्थिति से निपट सकता है। अब राजनीतिक शक्ति की ही विजय होगी

केन्द्रीय सरकार, जिसे इस समय कांग्रेस चला रही है, को यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटक के लोग शुरू से ही कांग्रेस के साथ रहे हैं। जब कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था, जब भी और जब कांग्रेस अविभाजित थी तब भी कर्नाटक के लोग उसके साथ रहे यदि इसका यह ईनाम दिया गया कि कर्नाटक की जनता को भारत सरकार द्वारा जल्दबाजी में लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर जारी की जाने वाली अधिसूचना के कारण कष्ट सहना पड़ा तो कर्नाटक की जनता कांग्रेस और केन्द्रीय सरकार को माफ नहीं करेगी।

इस चेतावनी के साथ मैं अपनी यह बात स्पष्ट कर दूं कि जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। कर्नाटक के लोग कांग्रेस को सहायता नहीं देंगे जो उन्होंने स्वर्गीय श्रीमती गांधी के समय दी थी। वे इस बात को न भूले···(व्यवधान)

सभापति महोदय : बस इतना ही देवगौड़ा जी। अब श्री रंगराजन कुमार मंगलम···

(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवगौड़ा : महोदय अन्त में मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं पहले ही यह बात स्पष्ट कर चुका हूं कि भूका पेट ··(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, यह बात कही जा चुकी है। मैंने श्री रंगराजन कुमार मंगलम का नाम पुकारा है।

6.03 म. प.

कार्य मंत्रणा समिति

पहला प्रतिवेदन

सभापति महोदय : श्री आर. कुमारमंगलम् :

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय, और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के अनुसार, क्या मैं सभा से यह निवेदन कर सकता हूं कि वह 7-00 बजे तक बैठने के लिये सहमत हो जाये ?

सभापति महोदय : क्या सभा की यह इच्छा है कि वह 7-00 तक बैठे ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। पहले ही सभा का

समय समाप्त हो चुका है। (व्यवधान) सभा की कार्यवाही कों समाप्ति पर आप इस तरह का प्रस्ताव क्यों कर रहे हैं ? यदि कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ही था तो इसे पहले प्रस्तुत करना चाहिए था। सभा का समय बढ़ाने का यह कोई तरीका नहीं हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिये कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 3-00 बजे हुई थी तथा यह हमेशा उसी दिन 6-00 बजे सभा पटल पर रखी जाती है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : यह ठीक है पर 6-00 बजे के बाद नहीं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शायद मंत्री महोदय हमसे सहमत नहीं होना चाहते हैं। इसी कारण वे बहस कर रहे हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सामान्यतः यह 6-00 बजे से पहले रखा जाता है। परन्तु हमने सोचा कि माननीय सदस्य कुछ और समय तक बोलेंगे, इसी कारण वह अब प्रस्तुत किया जा जा रहा है। मुझे आशा हैं कि सभा सहमत हो जायेगी क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति सहमत हो गयी है।

श्रीराम नाईक (मुम्बई उत्तर) : विशेष परिस्थितियों में हम आज सहमत हो रहे हैं।

सभापति महोदय : अतः सभा 7-00 बजे तक बैठने को तैयार है।

अत:	श्री पी. के. बसंल	—	अनुपस्थित
	श्री मनोरंजन भक्त	—	अनुपस्थित
	श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही —		

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-जारी

6.05 म. स.

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करके प्रसन्नता हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि यह वार्षिक प्रक्रिया है तथा यह वार्षिक परम्परा है। यह बहुत ही बहुमूल्य दस्तावेज है जिसमें आने वाले वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पालन की जाने वाली नीतितों तथा कार्यक्रमों का ब्योरा होता है। यद्यपि यह वार्षिक प्रक्रिया है, इस वर्ष का राष्ट्रपति का अभिभाषण तथा यह चर्चा इस मायने में काफी महत्व रखती है कि दसवीं लोकसभा के चुनावों के बाद सरकार को सभा के समक्ष आने तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने का प्रथम अवसर मिला है।

महोदय, पिछले 3-4 दिनों को चर्चा के दौरान काफी कुछ कहा गया जा चुका है। प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य में पिछले लोकसभा के चुनावों में लोगों द्वारा दिये गये जनादेश के बारे में जनता ही सर्वोच्च होती है। हम उनके निर्णय का आदर करते हैं। परन्तु महोदय, मैं महसूस करता कि हमारे देश को जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उसकी गंभीरता को देखते हुए यह

अच्छा होता है कि यह निर्णय और अधिक निर्णायक तथा स्पष्ट होता क्योंकि महोदय, इस समय सुदृढ़ सरकार की आवश्यकता है ताकि वह उन समस्याओं से निपट सके जो देश की एकता एवं अखण्डता के लिए खतरा पैदा कर रही है। महोदय, सब जगह हिंसा का बोलबाला है। देश के कुछ भागों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और एक मामले में हिंसा हम सब पर हावी है। महोदय यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बुद्ध अशोक, गांधी तथा जवाहर लाल के देश में जिन्होंने दुनिया को शांति एवं अहिंसा का संदेश दिया, वहां हिंसा हम सब पर हावी है। महोदय यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है और हमें इसके सबसे बड़े लोकतन्त्र होने पर गर्व है परन्तु महोदय, हमारे सिर उस समय शर्म से नीचे झुक जाते हैं, जब हम यह देखते हैं कि यह एक ऐसा स्थान बन गया है; जहां तीन महान राष्ट्रीय नेताओं—राष्ट्रपिता तथा उसके बाद हमारी प्रधानमंत्री प्रिय स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा हमारे लोकप्रिय युवा नेता भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की गयी।

6-07 म. प.

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई।

अतः जैसा कि मैंने कहा है कि यह जनादेश लोगों द्वारा दिया गया है, तथा हम इसे पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। परन्तु यह जनादेश एक मामले में स्पष्ट हैं। यह जनादेश निश्चित रूप से जातीयता, साम्प्रदायिकता, तथा उन वर्गों के विरुद्ध है जो जातीयता तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। यह जनादेश निश्चित रूप से जातीयता तथा साम्प्रदायिकता के विरुद्ध है तथा यह जनादेश कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने तथा ऐसी परिस्थितियों में जब सब कुछ गड़बड़ है, राष्ट्रीय मुद्दों पर वस्तुतः विपक्षी दलों के साथ आम सहमति के आधार पर राष्ट्रीय मामलों को निपटाने के लिये दिया गया है। क्या इसके बारे किसी को कोई आपत्ति है ? वह कुछ भी कहें, मैं समझता हूं उस पक्ष के बहुत से माननीय सदस्या ने जिन्होंने कल तथा उससे पहले चर्चा में भाग लिया तथा अन्य अवसरों पर जैसे विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया था वे इस समय यहां उपस्थित नहीं है, उन्होंने अनावश्यक रूप से आलोचना की है अकारण ही असीमित रूप से श्री नरसिंहा राव की सरकार के आलोचक हो गये हैं। क्या सरकार को अपनी गतिविधि और अपने कार्य आरम्भ करने का कोई मौका मिला है ? उसके कार्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिये उसकी परीक्षा की जानी चाहिये और उसके बाद ही उल्लेख किया जा सकते हैं। तथा तभी आलोचना की जा सकती है। इस ओर के सदस्यों ने जब श्री सोमनाथ चटर्जी, से सहयोग के लिये कहा है तब से वह लगातार यह पूछ रहे हैं कि किस कारण तथा किस आधार पर सहयोग दिया जाये ? कल उन्होंने अपने भाषण के दौरान पुनः यह कहा है कि इस अभिभाषण मे लोगों के लिये, आशाओं एव प्रेरणा की कमी है। मेरे राष्ट्रपति के अभिभाषन की दोनों प्रतियां हैं एक 11 जुलाई 1991 की तथा एक 20 दिसम्बर 1989 की जब श्री विश्वनाथ सिंह ने सरकार बनायी थी। उस समय यह कहा गया था कि सरकार वाम दलों तथा भा.ज.पा. के समर्थन से बनायी गई है। दो अभिभाषणों में क्या अन्तर हैं ? उस अभिभाषण में क्या आशायें तथा प्रेरणायें थी ? पश्चिम बंगाल तक में, जहां श्री ज्योति बसु मुख्यमंत्री है, उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में कोई बात विस्तार से नहीं बतायी हैं, उसमें नीतियां हैं, संकेत है, परन्तु विस्तारपूर्वक कुछ नहीं बताया गया है। यदि

राष्ट्रपति के अभिभाषण में ब्यौरे भी होते तो मुझे डर है कि श्री चटर्जी यह शिकायत कर सकते थे कि जब अभिभाषण में सारे ब्यौरे दिये जा चुके हैं तो परामर्श की क्या आवश्यकता है ? अतः आज स्थिति की मांग है कि देश में भिन्न प्रकार का वातावरण हो। विपक्ष को अलग-अलग दलों से अलग-अलग प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये। अतः मैं कहूंगा कि यह समय नये युग की शुरुआत का है जैसाकि हमारे प्रधानमंत्री ने उचित रूप में कहा है।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदया : घंटी बजायी जा रही है।

गणपूर्ति हो गयी है, माननीय सदस्य श्री बल्लभ पाणिग्रही अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही : महोदया, मैं जनादेश के बारे में कह रहा था जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सरकार चलाने के लिए सरकार गठित करने के आधार तथा विपक्षी दलों के मुद्दों पर तथा राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर आधारित समर्थन करने के लिये है। प्रधानमंत्री ने इस सभा में ठीक ही कहा है कि एक राष्ट्रीय सूची तैयार की जा सकती है और यह समय है कि जब सब मिलकर विशेषकर दलों के नेता अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, तथा एक साथ बैठकर विस्तृत ब्यौरा तैतार करें वर्ना लोग अब दोबारा चुनाव कराना बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 18 महीनों के दौरान हम दो बार लोगों के पास गये और यदि हम पुनः उनके पास गये तो यह राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होगा। लोग इसे पसन्द नहीं करेंगे। यह सही है कि हम इस तरह की स्थिति से पहले अभ्यस्त नहीं थे। यह स्थिति भारत के बाहर विदेशों में भी है और तथा हमें इस तरह की स्थिति के प्रति हमें अभ्यस्त होना पड़ेगा क्योंकि जनता ने ऐसा जनादेश दो बार दिया है जिसमें कोई अकेली पार्टी अपनी सरकार नहीं बना सकती है। स्वाभाविक है कि इसके लिए हमें खुद को समायोजित करना पड़ेगा। इस स्थिति में विभिन्न राजनैतिक नेताओं और राजनैतिक पार्टियों के बीच आपसी तालमेल की जरूरत पड़ती है, ताकि देश को चलाया जा सके।

इस सरकार ने कुछ कार्य बड़ी ईमानदारी से शुरू किये हैं। जैसाकि आप जानते हैं सारी चीजें तालमेल की स्थिति में हैं, और इस प्रकार को पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उत्पन्न की गई इस घालमेल की स्थिति को समाप्त करना है। मैं इसके लिए किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। पर पिछले 18 महीनों में उन्होंने जो भी किया है उसी के कारण खजाना खाली है और हमें अपने सोने को गिरवी रखना पड़ रहा है। देश की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए ऐसा आवश्यक था अतः स्वाभाविक रूप से रुपये का भी अवमूल्यन किया गया। आप इसे विदेशी मुद्रा के प्रति रूपये का समायोजन भी कह सकते हैं।

चुनाव आयोग की इस तरह से निन्दा करना विपक्ष के लिए अच्छा नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त कोई व्यक्ति नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र तथा स्वायत्तशासी संस्था है तथा इसके कुछ फैसले हमारी पसन्द के भी नहीं हो सकते हैं। चुनाव आयोग की आलोचना करने वाले

विपक्ष को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब चुनाव आयोग ने पंजाब के चुनाव को टाला था उस वक्त भी उन्होंने इसकी आलोचना की थी। पर मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि चुनाव आयोग ने पंजाब चुनाव को 25 सितम्बर तक टाल दिया है। यदि पंजाब में चुनाव हुआ होता या अभी भी चुनाव हो तो क्या वह निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो सकेगा खास करके तब जब 24 उम्मीदवारों ने थानों की शरण ले रखी है। मतदान केन्द्रों पर कौन आते और उनमें से कितने वास्तविक मतदाता आते ?

प्रस्ताव को पेश करते हुए सरदार बूटा सिंह ने कहा कि उग्रवादियों ने घोषणा कर रखी थी कि यह उनके लिए खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह होगा। यदि उग्रवादी उस राज्य में अपनी सरकार बना लेते तो क्या होता ? मैं समझता हूं कि यदि निर्धारित समय पर वहां चुनाव हो जाते तो आतंकवादी वहां की विधान सभा में खालिस्तान संबंधी प्रस्ताव को पारित करवा लेते।

पंजाब में चुनाव स्थगित किए जाने के खिलाफ विपक्ष बोलता रहा है। पर मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री राजीव जी की दुखद हत्या के बाद एकतरफा रूप से चुनाव 12 और 15 जून तक टाल दिये गए थे। कांग्रेस ने चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी पर चुनाव आयोग ने इसे नहीं माना। फिर भी हमें चुनाव आयोग से कोई शिकायत नहीं है।

जब हम सभी की इस मांग के अनुरूप कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाये भाजपा के चुनाव चिह्न को रद्द करने की बात उठी तो भाजपा के दोस्तों ने क्या किया ? जब चुनाव आयोग भाजपा के चुनाव चिह्न को रद्द करना चाहता था तो स्वयं को बड़ा प्रजातांत्रिक बताने वाले हमारे भाजपा दोस्त इस मामले को सड़क पर ले गये। क्या यह सच नहीं है ?

बिहार में क्या हुआ ? हम जानते हैं कि वहां चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है तथा मतदान केन्द्रों पर कब्जा भी किया गया था। सिर्फ एक ही आदमी हर ओर छाया हुआ था और वह आदमी चुनावों में धांधली करने में सिद्धहस्त है। बिहार के मुख्यमंत्री चुनावों में धांधली करने और उनके परिणाम प्राप्त करने में सिद्धहस्त हैं। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी आवाज शोर में दब जाए। मुझे अपने विषय की जानकारी है और मैं चाहता हूं कि मैंने जो भी कहा है वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए। बिहार के चुनाव परिणाम पूर्ण रूप से वहां हुई चुनावी धांधली के प्रतिफल हैं। वहां निर्वाचन अधिकारियों तथा कलेक्टरों को निर्देश दिया गया था कि मतदान की प्रक्रिया का ध्यान रखे बिना वे सिर्फ एक राजनैतिक पार्टी के उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित करें। क्या यह सत्य नहीं है। क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा है ?

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। माननीय सदस्य ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने पिछले चुनावों में धांधली की सारी योजना बनायी थी क्या यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होगा ?

सभापति महोदय : हां। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होगा ?

श्री श्रीकांत जेना : क्यों ? क्या हम बिहार के चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे है ? क्या श्री मिश्र के चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं। यह गलत है।

श्री बसन्त पाणिग्रही : मैंने यह कहा है। इस में गोपनीय बात नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : आज दोपहर के समय मैंने निवेदन किया है कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सात लोगों की हत्या कर दी गयी हैं। उनमें से पांच मुस्लिम हैं और दो अनुसूचित जाति के लोग हैं। दुर्भाग्यवश ऐसा मेरे मित्र और बिहार कांग्रेस पार्टी के नेता डा. जगन्नाथ मिश्र द्वारा किया गया है। वे इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाये है।

श्री बसन्त पाणिग्रही : समाचार पत्रों ने ऐसा संकेत दिया है। बिहार में किसने क्या किया है यह सबको पता है।

पंजाब में चुनाव के बारे में मेरा कहना है कि जब तक पंजाब में सामान्य स्थिति फिर से बहाल न हो जाये तब तक वहां चुनाव नहीं होने चाहिए। सामान्य स्थिति की बहाली के साथ-साथ तत्संबंधी कानूनों को भी संशोधित किया जाना चाहिए। यह संशोधन क्या है? कोई भी व्यक्ति जो अलगाववाद की वकालत करता है और इसके लिए काम करता है उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति विधान सभा या विधान मंडल में अलगाववाद की मांग नहीं कर सकता है। जबकि भविष्य में भी सावधानी की दृष्टि से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में तत्संबंधी कानूनों में उचित संशोधन न हो जाये तब तक हमें वहां चुनाव नहीं करवाने चाहिए। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कुछ अन्य दल भी वहां की हालत देखकर पंजाब में चुनावों का बहिष्कार करना चाहते थे। जब कांग्रेस ने पंजाब के चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया तो कुछ अन्य दलों ने भी वैसा ही फैसला किया। पंजाब में चुनाव प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जानी चाहिए।। (व्यवधान)

जहां तक आर्थिक सुधारों का सवाल है, हर जगह, यहां तक कि समाजवादी राष्ट्रों में भी कठोर आर्थिक सुधार किये जा रहे हैं। अतः हमें भी चाहिए कि हम आर्थिक सुधार करें तथा अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनायें। साथ ही हमें सामाजिक न्याय के साथ राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य प्रजातांत्रिक समाजवाद का है जिसमें कुछ खास लोगों के पास धन के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। एक प्रांत को पिछड़ा छोड़ कर दूसरों को आगे बढ़ते जाने देने की प्रवृत्ति भी अच्छी नहीं है। सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों का स्वस्थ तथा संतुलित विकास होना चाहिए। उन सबों को फायदा होना चाहिए। हमारी योजनाओं और विकास प्रणाली का लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के बारे में एक बात है कि इस क्षेत्र में सुधार किये जाने हैं। इसकी आज जरूरत है। जब तक सार्वजनिक क्षेत्र समृद्ध नहीं होगा तब तक हमारा समाजवादी आदर्श ही पूरा नहीं होगा। श्री रवि राय जी अभी यहां नहीं है। फिर भी मैं उनकी चिंता से सहमत हूं। वह कुछ एकाधिकारवादी घरानों की अत्यधिक वृद्धि पर चिन्ता जाहिर कर रहे थे। पर साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब हमारे देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक नीति है तो वे हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर भी साथ साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ट्रस्टीशिप पर आ जाये गांधीवादी आर्थिक नीति का आधार बना रहे।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करती हूं कि वह अपना भाषण समाप्त करें।

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही : मैं अपना भाषण समाप्त करने की ही कोशिश कर रहा हूं। कृपया मुझे कुछ और समय दें ट्रस्टीशिप पर आधारित गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर हमें वास्तव में संपूर्ण रूप से विचार करना चाहिए। कम से कम एकाधिकारी घरानों के मामले में हमें इसका पालन करना चाहिए। निस्संदेह परिवर्तन हो रहे हैं। पर यदि विपक्ष के मित्र कांग्रेस पर आरोप लगाते रहेंगे तो फिर क्या फायदा है ? यह सही है कि कांग्रेस पिछले चालीस वर्षों से शासन करती रही है, पर क्या इन वर्षों में विकास हुआ ही नहीं है ? स्वाधीनता के समय भारत एक दिन एक ब्लेड बनाने में भी सक्षम नहीं था और आज भारत को दुनिया के दस सर्वाधिक विकसित और औद्योगिक देशों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। क्या यह कांग्रेस के शासन काल में भारत की प्रगति के प्रति एक प्रशंसनीय बात नहीं है ?

महोदया, हमारा कृषि उत्पादन भी बहुत अधिक है, करीब तीन गुना अर्थात तीन सौ प्रतिशत बढ़ा है। क्या यह हमारे कृषकों के लिए एक प्रशंसनीय बात नहीं है; और यह भी कांग्रेस शासन के दौरान ? अतः उन्हें हमारे सारे कार्यों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमारी सीमाएं भी हैं। हमारी आबादी भी बहुत बढ़ी है। यही हमारी मूल समस्या है। यह दो गुणा से ज्यादा बढ़ी है। अतः मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि बेकार खर्चों को कम करना चाहिए तथा किफायत बरतनी चाहिये। सरकारी क्षेत्र में जिम्मेदारी निश्चित करनी होगी। प्रबंधकों की नियुक्ति के समय सावधानी बरती जानी चाहिये। मुझे यह कहना पड़ रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत सारे प्रबंधक राजकुमारों की तरह से रहते हैं। हमने रियासतों को तो समाप्त कर दिया पर उनकी जगह पर ये लोग आ गये हैं जिनमें कुछ तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और कुछ वरिष्ठ नौकरशाह तथा इन्हीं में सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक प्रबंध भी हैं। अतः जिम्मेदारी निश्चित करनी होगी। उनको अधिक स्वतंत्रता देनी होगी कामगारों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना चाहिये। अतः सार्वजनिक क्षेत्र में नई कार्य-शैली का विकास करना होगा। आज एक नई कार्य शैली तथा राजनैतिक प्रवृत्ति का विकास करने की जरूरत है। नई राजनैतिक प्रवृत्ति से मेरा मतलब आज के हालात का अध्ययन करके यह निर्णय करने की जरूरत से है कि आज आवश्यकता किस बात की है। हमें आपस में समायोजन करना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण यथार्थवादी होना चाहिए। हमें अधिक व्यावहारिक हो जाना चाहिये और इस दृष्टि से इस समस्या के प्रति रुख अपनाना चाहिये।

महोदया, मैं कुछ मिनटों में अपनी बात पूरी कर दूंगा। मैं साम्प्रदायिक सौहार्द और मंडल आयोग के बारे में अपनी राय दूंगा। साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बाबरी मस्जिद के संबंध में सही रुख दिखलाया गया है। कल मैं माननीय सदस्य श्री दीक्षित की बात सुन रहा था। वह कह रहे थे कि उनकी पार्टी शुरू से ही न्यायालय के निर्णय का पालन करती रही है। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है इसे आपस में बातचीत करके निपटाया जाना चाहिए···(व्यवधान)। मैं कामना करता हूं कि इसमें सफलता मिले। यदि वह असफल हो जाती है, तो फिर केवल न्यायालय के निर्णय को माना जाए। इस समय यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ में लम्बित पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सहित हर किसी को न्यायालय के निर्णय का पालन करना चाहिए। इसमें हानि क्या है ? जब श्री दीक्षित बोल रहे थे तो मैं उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उन्होंने कहा कि यदि वे आज तक न्यायालय के अन्य निर्णयों को मानते रहे हैं, तो वे उसके पिछले निर्णय को क्यों नहीं मानते।

कल श्री रवि राय मंडल आयोग, आर्थिक मानदण्ड के बारे में बोल रहे थे। हालात बदल रहे हैं। वह जातिवाद पर आधारित राजनीति के विरुद्ध हैं। मैं स्वयं यह महसूस करता हूं कि हमें जातिवाद, जाति व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। हम सब पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सब गरीबी को दूर करने के लिये प्रतिबद्ध है कठिनाई कहां है? सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किए जाने चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि ऐसी कुछ जातियों को, जो आज समाज में सबसे समृद्ध है, मंडल आयोग की रिपोर्ट में अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल किया गया है? क्या बिना किसी आधार पर उन्हें हर लाभ दे दिया जाए? क्या यह न्याय है? क्या यह सामाजिक न्याय के प्रति सही प्रकार का दृष्टिकोण है? हम न्याय के हित में, प्रगति के हित में देश को पीछे न ले जायें। हम देश को आगे ले चलें और राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस प्रकार आर्थिक मानदण्ड सुझाये गए हैं, उन पर दृढ़ता से अमल किया जाये।

मैं आपको क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में बता चुका हूं। मैं खासकर इस वाक्य का स्वागत करता हूँ कि 'असम के द्रुत विकास के लिए कदम उठाएंगे।' मैं इसका इसलिए स्वागत करता हूं क्योंकि आप जानते ही हैं कि असम में असंतोष बढ़ गया है और वह किस प्रकार अपनी चरम स्थिति में है तथा उड़ीसा सहित अन्य अनेक भागों में किस प्रकार विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त किया जा रहा है और यदि अभी से उपचारात्मक उपाय न किए गए तो उड़ीसा सहित देश के अन्य भागों में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। हम मौजूदा हालात समझ लें। आइए हम एक नई व्यवस्था तैयार करें, ताकि कोई भी क्षेत्र, कोई भी राज्य, कोई भी अंचल पिछड़ा न रह जाए।

उड़ीसा की चर्चा करते हुए मैं बलपूर्वक कहता हूँ कि पश्चिमी उड़ीसा के साथ आर्थिक विकास के मामले में राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भेदभाव किया जा रहा है। इसीलिए मैंने अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत संवैधानिक उपबंधों के अन्तर्गत पश्चिमी उड़ीसा के लिए एक स्वायत्त क्षेत्रीय विकास परिषद गठित करने हेतु अनुरोध किया था और पश्चिमी उड़ीसा के लिए एक स्वायत्तशासी क्षेत्रीय विकास परिषद गठित की जानी चाहिए। (व्यवधान) हां, कालाहांडी, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़, बोलनगीर आदि के लिए एक क्षेत्रीय विकास परिषद होनी चाहिए। यदि आप सर्वसम्मति की बात करते हैं तो हम एक साथ बैठकर प्रत्येक क्षेत्र का निर्णय कर सकते हैं। हम उड़ीसा में पश्चिमी व्यक्ति की हुकूमत नहीं चलने देंगे। बीजू पटनायक के मंत्रिमण्डल में 36 अथवा 37 मन्त्री हैं और उनमें से तटीय जिलों के केवल चार पांच मन्त्री हैं। वे भी वरिष्ठ मन्त्री नहीं है। उनके पास महत्वपूर्ण विभाग नहीं हैं। पश्चिमी उड़ीसा के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। इसीलिए राष्ट्रीयहित में, राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के हित में सभी क्षेत्रों का स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि सम्पत्तियों का स्वामित्व कुछ लोगों तक ही सीमित न रहे और अधिक लोगों को उनका स्वामित्व प्राप्त हो, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : पश्चिमी उड़ीसा के लिए एक केन्द्रीय मन्त्री होना चाहिए। यदि आप प्रधानमन्त्री से सिफारिश करें कि पश्चिमी उड़ीसा को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, तो तटवर्ती क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप यह नहीं चाहते कि आपकी पार्टी के और सदस्य भी बोलें ? मेरे सामने एक लम्बी सूची पड़ी है ।

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक बहुत स्वागत योग्य बात है । (व्यवधान) सामान्यतया जब महिला सभापति पीठासीन होती है, तो हम अभिप्रेरित अनुभव करते हैं और हमें अध्यक्ष पीठ से बहुत सहृदयतापूर्ण सहायता मिलती है । मुझे विश्वास है कि जब तक मैं अपना भाषण समाप्त न कर दूं, आप मुझे रोकेंगी नहीं ।

पेय जल योजना का उल्लेख किया गया है, जिसकी सब जगह जरूरत है तथा जो स्वर्गीय श्री गांधी की स्मृति में राष्ट्र को समर्पित है । मैं इसका स्वागत करता हूं । मुझे आशा है कि यह योजना की सच्ची भावना के अनुरूप अच्छे ढंग से काम करेगा ।

महोदया, अब मैं एक दो वाक्यों में अपनी पूरी बात करूंगा । एक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति तथा राष्ट्रीय वेतन नीति भी होनी चाहिए । सरकार को राष्ट्रीय ऊर्जा नीति तथा राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने पर विचार करना चाहिए । यह बड़ी चिन्ता की बात है और मैं समझता हूं कि हर आदमी इसके प्रति चिंतित है कि इस वर्ष अभी तक देश के अनेक हिस्सों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है । इन्द्र देव इस बार खुश नहीं हैं तथा देश के प्रत्येक हिस्से पर इनकी दया-दृष्टि नहीं है । अतः सरकार को अभी से ही स्थिति पर नजर रखनी चाहिये तथा इसका जायजा लेकर सावधानी पूर्वक कुछ कदम उठाने चाहिए । मैं सोचता हूं कि अभी वर्षा होने तथा स्थिति सुधरने का समय है । पर यदि ऐसा न हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम परिस्थिति का मुकाबला न कर पायें । हमें अभी से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए, ताकि हमें आने वाले समय में किसी भी तरह के सूखे का डर न रहे ।

मैं संसदीय कार्य मन्त्री का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे इस मौके पर बोलने का अवसर दिया । महोदया, मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय दिया । महोदया, यह एक ऐसा समय है जिसमें सारे देश को और देश की जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम सब को देश के प्रजातन्त्र अथव्यवस्था तथा युवा पीढ़ी के भविष्य के प्रति तथा राजनैतिक अनिश्चितता के प्रति चिंतित होना चाहिये । यही कारण है कि जो स्थिति आज हम सबके सामने है उससे जनादेश के मुताबिक निपटने के लिये हमें जनादेश का सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए तथा एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिये । हमें यह भी देखना चाहिये कि यह सरकार राष्ट्रीय सहमति तथा विपक्षी दलों के सहयोग से चले तथा दूसरी सरकार को अपने चुनाव घोषणा पत्र को लागू करने के लिए पर्याप्त अवसर मिले ।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : सभापति महोदया, राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्पष्ट रूप से जो देश की समस्यायें हैं चाहे वे राजनीतिक हों, आर्थिक हों जो कि आज हिन्दुस्तान में

प्रतिबिम्बित हो रहे हैं उनका उल्लेख गहराई से नहीं लेने के कारण मैं इसका विरोध करता हूं। इस अभिभाषण में बेरोजगारी के बारे में या महंगाई के बारे में या उद्योगों के बारे में इतनी गहराई से और सोचकर के इन समस्याओं को पूर्ण करने के लिए जो कुछ भी कदम उठाने चाहिए उनका उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही साथ जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई, उस वक्त देश में चुनाव हो रहे थे, सभी राजनीतिक दलों ने जो चुनाव में भाग ले रहे हैं और चुनाव अभियान में लगे हुए थे अपने चुनाव अभियान को स्थगित किया, हम भी शोकाकुल थे। मैं आंध्र प्रदेश से सिकन्दराबाद निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश में राजीव जी की हत्या के सन्दर्भ में जो कुछ भी दंगे हुए और लोगों को वाइलेंस के लिए उकसाया तमिलनाडु के अन्दर भी ऐसा ही किया गया था। जहां पर मैं आपके सामने उल्लेख कर सकता हूं। आपने महाभारत के दुश्शासन के बारे में सुना है, कंस के बारे में हम सुन चुके हैं। अभी हमारे श्री बूटासिंह जी यहां नहीं हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस कल्चर है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 22 मई को आन्ध्र प्रदेश के खम्माम जिला के बेमसूर मण्डल में गांव मरलापाडु में जहां से हमारे भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री श्री जे. वेंगल राव हैं, वहां पर एक मां-बेटी एक दुकान चला रहे थे, राजीव गांधी की हत्या के समय उनसे दुकान बंद करने को कहा गया। उस महिला ने जल्दी से जल्दी दुकान बंद कर दिया लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उस महिला के साथ वही किया जो महाभारत के दुश्शासन ने किया और वहां की नौजवान औरत को निरवस्त्र करके पांव पर एक निशान बना दिया।

इसी प्रकार गूंटूर जिला के श्री राम मोहन राव जो तेलुगुदेशम के कार्यकर्ता थे, उसकी डेढ साल की लड़की के साथ क्या किया? उसकी राजीव गांधी के हत्या से क्या संबंध था? इसी हत्या के सदमें में उन कार्यकर्ताओं ने बच्ची को रोड पर फेंक दिया, उसका क्या कसूर था? उस बच्ची ने क्या किया था? मैं दूसरी बात विजयवाड़ा की चार साल की बच्ची के बारे में बताना... (व्यवधान) इतना ही नहीं वह बच्ची मर गयी थी। 70 करोड़ रु. का आंध्र प्रदेश में नुकसान हुआ जहां पर पुलिस भी थी, वहां पर दुकानें लूटी गयीं। जितनी फैक्ट्रियां थी, लूटी गयी वे सब बी. जे. पी., टी. डी., सी. पी. एम. और सी. पी. आई. की थीं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह सब कैसे हुआ? मैंने गवर्नर को मेमोरेंडम दिया, डायरेक्टर जनरल पुलिस से मिला लेकिन 22 तारीख की दंगे होते रहे, लूटमार होती रही मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं। 21 तारीख को वाईन शाप लूटी गयी। वह लूटपाट कुछ गुण्डों और कांग्रेस के नेतृत्व के अन्दर होता रहा। मैं सदन से यह बताना चाहता हूं कि क्या यह कांग्रेस की कल्चर है? बी. जे. पी. के नेता श्री दीन-दयाल की हत्या की गयी तो हमने बड़ी शान्ति के साथ प्रोटेस्ट किया, अपना शोक प्रकट किया लेकिन तमिलनाडु में और हमारी कांस्टीट्यूएन्सी के अन्दर होटल जला दिए गये जो कांग्रेस के लोकल कार्यकर्ताओं ने किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो घटनायें देश के अन्दर और खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जहां जहां ऐसी घटनायें हुई हैं, उनका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है। यह बहुत ही दुख की बात है। इसके साथ ही इसके बारे में जितना न्याय विचार किया जाना चाहिये था लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा न्याय विचार नहीं किया गया है। वह हर चीज की जांच करेगी। अभी तक कोई कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है और साथ ही पुलिस के सामने जो डकैती की गयी है, अभी तक उस पुलिस अफसर को सस्पेंड नहीं किया गया है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसलिए मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किये जाने का विरोध करता हूं।

साथ ही साथ इस अभिभाषण में अनएम्प्लायड लोगों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। अभी तक 3'077 मिलियन अनएम्प्लायड लोगों के नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के दफ्तरों में दर्ज हैं। लेकिन जवाहर रोजगार योजना या नेहरू रोजगार योजना, इन दोनों चीजों के साथ अपनी सरकार ने कहा, लास्ट टाइम भी उन्होंने कहा कि 2,100 करोड़ रुपये अनएजुकेटेड इम्प्लाइज के के लिए योजना बनाई गई है। और अरबन इंप्लायमेंट का एक साल्यूशन देने के लिए उसके लिए भी 467.14 करोड़ उसके लिए भी अपने बजट में अलाट किया गया था लेकिन इतना हुआ, फिर भी आंध्र प्रदेश के अंदर अभी भी लास्ट टाइम हमारे हैदराबाद में कार्पोरेशन में, एक-एक कारपोरेशन के लिए लोन दिया गया लेकिन इस योजना के अंतर्गत अभी तक किसी के लिए लोन नहीं दिया गया। केवल वहां प्रचार के लिए, केवल इंप्लायमेंट न रहे ऐसा कहने के लिए यहां आंकड़े हमारे सामने हैं 2567 करोड़ रुपया सेल्फ इंप्लायमेंट स्कीम के लिए, अनइंप्लाइड यूथ के लिए पास किया गया था, लेकिन इसमें मैं कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत मिसयूज भी हुआ। इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी भी नियुक्त की जाए। साथ ही साथ आज जो मंहगाई है जिसे स्काई राकेटिंग कहा जाता है, उसी रूप से काफी मंहगाई बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मेनीफेस्टो में जो ऐसेन्शियल कमोडिटीज हैं उनको एक महीने के अंदर 1990 का जो प्राइस टैग है उसको मैंनटेन करने का उसमें प्रामिस किया, लेकिन आज भी जो डीजल है, केरोसीन है, साल्ट है, एडिबल आयल है, साइकिल है, स्कूटर है, धोती हैं, साड़ी हैं, न्यूजप्रिंट हैं, पोस्टकार्ड हैं, इनलैंड लेटर्स हैं, ये आइटम्स कांग्रेस के मेनीफेस्टो में उन्होंने पेश किया लेकिन आज भी केरोसीन किसी गांव में नहीं मिलता बिजली कब आती है कब जाती है पता नहीं। आज भी केरोसीन का रेट 22.4 परसेंट इनक्रीज हुआ है। होल सेल इंडेक्स में जो 1990 अप्रैल से 1991 अप्रैल तक जो इनक्रीज है 24.2 परसेंट हुई है। साल्ट जो मामूली चीज है, हर आदमी को फ्री मिलता था लेकिन आज साल्ट के ऊपर भी 12.7 परसेंट इनक्रीज हुआ है। एडिबल आयल 16.7 परसेंट इनक्रीज हुआ काटन साड़ीज 2 परसेंट, गांव में जो उपयोग करने के लिए उपयुक्त है पोस्ट कार्ड, एनवलप्स 33.3 परसेंट इनक्रीज हुआ। इसलिए इसके बारे में कोई भी ठोस सुझाव राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में नहीं दिया गया है।

साथियो, अभी मेरे साथियों ने भी कम्युनलिज्म के बारे में बात की थी। कम्यूनलिज्म और बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि के बारे में भी यहां चर्चा की जा रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। यहां पर कल राम विलास पासवान जी एक बात कह रहे थे। पासवान जी ध्यान में रखकर चलें कि आज इलेक्शन कमिश्नर शेषण कौन हैं ? राष्ट्रपति जी कौन हैं ? उन्होंने कहा कि आज हिन्दुस्तान में किसी माइनारिटीज को प्रोटेक्शन नहीं है। माइनारिटीज को बराबर स्थान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। क्रिकेट टीम का कप्तान अजहरुद्दीन नहीं है ? क्या कोई इस बात के खिलाफ है ? क्या फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति नहीं थे ? लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं चाहे नेशनल फंट हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों में आज माइनारिटीज के वोट के लिए एक रनिंग रेस हो रही है। केवल इसके कारण हिन्दुस्तान में माइनारिटीज में एक भय पैदा करने के लिए आज दो बातों की कोशिश कर रहे हैं। पहले से भी इसी रूप से वह अपने वोटरों को काबू में करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। आज माइनारिटीज के बारे में बात की जा रही है। मैं जहां हैदराबाद शहर से आया हूं, वहां दंगे हुए, वहां पुराने शहर हैदराबाद में दंगे हुए। वहां पर हरिजनों के ऊपर अत्याचार किया गया।

[अनुवाद]

84 व्यक्तियों की नृशंस हत्या कर दी गई।

[हिन्दी]

वहां पर मर्डर किया गया था। कोई भी उसमें माइनारिटीज के बारे में बात नहीं करता। काश्मीर से जो दो लाख पचास हजार रिफ्यूजीज बनकर दिल्ली के फुटपाथ के ऊपर आए हैं, उनके बारे में कोई भी पार्टी बात करने के लिए तैयार नहीं है। यह कौन सा कम्यूनलिज्म है ?

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक वर्ग तो अल्पसंख्यक वर्ग ही है चाहें हें हिन्दू हों अथवा मुसलमान (व्यवधान) अभी यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कहा गया, इण्डस्ट्रियल पौलिसी के बारे में हमारे प्रधानमन्त्री जी ने कहा, लेकिन मेरी कांसटीटूऐंसी के अंदर, सिकन्दराबाद में, जहां से मैं आता हूं एक आई. डी पी. एल फैक्टरी है, जिसमें हर साल 50 करोड़ रुपये का लास सरकार को होता है। उस फैक्टरी में 5 हजार नौकरी करने वाले लोग हैं। आज उस फैक्टरी में यह स्थिति आ गयी है कि दो महीने से जो भी काम करने वाले इम्पलाईज हैं, उनको सैलेरी देने के लिए मैनेजमैंट के पास पैसा नहीं है। जब एक फैक्टरी से ही सरकार को हर साल 50 करोड़ का लास हो रहा है तो दूसरी जितनी पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं, उनमें कितना लास होता होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। कुल मिलाकर थाउजैंड आफ करोड़ रुपये सरकार को हर साल हानि उठानी पड़ती है, हर साल सरकार का करोड़ों रुपया वेस्ट होता है। आज की परिस्थिति में, जहां एक तरफ वर्किंग क्लास सफर करती जा रही है दूसरी तरफ सरकार के करोड़ों रुपये लगे होने के बावजूद, जितना उनसे यील्ड होना चाहिये, जो रिजल्ट मिलना चाहिये उसके लिए कुछ भी, किसी की कोई एकाउन्टेबलिटी नहीं है। इस दृष्टि से इण्डस्ट्रियल पौलिसी पर नए सिरे से विचार किये जाने की जरूरत है करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद हिन्दुस्तान के गांवों में आज पीने का पानी तक नहीं है। आंध्र प्रदेश में आपको ऐसे बहुत से डिस्ट्रिक्ट, बहुत से गांव मिल जायेंगे, जैसे रायल सीमा है, तेलंगाना हैं, जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। वहां क्लोरीन की बीमारी से बहुत से लोग मर रहे हैं। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आंध्र प्रदेश में वाटर पोल्यूशन के कारण 480 लोग मर गये, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। उसकी तरफ किसी का आज तक ध्यान नहीं गया : वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की वजह से आज वहां विषम परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। (व्यवधान) वैसे ही इलेक्शन कमीशन के बारे में है। बिहार के अंदर किन हालात में इलेक्शन हुए, अखबारों में उसकी काफी चर्चा की गयी है, आपने भी पढ़ा होगा। बिहार में इलेक्शन के दौरान जो कुछ हुआ, उसे मैं यहां दोहराना नहीं चाहता। वहां इलेक्शन में जितनी रिगिंग हुई, जोरजबर्दस्ती से इलेक्शन हुआ, इन्नोसैंट लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, उनके लिये खतरे पैदा किये गये, वैसे ही यू. पी. में भी, मैंने अखबारों में पढा है, सुना भी है कि यू. पी. के चीफ मिनिस्टर ने रिवाल्वर लेकर पोलिंग बूथ्स में प्रवेश किया, जो वहीं के चीफ मिनिस्टर की कान्सटीटूऐंसी है। उन्होंने कहा था कि मैं 6 साल तक इलेक्शन्स नहीं होने दूंगा। वैसे ही बिहार में ईश्वर चौधरी की जिस तरह से

हत्या हुई, जो हमारा कैन्डीडेट था, उसकी भी जानकारी सभी को है। उसकी बहुत बड़ी रिपोर्ट आयी है परन्तु उसका विशेष उल्लेख करने की मैं यहां जरूरत नहीं समझता। इसके साथ-साथ हमारे आन्ध्र प्रदेश में, हैदराबाद शहर में, हैदराबाद कांसटीटूएंसी के अन्दर 180 बूथ्स पर मोर देट 90 परसेंट पोलिंग हुआ और कुछ पोलिंग बूथ्स पर 106 और 107 परसेंट पोलिंग हुआ। हमारे यहां एक पेपर निकलता है। ईनाडु उसमें एक ऐसी फोटो या पिक्चर छपी है जिसमें 4 साल के बच्चे ने वोट दिया, दिखाया गया है। एक स्थान पर 8 साल के बच्चे भी लाइन में लगे दिखाये गये हैं। वहां पूरे तौर पर रिगिंग के साथ इलेक्शन हुआ, जिसके सम्बन्ध में हमने इलेक्शन कमीशन को शिकायत पेश की, इलेक्शन कमीशन को कहा, लेकिन कुछ नहीं किया गया। कहीं पर इलेक्शन को काउन्टरमाण्ड नहीं किया गया। जिस तरह से वहां इलेक्शन के दौरान रिगिंग हुआ, 180 बूथ्स पर मोर देन 90 परसेंट वोट पड़े उसी आदमी को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। यह कौन सा न्याय है। खेद का विषय है कि कहीं इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं डिमाण्ड करता हूं कि ऐसी घटनाओं की जांच होनी चाहिये। (व्यवधान) हां, उसी को एम. पी. बना दिया गया, यही मैंने कहा। इसलिये सभी दृष्टि से ··(व्यवधान) ·· शायद आपने मुझे अच्छी तरह सुना नहीं अब मैं क्या करूं। मेरे यहां 4 साल के बच्चे ने वोट डाला। कुल मिलाकर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, आज जनता की जो समस्यायें हैं, जनता की जो प्राइमरी नैसेसिटीज हैं, उनकी ओर प्रोपर ध्यान नहीं दिया गया है, इसमें जनता में विश्वास पैदा करने में हमें काफी कठिनाई हो रही है, इसलिये मैं सदन में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. चाक्को (त्रिचूर) : माननीय सभापति महोदया, मैं इस सम्मानित सभा में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का, जिसे श्री बूटा सिंह ने प्रस्तुत किया तथा जिसका मेरे युवा मित्र श्री चेन्नितला ने समर्थन किया का समर्थन करता हूं। महोदया, मैं ऐसा बड़ी खुशी से करता हूं, क्योंकि इस देश के नागरिक, इस देश के मतदाता यह अपेक्षा करते हैं कि इस सभा के सभी सदस्यों को, चाहे वे किसी भी दल के हों, भारत के राष्ट्रपति के प्रति उनके अभिभाषण के लिये आभारी होनी चाहिये क्योंकि उन्होंने देश की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को जारी रखा है।

महोदया, पिछले कुछ दिनों में हमने इस सभा में एक ऐसी सरकार को देखा है जो सभी प्रकार की मुश्किलों के बावजूद देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये कोशिश कर रही है। आगे का कार्य कितना हो मुश्किल क्यों न हो, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से स्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो, सरकार का पक्का इरादा इस सभा में ठीक प्रकार से व्यक्त किया गया है। और हमने विपक्ष को भी देखा है। विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता जैसे श्री इन्द्रजीत गुप्त अपनी अन्दरूनी परेशानी को छिपा नहीं पाये हैं और वे यह स्वीकार करते हैं कि वे इस सरकार का विरोध केवल विरोध करने के लिये कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस दुःखद स्थिति में हैं। मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ एवं अनुभवी विपक्षी नेता इस रवैये को छोड़ दें।

इस समय सरकार का समर्थन और सरकार को सहायता की जाये, क्योंकि सभी इस बात से सहमत हैं कि यह देश इस समय अप्रत्याशित संकट से गुजर रहा है, इस बारे में कोई मतभेद नहीं

है। आर्थिक पहलू पर अत्यधिक विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया जा चुका है और हर व्यक्ति इस बात से सहमत है कि हमारी आर्थिक स्थिति काफी गंभीर है। भुगतान-संतुलन की स्थिति इतनी नाजुक है कि विदेशी मुद्रा का हमारा भंडार कुछ महीनों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। महोदया, स्थिति इतनी गंभीर है कि राजनैतिक विचारधारा चाहे जो भी हो, हर जिम्मेवार पार्टी हमारा समर्थन करेगी।

आज हमारी लोकतान्त्रिक प्रणाली के बुनियाद पर ही कुठाराघात किया जा रहा है। जनता ने बुद्धिमता-पूर्वक कांग्रेस को देश को इस संकट से उबारने का जनादेश दिया है। इसी कारण कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में है। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी प्रधान मंत्री और शासक दल की वैधता के बारे में प्रश्न उठा रहे थे। उन्होंने पूछा था, आपको ये परिवर्तन करने, देश का शासन चलाने और निर्णय लेने का क्या अधिकार है?

महोदया, मैं अपने वरिष्ठ मित्र को यह याद दिलाना चाहूँगा कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद के पचास वर्षों के प्रयोग के बावजूद संसद में मार्क्सवादी दलों के मात्र तीस सदस्य हैं, तथा कॉंग्रेस पार्टी पर उंगली उठाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारी शक्ति उनसे 8 गुणी ज्यादा है। मार्क्सवादियों को इस बात को समझना चाहिए। यह उनके लिए सच्चे दिलो-दिमाग सोचने-समझने का समय है। जैसाकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, यह एक ऐसी स्थिति जिसमें हम सब को एक साथ बैठकर विचार-विमर्श करना होगा तथा कोई राह निकालनी होगी। कुछ लोग खुद विचार-विमर्श की असलियत पहले से ही जानते होंगे। महोदया, हमारे पास कुछ भी छिपाने जैसा नहीं है।

7 00 म.प.

हमने, कांग्रेस पार्टी ने साफ-साफ कह दिया है कि यह सरकार सर्वसम्मति से चलना चाहती है। हम सर्वसम्मति के आधार पर कार्य करना चाहते हैं। भा.ज.पा. और अन्य विपक्षी दल हमें हमेशा यह याद दिलाते रहते हैं कि हम बहुमत में नहीं हैं तथा हमें सावधान रहना चाहिये तथा हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिये। महोदया हमें अपनी परेशानियों और खामियों का पता है। कांग्रेस पार्टी ने हर राजनैतिक पार्टी से विचार-विमर्श करने की पेशकश की है और इसने ऐसा किसी राजनैतिक लाभ या समर्थन के लिए नहीं किया है। प्रत्येक मामले पर वे हमसे पूछते हैं कि हमें उनका समर्थन क्यों चाहिये। यदि कोई इस सरकार का समर्थन नहीं करना चाहता है तो हम समर्थन मांग भी नहीं रहे है। पर देश की जनता चाहती है कि यह सरकार और यह व्यवस्था चले मैं सभी से फिर आग्रह करूंगा कि वह अपने फैसलों के बारे में सोचें और अपने पूर्वाग्रहों का त्याग करें।

मैं श्री आडवाणी के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूँ कि गैर कांग्रेस वाद को अब समाप्त करना चाहिए।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

अब सभा कल 11 बजे म.पू. तक के लिये स्थगित होती है।

7.02 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 18 जुलाई, 1991/27 आषाढ़, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472 पुरानी साईकिल मार्केट दिल्ली-6

पी० एस० एस० 48/1/7/91 (एन०)
250

© 1991 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक,
गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472, एसप्लेनेड रोड दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित ।